

---

## इकाई 1 : संविधान का विकास

---

### इकाई की संरचना

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 विषय-संविधान का तात्पर्य एवं परिभाषा
  - 1.3.1 संविधान का अर्थ
  - 1.3.2 संविधानवाद का अर्थ एवं संवैधानिक विधि
  - 1.3.3 भारत का संविधान
- 1.4 संवैधानिक विकास का इतिहास
  - 1.4.1 प्राचीन भारत में संवैधानिक प्रणाली
  - 1.4.2 औपनिवेशिक काल में संवैधानिक विकास
- 1.5 सारांश
- 1.6 शब्दावली
- 1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.8 संदर्भ ग्रन्थ
- 1.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 1.10 निबन्धात्मक प्रश्न

---

## 1.1 प्रस्तावना

---

भारतीय संविधान को समझने के लिए यह जरूरी है कि संविधान क्या है इसका विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विधि का क्या तात्पर्य है तथा संविधानवाद का ज्ञान भी जरूरी है। किसी भी देश के सुचारूपूर्ण शासन प्रणाली के संचालन हेतु कुछ नियमों - कानूनों का होना अनिवार्य है। चाहे वह लिखित हो या अलिखित। इकाई के पूर्वाह्न में आप संविधान क्या है, संवैधानिक विधि, संविधानवाद एवं भारत के संविधान की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

वही इकाई के उत्तरार्द्ध में संवैधानिक विकास के इतिहास के अन्तर्गत प्राचीन भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली तथा औपनिवेशिक शासन काल में संवैधानिक विकास को आप आसानी से समझ सकेंगे।

---

## 1.2. उद्देश्य:-

---

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत आप-

1. संविधान का अर्थ समझ सकेंगे।
2. संविधानवाद, संवैधानिक विधि को समझ सकेंगे।
3. प्राचीन भारतीय संवैधानिक शासन प्रणाली एवं भारतीय गणतंत्र को जान सकेंगे।
4. अंग्रेजों के शासन काल में कैसे संवैधानिक विकास हुआ, इसको समझ सकेंगे।
5. राष्ट्रवादी आन्दोलन/स्वतंत्रता आन्दोलन के समय किस प्रकार प्रतिनिधि संस्थाओं की उत्पत्ति हुई जिसका भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

### 1.3 संविधान का तात्पर्य एवं परिभाषा

हर देश में अलग-अलग समूह के लोग रहते हैं। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे - कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनैतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। जैलीनेक ने संविधान की अनिवार्यता स्वीकार करते हुए कहा कि - "संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य, राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी।" आस्टिन के अनुसार:- "संविधान सर्वोच्च शासन के ढाँचे को निश्चित करता है।" गिलक्राइस्ट के अनुसार:- "संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है, जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धान्त निश्चित किये जाते हैं।" के0सी0 व्हीयर के अनुसार:- "संविधान का प्रयोग संपूर्ण शासन-व्यवस्था के लिए किया जाता है। संविधान में निहित नियम एवं सिद्धान्त सरकार को नियमित करते हैं।"

#### 1.3.1 संविधान का अर्थ

किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा-ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है।

संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ-साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। आदर्शतया जनता ही स्वयं अपने ऊपर शासन करती है। किंतु प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलताओं तथा राष्ट्ररूपी राज्यों के बढ़ते हुए आकार के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब संभव नहीं रहा। जनता अपनी प्रभुसत्ता का सबसे पहला तथा सबसे बुनियादी अनुप्रयोग तब करती है, जब वह अपने आप को एक ऐसा संविधान प्रदान करती है जिसमें उन बुनियादी नियमों की रूपरेखा दी जाती है। जिनके अंतर्गत राज्य के विभिन्न अंगों को कतिपय शक्तियाँ अंतरित की जाती हैं और जिनका प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। संघीय राज्य व्यवस्था में संविधान संघ स्तर पर और दूसरी ओर राज्यों या इकाइयों के स्तर पर राज्यों के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का निरूपण, परिसीमन और वितरण करता है।

किसी देश के संविधान को इसकी ऐसी आधार विधि भी कहा जा सकता है, जो उसकी राज्य-व्यवस्था के मूल सिद्धान्त विहित करती है और जिसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियों तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी विधि मान्यता तथा वैधता के लिए कसा जाता है। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। संविधान समाज में साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा तथा यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं?

जिन देशों में संविधान है, वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। हर लोकतांत्रिक देश में शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान का होना अनिवार्य माना जाता है।

संविधान को एक जड़ दस्तावेज मात्र मान लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि संविधान केवल वही नहीं है, जो संविधान के मूल पाठ में लिखित है। संविधान सक्रिय संस्थाओं का एक सजीव संघट्ट है। यह निरन्तर पनपता रहता है, पल्लवित रहता है। हर संविधान इसी बात से अर्थ तथा तत्व ग्रहण करता है कि उसे किस तरह अमल में लाया जा रहा है। बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि देश के न्यायालय किस प्रकार उसका निर्वचन करते हैं। तथा उसके अमल में लाने की वास्तविक प्रक्रिया में उसके चारों ओर कैसी परिपाटियाँ तथा प्रथाएँ जन्म लेती हैं।

### 1.3.2. संविधान का अर्थ एवं संवैधानिक विधि

संविधानवाद उन विचारों व सिद्धान्तों की ओर संकेत करता है, जो उस संविधान का विवरण एवं समर्थन प्रस्तुत करते हैं; जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना सम्भव होता है। संविधानवाद में शासन संविधान के अनुसार संचालित होना चाहिए। और उस पर ऐसा प्रभावशाली नियंत्रण कायम रहे, जिससे उन मूल्यों व राजनीतिक आदर्शों की सुरक्षा को आघात न पहुँचे, जिनके लिए जनता ने राज्य के बंधन को स्वीकारा है। संविधानवाद कानून की सर्वोच्चता पर आधारित है; व्यक्ति की सर्वोच्चता पर नहीं।

संविधानवाद एक ऐसी राज्य व्यवस्था की संकल्पना है, जो संविधान के अन्तर्गत हो तथा जिससे सरकार के अधिकार सीमित और विधि के अधीन हो। स्वेच्छाधारी, सत्तावादी अथवा सर्वाधिकारवादी जैसे शासनो के विपरीत, संवैधानिक शासन प्रायः लोकतांत्रिक होता है तथा लिखित संविधान के द्वारा नियमित होता है। लिखित संविधान में राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा उनके दायित्वों की परिभाषा तथा सीमांकन होता है। लिखित संविधान के अन्तर्गत स्थापित सरकार सांकुश सरकार ही हो सकती है। लेकिन, यह भी सम्भव है कि किन्हीं देशों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं लिखित संविधान तो हो लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो। कहा जा सकता है कि उनके पास संविधान है किन्तु वहाँ पर संविधानवाद नहीं है। ऐसे भी उदाहरण हैं, जैसे ब्रिटेन, जहाँ लिखित संविधान नहीं है किन्तु लोकतंत्र और संविधानवाद है।

### संवैधानिक विधि

संवैधानिक विधि सामान्यतया संविधान के उपबन्धों में समाविष्ट देश की मूलभूत विधि की द्योतक होती है। विशेष रूप से इसका सरोकार राज्य के विभिन्न अंगों के बीच और संघ तथा इकाइयों के बीच शक्तियों के वितरण के ढाँचे की बुनियादी विशेषताओं से होता है। किन्तु आधुनिक संवैधानिक विधि में, खासतौर पर स्वाधीन प्रतिनिधिक लोकतंत्रों में, मूल मानव अधिकारों और नागरिकों तथा राज्य के परस्पर संबन्धों पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा, संवैधानिक विधि के स्रोतों में संविधान का मूल पाठ ही सम्मिलित नहीं होता, इसमें संवैधानिक निर्णय जन्म विधि, परिपाटियाँ और कतिपय संवैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत बनाये गए अनेक कानून भी सम्मिलित होते हैं।

### 1.3.3 भारत का संविधान

भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया तथा स्वयं को समर्पित किया गया। संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकार किया गया था। यह 26 जनवरी, 1950 से पूर्णरूपेण लागू हो गया। संविधान में 22

भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस समय संविधान में बहुत संशोधन हो चुके हैं। संविधान में समय-समय पर संशोधन हुए, जिसमें कुछ अनुच्छेद संशोधनों के द्वारा निकाल दिए गए और कुछ के साथ क, ख, ग आदि करके नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए, किंतु संदर्भ में सुविधा की दृष्टि से, संविधान के भागों और अनुच्छेदों की मूल संख्याओं में परिवर्तन नहीं किया गया। इस समय गणना की दृष्टि से कुछ अनुच्छेद (1-395 तक) वस्तुतया 445 हो गए हैं। अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गयी हैं। तथा पिछले 62 सालों में 100 से ज्यादा संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं।

अभ्यास प्रश्न:-

1. संविधान क्या है?
2. संविधानवाद का अर्थ बताइये।
3. संवैधानिक विधि से क्या तात्पर्य है। बताइये।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत में सर्वोच्च माना गया है-

(अ) न्यायपालिका को (ब) संविधान को

(स) संसद को (द) राष्ट्रपति को

2. भारत के संविधान को किस तिथि को स्वीकार किया गया?

(अ) 26 नवम्बर, 1950 (ब) 26 जनवरी, 1950

(स) 26 जनवरी 1949 (द) 26 नवम्बर, 1949

2. भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या है-

(अ) 350 (ब) 395

(स) 360 (द) 370

#### 1.4. संवैधानिक विकास का इतिहास

किसी देश के संविधान के भवन निर्माण सदैव उसके अतीत की नींव पर किया जाता है। भारतीय गणतंत्र का संविधान राजनैतिक क्रांति का परिणाम नहीं है। यह जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के अनुसंधान और विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप जन्मा है। इस निकाय ने प्रशासन की विद्यमान पद्धति में सुधार लाने का प्रयत्न किया। अतः किसी भी विद्यमान तथा लागू संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके इतिहास को जानना जरूरी होता है।

#### 1.4.1 प्राचीन भारत में संवैधानिक शासन-प्रणाली

लोकतंत्र, प्रतिनिधि-संस्थान, शासकों की तानाशाही शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पनाएं प्राचीन भारत के लिए अपरिचित नहीं थीं। धर्म की सर्वोच्चता की संकल्पना विधि के शासन या नियंत्रित सरकार की संकल्पना से भिन्न नहीं थी। प्राचीन भारत में शासन धर्म से बंधे हुए थे, कोई भी व्यक्ति धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता था। प्राचीन भारत के अनेक भागों में गणतन्त्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि-विचारण-मण्डल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थीं और वैदिक काल (3000-1000 ई० पू०) से ही लोकतांत्रिक चिंतन तथा व्यवहार लोगो के जीवन में था।

ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा (आमसभा) तथा समिति (वयोवृद्धों की सभा) का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण, पाणिनी की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत, अशोकस्तम्भों पर उत्कीर्ण शिलालेख, उस काल के बौद्ध तथा जैन ग्रन्थ और मनुस्मृति- ये सभी इस बात के साक्ष्य हैं कि भारतीय इतिहास के वैदिकोत्तर काल में अनेक सक्रिय गणतंत्र विद्यमान थे।

ई०पू० चौथी शताब्दी में 'क्षुद्रक मल्ल संघ' नामक गणतंत्र-परिसंघ ने सिकन्दर का मुकाबला किया था। पाटलीपुत्र (पटना) के निकट लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। वह राज्य एक गणतंत्र था उसका शासन एक सभा चलाती थी। उसका एक निर्वाचित अध्यक्ष होता था। और उसे नायक कहा जाता था।

दशवी शताब्दी में शुक्राचार्य ने 'नीतिसार' की रचना की जो संविधान पर लिखी गई पुस्तक है। इसमें केन्द्रीय सरकार के संगठन एवं ग्रामीण तथा नगरीय जीवन, राजा की परिषद और सरकार के विभिन्न विभागों का वर्णन किया गया है। गणराज्य, निर्वाचित राजा, सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थान बाद में लुप्त हो गए। किंतु ग्राम स्तर पर ग्राम संघ, ग्राम सभा अथवा पंचायत जैसे प्रतिनिधि - निकाय जीवित रहे और अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम राजवंशों के शासन के दौरान तथा अंग्रेजी शासन के आगमन तक कार्य करते रहे और फलते-फूलते रहे।

#### 1.4.2. औपनिवेशिक काल में संवैधानिक विकास

31 दिसम्बर 1600 को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा बनायी गयी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु (1707) और 1757 के प्लासी के युद्ध में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी।

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773- 1773 का एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियन्त्रण के प्रयासों की शुरुआत थी। कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन अब कम्पनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा। 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।

चार्टर एक्ट, 1833- भारत में अंग्रेजीराज के दौरान संविधान निर्माण के संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। इस एक्ट के अन्तर्गत सपरिषद, गवर्नर-जनरल के विधि-निर्माण अधिवेशनों तथा उसके कार्यपालक अधिवेशनों में अंतर करते हुए भारत में अंग्रेजी शासनाधीन क्षेत्रों के शासन में संस्थागत विशेषीकरण का तत्त्व समाविष्ट किया गया।

चार्टर एक्ट, 1953- 1853 का चार्टर एक्ट अन्तिम चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के अन्तर्गत भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद को ऐसी विधायी प्राधिकरण के रूप में जारी रखा गया। जो समूचे ब्रिटिश भारत के लिए विधियां बनाने में सक्षम थी। तथापि इसके स्वरूप तथा संघटन में अनेक परिवर्तन कर दिए गए जिससे कि 'पूरी प्रणाली ही परिवर्तित' हो गयी थी। विधायी कार्यों के लिए परिषद में छः विशेष सदस्य जोड़कर इसका विस्तार कर दिया गया। इन सदस्यों को विधियां तथा विनियम बनाने के लिए बुलाई गई बैठको के अलावा परिषद में बैठने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। इन सदस्यों को विधायी पार्षद कहा जाता था। परिषद में गवर्नर-जनरल, कमांडर-इन'-चीफ, मद्रास, बंबई, कलकत्ता और आगरा के स्थानीय शासको के चार प्रतिनिधियों समेत अब बारह सदस्य हो गये थे। परिषद के विधायी कार्यों को इसके कार्यपालक अधिकारो से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया था। और एक्ट की धारा 23 की अपेक्षाओं के अनुसार उनके इस विशेष स्वरूप पर बल दिया गया था कि सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित विधिया और विनियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग केवल 'उक्त परिषद की बैठको' में किया जायेगा।

### 1858 का एक्ट

भारत में अंग्रेजी शासन के मजबूती के साथ स्थापित हो जाने के बाद 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट देने का पहला संगठित प्रयास था। उसे अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय गदर तथा भारतीयों ने स्वाधीनता के लिए प्रथम युद्ध का नाम दिया। इस विद्रोह ने, जिसे अन्ततः दबा दिया गया। भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी की व्यवस्था को एक घातक झटका पहुंचाया। ब्रिटिश संसद ने कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद, जस नई नीति का आधार होना चाहिए, एक नया एक्ट पास किया। यह एक्ट अंततः 1858 का 'भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट' बना। इस एक्ट के अधीन, उस समय जो भी भारतीय क्षेत्र कंपनी के कब्जे में थे, वे सब फ्राउन में निहित हो गए। और उन पर (भारत के लिए) प्रिंसिपल सेक्रेटरी आफ स्टेट के माध्यम से कमी करते हुए फ्राउन द्वारा तथा उसके नाम, सीधे शासन किया जाने लगा। किंतु 1858 का एक्ट अधिकांशतः ऐसे प्रशासन - तंत्र में सुधार तक ही सीमित था। जिसके द्वारा भारत के प्रशासन पर इंग्लैण्ड में निरीक्षण और नियंत्रण किया जाना था। इसके द्वारा भारत के प्रशासन पर इंग्लैण्ड में निरीक्षण और नियंत्रण किया जाना था। इसके द्वारा भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया।

भारतीय परिषद एक्ट, 1861- 1861 का भारतीय परिषद एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण एवं युगान्तकारी घटना है। यह दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसने गवर्नर- जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दे दिया। दूसरा यह कि इसने गवर्नर-जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विक्रेन्द्रीयकरण कर दिया तथा उन्हें बम्बई तथा मद्रास की सरकारों में निहित कर दिया।

गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार कर दिया गया। उसमें एक पांचवा सदस्य सम्मिलित कर दिया गया। उसके लिये न्यायविद होना जरूरी था। विधायी कार्यों के लिये कम से कम छः तथा अधिक से अधिक बारह अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। उनमें से कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना जरूरी था। यद्यपि एक्ट में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया था, तथापि विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों का भी शामिल किया जा सकता था। वास्तव में 1862 में गवर्नर जनरल, लार्ड कैनिन ने नवगठित विधान परिषद में तीन भारतीयों - पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा ओर सर दिनकर राव- को नियुक्त किया। भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत के बाद पहली बार भारतीयों को विधायी कार्य से जाड़ा गया।

1861 के एक्ट में अनेक त्रुटियाँ थीं। उसके अलावा यह भारतीय आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं करता था। इसने गवर्नर जनरल को सर्पश शक्तिमान बना दिया था। गैर सरकारी सदस्य कोई भी प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकते थे। न तो कोई प्रश्न पूछा जा सकता था। और न ही बचत मर बहस हो सकती थी। देश में राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति निरंतर खराब होती गई। अनाज की भारी किल्लत हो गई और 1877 में जबरदस्त अकाल पड़ा। इससे व्यापक असंतोष फैल गया और स्थिति विस्फोटक बन गई। 1857 के विद्रोह के बाद जो दमन चक्र चला, उसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़क उठी थीं। इनमें और भी तजी आई जब यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों ने इल्बर्ट विधेयक का जमकर विरोध किया। इल्बर्ट विधेयक ये सिविल सेवाओं के यूरोपीय तथा भारतीय सदस्यों के बीच घिनौने भेद को समाप्त करने की व्यवस्था की गयी थी।

भारतीय परिषद अधिनियम 1892

भारतीय और प्रान्तीय विधान परिषदों के बारे में उल्लिखित स्थिति में दो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा किये गये। एक तो यह कि (क) भारतीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों का बहुमत रखा गया किन्तु गैर सरकारी सदस्य बंगाल चैम्बर आफ फार्मर्स और प्रांतीय विधान परिषद द्वारा नाम निर्देशित होने लगे। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य कुछ स्थानीय निकायों द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने लगे। ये स्थानीय निकाय थे विश्व विद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिका आदि।

(ख) परिषदों को राजस्व और व्यय के वार्षिक कथन अर्थात् बजट पर विचार विमर्श करने की और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। इस अधिनियम की विशेषता इसका उद्देश्य है जिसे भारत के लिए अंडर सेक्रेटरी आफ स्टेट ने इस प्रकार स्पष्ट किया था।

“(यह) भारत के शासन का आधार विस्तृत करने और उसके कृत्यों को बढ़ाने के लिए, और गैर-सरकारी तथा भारत के समाज के स्थानीय तत्वों को शासन के काम में भाग लेने का अवसर देने के लिए अधिनियम (है)।”

मोरले-मिंटो सुधार और भारतीय परिषद अधिनियम, 1909-

मोरले-मिंटो के सुधार द्वारा प्रतिनिधिक और निर्वाचित तत्व का समावेश करने का पहला प्रयत्न किया गया। यह नामकरण तत्कालीन भारत के लिए सेक्रेटरी (लार्ड मोरले) और वाइसराय (लार्ड मिंटो) के नाम से हुआ। इस सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 से लागू किया गया। प्रान्तीय विधान परिषद से सम्बन्धित परिवर्तन प्रणामी थे। इन परिषदों के आकार में वृद्धि की गई और उसमें कुछ निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्य सम्मिलित किए गए जिससे शासकीय बहुमत समाप्त हो गया। केन्द्र की विधान परिषद में भी निर्वाचन का समावेश हुआ किन्तु शासकीय बहुमत बना रहा।

विधान परिषदों के विचार-विमर्श के कृत्यों में भी इस अधिनियम द्वारा वृद्धि हुई। इससे उन्हें यह अवसर दिया गया कि वे बजट या लोकहित के किसी विषय पर संकल्प प्रस्तावित करके प्रशासन की नीति पर प्रभाव डाल सकें। कुछ विनिर्दिष्ट विषय इसके बाहर थे। जैसे सशस्त्र बल, विदेश कार्य और देशी रियायतें। 1909 के अधिनियम द्वारा जो निर्वाचन की पद्धति अपनाई गयी उसमें एक बहुत बड़ा दोष था। इसी से पृथकतावाद का बीजारोपण हुआ जिसकी परिणति इस देश के दुखद विभाजन में हुई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विचार और राजनैतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना एक ही समय में हुई (1906)। इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इसके पश्चात् भारत शासन अधिनियम, 1915 (5 और 6 जार्ज पंचम), अध्याय 61) पारित किया गया। इसका उद्देश्य पूर्ववर्ती भारत शासन अधिनियमों को समेकित करना था। जिससे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से सम्बन्धित भारत शासन के सभी विद्यमान उपबन्ध एक ही अधिनियम में प्राप्त हो जाए।

मोर्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित भारत शासन अधिनियम, 1919-

मोर्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित भारत शासन अधिनियम 1919 में इस बात को स्पष्ट कर देने का प्रयास किया गया था कि अंग्रेज शासक भारतीयों के जिम्मेदार सरकार के ध्येय की पूर्ति तक केवल धीरे-धीरे पहुँचने के आधार पर स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास को मानने के लिए तैयार है। संवैधानिक प्रगति के प्रत्येक चरण के समय, ढंग तथा गति का निर्धारण केवल ब्रिटिश संसद करेगी और यह भारत के किसी आत्मनिर्णय पर आधारित नहीं होगा।

1919 के एक्ट तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। केन्द्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद (उच्च सदन) तथा विधान सभा (निम्नसभा) वाले द्विसदनीय विधानमण्डल ने ले लिया। हांलांकि सदस्यों को नामजिद करने की कुछ शक्ति बनाए रखी गयी। फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना अब जरूरी हो गया था।

सदस्यों का चुनाव एक्ट के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया था। निर्वाचन के लिए विहित अर्हताओं में बहुत भिन्नता थी और वे सांप्रदायिक समूह, निवास, और सम्पत्ति पर आधारित थी।

द्वैध शासन:- 1919 के एक्ट द्वारा आठ प्रमुख प्रांतों में, जिन्हे 'गवर्नर के प्रांत' कहा जाता था। द्वैध शासन की एक नई पद्धति शुरू की गयी। प्रांतों में आंशिक रूप से जिम्मेदार सरकार की स्थापना से पहले प्रारम्भिक व्यवस्था के रूप में प्रांतीय सरकारों के कार्य-क्षेत्र का सीमांकन करना जरूरी था। तदुसार एक्ट में उपबन्ध किया गया था कि प्रशासनिक विषयों का केन्द्रीय तथा प्रांतीय के रूप में वर्गीकरण करने, प्रांतीय विषयों के संबंध में प्राधिकार स्थानीय शासनों को सौंपने, और राजस्व तथा अन्य धनराशियां उन सरकारों को आवंटित करने के लिए नियम बनाए जाए। विषयों का 'केन्द्रीय' तथा 'प्रान्तीय' के रूप में हस्तान्तरण नियमों द्वारा विस्तृत वर्गीकरण किया गया।

1919 एक्ट की खामिया

1919 एक्ट में अनेक खामिया थी। इसने जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा, प्रांतीय विधानमण्डल गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषय क्षेत्रों में विधेयकों पर बहस नहीं कर सकते थे। सिद्धान्त के रूप में, केन्द्रीय विधानमण्डल संपूर्ण क्षेत्र के लिए कानून बनाने के वास्ते सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। केन्द्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के बटवारे के बावजूद 'पहले के अत्यधिक केन्द्रीय कृत शासन' में बदलने का सरकार का कोई इरादा मालूम नहीं पड़ा। ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा।

प्रांतों में द्वैध शासन पूरी तरह से विफल रहा। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में, मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, मंत्री विधानमण्डल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं थे। वे केवल गवर्नर के व्यक्तिगत रूप से नियुक्त सलाहकार थे।

कांग्रेस तथा भारतीय जनमत असंतुष्ट रहा और उन्होंने दबाव डाला कि प्रशासन को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधिक और उत्तरदायी बनाने के लिए सुधार किए जाए। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और आम लोगो के मन में अनेक आशाएं थी। किंतु उनके हाथ लगे दमनकारी विशेष विधायी प्रस्ताव जिन्हें रौलट बिल कहा गया। भारतीय जनमत का व्यापक और जबरदस्त विरोध होने पर भी उन्हें पास कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, गाँधी जी के नेतृत्व में स्वराज के लिए सत्याग्रह, असहयोग और खिलाफत आन्दोलन शुरू किए गये।

#### साइमन आयोग

1919 के एक्ट के अधीन, एक्ट के कार्यकाल की जाँच करने तथा उसके संबन्ध में रिपोर्ट देने और सुधार के लिए आगे और सिफारिशें करने के लिए, दस वर्ष बाद 1929 में एक आयोग नियुक्त करने का उपबंध था। व्याप्त असंतोष को देखते हुए भारतीय संवैधानिक आयोग (साइमन कमीशन) 1927 में अर्थात् निर्धारित समय से दो वर्ष पहले ही नियुक्त कर दिया गया लेकिन क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इससे भारतीय जनता की भावनाओं को और भी ठेस पहुची।

#### पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव

कांग्रेस धीरे-धीरे पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी थी। किंतु कलकत्ता अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों को एक वर्ष के अंदर-अंदर डोमिनियन दर्जे की मांग को स्वीकार करने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाए। डोमिनियन दर्जे की मांग ठुकरा दिये जाने के बाद कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संबन्ध में एक प्रस्ताव पास किया गया। नमक-कर संबंधी कानून को तोड़ने के आह्वान तथा समुद्र तक पहुचने के लिए गाँधी जी की डांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हो गया।

गोलमेज सम्मेलन तथा श्वेत पत्र:-अन्ततः सरकार ने संवैधानिक सुधारो पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1930 में लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। इसके बाद ऐसे ही सम्मेलन और हुए।

तीन गोलमेज सम्मेलनो के बाद, ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया। उसमें एक नए संविधान की रूपरेखा दी गयी थी। इस योजना में संघीय ढाँचे तथा प्रांतीय स्वायत्ता के लिए उपबंध सम्मिलित थे। इसमें केन्द्र में द्वैधशासन तथा प्रांतो में जिम्मेदार सरकारो का प्रस्ताव किया गया था।

ब्रिटिश संसद ने श्वेतपत्र में सम्मिलित सरकार की योजना पर आगे विचार करने के लिए दोनो सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया। लार्ड लिनलिथगों संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे और इसमें फंजर्वेटिव सदस्यों का बहुमत था। ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को इस समिति के सामने गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए आमन्त्रित किया गया था।

संयुक्त समिति ने नवंबर, 1934 में अपनी रिपोर्ट दी। इसमें इस बात को दोहराया गया थ कि फेडरेशन की स्थापना तभी की जायेगी यदि कम से कम 50 प्रतिशत देशी रियासतें इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाए।

इस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया और वह 19 दिसम्बर, 1934को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। जब दोनो सदनों ने उसे पास कर दिया और 4 अगस्त 1935 को उसे सम्राट ने अपनी अनुमति दे दी। तो वह भारत शासन एक्ट 1935 बन गया।

## भारत शासन एक्ट 1935-

भारत शासन एक्ट, 1935 की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसमें ब्रिटिश प्रांतो तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों की एक 'अखिल भारतीय फेडरेशन' की कल्पना की गयी थी। 1930 के गोलमेज सम्मेलन तक भारत पूर्णतया एक एकात्मक राज्य था और प्रांतो के पास जो भी शक्तियां थी, वे उन्हे केन्द्र ने दी थी। अर्थात् प्रान्त केवल केन्द्र के एजेण्ट थे। 1935 के एक्ट में पहली बार ऐसी संघीय प्रणाली का उपबन्ध किया गया। जिसमें न केवल ब्रिटिश भारत के गर्वनरों के प्रान्त बल्कि चीफ कमिश्नरों के प्रान्त तथा देशी रियासतें भी शामिल हो। इसने उस एकात्मक प्रणाली की संकल्पना को अन्ततः भंग कर दिया जिसके अधीन अब तक ब्रिटिश भारत का प्रशासन होता था। 1919 के संविधान का सिद्धान्त विकेन्द्रीकरण का था, न कि फेडरेशन का।

नए एक्टो के अधीन, प्रांतो को पहली बार विधि में अपने ढंग से कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों का प्रयोग करने वाली पृथक इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई। प्रान्त, सामान्य परिस्थितियों में, उस क्षेत्र में केन्द्र के नियंत्रण से मुक्त हो गए थे।

इस एक्ट के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध के दो नए प्रांत बना दिए गए। केन्द्र में प्रस्तावित योजना को ध्यान में रखते हुए, गर्वनरों के ग्यारह प्रान्तो को, कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की निगरानी, निर्देशन और नियन्त्रण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। दूसरे शब्दो में, प्रान्तों को एक पृथक कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया। एक्ट द्वारा परिकल्पित प्रांतीय स्वायत्तता की योजना में प्रत्येक प्रान्त में से एक कार्यपालिका तथा एक विधानमण्डल का उपबन्ध रखा गया था। प्रांतीय विधानमण्डलों को अनेक नयी शक्तिया दी गयीं। मंत्रीपरिषद की विधानमण्डल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया। यह एक अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करके उसे पदच्युत कर सकता था। विधानमण्डल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियन्त्रण रख सकता था। किन्तु विधानमण्डल लगभग 80 प्रतिशत अनुदान भागो को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता था। विधायी रूप में विधान मण्डल समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर भी कानून पास कर सकता था। किन्तु टकराव होने की स्थिति में संघीय कानून भी प्रभावी रहेगा।

भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन संवैधानिक योजना का संघीय भाग अत्यधिक अव्यवहारिक था। प्रान्तों में फेडरेशन की योजना को स्वीकार नहीं किया और क्योंकि आधी रियासतों के फेडरेशन में सम्मिलित होने की शर्त को पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए 1935 के एक्ट में परिकल्पित भारत संघ (फेडरेशन ऑफ इण्डिया) अस्तित्व में नहीं आ पाया। और एक्ट के संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

1935 के अधिनियम द्वारा जिस शासन प्रणाली की व्यवस्था की गयी थी इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित थे।

- (क) परिसंघ और प्रान्तीय स्वायत्तता।
- (ख) केन्द्र में द्वैधशासन।
- (ग) विधानमण्डल (विधानसभा और विधानपरिषद)
- (घ) केन्द्र और प्रान्तों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण।

1935 के भारतीय शासन अधिनियम में विधायी शक्तियों को केन्द्र और प्रान्तीय विधानमण्डलों के बीच विभाजित किया गया और नीचे उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधान मण्डल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं थां

इस अधिनियम में तीन प्रकार का विभाजन किया गया।

1. एक परिषद सूची थी जिस पर परिसंघ विधानमण्डल को विधान बनाने के अनन्य शक्ति थी इस सूची में विदेश कार्य करेगी और मुद्रा, नौसेना, सेना और वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे।

2. विषयों की एक प्रांतीय सूची थी जिस पर प्रान्तीय विधानमण्डलों की अनन्य अधिकारित थी। उदाहरण के लिये पुलिस, प्रान्तीय लोकसेवा और शिक्षा।

3. विषयों की एक समवर्ती सूची थी जिस पर परिसंघ और प्रान्तीय विधानमण्डल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। उदाहरणार्थ दण्ड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद, माध्यस्थता।

(क) ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रभुता और उत्तरदायित्व का उत्पादन:- जैसा पहले बताया गया है भारत शासन अधिनियम, 1958 द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सम्राट को अन्तरित कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत की प्रत्यक्ष संरक्षक बन गई और भारत के प्रशासन के लिए भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का सृजन किया गया। भारत के मामलों के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट संसद के प्रति उत्तरदायी था। यह नियन्त्रण धीरे-धीरे शिथिल होता गया फिर भी भारत का गवर्नर-जनरल और प्रान्तों के गवर्नर भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सीधे नियन्त्रण के अधीन बने रहे जिससे कि:-

’संविधान के सिद्धान्त रूप में भारत की सरकार हिज मैजेस्टी भी सरकार के अधीनस्थ सरकार थी।’

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम ने इस संविधानिक स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया। उसने यह घोषित किया कि 15 अगस्त 1947 से (जिसे ’नियत दिन’ कहा गया) भारत अधीनस्थ राज्य नहीं रहा और देशी रियासतों पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता तथा जनजाति क्षेत्रों से उनके सन्धि सम्बन्ध उसी दिन से समाप्त हो गए।

ब्रिटिश सरकार और पार्लियामेंट का भारत के प्रशासन के लिए उत्तर दायित्व समाप्त हो जाने के कारण भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी समाप्त कर दिया गया।

(ख) सम्राट प्राधिकार का स्रोत नहीं रहा

जब तक भारत ब्रिटिश सम्राट का अधीनस्थ राज्य था। तब तक भारत का शासन हिज मैजेस्टी के नाम से चलाया जाता था। 1935 के अधिनियम के अधीन परिसंघ स्कीम बनने के कारण सम्राट को और भी प्रमुखता मिली। परिसंघ की सभी इकाइया, प्रान्त और केन्द्र, और प्राधिकार सीधे सम्राट से प्राप्त करते थे। किन्तु स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 के अधीन भारत और पाकिस्तान की डोमिनियमों में से कोई भी ब्रिटिश द्वीप समूह से प्राधिकार नहीं लेती थी।

(ग) गवर्नर जनरल और प्रान्तीय गवर्नरों का संविधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना -

दोनों डोमिनियमों के गवर्नर-जनरल दोनों नई डोमिनियमों के संविधानिक अध्यक्ष हो गए। यह "डोमिनियम प्रास्थिति" की अवश्यभावी परिणति थी। यह प्रास्थिति भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा नहीं दी गई थी किन्तु भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 द्वारा प्रदान की गई।

स्वतन्त्रता अधिनियम के अधीन किए गए अनुकूलनो के अनुसार 1919 के अधिनियम के अधीन बनाई गई कार्यकारी परिषद मंत्रिपरिषद या 1935 के अधिनियम में उपबन्धित परामर्शदाता समाप्त हो गए।

गवर्नर-जनरल और प्रान्तीय गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने लगे। मंत्रिपरिषद को डोमिनियन विधानमण्डल या प्रान्तीय विधानमण्डल का विश्वास होना आवश्यक था। भारत शासन अधिनियम, 1935 से स्वविवेकानुसार "अपन विवेकानुसार कार्य करते हुए" और "अपने स्वयं के विवेके से" शब्द जहाँ-जहाँ आते थे वहाँ से निकाल दिए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिसमें संविधानिक अध्यक्ष मंत्रियों की सलाह के बिना या उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सकें। इसी प्रकार गवर्नर-जनरल की उस शक्ति का भी विलोप कर दिया गया। जिसके अनुसार वह गवर्नरों से यह अपेक्षा कर सकता था कि वे उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करें।

गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के विधान बनाने की साधारण शक्तिया भी नष्ट हो गयीं। वे अब विधान मण्डल के प्रतियोगिता में अधिनियम नहीं पारित कर सकते थे और न ही सामान्य विधायी परियोजनाओं के लिए उद्घोषणाएँ और अध्यादेश निकाल सकते थे। उनकी प्रमाणित करने की शक्ति भी समाप्त कर दी गयी। प्रान्तीय संविधान को निलंबित करने की गवर्नर की शक्ति भी ले ली गयी। सम्राट का वीतोफा अधिकार चला गया और गवर्नर जनरल अब किसी विधेयक को सम्राट की अनुमति के लिए आरक्षित नहीं कर सकता था।

(घ) डोमिनियम विधानमण्डल की प्रभुता 14.08.1947 को भारत का केन्द्रीय विधानमण्डल जो विधानसभा और राज्य परिषद से मिलकर बना था विघटित हो गया। "नियत दिन" से और जब तक दोनों की डोमिनियमों की संविधान सभाएँ नए संविधानों की रचना न कर लें और उनके अधीन नए विधानमण्डल गठित न हो जाए तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियम के केन्द्रीय विधानमण्डल के रूप में कार्य करना था। दोनों शब्दों में, दोनों डोमिनियमों की संविधानसभाओं को (जब तक कि वह स्वयं अन्यथा इच्छा प्रकट न करें) दोहरा काम करना था। संविधानिक और विधायी।

डोमिनियम विधानमण्डल की प्रभुता संपूर्ण थी और किसी भी मामले में विधान बनाने के लिए अब गवर्नर-जनरल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। तथा ब्रिटिश सम्राज्य की किसी विधि के उल्लंघन के कारण कोई विरोध भी नहीं हो सकता था।

अभ्यास प्रश्न:-

1. भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ई० के बारे में बताइये।
2. माण्टेग्यू की घोषणा क्या है?
3. दोहरा शासन पर संक्षिप्त लेख लिखिए?
4. भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएँ बताइये?

5. भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के बारे में बताइए?

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. सन् 1909 के अधिनियम को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है?

(अ) मार्ले-मिष्ट्रो सुधार (ब) राज्य सभा सुधार बिल

(स) होमरूल बिल (द) माण्टेग्यू बिल

2. माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार निम्न में से कब प्रकाशित किए गये?

(अ) 08 जुलाई 1918 (ब) 08 जुलाई 1919

(स) 08 जुलाई 1920 (द) 08 जुलाई 1921

3. किस अधिनियम में साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई ?

(अ) 1861 का अधिनियम (ब) 1909 का अधिनियम

(स) 1919 का अधिनियम (द) 1935 का अधिनियम

3. द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम में की गयी?

(अ) 1909 का अधिनियम (ब) 1935 का अधिनियम

(स) 1919 का अधिनियम (द) 1947 का अधिनियम

### 1.5 सारांश:-

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस इकाई को पढ़ने के बाद संविधान क्या है? इसका अर्थ समझाने में सहायता मिली है साथ ही संवैधानिक विधि के विविध पक्षों को भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ है | संविधानवाद का तात्पर्य जान चुके होंगे। भारतीय संविधान की एक रूपरेखा समझ चुके होंगे। प्राचीन भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली से अवगत हो चुके होंगे। अंग्रेजी शासन काल (औपनिवेशिक काल में) में विभिन्न अधिनियमों द्वारा संवैधानिक विकास के बारे में जान चुके होंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं को समझ चुके होंगे। इसके साथ ही संविधान के अपने मूल स्वरूप में पहुँचने की प्रक्रिया में विभिन्न अधिनियमों के बारे में भी विस्तार से जानने को मिला, जिस्मेन्हामने पाया कि एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है हमारा संविधान |

### 1.6 शब्दावली

विनियमन - निर्धारण करता है।

परिसंघीय - संघ/केन्द्र

निरूपण - प्रदर्शित करना

परिसीमन - सीमित करना/नियंत्रित करना

स्वेच्छाधारी - तानाशाह

अंगीकार - अपनाया गया

विनियमों - नियम/कानून

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व - धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व

द्वैधशासन - दोहरा शासन (संघ तथा राज्यों में अलग-अलग शासन)

डोमिनियन - राज्य

## 1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.3.3. प्रश्न संख्या 01 (ब)

प्रश्न संख्या 02 (द) प्रश्न संख्या 03 (ब)

1.4.2 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न संख्या 01 (अ) 02 (ब) 03 (ब) 04 (स)

## 1.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. काश्यप सुभाष, हमारा संविधान, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट,
2. बसु, डी0डी0, भारत का संविधान-एक परिचय, नागपुर, वाधवा
3. Kagzi, M.C. Jain- *The Constitutional of India Vol I &2* New Delhi, India Law House, 2001.
4. Keith, Arthur Berriedale- *A Constitutional History of India 1600-1935*, London, Methuan & Co.Ltd, 1937
5. Austin, Granville – *Working a Democratic Constitution: The Indian Experience*, Delhi Oxford University Press 1999.
6. Sharma, Brij Kishore – *Introduction to the Constitution of India* New Delhi, Prentice – Hall of India, 2005.

- 
7. Pandey J.N. – *Constitutional Law of India*, Allahabad, Central Law Agency, 2003.
  8. Pylee, M.V. *Constitutional Amendments in India*, Delhi, Universal Law, 2003.
  9. Jois, Justice M.Rama – *Legal and Constitutional History of India*, Delhi, Universal Law Publishing Co. 2005.
  10. Kautilya – *The Constitutional History of India 2002*, Bombay: C Jammadas & Co. Educational and Law Publishers.
- 

### 1.9 सहायक/उपयोगी पाठ सामग्री

---

1. काश्यप, सुभाष, हमारी संसद, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2011
  2. भारत 2012, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
  3. राजनीति विज्ञान की मूलभूत शब्दावली - वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार।
  4. चन्द्र बिपिन - भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
  5. Agrawal, R.N. *National Movement and Constitutional Development of India* – Nineth (Revised) Edn. New Delhi Metropolitan book Co. (Pvt) Ltd. 1976
- 

### 1.10 निबंधात्मक प्रश्न:-

---

1. "सन् 1909 के मार्ले-मिन्टो सुधार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल सिद्ध हुए।" इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
2. दोहरे शासन से आप क्या समझते हैं? सन् 1919 के एक्ट के अनुसार यह क्यों जारी किया गया? इसकी क्या विशेषता थी?
3. भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के निर्माण में कितना योगदान है?
4. ब्रिटिश काल में भारत के संवैधानिक विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

---

## इकाई 2: संविधान निर्माण, संविधान के स्रोत

---

### इकाई की संरचना

- 2.1. प्रस्तावना
- 2.2. उद्देश्य
- 2.3. संविधान का निर्माण
  - 2.3.1 संविधान सभा की मांग
  - 2.3.2 संविधान सभा का निर्माण
  - 2.3.3 संविधान निर्माण की प्रक्रिया
- 2.4 संविधान के स्रोत
  - 2.4.1 संविधान के देशी अथवा भारतीय स्रोत
  - 2.4.2 संविधान के विदेशी स्रोत
- 2.5 सारांश
- 2.6 शब्दावली
- 2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 2.9 सहायक/उपयोगी पाठ सामग्री
- 2.10 निबन्धात्मक प्रश्न

---

## 2.1 प्रस्तावना

---

भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकल कर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बटवारे की विभीषिका झेली थी। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम दस लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासतों का विलय कर दे या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य उतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था, जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी।

---

## 2.2 उद्देश्य

---

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप-

1. संविधान सभा के बारे में समझ सकेंगे।
2. भारतीयों द्वारा स्वयं अपना संविधान निर्माण की विभिन्न मांगों और प्रयासों को जान गये होंगे।
3. संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जान सकेंगे।
4. संविधान में भारतीय स्रोत के बारे में समझ सकेंगे।
5. संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में समझ सकेंगे।

## 2.3 संविधान सभा की मांग

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना जाग्रत हुई और धीरे-धीरे भारतीयों की यह धारणा बनने लगी कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। इसकी अभिव्यक्ति बालगंगाधर तिलक की उस नारे से होती है कि "स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे।" इसके पश्चात् महात्मा गाँधी ने 1922 में यह मांग की थी कि भारत का राजनैतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनायेंगे। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गयी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाय। कानूनी आयोग और राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस की असफलता के कारण भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत शासन अधिनियम, 1935 अधिनियम किया गया। इससे भारत के लोगो की इस मांग ने जोर पकड़ा कि वे बाहरी हस्तक्षेप के बिना संविधान बनाना चाहते हैं, इस मांग को कांग्रेस ने 1935 में प्रस्तुत किया। 1938 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रखते हुए यह कहा -

"कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। उसने यह प्रस्ताव किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए, जो वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित हो।"

1939 में विश्व युद्ध छिड़ने के बाद, संविधान सभा की मांग को 14 सितंबर, 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा जारी किए गये एक लंबे वक्तव्य में दोहराया गया। गाँधी जी ने 19 नवम्बर, 1939 को 'हरिजन' में 'द ओनली वे' शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया कि "संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोकेच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करने वाला संविधान बना सकती है" उन्होंने घोषणा की कि साम्प्रदायिकता तथा अन्य समस्याओं के न्यायसंगत हल का एकमात्र तरीका भी संविधान सभा ही है।

1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया भले ही स्वीकृति अप्रत्यक्ष शर्तों के साथ थी।

### 2.3.2 संविधान सभा का निर्माण

ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक संविधान सभा की मांग का विरोध किया, विश्व युद्ध के प्रारम्भ हो जाने पर बाहरी परिस्थितियों के कारण उन्हें यह स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि भारतीय संवैधानिक समस्या का हल निकालना अति आवश्यक है। 1940 में इंग्लैण्ड में बहुदलीय सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि भारत के लिए नया संविधान भारत के लोग ही बनाएँगे। मार्च, 1942 में जब जापान भारत के द्वार पर आ गया। तब उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को जो मंत्रिमण्डल के एक सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव की घोषणा के प्रारूप के साथ भेजा। ये प्रस्ताव युद्ध की समाप्ति पर अंगीकार किये जाने वाले थे यदि (कांग्रेस और मुस्लिम लीग) दो प्रमुख राजनीतिक दल उन्हें स्वीकार करने के लिए सहमत हो जायें।

मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे

1. भारत के संविधान की रचना भारत के लोगो द्वारा निर्वाचित संविधान सभा करेगी।

2. संविधान भारत को डोमिनियन प्रास्थिति और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबर की भागीदारी देगा।

3. सभी प्रान्तों और देशी रियासतों से मिलकर एक संघ बनेगा, किन्तु

4. कोई प्रान्त या (देशी रियासत) जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो तत्समय विद्यमान अपनी संविधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा और इस प्रकार सम्मिलित न होने वाले प्रान्तों से ब्रिटिश सरकार पृथक संवैधानिक व्यवस्था कर सकेगी।

किन्तु दोनों राजनीतिक दल इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हो सके।

क्रिप्स के प्रस्तावों के अस्वीकार हो जाने के पश्चात् (और क्रांग्रेस द्वारा 'भारत छोड़ो' आन्दोलन प्रारम्भ करने के बाद) दोनों दलों को एकमत करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए गए, जिनमें गवर्नर-जनरल, लार्ड वावेल की प्रेरणा से किया गया शिमला सम्मेलन भी है। इन सब के असफल हो जाने पर ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने अपने तीन सदस्यों को एक और गंभीर प्रयत्न करने के लिए भेजे। उनमें क्रिप्स भी था, किन्तु यह प्रतिनिधि मण्डल भी दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सहमति लाने में असफल रहा। परिणामस्वरूप उसे अपने ही प्रस्ताव रखने पड़े। जिनकी भारत और इंग्लैण्ड में 16 मई, 1946 को एक साथ घोषणा की गई।

मंत्रिमण्डलीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रस्ताव में भारत का संघ बनाने और उसका विभाजन करने के बीच समझौता लाने का प्रयत्न किया गया। मंत्रिमण्डलीय प्रतिनिधिमण्डल ने पृथक संविधान सभा और मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के दावे को स्पष्टतः नामंजूर कर दिया। जिस स्कीम की सिफारिश उन्होंने की उसमें मुस्लिम लीग के दावे के पीछे जो सिद्धान्त था उसको लगभग स्वीकार कर लिया गया।

उस स्कीम के मुख्य लक्ष्य ये थे-

1. एक भारत संघ होगा, जो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा, जिसकी विदेश कार्य, प्रतिरक्षा और संचार के विषयों पर अधिकारिता होगी। शेष सभी शक्तियाँ प्रान्तों और राज्यों में निहित होंगी।

2. संघ की एक कार्यपालिका और एक विधानमण्डल होगा जो प्रान्तों और राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित होगा, किन्तु जब विधान मण्डल में कोई प्रमुख साम्प्रदायिक प्रश्न उठेगा तो उसका विनिश्चय दोनों प्रमुख समुदायों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

प्रान्त उस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे कार्यपालिका और विधानमण्डलों के गुट बना लें और प्रत्येक गुट उन प्रान्तीय विषयों को अवधारित करने के लिए सक्षम होगा जिन पर गुट संगठन की अधिकारिता होगी।

जुलाई, 1945 में इंग्लैण्ड में नई लेबर सरकार सत्ता में आयी। तब 19 सितम्बर, 1945 को वायसराय लार्ड वेवल ने भारत के संबन्ध में सरकार की नीति की घोषणा की तथा 'यथाशीघ्र' संविधान-निर्माण निकाय का गठन करने के लिए महामहिम की सरकार के इरादे की पुष्टि की।

कैबिनेट मिशन ने अनुभव किया कि संविधान-निर्माण निकाय का गठन करने की सर्वाधिक संतोषजनक विधि यह होती कि उसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के द्वारा किया जाता, किन्तु ऐसा करने पर नए संविधान के निर्माण में 'अवांछनीय विलम्ब' हो जाता। इसलिए उनके अनुसार एकमात्र व्यवहार्य तरीका यही था कि हाल में निर्वाचित प्रान्तीय सभाओं का उपयोग निर्वाचन निकायों के रूप में किया जाए। तत्कालीन

परिस्थितियों में मिशन ने इसे 'सर्वाधिक न्यायोचित तथा व्यवहार्य योजना' बताया और सिफारिश की कि संविधान-निर्माण-निकाय में प्रान्तों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो। मोटे तौर पर दस लाख लोगों के पीछे एक सदस्य चुना जाए और विभिन्न प्रान्तों को आवंटित स्थान इस प्रयोजन के लिए वर्गीकृत मुख्य समुदायों यथा सिक्खों, मुसलमानों और सामान्य लोगों में (सिक्खों तथा मुसलमानों का छोड़कर) उनकी जनसंख्या के आधार पर विभाजित कर दिए जाए। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान सभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। और मतदान एकल संक्रमणीय मत सहित अनुपाती प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा कराया जाना था। भारतीय रियासतों के लिए आवंटित सदस्यों की संख्या भी जनसंख्या के उसी आधार पर निर्धारित की जानी थी, जो ब्रिटिश भारत के लिए अपनाया गया था, किन्तु उनके चयन की विधि बाद में परामर्श द्वारा तय की जानी थी। संविधान निर्माण-निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन ग्यारह प्रान्तों से, 4 चीफ कमिश्नरों के चार प्रान्तों अर्थात् दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से एक-एक तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिये जाने थे।

कैबिनेट मिशन ने संविधान के लिए बुनियादी ढाँचे का प्रारूप पेश किया तथा संविधान -निर्माण-निकाय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कुछ विस्तार के साथ निर्धारण किया।

ब्रिटिश भारत के प्रान्तों को आवंटित (292\$4) 296 स्थानों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त, 1946 तक पूरे कर लिए गये थे। कांग्रेस को 208 स्थानों पर जिनमें नौ को छोड़कर शेष 73 स्थानों पर विजय प्राप्त हुय

ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं से चुने गये सदस्यों का पार्टीवार ब्यौरा इस प्रकार था:-

कांग्रेस	208
मुस्लिम लीग	73
युनियनिस्ट	1
युनियनिस्ट मुस्लिम	1
युनियनिस्ट अनुसूचित जातियां	1
कृषक प्रजा	1
अनुसूचित जाति परिसंघ	1
सिक्ख (गैस कांग्रेसी)	1
कम्युनिस्ट	1
स्वतन्त्र	1
	8
	296

कहा जा सकता है कि 14-15 अगस्त, 1947 को देश के विभाजन तथा उसकी स्वतन्त्रता के साथ ही, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के बंधनो से मुक्त हो गई। और एक पूर्णतया प्रभुतासम्पन्न निकाय तथा देश में ब्रिटिश संसद के पूर्ण अधिकार तथा उसकी सत्ता की पूर्ण उत्तराधिकारी बन गई। इसके अलावा, 3 जून की योजना की स्वीकृति के बाद, भारतीय डोमिनियम के मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों ने भी विधानसभा में अपने स्थान ग्रहण कर लिये। कुछ भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि पहले ही 28 अप्रैल, 1947 को विधान सभा में आ गए और शेष रियासतों ने भी यथासमय अपने प्रतिनिधि भेज दिए।

इस प्रकार संविधान सभा भारत में सभी रियासतों तथा प्रान्तों की प्रतिनिधि तथा किसी भी बाहरी शक्ति के आधिपत्य से पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न निकाय बन गयी। संविधान सभा भारत में लागू ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को भी रद्द अथवा परिवर्तित कर सकती थी।

### 2.3.3 संविधान निर्माण की प्रक्रिया

संविधान सभा का उद्घाटन नियत दिन सोमवार, 09 दिसम्बर, 1946 को प्रातः ग्यारह बजे हुआ। संविधान सभा का सत्र कुछ दिन चलने के बाद नेहरू जी ने 13 दिसम्बर, 1946 ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सुन्दर शब्दों में तैयार किये गये उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुतासम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास होती तथा प्रभुता जनता के हाथों में। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, परिस्थिति की, अवसर भी और कानून के समक्ष समानता, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संगत और कार्य की स्वतन्त्रता, की गारंटी दी गई और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त 'रक्षा उपाय' रखे गये। इस प्रकार, इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा दर्शन दिए, जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण का कार्य करना था। अन्ततः 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

संविधान सभा ने संविधान रचना की समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें संघीय संविधान समिति शामिल थी। इनमें से कुछ समितियों के अध्यक्ष नेहरू या पटेल थे, जिन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान का मूल आधार तैयार करने का श्रेय दिया था। इन समितियों ने बड़े परिश्रम के साथ तथा सुनियोजित ढंग से कार्य किया और अनमोल रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा ने तीसरे तथा छठे सत्रों के बीच, मूल अधिकारों, संघीय संविधान, संघीय शक्तियों, प्रान्तीय संविधान अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया।

भारत के संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा कार्यालय की मंत्रणा शाखा ने अक्टूबर, 1947 को तैयार किया। इस प्रारूप की तैयारी से पहले, बहुत सारी आधार सामग्री एकत्र की गई तथा संविधान सभा के सदस्यों को 'संवैधानिक पूर्वदृष्टांत' के नाम से तीन संकलनों के रूप में उपलब्ध की गई। इस संकलनों में लगभग 60 देशों के संविधानों से मुख्य अंश उद्धृत किए गये थे। संविधान सभा ने संविधान सभा में किए गये निर्णयों पर अमल करते हुए संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गये भारत के संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की छानबीन करने के लिए 29 अगस्त, 1947 को डा० भीमराव अंबेडकर के सभापतित्व में प्रारूपण समिति नियुक्त की।

प्रारूपण समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। संविधान के प्रारूप में संशोधन के लिए बहुत बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं,

और सुझाव प्राप्त हुए। प्रारूपण समिति ने इन सभी पर विचार किया। इन सभी पर प्रारूपण समिति की सिफारिशों के साथ विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। विशेष समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रारूपण समिति ने एक बार फिर विचार किया और कतिपय संशोधन समावेश के लिए छंट लिए गये। इस प्रकार के संशोधनों के निरीक्षण की सुविधा के लिए प्रारूपण समिति ने संविधान के प्रारूप को दोबारा छपवाकर जारी करने का निर्णय किया। यह 26 अक्टूबर, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया।

संविधान के प्रारूप पर खंडवार विचार 15 नवम्बर, 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा किया गया। प्रस्तावना सबसे बाद में स्वीकार की गई। तत्पश्चात्, प्रारूपण समिति ने परिणामी या आवश्यक संशोधन किए, अंतिम प्रारूप तैयार किया और उसे संविधान सभा के सामने पेश किया।

संविधान का दूसरा वाचन 16 नवम्बर, 1949 को पूरा हुआ तथा उससे अगले दिन संविधान सभा ने डॉ० अम्बेडकर के इस प्रस्ताव के साथ कि विधानसभा द्वारा यथानिर्णीत संविधान पारित किया जाए, संविधान का तीसरा वाचन शुरू किया। प्रस्ताव 26 नवम्बर 1949 को स्वीकृत हुआ तथा इस प्रकार, उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया, अधिनियमित किया और अपने आपको अर्पित किया। संविधान सभा ने संविधान बनाने का भारी काम दो वर्ष ग्यारह माह अठारह दिन में पूर्ण किया।

संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के अन्तिम दिन अन्तिम रूप से हस्ताक्षर किए गए।

संविधान निर्माताओं ने पुराने संस्थानों के आधार पर जो पहले से विकसित हो चुके थे और जिनके बारे में उन्हें जानकारी थी, जिनसे वे परिचित हो चुके थे और जिनके लिए उन्होंने सभी प्रकार की परिसीमाओं, बंधनों के बावजूद उद्यम किया था, नए संस्थानों का निर्माण करना पसंद किया। संविधान के द्वारा ब्रिटिश शासन को टुकरा दिया गया किन्तु उन संस्थानों को नहीं जो ब्रिटिश शासनकाल में विकसित हुए थे। इस प्रकार, संविधान औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ।

संविधान सभा ने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए जैसे उसने संविधायी स्वरूप के कतिपय कानून पारित किए, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया, राष्ट्रगान की घोषणा की, राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से संबंधित निर्णय की पुष्टि की तथा गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया।

#### अभ्यास प्रश्न

1. भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के महत्व का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
2. भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।
3. संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइये।

#### वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे:-

- (अ) डॉ० भीमराव अम्बेडकर (ब) महात्मा गाँधी
- (स) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद (द) डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा
2. कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई:-
- (अ) 250 (ब) 389 (स) 350 (द) 420
3. भारत का संविधान बनाने में समय लगा:-
- (अ) 4 वर्ष 3 माह 15 दिन (ब) 02 वर्ष 11 माह 18 दिन (स) 3 वर्ष 9 माह 10 दिन  
(द) 1 वर्ष 11 माह 18 दिन
4. भारत के संविधान को किस तिथि को स्वीकार किया गया:-
- (अ) 26 नवम्बर 1950 (ब) 26 जनवरी 1949 (स) 26 नवम्बर 1949 (द) 26 जनवरी 1950
5. भारत में सर्वोच्च माना गया है:-
- (अ) राष्ट्रपति को (ब) न्यायपालिका को (स) संविधान को (द) संसद को
6. भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं?
- (अ) 370 (ब) 350 (स) 360 (द) 395

## 2.4. संविधान के स्रोत:

भारत के संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया वह मौलिक न होकर व्यवहारिक है। अर्थात्; भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक संविधान की रचना न करके संसार के विभिन्न संविधानों के अच्छे गुणों को ग्रहण करके एक व्यवहारिक संविधान की रचना की है। इसके कुछ आलोचकों ने भारतीय संविधान को 'उधार का थैला', भानुमति के कुनबे की तरह गड़बड़, 'कैंची और गोंद की खिलवाड़' आदि अनेक नामों की संज्ञा दी है।

संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि वे नितान्त स्वतन्त्र रूप से या एकदम नए सिरे से संविधान लेखन नहीं कर रहे। उन्होंने जान-बूझकर यह निर्णय लिया था अतीत की उपेक्षा न करके पहले से स्थापित ढाँचे तथा अनुभव के आधार पर ही संविधान को खड़ा किया जाय। भारत के संविधान का एक समन्वित विकास हुआ। यह विकास कतिपय प्रयासों के पारस्परिक प्रभाव का परिणाम था। स्वाधीनता के लिए छेड़े गये राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रतिनिधिक एवं उत्तरदायी शासन संस्थाओं के लिए विभिन्न मांगे उठाई गयीं। और अंग्रेज शासकों ने बड़ी कंजूसी से समय-समय पर थोड़े-थोड़े संवैधानिक सुधार किए। प्रारम्भिक अवस्था में यह प्रक्रिया अति अविकसित रूप में थी, किन्तु राजनीतिक संस्थान-निर्माण, विशेष रूप से आधुनिक विधानमण्डलो का सूत्रपात 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में हो गया था। वास्तव में, संविधान के कुछ उपबन्धों के स्रोत तो भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा अंग्रेजी राज के शैशवकाल में ही खोजे जा सकते हैं।

### 2.4.1 भारतीय संविधान के देशी अथवा भारतीय स्रोत:

भारतीय संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख स्पष्ट रूप से प्राचीन भारतीय स्वशासी संस्थानों से प्रेरित होकर किया गया था। 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने उन्हें अब और अधिक सार्थक तथा महत्वपूर्ण बना दिया है। मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में की गयी थी।

भारत के राज्य-संघ विधेयक में, जिसे राष्ट्रीय सम्मेलन ने 1925 में अंतिम रूप दिया था, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति, सभा करने और धर्म पालन की स्वतन्त्रता जैसे अधिकारों की एक विशिष्ट घोषणा सम्मिलित थी। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें मूल अधिकारों की मांग को दोहराया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी ने घोषणा की थी कि भारत की जनता का सर्वोपरि लक्ष्य न्याय सीमा के अधीन मूल मानव अधिकार प्राप्त करना है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का भावी संविधान अपने स्वरूप में संघीय होगा। उसमें देशी रियासतों अथवा भारतीय राज्यों को अलग से अस्तित्व नहीं मिलेगा तथा उन्हें संघ में शामिल होना होगा। नेहरू रिपोर्ट में संसदात्मक शासनप्रणाली अपनाये जाने का प्रावधान था। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में जो उन्नीस मूल अधिकार शामिल किए गये थे, उनमें से दस को भारत के संविधान में बिना किसी खास परिवर्तन के शामिल कर लिया गया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किए गये प्रस्ताव में न केवल मूल अधिकारों का बल्कि मूल कर्तव्यों का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। इसमें वर्णित अनेक सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को संविधान के नीतिनिर्देशक तत्वों में समाविष्ट कर लिया गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था किन्तु बाद में 1976 में संविधान (42 वां) संशोधन अधिनियम द्वारा इस विषय पर एक नया अध्याय संविधान में जोड़ दिया गया था।

भारतीय संविधान पर 1935 के भारत के शासन अधिनियम का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है। राबर्ट एल. हार्डग्रेव के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो अच्छरशः ले लिए गये हैं या फिर उसको थोड़ा-बहुत संशोधन करके परिवर्तन कर दिया गया है। डॉ० पंजाबी राव देशमुख ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नवीन संविधान 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है। इसमें केवल वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है। वर्तमान संविधान के कुछ मुख्य उपबन्ध थे जो 1935 के अधिनियम के मुख्य सिद्धान्तों से समानता रखते हैं, जैसे संविधान में सूचियों के आधार पर शक्ति विभाजन, द्विसदनात्मक विधानमण्डल की व्यवस्था, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था, राज्यपाल पद की व्यवस्था आदि।

अनुच्छेद 251, 256, 352, 356 इत्यादि 1935 के भारत शासन अधिनियम के ही समान हैं।

#### 2.4.2 भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत

देशी स्रोतों के अलावा संविधान सभा के सामने विदेशी संविधानों के अनेक नमूने थे जिनसे अच्छी बातों को अपनाया गया जैसे-

1. ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, विधि-निर्माण प्रक्रिया तथा एकल नागरिकता को ग्रहण किया गया। न्यायिक आदेशों तथा संसदीय विशेषाधिकारों के विवाद से सम्बन्धित उपबन्धों के परिधि तथा उनके विस्तार को समझने के लिए अभी भी ब्रिटिश संविधान का सहारा लेना पडता है।

2. आयरलैण्ड के संविधान से राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मण्डल तथा राज्यसभा एवं विधान परिषद में साहित्यकला, विज्ञान तथा समाजसेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करने की परम्परा को ग्रहण किया गया है।

3. अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, न्यायपालिका, संघवाद, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया इत्यादि गुण को ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना और उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाने के उपबन्ध अमेरिकी संविधान पर आधारित थे।

4. आस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केन्द्र और राज्य के मध्य सम्बन्ध तथा शक्तियों के विभाजन को ग्रहण किया गया था।

5. कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था के गुण को ग्रहण किया गया तथा संघ शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है।

6. रूसी संविधान से नागरिकों के मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया है।

7. जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार सम्बन्धित शक्तियों को ग्रहण किया गया है।

8. जापान के संविधान से विधि द्वारा राष्ट्रपति क्रियाविधि सिद्धान्तों का प्रावधान जिसके आधार पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है।

9. दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विधि को ग्रहण किया गया था। संविधान के अन्य स्रोत के अन्तर्गत संसद द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, संसद द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख कानून, संविधियाँ जो संविधान के अभिन्न अंग बन गई हैं इनमें प्रमुख है भारतीय जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 एवं 1951, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1950, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955-56 तथा जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1988 इत्यादि। भारत में कुछ परम्पराएँ भी संविधान के विकास में संयोगी रही हैं। जैसे - संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं परन्तु परम्परा यह है कि यह मंत्रिमण्डल के परामर्श से ही कार्य करता है। इस परम्परा को 42 वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संविधान का अंग बना दिया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल की सलाह मानना बाध्यकारी है। दूसरा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किन्तु ऐसा वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा, तीसरा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। संविधान लागू होने से अब तक भारत में संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। भारत में संविधान का एक प्रमुख स्रोत वे न्यायिक निर्णय हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में समय-समय पर दिए हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत हैं तथा इसे संसार के अनेक देशों के संविधान से ग्रहण किया गया है लेकिन भारतीय संविधान को पूर्णरूपेण अन्य संविधानों की नकल भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारा संविधान दूसरे देशों के संविधान का अन्धानुकरण नहीं है किन्तु उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करके उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनूकूल ढाला गया है।

अभ्यास प्रश्न:-

1. भारतीय संविधान के देशी अथवा भारतीय स्रोतों के बारे में बताइए?
2. भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन काल अधिनियम का कितना प्रभाव पड़ा। इसकी व्याख्या करें।
3. भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में विवेचना कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गयी है?  
(अ) जापान (ब) जर्मनी (स) ब्रिटेन (द) दक्षिण अफ्रीका
2. संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संवैधानिक प्रावधान के समान है  
(अ) अमेरिका (ब) चीन (स) ब्रिटेन (द) जर्मनी
3. भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है?  
(अ) ब्रिटिश संविधान (ब) अमेरिकी संविधान (स) नेहरू रिपोर्ट (द) 1935 का भारत शासन अधिनियम
4. राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ग्रहण की गयी है-  
(अ) आस्ट्रेलियाई संविधान से (ब) अमेरिकी संविधान से  
(स) कनाडा के संविधान से (द) ब्रिटेन के संविधान से
5. भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है?  
(अ) जापान (ब) चीन (स) ऑस्ट्रेलिया (द) रूस
6. भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है?  
(अ) ब्रिटेन (ब) कनाडा (स) अमेरिका (द) जर्मनी

## 2.5 सारांश

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण में किस प्रकार को अपनाया गया है। साथ ही हमें यह भी जानने को मिला कि किस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण में किन देशों से भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण पक्षों को अपने संविधान में शामिल किया है।

## 2.6 शब्दावली

धारा- किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, अनुच्छेद

संविधान- देश का सर्वोच्च कानून

संविधान संशोधन- देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किये जाने वाला बदलाव

संविधान सभा-जन प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है।

प्रारूप- किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप

वयस्क मताधिकार- 18 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा मत के प्रयोग का अधिकार

न्यायिक निर्वचन-न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर कानून की व्याख्या

## 2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.3.3 प्रश्न संख्या 01 (स), 02 (ब), 03 (ब), 04 (स), 05 - (स), 06 (द)

2.4.2 प्रश्न संख्या 01 (द), 02 (अ), 03 (द), 04 (ब), 05 (द), 06 - (स)

## 2.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. काश्यप सुभाष, हमारा संविधान, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट,
2. बसु, डी0डी0, भारत का संविधान-एक परिचय, नागपुर, वाधवा
3. Kagzi, M.C. Jain- *The Constitutional of India Vol I &2* New Delhi, India Law House, 2001.
4. Keith, Arthur Berriedale- *A Constitutional History of India 1600-1935*, London, Methuan & Co.Ltd, 1937
5. Austin, Granville – *Working a Democratic Constitution: The Indian Experience*, Delhi Oxford University Press 1999.
6. Sharma, Brij Kishore – *Introduction to the Constitution of India* New Delhi, Prentice – Hall of India, 2005.
7. Pandey J.N. – *Constitutional Law of India*, Allahabad, Central Law Agency, 2003.
8. Pylee, M.V. *Constitutional Amendments in India*, Delhi, Universal Law, 2003.
9. Jois, Justice M.Rama – *Legal and Constitutional History of India*, Delhi, Universal Law Publishing Co. 2005.

10. Kautilya – *The Constitutional History of India 2002*, Bombay: C Jammadas & Co. Educational and Law Publishers.

### 2..9 सहायक/उपयोगी पाठ सामग्री:-

1. काश्यप, सुभाष, हमारी संसद, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2011
2. भारत 2012, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
3. राजनीति विज्ञान की मूलभूत शब्दावली - वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार।
4. चन्द्र बिपिन - भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
5. Agrawal, R.N. *National Movement and Constitutional Development of India* – Nineth (Revised) Edn. New Delhi Metropolitan book Co. (Pvt) Ltd. 1976

### 2.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. भारतीय संविधान के निर्माण के इतिहास का वर्णन कीजिए?
2. भारतीय संविधान विभिन्न देशों की संवैधानिक प्रक्रियाओं का मिला-जुला स्वरूप है। इसकी व्याख्या कीजिए।
3. भारतीय संविधान के देशी तथा विदेशी स्रोतों का वर्णन कीजिए।

---

### इकाई 3 : संविधान का दर्शन

---

इकाई की रूपरेखा:-

- 3.1. प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 संविधान का आधार-तत्व
  - 3.3.1 संविधान का उद्देश्य - संकल्प
  - 3.3.2 संविधान की उद्देशिका
- 3.4 42 वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में हुए संशोधन
  - 3.4.1 प्रस्तावना की संक्षिप्त व्याख्या
- 3.5 सारांश
- 3.6 शब्दावली
- 3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.9 सहायक /उपयोगी पाठ सामग्री
- 3.10 निबंधात्मक प्रश्न

### 3.1 प्रस्तावना

प्रत्येक संविधान एक प्रस्तावना से आरम्भ होता है। इस प्रस्तावना में संविधान के मूल उद्देश्य व लक्ष्य निहित होते हैं। यह प्रस्तावना संविधान की रचना करने के विचारों और भावनाओं का प्रतिरूप होती है। इसी के अनुसार संविधान का क्रियान्वयन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है। 'प्रस्तावना का भाग भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसे भारत के जनतन्त्रीय गणतन्त्रात्मक स्वरूप का एक संक्षिप्त घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है। किसी संविधान की प्रस्तावना से आशा की जाती है कि जिन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन पर संविधान आधारित हो, तथा जिन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करने के लिए संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था को निर्देश दिया हो, उनका उसमें समावेश हो। संविधान सभा में भाषण देते हुए पण्डित ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि 'प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जा सकता है। यह संविधान की कुंजी है। यह एक ऐसा मानदण्ड है जिसके आधार पर संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को प्रस्तावना की कसौटी पर परखा जाए और तब हम यह फैसला करें कि संविधान अच्छा है अथवा नहीं'

### 3.2. उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप:-

1. संविधान की प्रस्तावना का आधार-तत्व समझ सकेंगे।
2. संविधान के उद्देश्य-संकल्प को जान सकेंगे।
3. संविधान की उद्देशिका को समझ सकेंगे।
4. प्रस्तावना में वर्णित संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्यीय स्वरूप को समझ सकेंगे।
5. प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, समानता, न्याय तथा समानता को समझ सकेंगे।
6. प्रस्तावना में वर्णित बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता को जान सकेंगे।
7. संविधान के दर्शन को आप भली-भाँति समझ सकेंगे।

### 3.3. संविधान का आधार-तत्व

महात्मा गाँधी ने 1931 में अपनी पत्रिका 'यंग इण्डिया' में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था- 'मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करें, मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है, ऐसा भारत जिसमें लोगों में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहें, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल-जोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा।' 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिये जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण- 'वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें- पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियों जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजायेगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आबाद होगा। इतिहास में कभी-कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है, जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज आती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आपको, भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेदारियाँ लाती है। भारत के सम्प्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता सम्पन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारियाँ हैं। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए है। फिर भी, इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है।

यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है, दुख और परेशानियों में पड़े लाखों-करोड़ों लोगो की सेवा करना। इसका अर्थ है, दरिद्रता का अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आँसू पोछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो पर जब तक लोगों की आँखों में आँसू है, कष्ट है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा।

भेदभाव और गैर-बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉ० अम्बेडकर के मन में भी था। संविधान सभा में दिये गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था- '26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम 'एक व्यक्ति-एक वोट' और 'हर वोट का समान महत्व' के सिद्धान्त को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढाँचे के कारण ही, 'एक व्यक्ति -एक वोट' के सिद्धान्त को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभास पूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे।'

महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरू एवं डॉ० अम्बेडकर का देश के लिए चिंता, आशा एवं सपने ही भारतीय संविधान का आधार-तत्व है।

#### 3.3.1 संविधान का उद्देश्य-संकल्प

हमारे संविधान के पीछे जो दर्शन है उसके लिए हमें पण्डित नेहरू के उस ऐतिहासिक उद्देश्य-संकल्प की ओर देखना होगा जो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया था और जिससे आगे के सभी चरणों में संविधान को मूल रूप देने की प्रेरणा मिली है। यह संकल्प इस प्रकार है-

1. 'संविधान सभा भारत को स्वतंत्र प्रभुत्वसंपन्न गणराज्य के रूप में घोषित करने के अपने दृढ़ और सत्यनिष्ठ संकल्प की और भारत के भावी शासन के लिए संविधान बनाने की घोषणा करती है।'
2. जिसमें उन राज्य क्षेत्रों का जो ब्रिटिश भारत में समाविष्ट है, उन राज्यक्षेत्रों का जो अभी देशी रियासतों के भाग है और भारत के उन अन्य भागों का जो अभी ब्रिटिश भारत के बाहर है और ऐसी रियासतों का तथा ऐसे अन्य राज्यक्षेत्रों का जो स्वतंत्र प्रभुत्व सम्पन्न भारत के भाग बनने के लिए सहमत है, मिलकर एक संघ बनेगा, और
3. उक्त राज्यक्षेत्र, अपनी वर्तमान सीमाओं से या ऐसी सीमाओं से जो संविधान सभा के द्वारा या उसके पश्चात् संविधानिक विधि के अनुसार अवधारित की जाए, स्वायत्त इकाइयों की प्रास्थिति रखेंगे और बने रहेंगे। उन्हें अवशिष्ट शक्तियां होंगी और वे सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेंगे। केवल ऐसी शक्तियों और कृत्यों को छोड़कर जो संघ में निहित या संघ को समनुदिष्ट है या जो संघ में अन्तर्निहित या विवक्षित है या उसके परिणामस्वरूप है, और
4. प्रभुत्वसम्पन्न स्वतन्त्र भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार, उसके संघटक भाग और शासन के सभी अंग लोक से व्युत्पन्न है, और
5. भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की तथा विधि के समक्ष समता; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संगम और कार्य की स्वतन्त्रता विधि और सदाचार के अधीन रहते हुए होगी, और
6. अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों के लिए और दलित और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जायेंगे, और
7. गणराज्य के राज्य क्षेत्र की अखण्डता और भूमि, समुद्र तथा आकाश पर उसके प्रभुत्वसंपन्न अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों की विधि के अनुसार बनाए रखे जायेंगे, और
8. यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और विश्व शान्ति तथा मानव कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।'

पण्डित नेहरू के शब्दों में उपर्युक्त संकल्प 'संकल्प से कुछ अधिक है। यह एक घोषणा है, एक दृढ़ निश्चय है, एक प्रतिज्ञा है, एक वचन है और हम सभी के लिए यह एक समर्पण है'।

### 3.3.2 संविधान की उद्देशिका

उक्त संकल्प में जिन आदर्शों को रखा गया है वे संविधान की उद्देशिका में दिखाई पड़ते हैं। 1976 में यथासंशोधित इस उद्देशिका में संविधान के ध्येय और उसके उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन है:-

''हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26-11-1949 ई0 (भिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

उद्देशिका को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। किन्तु लिखित संविधान की उद्देशिका में वे उद्देश्य लेखबद्ध किये जाते हैं जिनकी स्थापना और संप्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। जहाँ संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है वहाँ उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायता करती है। उद्देशिका से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं:- (क) उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है; (ख) वह यह भी बताती है कि संविधान किन उद्देश्यों को संवर्धित या प्राप्त करना चाहता है।

हमारे संविधान की उद्देशिका में बहुत ही भव्य और उदात्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। वे उन सभी उच्चतम मूल्यों को साकार करते हैं जिनकी प्रकल्पना मानव-बुद्धि, कौशल तथा अनुभव अब तक कर पाया है।

आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर सर अर्नेस्ट बार्कर हमारे संविधान की उद्देशिका के मूल पाठ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपने शोधग्रन्थ के प्राक्कथन के रूप में उद्धृत करते हुए कहा:-

''जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी सारी पुस्तक में जो कुछ कहने का प्रयास किया है वह इसमें बहुत थोड़े से शब्दों में रख दिया गया है और इसे मेरी पुस्तक का मूल स्वर माना जा सकता है।''

अभ्यास प्रश्न:-

1. भारतीय संविधान का आधार-तत्व क्या है?
2. भारतीय संविधान के उद्देश्य-संकल्प के बारे में बताइए।
3. प्रस्तावना का संविधान में क्या महत्व है, इसको समझाइए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. पण्डित जवाहर लाल नेहरू के उद्देश्य-संकल्प को संविधान सभा ने किस तिथि को अंगीकार किया था?

(अ) 15 अगस्त 1947 (ब) 26 नवम्बर 1949 (स) 22 जनवरी 1947 (द) 23 जनवरी 1950

2. संविधान सभा में उद्देशिका को किस तिथि को अंगीकृत किया?

(अ) 09 दिसम्बर 1946 (ब) 22 जनवरी 1947 (स) 26 नवम्बर 1949 (द) 15 अगस्त 1947

### 3.4. 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में हुए संशोधन:-

आपात स्थिति के दौरान, 1976 के 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 'समाजवादी' तथा 'पंथनिरपेक्षता' शब्द उद्देशिका में जोड़ दिए गए। इसके अलावा राष्ट्र की एकता 'शब्दों के स्थान पर' राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता शब्द रख दिए गए। यह अनुभव किया गया कि ये विशेषक शब्द स्थिति का स्पष्टीकरण मात्र करते थे तथा इनसे राज्य व्यवस्था या राज्य के स्वरूप में कोई ठोस अन्तर नहीं पड़ता था। क्योंकि कानून निर्माताओं के अनुसार समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता उद्देशिका में मूल रूप में निर्मित संविधान के शेष भागों में पहले से अन्तर्निहित थे।

#### 3.4.1 प्रस्तावना की संक्षिप्त व्याख्या

42 वें संविधान संशोधन के बाद जिस रूप में उद्देशिका इस समय संविधान में विद्यमान है, उसके अनुसार, संविधान निर्माता जिन सर्वोच्च या मूलभूत संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते थे, उन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है। वे चाहते थे कि भारत गणराज्य के जन-जन के मन में इन मूल्यों के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता जगे-पनपे तथा आने वाली पीढ़ियाँ, जिन्हें यह संविधान आगे चलाना होगा, इन मूल्यों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। ये उदात्त मूल्य इस प्रकार हैं –

1.संप्रभुता, 2.समाजवाद, 3.पंथनिरपेक्षता ,4.लोकतन्त्र ,5.गणराज्यीय स्वरूप ,6.न्याय

#### संप्रभुता

संप्रभुता को राज्य का एक अनिवार्य गुण माना जाता है तथा यह एक ऐसी परिशुद्ध तथा सर्वोच्च सत्ता की द्योतक है, जिस पर आंतरिक या बाह्य सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। भारत के संविधान में संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न शक्तियाँ निहित करने के संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है। एक ही स्थान ऐसा है जहाँ से संप्रभुता की विद्यमानता तथा संविधान के स्रोत का सुनिश्चय किया जा सकता है वह है उद्देशिका। 'हम भारत के लोग' शब्द हमें अमेरिकी संविधान की उद्देशिका 'हम, संयुक्त राज्यों के लोग' की याद दिलाते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में भारतीय संघ के राज्यों के लोगो की बात नहीं कही गई है। अमेरिकी संविधान के विपरीत, हमारे संविधान को राज्यों के अनुसमर्थन की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर कि 'हम, भारत के लोग' इस संविधान को स्वीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, संविधान निर्माताओं ने इस बात की निष्ठापूर्वक पुष्टि की कि हम लोग, भारत के लोग, एक हैं, न कि अलग-अलग राज्यों के लोगों की; और यह कि संविधान को राज्यों के लोगों द्वारा नहीं बल्कि भारत के सभी लोगों द्वारा अविभाज्य प्रभुत्वसम्पन्न इकाई के रूप में उनकी सामूहिक हैसियत में निर्मित तथा स्वीकृत किया गया है। इस बात पर जोर देने का प्रयास किया गया था कि हमारा राष्ट्र एक है, हमारा संविधान एक है, तथा हमारी राज्य-व्यवस्था एक है।

भारत में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बावजूद, इसमें संप्रभुता का कोई विभाजन नहीं है। आपात स्थितियों के दौरान संघ राष्ट्रीय हित में राज्यों के अधिकार क्षेत्र को लांघ सकता है। सामान्य स्थिति के दौरान भी वह अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सूची में समाविष्ट विषयों पर कानून बनाकर राज्यों के क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता है। हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता अखंड तथा अविभाज्य है। कोई भी राज्य या राज्यों का समूह संविधान को रद्द नहीं कर सकता या संविधान द्वारा स्थापित संघ से बाहर नहीं जा सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रारम्भ में ही संघ की अनश्वरता का उपबंध कर दिया। और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई

अधिकार नहीं दिया। संविधान के अनुच्छेद 1 (3) (ग) में स्पष्ट कर दिया गया कि भारत संघ विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है। संघ कतिपय संवैधानिक अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए अपने क्षेत्र का त्याग भी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 2,3 और 4 के अधीन, संघ की संसद साधारण विधान के द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है, या उनकी स्थापना कर सकती है, वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। नागरिक संबंधी उपबंधों के अधीन, भारत के समस्त लोगो को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है।

संविधान निर्माताओं ने हमेशा के लिए यह स्पष्ट कर देने का प्रयास किया कि हमारे देश की कार्यप्रणाली में संप्रभुता स्वयं लोगों में निहित है और यह कि संघ तथा राज्यों के सभी अंग तथा कर्मी अपनी शक्ति भारत के लोगों से ही प्राप्त करते हैं।

### समाजवाद

संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान किसी विचारधारा या वाद विशेष से जुड़ा हो या किसी आर्थिक सिद्धान्त द्वारा सीमित हो। इसलिए वे उसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, समाजवाद के किसी उल्लेख को सम्मिलित करने के लिए सहमत नहीं हुए थे। किन्तु उद्देशिका में सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प का जिक्र अवश्य किया गया था। संविधान ने जो ध्येय अपने समक्ष रखा है वह है 'कल्याणकारी राज्य' और 'समाजवादी राज्य' की स्थापना का। कांग्रेस ने 1955 में आवाड़ी सम्मेलन में हुए अधिवेशन में एक संकल्प द्वारा 'समाज की समाजवादी संरचना' के उद्देश्य को इस प्रकार अभिव्यक्त किया था:

''कांग्रेस के उद्देश्य की पूर्ति के लिए .....भारत के संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में कथित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना इस प्रकार की जानी चाहिए कि समाज की समाजवादी संरचना की स्थापना हो सके। ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन सार्वजनिक स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, उत्पादन निरन्तर वृद्धिगत हो और राष्ट्रीय धन का साम्यापूर्ण वितरण हो।''

संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा उद्देशिका में 'समाजवादी' शब्द अन्तः स्थापित करके यह सुनिश्चित किया गया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था का ध्येय समाजवाद है। समाजवाद के ऊँचे आदर्शों को अभिव्यक्त रूप से दर्शित करने के लिए इसे अन्तः स्थापित किया गया। भारत के संविधान के द्वारा परिकल्पित समाजवाद, राज्य के समाजवाद का वह प्रायिक ढांचा नहीं है जिसमें धन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और निजी सम्पत्ति का अन्त हो जाता है। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गॉंधी ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा था,

''हमने यह सदैव कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है। हम उन्ही क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यकता समझते हैं। केवल राष्ट्रीयकरण करना यह हमारा समाजवाद नहीं है''।

समाजवाद का आशय यह है कि आय तथा प्रतिष्ठा और जीवनयापन के स्तर में विषमता का अंत हो जाए। इसके अलावा, उद्देशिका में 'समाजवादी' शब्द जोड़ दिये जाने के बाद; संविधान का निर्वचन करते समय न्यायालयों से आशा की जा सकती थी कि उनका झुकाव निजी सम्पत्ति, उद्योग आदि के राष्ट्रीयकरण तथा उस पर राज्य के स्वामित्व के तथा समान कार्य के लिये समान वेतन के अधिकार के पक्ष में होता। किन्तु, आर्थिक उदारीकरण, विदेशी पूंजी निवेशन, विदेशी कम्पनियों के खुले प्रवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और खुले

बाजार की प्रतिस्पर्धा की नीतियों के चलते हम संभवतया किसी प्रकार भी समाजवादी मूल्यों के पालन का दावा नहीं कर सकते।

### पंथनिरपेक्षता

अनेक मतों के मानने वाले भारत के लोगो की एकता और उनमे बंधुता स्थापित करने के लिये संविधान मे पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप मे नहीं मानेगा। पंथ निरपेक्षता भावना का प्रश्न नहीं है, यह विधि द्वारा प्रतिपादित है। राज्य के इस पंथ निरपेक्ष उद्देश्य को विनिर्दिष्ट रूप से उद्देशिका मे संविधान ;42वाँ संशोधनद्ध अधिनियम ,1976 द्वारा "शब्द अन्तरूस्थापित करके सुनिश्चित किया गया है। पंथनिरपेक्षता संविधान के आधारिक लक्षणों मे से एक है। हमारे संविधान मे किसी भी मत को "राजकीय धर्म" मानने की व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका मे विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वचन दिया गया है उसे अनुच्छेद 25-29 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित सभी नागरिकों के मूल अधिकार के रूप मे समाविष्ट करके क्रियान्वित किया गया है। ये अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देते हैं। तथा राज्य की ओर से इसके साथ ही राज्य की विभिन्न संस्थाओं की ओर से सभी धर्मों के प्रति पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

जियाउद्दीन बुरहामुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहरा एंड ब्रदर्स के मामले में अपना निर्णय सुनाते समय न्यायपूर्ति एम.एच.बेग ने कहा था--

पंथनिरपेक्ष राज्य, पंथ के सभी भेदभावों से ऊपर उठकर, अपने सभी नागरिकों का, उनके धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों की ओर ध्यान दिये बिना, कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह सभी जातियों तथा संप्रदायों के नागरिकों को लाभ देने में तटस्थ या निष्पक्ष होता है। मेटलैंड का मत है कि इस प्रकार के राज्यों को अपने कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होता है कि राजनीतिक या नागरिक अधिकार या उसके अधीन किसी पद या स्थिति को धारण करने या इससे संबंधित कोई सरकारी कर्तव्य निभाने का अधिकार अथवा सामर्थ्य का अस्तित्व या उसके व्यवहार पर निर्भर न हो।

हमारा संविधान तथा उसके अधीन बनाये गये कानून नागरिकों को उनके धार्मिक तथा पूरी पृथक किये जाने पर कानून और राजनीतिक के पंथ निरपेक्ष क्षेत्रों के बीच सुखद और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की खुली छूट देते हैं। किंतु वे एक दूसरे के क्षेत्र का अनुचित अतिक्रमण करने की खुली छूट देते हैं। किसी विवाद के सिलसिले में, यह निर्धारण करना न्यायालयों का काम है कि किसी क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप उचित तौर पर और संविधान के अनुसार हुआ है अथवा नहीं, भले ही हस्तक्षेप किसी कानून के द्वारा ही क्यों न हुआ हो।

अयोध्या वाले मामले (ए आइ आर 1995 एस सी 605) में उच्चतम न्यायालय में पंथनिरपेक्षता की व्याख्या इस प्रकार की: संवैधानिक योजना से यह स्पष्ट है कि सभी व्यक्तियों और समूहों की, चाहे उनकी आस्था कोई भी हो, मजहब के मामले में समानता के बर्ताव का विश्वास दिलाती है और इस बात पर जोर देती है कि राज्य का अपना कोई मजहब नहीं है। विशेषकर कोई अनुच्छेद 25 से 28 के साथ उद्देशिका को पढ़ने से यह पहलू उभरता है कि संविधान की कसौटी पर किसी विधि की संवैधानिक वैधता जाँच करते समय यह ध्यान रखा जाये कि योजना में मूर्त पंथनिरपेक्षता की संकल्पना सभी भारतीयों द्वारा स्वीकृत एक सिद्धान्त है। भारत के संविधान के पूरे ढाँचे में सुनहरे धागे की तरह बना हुआ है।

संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र का सपना संजोया था। जो धर्म, जाति, पंथ की समूची विविधताओं से परे होगा। वे धर्म के खिलाफ नहीं थे, किंतु वे आशा करते थे कि इससे राजनितिक एकता जुटाना संभव होगा और धार्मिक मतभेद राष्ट्र-निर्माण में बाधक नहीं बनेंगे। संविधान में ऐसी नई समाज व्यवस्था की गयी थी, जो सांप्रदायिक संघर्षों से मुक्त होगी तथा जिसका आधार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। इसमें एक ऐसी राज्य व्यवस्था का निरूपण किया गया था जिसके अन्तर्गत कानून में धर्म, जाति आदि के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में एक ऐसी 'पंथनिरपेक्ष' व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसके अंतर्गत बहुसंख्यकों को राज्य की ओर से कोई विशेष अधिकार नहीं दिये गये या उन्हें कोई प्राथमिकता पाने का अधिकार नहीं दिया गया और अल्पसंख्यकों के 'धार्मिक अधिकारों' को अनेक प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया।

### लोकतंत्र

लोकतंत्र शाब्दिक दृष्टि से यूनानी शब्द 'कमउवे' का अर्थ है जनता और 'ज़तंजवे' का अर्थ है 'सरकार' या 'शासन'। इसके विपरीत है एक व्यक्ति के निरंकुश शासन वाली बादशाही या तानाशाही और चंद लोगों के शासन वाला कुलीनतंत्र। लोकतंत्र के बुनियादी लक्षण हैं कि सम्प्रभुता लोगों में निहित हो, धर्म, जाति, संप्रदाय, शैक्षिक या व्यावसायिक पृष्ठभूमि के स्तर के भेदभाव के बिना, कानून की नजर में सभी बराबर हो और प्रत्येक व्यक्ति को इतना सक्षम समझा जाए कि वह उस तरीके से, जिसे वह उचित समझे, स्वयं पर शासन कर सके तथा अपने निजी कार्य व्यापार का प्रबंध कर सके। लोकतंत्र में लोग स्वयं पर शासन कर सके तथा अपने निजी कार्य-व्यापार का प्रबंध कर सके। लोकतंत्र में लोग स्वयं अपने स्वामी माने जाते हैं। उन्हे इस बात का हस्तांतरणीय अधिकार होता है कि स्वयं पर शासन करे या अपने मनचाहे तरीके से तथा उन लोगों द्वारा शासित हो जिन्हें वे चुनें।

लोकतंत्र इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि अनादि काल से मनुष्य से सत्ता या सर्वोच्चता के लिये एक-दूसरे के साथ संघर्ष करता रहा है। लोकतंत्र संघर्ष का अपेक्षाकृत अधिक सभ्य तरीका प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह सशस्त्र संघर्ष के तरीकों के स्थान पर विचार-विमर्श तथा समझाने-बुझाने के तरीकों को प्रस्तुत करता है। कारतूसों की पेटी का स्थान मतपेटी ले लेती हैं। हम एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और विचार विमर्श करते हैं। हम अपने दृढ़ निश्चय, विचारों और तर्कों के बल पर एक-दूसरे को राजी करने और जीतने की कोशिश करते हैं।

लोकतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता बन गई है, जिसे किसी भी संवैधानिक संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता, किन्तु लोकतन्त्र के अनेक रूपान्तर हैं जिन्हें समान रूप से प्रतिनिधिक तथा उचित माना जा सकता है।

हमने प्रतिनिधिक संसदीय लोकतन्त्र को अपनाया है। संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया कि भारी संख्या में देश के समस्त वयस्क लोगों साक्षरता, संपत्ति, आयकर या स्त्री-पुरुष के किसी मानदण्ड के बिना मतदान का अधिकार देकर पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय। इस तथ्य की पुष्टि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रावधानों से हो जाती है। 18 वर्ष तथा उससे ऊपर के सभी वयस्को-पुरुषों तथा स्त्रियों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद (326) और कार्यपालिका, विधानमण्डल के लोक-सदन के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद (75) (3) तथा 164 (2)।

### गणराज्यीय स्वरूप

‘गणराज्य’ की संकल्पना उस राज्य की प्रतीक है, जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, जिसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता और सभी सार्वजनिक पदों के द्वार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं। इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होता तथा राज्य का अध्यक्ष लोगो द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। उसे सामान्यतया गणराज्य का राष्ट्रपति कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के शब्दों में: ‘गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में, न कि राजा जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित होती है।’ मेडिसन ने फेडरलिस्ट में कहा है:

‘गणराज्य एक ऐसी शासनप्रणाली है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्तियां आम जनता से प्राप्त करती है, और वह उन व्यक्तियों द्वारा शासित होती है जो अपने पद सीमित अवधि के लिए, लोगो के प्रसादपर्यन्त या अच्छे व्यवहार पर्यन्त धारण करते हैं।’

भारत एक गणराज्य है; इस विषय में उद्देशिका में जो उल्लेख किया गया है, वह बहुत ही व्यापक अर्थों में किया गया है। 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही भारत डोमिनियन नहीं रहा तथा क्राउन के प्रति उसकी कोई राजनिष्ठा नहीं रही। संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जो एक नियत अवधि के लिए जनता के प्रतिनिधियों के निर्वाचक मण्डल द्वारा चुना जाता है। विधि की नजर में सभी नागरिक बराबर होते हैं; कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ही नहीं होता और नस्ल, जाति, स्त्री-पुरुष या संप्रदाय के आधार पर किसी भेद के बिना सभी सार्वजनिक पदों के द्वार प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं।

#### राष्ट्रमण्डल की सदस्यता

भारत स्वाधीनता के बाद भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने का निर्णय किया, पर इसने प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र के रूप में या एक गणराज्य के रूप में अपनी स्थिति के बारे में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया या अपनी प्रतिष्ठा में किसी कमी का संकेत नहीं दिया। वास्तव में, राष्ट्रमण्डल का ही रूपान्तरण हो गया। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से यह राष्ट्रों का राष्ट्रमण्डल बन गया। वह समान तथा पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राज्यों का एक स्वच्छंद संगम हो गया जिसमें क्राउन को केवल स्वच्छंद संगम के एक प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रमण्डल ने विशिष्ट रूप से भारत की स्थिति को एक संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न स्वतन्त्र गणराज्य के रूप में स्वीकार किया। नेहरू जी के शब्दों में नया राष्ट्रमण्डल ‘स्वेच्छा से किया गया एक करार है’ जिसे ‘किसी भी समय स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है।’ इसलिए, राज्य के प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतन्त्रात्मक या गणराज्यीय स्वरूप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

#### सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र:-

राजनीतिक रूप से कल्पित लोकतन्त्र का अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को नियत समय पर होने वाले चुनावों में स्वच्छंद रूप से मतदान करने का अधिकार है। सभी लोकतान्त्रिक चुनावों में ‘एक व्यक्ति; एक वोट’ के जिस सिद्धान्त को लागू किया जाता है, उसका उद्गम इस तथ्य की स्वीकृति से हुआ है कि सभी व्यक्तियों के अधिकार समान हैं चाहे वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं या निरक्षर, विशेषज्ञ हैं या टेक्नोक्रेट, उद्योगपति हैं या श्रमिक। किन्तु हमारे संविधान निर्माताओं की दृष्टि में लोकतन्त्र का अर्थ राजनीतिक लोकतन्त्र या नियत समय पर लोगो द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करने का अधिकार मात्र नहीं है। सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र के बिना भारत जैसे गरीब देश में राजनीतिक लोकतन्त्र का कोई अर्थ नहीं है। डॉ० अम्बेडकर के अनुसार, सामाजिक तथा आर्थिक लोकतन्त्र वास्तविक उद्देश्य तथा अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि संसदीय लोकतन्त्र तभी सार्थक

होगा जब उसका सदुपयोग आर्थिक लोकतन्त्र के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाय। जवाहर लाल नेहरू ने बाद में विचार व्यक्त किया था कि उनकी कल्पना का लोकतन्त्र लक्ष्य प्राप्त करने का साधन मात्र है। लक्ष्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा उच्च जीवन मिले जिसमें कुछ हद तक आवश्यक आर्थिक जरूरतों की पूर्ति हो। जिस परिणाम में लोकतन्त्र आर्थिक समस्याओं को हल करने में सफल होता है, उसी परिणाम में वह राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल होता है। यदि आर्थिक समस्याएँ हल नहीं होती तो राजनीतिक ढाँचा कमजोर हो जाता है तथा टूट जाता है। इसलिये हमें राजनैतिक लोकतन्त्र से आर्थिक लोकतन्त्र की ओर बढ़ना चाहिए। जिसका अर्थ है, 'कुछ हद तक समस्त लोगों के कल्याण के लिये कार्य किया जाय'। इससे कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है किन्तु इसका अर्थ यह भी है 'आर्थिक क्षेत्र में कुछ हद तक अवसर की समानता के लिए कार्य किया जाय' इस बात को उद्देशिका के इन शब्दों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि गणराज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले।

#### न्याय

भारतीय संविधान के उद्देशिका में सभी नागरिकों को न्याय का आश्वासन दिया गया है। न्याय का अर्थ है व्यक्तियों के परस्पर हितों, समूहों के परस्पर हितों के बीच और एक ओर व्यक्तियों तथा समूहों के तथा दूसरी ओर समुदाय के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित होना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देशिका में न्याय को स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुता के सिद्धान्तों से ऊँचा स्थान दिया गया है। न्याय की परिभाषा या व्याख्या सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के रूप में की गयी है इसमें भी सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय से उच्चतर स्थान दिया गया है। उद्देशिका की भावना यह है कि सभी लोगों को जिनमें कामगार भी शामिल है, सामाजिक, आर्थिक न्याय मिलें।

सामाजिक न्याय से आशय यह है कि सभी नागरिकों को समान समझा जाता है और जन्म, मूलवंश, जाति, धर्म, स्त्री-पुरुष उपाधि आदि के कारण उनकी प्रतिष्ठा या न्याय के मामलों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के मामले में विभेद या निर्योग्यता का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह 'ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके 'लोककल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करें। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, 'सामाजिक न्याय ने सदैव संवेदनशील व्यक्तियों को आकर्षित किया है। मेरे विचार में, मार्क्सवाद के प्रति करोड़ों लोगों का बुनियादी आकर्षण इसलिये नहीं था कि उसने वैज्ञानिक सिद्धान्त को अपनाने का प्रयास किया बल्कि उसका कारण था सामाजिक न्याय के प्रति उसका गहरा लगाव'।

काम की मानवोचित दशाओं, प्रसूति सहायता, अवकाश, पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, न्यूनतम मजदूरी, बेगार के प्रतिषेध आदि से सम्बन्धित समस्त प्रावधानों (अनुच्छेद 23 तथा 43) का लक्ष्य सामाजिक न्याय है।

आर्थिक न्याय में अपेक्षा की जाती कि अमीरों तथा गरीबों के साथ एक सा व्यवहार किया जाय और उनके बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया जाय। आर्थिक न्याय के उद्देश्य के अनुसरण में, अनुच्छेद 39 राज्यों को निर्देश देता है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी नागरिकों का जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो, समाज की भौतिक सम्पदा के स्वामित्व और नियन्त्रण का बटवारा इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से

सिद्ध हो; आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण सामूहिक हित के प्रतिकूल न हो, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले; स्त्रियों और बच्चों का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो और बच्चों को स्वतन्त्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों की सुकुमार अवस्था की शोषण आदि से रक्षा की जाए।

वास्तव में संविधान के भाग 4 में विभिन्न अन्य अनुच्छेदों (अनुच्छेद 36 से 51) का लक्ष्य भी न्याय से अनुप्राणित एक नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस प्रकार उसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोकसहायता पाने का अधिकार का, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का, कर्मकारों के लिये निर्वाह मजदूरी आदि का बालकों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का, कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का और कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण आदि का उपबंध किया गया है।

राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि जाति, मूलवंश, सम्प्रदाय, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकारों में बराबर का हिस्सा मिले। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है और अनुच्छेद 325 तथा 326 में सभी वयस्को को चुनावों में भाग लेने के बराबर के अधिकार दिए गए हैं। नेहरू तथा अंबेडकर जैसे संविधान निर्माताओं का यह स्पष्ट मत था कि आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक न्याय निरर्थक है।

स्वतंत्रता:- सही अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकेगी। जब स्वतंत्र और सभ्य जीवन के लिये आवश्यक न्यूनतम अधिकार समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित हो जाते हैं। उद्देशिका में व्यक्ति के उन आवश्यक अधिकारों का 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' के रूप में उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 द्वारा राज्य के सभी प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रत्याभूत किया गया है। (अनुच्छेद 19,25-28)। यह सामान्य हित के लिये निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन (अनुच्छेद 31ग) और 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अन्तः स्थापित 'मूल कर्तव्य' (अनुच्छेद 51क) के अधीन रहते हुए है।

स्वतंत्रता को सामाजिक आत्मसंयम से संयुक्त और सामान्य प्रसन्नता के लिये सर्वाधिक लोगों की स्वतंत्रता के अधीन होना चाहिए।

समानता - 'समानता' का अर्थ यह नहीं है कि सभी पुरुष और स्त्रियाँ सभी परिस्थितियों में बराबर हैं। उनके बीच शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अंतर तो होंगे ही। हमारी उद्देशिका में केवल प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की संकल्पना का समावेश किया गया है। इसके कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू हैं। सभी नागरिक विधि की नजर में बराबर हैं और उन्हें देश की विधियों का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश तथा लोक नियोजन के विषय में धर्म, मूलवंश, जाति, स्त्री-पुरुष या जन्म स्थान के आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई विभेद नहीं हो सकता। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने तथा शासन की प्रक्रिया में भाग लेने के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने का बराबर का अधिकार है। आर्थिक क्षेत्र में समानता का अर्थ है कि एक-सी योग्यता तथा एक-से श्रम के लिये वेतन भी एक-सा होगा। इसके अलावा, एक व्यक्ति या एक वर्ग अन्य व्यक्तियों या वर्गों का शोषण नहीं करेगा। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की संकल्पना को अनुच्छेद 14 से 18 में ठोस आकार तथा रूप दिया गया है।

## बंधुता

न्याय, स्वतंत्रता, और समानता के आदर्श तभी तक प्रासंगिक तथा सार्थक होते हैं जब तक वे भाईचारे की, भारतीय बंधुत्व की, एक ही भारत माता के सपूत होने की सर्वसाझी भावना को बढ़ावा देते हैं और इसमें जातीय, भाषाई, धार्मिक और अन्य अनेक प्रकार की विविधताएं आड़े नहीं आती। सर्वसामान्य नागरिकता से संबंधित उपबंधों का उद्देश्य भारतीय भाईचारे का निर्माण करना है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की जो गारंटी दी गई हैं और सामाजिक तथा आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये जो निदेशक सिद्धान्त बनाए गए हैं उनका उद्देश्य भी बंधुता को बढ़ावा देना है। इस संकल्पना को संविधान के नए भाग 4 (क) में विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है और उसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कर्तव्य भी सौंपा गया है कि वे सभी धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गगत विविधताओं को लांघकर भारत के सभी लोगों में समरसता और सर्वसामान्य भाईचारे की तथा एक भारतीय परिवार से संबंध रखने की भावना को बढ़ावा दें। वास्तव में, बंधुता की संकल्पना पंथनिरपेक्षता की संकल्पना से कहीं अधिक व्यापक है। यह धर्म तथा राजनीति के पृथक्करण, धर्म की स्वतंत्रता, सभी धर्मों के प्रति समान आदर आदि से कहीं आगे जाती है। डॉ० अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि - बंधुता का अर्थ क्या है? बंधुता का अर्थ है सभी भारतीयों के सर्वसामान्य भाईचारे की, सभी भारतीयों के एक होने की भावना यही सिद्धान्त सामाजिक जीवन को एकता तथा अखण्डता प्रदान करते हैं उसे प्राप्त करना कठिन है।

बंधुता का एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी है जो हमें विश्व बंधुत्व की संकल्पना 'बसुधैव कुटुंबकम्'-अर्थात् समूचा विश्व एक परिवार है - के प्राचीन भारतीय आदर्श की ओर ले जाता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 51 में निदेशक तत्वों के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है।

व्यक्ति की गरिमा - जब तक प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा नहीं की जाए तब तक बंधुता की स्थापना नहीं हो सकती। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि स्वतंत्रता, समानता आदि के मूल अधिकारों की गारंटी करके तथा निदेशक तत्वों के रूप में राज्य को ये दिशा निर्देश जारी करके कि वह अपनी नीतियों को इस प्रकार ढाले कि सभी नागरिकों को अन्य बातों के साथ-साथ जीविका के पर्याप्त साधन, काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाएं और एक समुचित जीवन-स्तर उपलब्ध कराया जा सके, व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाये।

अनुच्छेद 17 में दिए गए मूल अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण का अन्त करना था, जो मनुष्य की गरिमा का अपमान था। अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध किया गया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा के रक्षा के लिये सीधे उच्चतम न्यायालय के पास भी जा सकता है।

राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता -व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है, जब राष्ट्र का निर्माण हो तथा इसकी एकता और अखण्डता सुरक्षित रहे। भाईचारे तथा बंधुत्व की भावना के द्वारा ही हम अत्यधिक बहुवादी तथा पंचमेल समाज में राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने की आशा कर सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता के बिना, हम अपने आर्थिक विकास के प्रयासों में सफल नहीं हो सकते और न ही हम लोकतन्त्र या देश की स्वाधीनता तथा देशवासियों के सम्मान की रक्षा करने की आशा कर सकते हैं। इसलिये, अनुच्छेद 51 (क) के अन्तर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि वे भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। कम-से-कम ऐसे मामलों में, जो राष्ट्र की एकता तथा

अखण्डता के लिये खतरा बन सकते हो, सभी नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वे सभी भेदभावों को भुलाकर तथा अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर उनका सामना करें। यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्र-निर्माण का कार्य असंभव हो जाता है।

निष्कर्ष- हमारे संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट विभिन्न संकल्पनाओं तथा शब्दों से पता चलता है कि हमारी उद्देशिका के उदान्त और गरिमामय शब्द भारत के समूचे संविधान के सारांश, दर्शन, आदर्शों और उसकी आत्मा का निरूपण करते हैं। उद्देशिका में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुता से जोड़ते हुए जो स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है उसे महात्मा गाँधी ने 'मेरे स्वप्नों का भारत' कहा है। हमारी उद्देशिका में किए गए इस सफल संयोजन की अर्नेस्ट बार्कर ने प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'सोशल एण्ड पोलिटिकल थ्योरी' के प्रारम्भिक भाग में उस उद्देशिका को उद्धरित किया है और यह सम्प्रेक्षण किया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में -

“इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित हैं और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है।”

अभ्यास प्रश्न:-

1. भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों की व्याख्या कीजिए।
2. उद्देशिका का संविधान में क्या महत्व है? भारतीय संविधान भी उद्देशिका के मुख्य लक्षण लिखिए।
3. भारतीय संविधान के उद्देशिका के संवैधानिक महत्व पर प्रकाश डालिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:-

1. भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ।

क. 1960 .ख. 1978 ग 1996 घ. 1976

2. 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में कौन-सा शब्द जोड़ा गया -

क. लोकतांत्रिक ख. राजनैतिक ग व्यक्ति की गरिमा घ. समाजवादी

3.5 सारांश - इस इकाई को पढ़ने के बाद आप -

संविधान का आधार-तत्व क्या है इसको समझ सकेंगे। संविधान का दर्शन क्या है इसको जान लेंगे। 42 वें संविधान संशोधन के बारे में समझ सकेंगे। संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य को जान सकेंगे। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, न्याय स्वतंत्रता, समानता को जान सकेंगे। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को समझ सकेंगे।

### 3.6. शब्दावली -

दर्शन

-किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार

प्रस्तावान	-संविधान का बुनियादी मूल्य और अवधारणाएं।
प्रारूप	-किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारम्भिक रूप

### 3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

3.3.2 का प्रश्न नं० 01 (स), 02 (द) 3.4.1 प्रश्न 01 का (द) , 02 (द)

### 3.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. काश्यप सुभाष, हमारा संविधान, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट,
2. बसु, डी०डी०, भारत का संविधान-एक परिचय, नागपुर, वाधवा
3. Kagzi, M.C. Jain- *The Constitutional of India Vol I &2* New Delhi, India Law House, 2001.
4. Keith, Arthur Berriedale- *A Constitutional History of India 1600-1935*, London, Methuan & Co.Ltd, 1937
5. Austin, Granville – *Working a Democratic Constitution: The Indian Experience*, Delhi Oxford University Press 1999.
6. Sharma, Brij Kishore – *Introduction to the Constitution of India* New Delhi, Prentice – Hall of India, 2005.
7. Pandey J.N. – *Constitutional Law of India*, Allahabad, Central Law Agency, 2003.
8. Pylee, M.V. *Constitutional Amendments in India*, Delhi, Universal Law, 2003.
9. Jois, Justice M.Rama – *Legal and Constitutional History of India*, Delhi, Universal Law Publishing Co. 2005.
10. Kautilya – *The Constitutional History of India 2002*, Bombay: C Jammadas & Co. Educational and Law Publishers.

### 3.9 सहायक/उपयोगी पाठ सामग्री

1. काश्यप, सुभाष, हमारी संसद, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2011
2. भारत 2012, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,

---

3. राजनीति विज्ञान की मूलभूत शब्दावली - वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार।

4. चन्द्र बिपिन - भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

5. Agrawal, R.N. *National Movement and Constitutional Development of India* – Ninth

(Revised) Edn. New Delhi Metropolitan book Co. (Pvt) Ltd. 1976

---

### 3.10 निबंधात्मक प्रश्न

---

1. भारतीय संविधान की उद्देशिका आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सबसे उत्तम है। इसकी व्याख्या कीजिए।

2. “उद्देशिका जो संविधान की भूमिका है, संविधान के स्रोत, अनुशक्ति, ढाँचे, उद्देश्य तथा विषय-वस्तु की चर्चा करता है।” इस कथन की समीक्षा कीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों की व्याख्या कीजिए।

---

## इकाई 4 : भारतीय संविधान का स्वरूप

---

इकाई की संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 संविधान की प्रस्तावना

4.4 भारतीय संविधान की विशेषताएं

4.4.1 लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान

4.4.2 विश्व में सर्वाधिक विस्तृत संविधान

4.4.3 सम्पूर्ण प्रमुख सम्पन्न लोकतान्त्रात्मक गणराज्य

4.4.4 पंथ निरपेक्ष

4.4.5 समाजवादी राज्य -

4.4.6 कठोरता और लचीलेपन का समन्वय

4.4.7 संसदीय शासन प्रणाली

4.4.8 एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक शासन

4.5 विभिन्न स्रोतों से लिए गए उपबंध

4.6 लोक कल्याणकारी राज्य

4.7 सारांश

4.8 शब्दावली

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

4.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

4.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

4.12 निबंधात्मक प्रश्न

---

### 4.1 प्रस्तावना -

---

इकाई एक में हमने भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी संविधान के प्रभावों का अध्ययन किया साथ ही भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पक्षों का भी अध्ययन किया है।

इस इकाई में भारतीय संविधान के स्वरूप का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। जिससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को समझने में और सुविधा हो सके। यहाँ हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में विश्व के संविधानों के उन्हीं पक्षों को शामिल किया गया है जो हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप है। चाहे वह संसदीय शासन हो चाहे संघात्मक शासन हो या एकात्मक शासन हो। ब्रिटेन के संसदीय शासन को अपनाया गया किन्तु उसके एकात्मक शासन को नहीं अपनाया गया।

---

### 4.2 उद्देश्य

---

इस इकाई के अध्ययन से आप जान सकेंगे कि

1. भारतीय संविधान इतना विस्तृत होने के कारणों का भी अध्ययन कर सकेंगे।
2. भारतीय संविधान में संसदीय तत्व क्यों अपनाये के कारणों का भी अध्ययन कर सकेंगे
3. भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों का प्रावधान किये गये जाने के कारणों का भी अध्ययन कर सकेंगे
4. आप जान सकेंगे कि संसदीय शासन के बाद भी संविधान की सर्वोच्चता है

### 4.3 संविधान की प्रस्तावना

प्रत्येक देश का संविधान उसके देश-काल की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। चूंकि प्रत्येक देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं इसलिए संविधान निर्माण के समय उन सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। इस भिन्नता के कारण यह संभव है कि किसी देश में कोई व्यवस्था सफल हो तो वह अन्य देश में उसी स्वरूप में न सफल हो या उसे उसी रूप में लागू न किया जा सके। यदि हम देखें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय विश्व के प्रचलित संविधानों का अध्ययन किया, और उन संविधानों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को अपने देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर अपनाने पर जोर दिया है। जैसे-हमारे देश में ब्रिटेन के संसदीय शासन का अनुसरण किया गया है किन्तु उसके एकात्मक शासन को नहीं अपनाया गया है बल्कि संसदीय के साथ संज्ञात्मक शासन को अपनाया गया है। यहाँ यह स्पष्ट करना नितान्त आवश्यक है कि संसदीय के साथ एकात्मक शासन न अपनाकर संघात्मक शासन क्यों अपनाया गया है। चूंकि हमारे देश में भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता पाई जाती है। इसलिए इनकी पहचान को बनाए रखने के लिए संघात्मक शासन की स्थापना को महत्व प्रदान किया गया परन्तु संघात्मक शासन में पृथक पहचान, पृथकतावाद को बढ़ावा न दे, इसके लिए एकात्मक शासन के लक्षणों का भी समावेश किया गया है, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा न उत्पन्न हो क्योंकि आजादी के समय हमारा देश विभाजन के दुःखद अनुभव को झेल चुका था।

यहाँ हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अन्य देशों के संविधान की भांति हमारे देश के संविधान का प्रारम्भ भी प्रस्तावना से हुआ है। प्रस्तावना को प्रारम्भ में इसलिए रखा गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस संविधान के निर्माण का उद्देश्य क्या था? साथ ही वैधानिक रूप से संविधान के किसी भाग की वैधानिक व्याख्या को लेकर यदि स्पष्टता नहीं है तो, प्रस्तावना मार्गदर्शक का कार्य करती है। संविधान की प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए सर्वप्रथम प्रस्तावना का अध्ययन करना आवश्यक है:-

" हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ,  
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा  
उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता  
सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए  
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० (मिति मार्ग शीर्ष  
शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित  
और आत्मार्पित करते हैं।"

यहाँ हम स्पष्ट करना आवश्यक है कि मूल संविधान में 'समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता' शब्द नहीं था। इसका भारतीय संविधान में समावेश 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है।

अब हम प्रस्तावना में प्रयोग में लाये गये महत्वपूर्ण शब्दों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे-

1. हम भारत के लोग- इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसी विदेशी सत्ता के द्वारा नहीं किया गया है। बस भारतीयों ने किया है। प्रभुत्व शक्ति की स्रोत स्वयं जनता है और अन्तिम सत्ता का निवास जनता में है।
2. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न- इसका तात्पर्य परम सत्ता या सर्वोच्च सत्ता से है, जो निश्चित भू-क्षेत्र अर्थात् भारत पर लागू होती है। वह परम सत्ता किसी राजे-महाराजे या विदेशी के पास न होकर स्वयं भारतीय जनता के पास है और भारतीय शासन अपने आंतरिक प्रशासन के संचालन और परराष्ट्र संबंधों के संचालन में पूरी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा। यद्यपि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, परन्तु इससे उसके सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. पंथ निरपेक्ष:- यह शब्द मूल संविधान में नहीं था, वरन् इसका समावेश संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। इसका तात्पर्य है कि- राज्य किसी धर्म विशेष को 'राजधर्म' के रूप में संरक्षण नहीं प्रदान करेगा, वरन् वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और उन्हें समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा।
4. गणराज्य- इसका तात्पर्य है कि भारतीय संघ का प्रधान, कोई वंशानुगत राजा या सम्राट न होकर के निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। ब्रिटेन ने वंशानुगत राजा होता है जबकि अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति है इसलिए भारत अमेरिका के समान गणराज्य है।
5. न्याय- हमारा संविधान नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारण्टी देता है। न्याय का तात्पर्य है कि राज्य का उद्देश्य सर्वजन का कल्याण और सशक्तिकरण है न कि विशेष लोगों का। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि अब तक हासिये पर रहे वंचित समुदायों को भी समाज की मुख्यधारा में लाने वाले प्रावधान किये जायें तथा उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी न्यूनतम आवश्यकता को वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान किये जाएं। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि: प्रत्येक नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान का भेदभाव किये बिना उसे अपना प्रतिनिधि चुनने और स्वयं को प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार होना चाहिए।
6. एकता और अखण्डता - मूल संविधान में एकता शब्द ही था। परवें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा अखण्डता शब्द का समावेश किया गया। जिसका तात्पर्य यह है कि धर्म, भाषा, क्षेत्र, प्रान्त, जाति आदि की विभिन्नता के साथ एकता के आदर्श को अपनाया गया है। इसके साथ अखण्डता शब्द को जोड़कर 'अखण्ड एकता' को साकार करने का प्रयास किया गया है। इसके समर्थन में भारतीय संविधान में 16 वें संवैधानिक संशोधन भी किया गया है।

#### 4.4 भारतीय संविधान की विशेषताएं

भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं -

##### 4.4.1 लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान

संविधान के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, प्रभुसत्ता अर्थात् सर्वोच्च सत्ता का स्रोत जनता है। प्रभुसत्ता का निवास जनता में है। इसको संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि 'हम भारत के लोग ..... ।'

##### 4.4.2 विश्व में सर्वाधिक विस्तृत संविधान

विश्व में सर्वाधिक विस्तृत संविधान हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। जबकि अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के इतना विस्तृत होने के कई कारण हैं। जो निम्नलिखित हैं:-

अ. हमारे संविधान में संघ के प्रावधानों के साथ - साथ राज्य के शासन से सम्बन्धित प्रावधानों को भी शामिल किया है। राज्यों का कोई पृथक संविधान नहीं है (जम्मू कश्मीर को छोड़कर)। जबकि अमेरिका में संघ और राज्य का पृथक संविधान है।

ब. जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक सामाजिक विविधता भी संविधान के विशाल आकार का कारण बना। क्योंकि इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों, आगतभारतीय, अल्पसंख्यक आदि के लिए पृथक रूप से प्रावधान किये गये हैं।

स. नागरिकों मूल अधिकारों का विस्तृत उल्लेख करने के साथ ही साथ नीतिनिदेशक तत्वों और बाद में मूलकर्तव्यों का समावेश किया जाना भी संविधान के विस्तृत होने का आधार प्रदान किया है।

ड. नवजात लोकतन्त्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक एजेन्सियों से सम्बन्धित प्रावधान भी किये गये हैं। जैसे निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग वित्त आयोग, भाषा आयोग, नियन्त्रक, महालेखा परीक्षक महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग आदि। संघात्मक शासन का प्रावधान करने के कारण केन्द्र राज्य संबन्धों का विस्तृत उपबन्ध संविधान में किया गया है।

#### 4.4.3 सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतान्त्रात्मक गणराज्य

जैसा कि हम ऊपर प्रस्तावना में स्पष्ट कर चुके हैं कि अन्तिम सत्ता जनता में निहित है। भारत अब किसी के अधीन नहीं है। वह अपने आन्तरिक और बाह्य मामले पूरी तरह से स्वतन्त्र है। संघ का प्रधान कोई वंशानुगत राजा न होकर निर्वाचित राष्ट्रपति है न कि ब्रिटेन की तरह सम्राट।

#### 4.4.4 पंथ निरपेक्ष

भारतीय संविधान के द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यद्यपि इस शब्द का समावेश संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा किया है, किन्तु इससे सम्बन्धित प्रावधान संविधान के विभिन्न भागों में पहले से विद्यमान हैं जैसे मूल अधिकारों में और इसी प्रकार कुछ अन्य भागों में भी। पंथनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं है। सभी धर्मों के साथ वह समान व्यवहार करेगा और समान संरक्षण प्रदान करेगा।

#### 4.4.5 समाजवादी राज्य -

मूल संविधान में इस शब्द का प्रावधान नहीं किया था इसका प्रावधान 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। इस शब्द को निश्चित रूप से परिभाषित करना आसान कार्य नहीं है, परन्तु भारतीय सन्दर्भ में इसका तात्पर्य है कि राज्य विभिन्न समुदायों के बीच आय की असमानताओं को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा।-

#### 4.4.6 कठोरता और लचीलेपन का समन्वय

संविधान में संशोधन प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं। 1- कठोर संविधान 2- लचीला संविधान कठोर संविधान वह संविधान, वह संविधान होता है जिसमें संशोधन, कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जैसा कि अमेरिका के संविधान में है - अमेरिका के संविधान में संशोधन तभी संभव है जबकि कांग्रेस के दोनो सदन (सीनेट, प्रतिनिध सभा) दो तिहाई बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पारित करें और उसे अमेरिकी संघ के 50 राज्यों में से कम से कम तीन चौथाई राज्य उसका समर्थन करें। अर्थात् न्यूनतम राज्य।

लचीला संविधान वह जिसमें सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन किया जा सके। जैसे ब्रिटेन का संविधान। क्योंकि ब्रिटिश संसद साधारण बहुमत से ही यातायात कर लगा सकती तो वह साधारण बहुमत से ही क्राउन की शक्तियों को कम कर सकती है।

किन्तु भारतीय संविधान न तो अमेरिका के संविधान के संविधान के समान न तो कठोर है और न ही ब्रिटेन के संविधान के समान लचीला है। भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार से किया जा सकता है -

1. कुछ अनुच्छेदों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है।
2. संविधान के ज्यादातर अनुच्छेदों में संशोधन दोनो सदनों के अलग-अलग बहुमत से पारित करके साथ ही यह बहुमत उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई है।
3. भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद, जो संघात्मक शासन प्रणाली से सम्बन्धित हैं, उपरोक्त क्रम दो के साथ (दूसरे तरीका) कम से कम आधेराज्यों के विधान मण्डलों के द्वारा स्वीकृति देना भी आवश्यक है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रित होने का उदाहरण पेश करता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री **जवाहर लाल नेहरू** ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा था कि - 'हम संविधान को इतना ठोस और स्थायी बनाना चाहते हैं, जितना हम बना सकें। परन्तु सच तो यह है कि संविधान तो स्थायी होते ही नहीं है। इनमें लचीलापन होना चाहिए। यदि आप सब कुछ कठोर और स्थायी बना दें तो आप राष्ट्र के विकास को तथा जीवित और चेतन लोगों के विकास को रोकते हैं। हम संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि वह बदलती हुई दशाओं के साथ न चल सके।

#### 4.4.7 संसदीय शासन प्रणाली

हमारे संविधान के द्वारा ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह संसदीय प्रणाली न केवल संघ में वरन राज्यों में भी अपनाया गया है।

इस प्रणाली की विशेषता -

अ. नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में भेद/नाममात्र की कार्यपालिका संघ में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल होता है जबकि वास्तविक कार्यपालिका संघ और राज्य दोनो में मंत्रिपरिषद होती है।

ब. राष्ट्रपति (संघ में) राज्यपाल (राज्य में) केवल संवैधानिक प्रधान होते हैं।

स. मन्त्रिपरिषद (संघ में) - लोक सभा के बहुमत के समर्थन पर ही अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करती है। राज्य में मन्त्रिपरिषद अपने अस्तित्व के लिए विधानसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। लोकसभा, विधान सभा - दोनो निम्न सदन हैं, जनप्रतिनिधि सदन है। इनका निर्वाचन जनता प्रत्यक्षरूप से करती है।

ड. कार्यपालिका और व्यवस्थापिक में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है क्योंकि कार्यपालिका का गठन व्यवस्था के सदस्यों में से ही किया जाता है।

#### 4.4.8 एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक शासन

यद्यपि भारत में ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। किन्तु उसके साथ वहाँ के एकात्मक शासन को नहीं अपनाया गया है। क्योंकि भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक बहुलता पाई जाती है। इस लिए इनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए संघात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है। लेकिन संघात्मक शासन के साथ राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एकात्मक तत्वों का भी समावेश किया गया है। इस क्रम में हम पहले भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के लक्षणों को जानने का प्रयास करेंगे। जो निम्न लिखित है:-

1. लिखित निर्मित और कठोर संविधान
2. केन्द्र(संघ) और राज्य की शक्तियों का विभाजन (संविधान द्वारा)
3. स्वतन्त्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करेगी। संविधान के विधिक पक्ष में कही अस्पष्टता होगी तो उसकी व्याख्या करेगी। साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी।

किन्तु यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारतीय संघ हेतु, कनाडा के संघ का अनुसरण करते हुए संघीय सरकार (केन्द्र सरकार ) को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा यद्यपि संघात्मक शासन तो अपनाया गया है किन्तु उसके साथ मजबूत केन्द्र की स्थापना हेतु, निम्नलिखित एकात्मक तत्वों का भी समावेश किया गया है-

- 1- केन्द्र और राज्य में शक्ति विभाजन केन्द्र के पक्ष में हैं क्योंकि तीन सूची - संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। संघ सूची में संघ सरकार को, राज्य सूची पर राज्य सरकार को और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है किन्तु दोनों के कानूनों में विवाद होने पर संघीय संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। इन तीन सूचियों के अतिरिक्त जो अवशिष्ट विषय हो अर्थात जिनका उल्लेख इन सूचियों में न हो उन पर कानून बनाने का अधिकार भी केन्द्र सरकार का होता है।

इसके अतिरिक्त राज्य सूची के विषयों पर भी संघीय संसद को कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है जैसे- संकट की घोषणा होने पर दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा प्रस्ताव द्वारा निवेदन करने पर,, राज्य सभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर।

**एकात्मक लक्षण-** इसके अतिरिक्त इकहरी नागरिकता- संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता होती है एक तो उस राज्य की जिसमें वह निवास करता है दूसरी संघ की । जैसा कि अमेरिका में है। जबकि भारत में इकहरी नागरिकता है अर्थात कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है।

एकीकृत न्यायपालिका- एक संविधान, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपातकालीन उपबन्ध, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन है जिसमें संकटकालीन स्थितियों से निपटने हेतु कुछ एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं।

4.5 विभिन्न स्रोतों से लिए गए उपबंध

जैसा कि हम प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में दुनियाँ में तत्कालीन समय में प्रचलित कई संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से महत्वपूर्ण पक्षों को, जो हमारे देश में उपयोगी हो सकते थे उन्हें अपने देश-काल की परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर संविधान में उपबन्धित किया।

वे स्रोत निम्नलिखित हैं, जिनका प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा-

स्रोत	विषय
भारतीय शासन अधिनियम १९३५	तीनों सूचियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ
. 2 ब्रिटिश संविधान	संसदीय शासन
. 3 अमरीकी संविधान	प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान में संशोधन प्रक्रिया
. 4 आयरलैण्ड का संविधान	नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मण्डल
. 5 कनाडा का संविधान	संघात्मक शासन का केंद्र के पास होना अवशिष्ट शक्तियों,
. 6 आस्ट्रेलिया का संविधान	समवर्ती सूची
. 7 दक्षिण अफ्रीका का संविधान	संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
. 8 पूर्व सोवियत संघ	मूल कर्तव्य

**4.6 लोक कल्याणकारी राज्य -**

लंबे संघर्ष के पश्चात् देश को आजादी मिली थी। जिसमें संसदीय लोकतन्त्र को लागू किया गया है। संसदीय लोकतन्त्र में अन्तिम सत्ता जनता में निहित होती है। इसलिए भारतीय संविधान के द्वारा ही भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में किए गए/ विशेष रूप से भाग 4 के नीति निदेशक तत्व में / मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता के समाप्ति की घोषणा के साथ इसे दण्डनीय अपराध माना गया है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया गया। मौलिक अधिकार के अध्याय में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया। साथ ही अब तक समाज की मुख्यधारा से कटे हुए वंचित समुदायों के

लिए विशेष प्रावधान किए गए, जिससे वे भी समाज की मुख्यधारा से जुड़कर राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकें।

#### अभ्यास प्रश्न

1. भारत में ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। सत्य असत्य/
2. संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता -नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में भेद। सत्य असत्य/
3. लचीला संविधान वह जिसमें सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन किया जा सके। सत्य/असत्य/
4. भारतीय संविधान के द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। सत्य/असत्य/
5. पंथ निरपेक्ष शब्द का समावेश संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा किया है। सत्य/असत्य/

#### 4.7 सारांश

इकाई ४ के अध्ययन के बाद आप को यह जानने में सहायक हुआ कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। जिसमें जिसमें विविध पक्षों को जानने के साथ ही यह भी जानने का अवसर प्राप्त हुआ कि किन कारणों से यह संविधान इतना विस्तृत हुआ है क्योंकि हमारा नवजात लोकतंत्र की रक्षा और इसके विकास के लिए यह नितांत आवश्यक था कि संभावित सभी विषयों का स्पष्ट रूप से समावेश कर दिया जाए। जैसे मूल अधिकार और नीतिनिदेशक तत्वों को मिलाकर संविधान एक बड़ा भाग हो जाता है इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सम्बंधित उपबंध संघात्मक शासन अपनाने के कारण केंद्र -राज्य सम्बन्ध और संविधान के संरक्षण, उसकी व्याख्या और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में स्वतंत्र निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिसकी वजह से संविधान विस्तृत हुआ है इसके साथ -साथ विभिन्न संवैधानिक आयोगों की स्थापना जैसे निर्वाचन आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राजभाषा आयोग आदि कारणों से संविधान विस्तृत हुआ। इसके साथ ही साथ हमने इस तथ्य का भी अध्ययन किया कि संविधान निर्माण में संविधान निर्माता किन देशों में प्रचलित किस पक्ष को अपने देश की आवश्यकताओं के अनुरूप पाए। जिस कारण से उन्होंने भारतीय संविधान में शामिल किया है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हमें संसदीय और अध्यक्षीय शासन के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त हुई।

#### 4.8 शब्दावली:-

लोक प्रभुसत्ता:- जहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित हो वहाँ लोक प्रभुसत्ता होती है।

धर्म निरपेक्षता:- राज्य का कोई धर्म न हाना राज्य के द्वारा सभी धर्मों के प्रति समभाव का होना।

समाजवादी राज्य (भारतीय संदर्भ में):- जहाँ राज्य के द्वारा आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयत्न किया जाए।

संघीय व्यवस्था:- केन्द्र और राज्य दोनों संविधान के द्वारा शक्ति विभाजन अपने -2 क्षेत्र में दोनों संविधान की सीमा में स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करें।

---

#### 4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

---

1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. सत्य 5. सत्य

---

#### 4.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

---

भारतीय शासन एवं राजनीति -	डॉ रूपा मंगलानी
भारतीय सरकार एवं राजनीति -	त्रिवेदी एवं राय
भारतीय शासन एवं राजनीति -	महेन्द्र प्रताप सिंह

---

#### 4.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

भारतीय संविधान -	ब्रज किशोर शर्मा
भारतीय संविधान -	दुर्गादास बसु

---

#### 4.12 निबंधात्मक प्रश्न

---

1. भारतीय संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिये ?
2. आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक लक्षणों वाले संघात्मक शासन की स्थापना करता है?

---

## इकाई-5 : नागरिकता

---

### इकाई की संरचना

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 नागरिकता
  - 5.3.1 नागरिकता का अर्थ एवं महत्व
  - 5.3.2 नागरिकता का ऐतिहासिक विकास
  - 5.3.3 नागरिकता के विविध पक्ष
  - 5.3.4 नागरिकता के सिद्धान्त
  - 5.3.5 नागरिकता के सिद्धान्त की समालोचनायें
  - 5.3.6 नागरिकता के संवैधानिक उपबन्ध
  - 5.3.7 नागरिकता अधिनियम 1955
  - 5.3.8 नागरिकता का अर्जन
  - 5.3.9 नागरिकता की समाप्ति
- 5.4 सारांश
- 5.5 शब्दावली
- 5.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 5.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 5.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 5.9 निबंधात्मक प्रश्न

## 5.1 प्रस्तावना

नागरिक अधिकारों का श्रोत नागरिकता का विचार है परन्तु मानव अधिकारों का विचार नागरिकता की सीमाओं से बधा नहीं है। हो सकता है किसी राज्य में किसी अपराधी का विक्षिप्त व्यक्ति को नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। परन्तु फिर भी उसे उपयुक्त मानव अधिकारों का पात्र माना जायेगा। मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। बिना मानव अधिकार के हम नागरिकता की संकल्पना को सार्थक नहीं बना सकते। जब प्रत्येक देश में नागरिकों को उनके अधिकार मानव होने के नाते मिल जायेंगे तथा वह व्यक्ति देश की शासन व्यवस्था में भाग लेगा तभी सही अर्थ में वह उस राज्य का पूर्ण नागरिक कहलायेगा। आज के युग में नागरिकता की पहचान अधिकारों से की जाती है।

प्राचीन काल एवं मध्यकाल में नागरिकों में बड़ी ही असमानता थी। उनको स्वतंत्रता, समानता, विभिन्न प्रकार के राजनैतिक, सामाजिक, अर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। दास, श्रमिक, स्त्री आदि को नागरिक नहीं माना जाता था। मध्यकाल में राजा के पास सारे अधिकार केन्द्रित थे राजा ही कानून बनाता था। वही कानून का क्रियान्वयन करता था एवं वही न्यायिक कार्य भी करता था। अर्थात् विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एक जगह केन्द्रित थी। इसलिए नागरिकों को सही न्याय नहीं मिल पाता था। वर्तमान समय में विश्व के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनायी गयी है। जहां पर नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार एवं स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं।

प्रत्येक राज्य में दो तरह के लोग होते हैं। नागरिक एवं विदेशी। नागरिक राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी अपने राज्य पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। नागरिकता का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि विभिन्न देशों में अलग-अलग नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं किसी देश में एकल नागरिकता मिली हुई है तो किसी देश में दोहरी नागरिकता। एक केन्द्र सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार द्वारा। जैसे- भारत में एकल नागरिकता है तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता।

## 5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अन्तर्गत नागरिकता से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का विस्तार पूर्वक विवेचन किया जायेगा। वर्तमान समय में दुनिया के विभिन्न देशों में सरकार का स्वरूप एवं उनकी कार्यप्रणाली है। उस सन्दर्भ में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्य की गहरी समझ आवश्यक हो जाती है। अतः इस इकाई के सम्यक एवं गहन अध्ययन के पश्चात् आप:-

1. नागरिकता के अर्थ एवं महत्व को समझ सकेंगे।
2. नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्य से अवगत हो सकेंगे।
3. नागरिकता के ऐतिहासिक विकास को क्रमबद्ध रूप से समझ सकेंगे।
4. नागरिकता के विविध पक्ष: नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार से अवगत हो सकेंगे।

5. भारतीय सन्दर्भ में नागरिकता से सम्बन्धित उपबन्धों को समझ कर अपने अधिकारों के लिए कानूनी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

6. वर्तमान समय में नागरिकों के कानूनी अधिकार एवं उसकी व्यवहारिकता पर अपने विचार रख सकेंगे।

### 5.3 नागरिकता

इस नागरिकता के अन्तर्गत हम नागरिकता के अर्थ, महत्व, परिभाषा तथा उसके संवैधानिक उपबंध पर चर्चा करेंगे। नागरिकता का विकास कैसे हुआ विभिन्न समय में नागरिकता की क्या स्थिति थी। इसका ऐतिहासिक अवलोकन विस्तार पूर्वक करते हुए यह जानेंगे कि इसकी वर्तमान वैश्विक स्थिति क्या है तथा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में कैसी नागरिकता लोगों को मिली हुई है। इस प्रकार हम नागरिकताके विभिन्न पक्ष का अवलोकन करते हुए भारत के सन्दर्भ में नागरिकता की कानूनी स्थिति का अध्ययन करेंगे तथा इसके साथ-साथ यह भी जानेंगे कि भारत में किस प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है तथा उसकी समाप्ति के क्या कारण हो सकते हैं।

#### 5.3.1 नागरिकता का अर्थ एवं महत्व

नागरिकता का अर्थ है वह स्थित जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और उसे राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। नागरिकता का विचार बहुत पुराना है परन्तु आधुनिक युग में यह राष्ट्र राज्य के अन्तर्गत व्यक्ति को हैसियत का संकेत देता है। इस संदर्भ में औपचारिक नागरिकता और तात्विक नागरिकता में अन्तर करना उपयुक्त होगा। औपचारिक नागरिकता के लिए राष्ट्र राज्य की सदस्यता पर्याप्त मानी जाती है। दूसरी ओर किसी राष्ट्र राज्य के अन्तर्गत अपनेपूर्व सदस्यों को जो नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं वे तात्विक नागरिकता की परिभाषा में आते हैं। किसी राज्य में व्यक्ति को नागरिकता किन किन शर्तों पर प्राप्त होगी यह उस राज्य के संविधान और कानून पर निर्भर है।

देखा जाय तो नागरिकता की मूल संकल्पना कर्तव्य भावना के साथ जुड़ी थी और उसमें अधिकारों का विचार गौण था। परन्तु आज के युग में नागरिकता की पहचान अधिकारों से की जाती है और व्यक्ति के कर्तव्य वही तक स्वीकार किये जाते हैं जहां तक वे इन अधिकारों को कायम रखने के लिए जरूरी हो, अगर व्यापक रूप से देखा जाय तो नागरिकता राज्य एवं व्यक्ति के बीच कानूनी सम्बन्ध का प्रतीक है। नागरिकता कुछ अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य प्रदान करती है। किसी आधुनिक राज्य के निवासियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नागरिक और विदेशी।

#### 5.3.2 नागरिकता का ऐतिहासिक विकास

नागरिकता का विचार अपने आरम्भिक रूप में प्रचीन यूनानी और रोमन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। यह बात याद रखने की है कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक समुदाय का स्वरूप आज के लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य के राजनीतिक समुदाय के सर्वथा भिन्न था। आज के लोकतांत्रिक राज्य के सभी स्थायी सदस्य वहां के नागरिक माने जाते हैं परन्तु प्रचीन यूनानी नगर राज्य के निवासियों में बहुत थोड़े लोग स्वतंत्र जन होते थे। जो पूर्ण नागरिक माने जाते थे। इन नागरिकों के अधिकार अवश्य समान थे इनमें धनवान और निर्धन में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता था। शेष समुदाय में दास स्त्रियों और अन्य देशी आते थे जिन्हें कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे।

अतः अरस्तू ने नागरिकता को शासन वर्ग का विशेषाधिकार माना है यह शक्ति के प्रयोग में प्रभावशाली सहभागिता का संकेत देती थी। अरस्तू कहता है, नागरिक वही है, जो न्याय व्यवस्था एवं व्यवस्थापिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेता है। दोनों में या एक में क्योंकि ये दोनों ही प्रभुसत्ता के मुख्य कार्य हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य में निवास करने से सभी लोगों को नागरिकता नहीं मिल जाती वह श्रमिक एवं दासों को नागरिकता की परिधि से बाहर रखता है। उसने किसी मनुष्य के राज्य में निवास करते हुए भी नागरिक न होने की निम्नलिखित चार दशाएं बतलाई हैं-

1. राज्य के किसी स्थान-विशेष में निवास करने मात्र से नागरिकता नहीं मिल सकती।
2. किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को भी नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सन्धि द्वारा यह अधिकार विदेशियों को भी दिया जा सकता है।
3. उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता, जिनके माता पिता किसी दूसरे राज्य के नागरिक हैं क्योंकि ऐसा करने से हम नागरिकता निर्धारण के किसी सिद्धान्त का निर्माण नहीं करते।
4. निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते।

यूनान के किसी भी राज्य में विदेशियों, दासों, स्त्रियों तथा बच्चों को नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं किये गये थे। यूनानी नागरिकता आधुनिक नागरिकता की अपेक्षा बहुत अधिक संकुचित थी। इसी दृष्टि से अरस्तू ने भी स्वाभाविक रूप से राज्य के सभी निवासियों को नागरिक स्वीकार नहीं किया। उसने यह तर्क दिया कि नागरिकता एक विशेष गुण है जिसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। यह गुण प्रत्येक निवासी में नहीं पाया जाता।

कुछ भी हो प्राचीन यूनानी चिंतन में शासक वर्ग के इस विशेषाधिकार को कर्तव्य का रूप देकर इसके पालन पर बल दिया गया है ताकि राजनीति समुदाय के सब लोगों को अर्थात् नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों तरह के लोगों को उत्तम जीवन प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो। यूनानी नगर राज्यों के पतन के बाद रोमन साम्राज्य के युग में नागरिकता की नई परिभाषा विकसित की गई। शुरू-शुरू में वहां नागरिकता सत्ताधारियों का विशेषाधिकार थी परन्तु बाद में सामान्य जनों और युद्ध में पराजित लोगों को भी नागरिकों का दर्जा दे दिया गया इससे तरह तरह के लोग नागरिकों की श्रेणी में आ गये केवल निम्नतम श्रेणी के लोगों और स्त्रियों को नागरिकता के दायरे से बाहर रखा गया। मध्ययुगीन यूरोप में जब राजनीतिक सत्ता पर धार्मिक सत्ता का वर्चस्व स्थापित हो गया तब सांस्कृतिक नागरिकता का विचार विशेष चर्चा का विषय नहीं रहा। 15वीं-16वीं शताब्दी में जब पुर्नजागरण आलोक में आधुनिक चिंतन का उदय हुआ तब इतालवी गण राज्यों में नागरिकता का विचार फिर से आकर्षण का केन्द्र बना। विख्यात इतालवी विचार निकोलो मैकियावली (1469 से 1527) ने इस विचार को नया जीवन प्रदान किया। सत्रहवीं शताब्दी में जेम्स हरिंग्टन (1611-1677) और मिल्टन (1608-1674) ने इसका पुनर्निरूपण किया हैरिंग्टन ने भविष्य के लिए ऐसी आदर्श व्यवस्था का चित्र खींचा जो कानूनों का सम्राज्य होगा मनुष्यों का नहीं। इंग्लैण्ड की गौरवमय क्रांति (1688) के समर्थकों ने नागरिकता के विचार को विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया। 18वीं शताब्दी में अमरीकी क्रांति (1776) के दिनों में यह विचार अमरीका में बहुत लोकप्रिय रहा।

नागरिकता का विश्वजनीन आदर्श फ्रांसीसी क्रांति (1789) तथा मानव एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ पूरे उत्कर्ष पर पहुंचा। इस घोषणा के अन्तर्गत जे.जे. रूसो के विचारों की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। रूसो ने

अपनी कृति सामाजिक अनुबंध (1762) के अन्तर्गत लिखा था कि नागरिक एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यक्ति है। वह उन सब निर्णयों में भाग लेने का हकदार है जो सब नागरिकों के लिए बाध्यकर होते हैं। यूरोप में वाणिज्य समाज के उदय को देखकर रूसों ने यह स्पष्ट अनुभव किया था कि इस समाज में सामान्य हित और निजी हितों में तनाव पैदा होना स्वाभाविक है और यह तनाव समाज की एकता को छिन्न भिन्न कर देगा। रूसो ने सोच समझकर सामान्य हित के विचार को निजी हितों की मांग से ऊपर रखा।

उन्नीसवीं शताब्दी में उदारवाद के उत्कर्ष के साथ बाजार संबंधों का विकास हुआ जिसने नागरिकता की नई धारणा को बढ़ावा दिया। अब प्राकृतिक अधिकारों के विचार को नागरिकता का आधार माने जाने लगा। प्राकृतिक अधिकारों का विचार मूलतः सत्रहवीं शताब्दी के इंग्लैण्ड में जान लांक (1632-1704) ने प्रस्तुत किया था। लांक ने तर्क दिया कि जीवन, स्वतंत्रता और सम्पत्ति का अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का मुख्य आधार है। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक अपने राज्य का निर्माण करते हैं। यदि राज्य इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार मिल जाता है। इन विचारों की प्रेरणा से उन्नीसवीं शताब्दी में नागरिकता को केवल कानूनी हैसियत का सूचक माने जाने लगा और व्यक्ति के अधिकारों की परिभाषा, 'राज्य के विरुद्ध अधिकारों' के रूप में दी जाने लगी। कुछ भी हो नकारात्मक अधिकारों की इस धारणा ने उदार लोकतंत्रीय समाजों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आगे चलकर इसी समाज में सकारात्मक अधिकारों की धारणा विकसित हुई जिसने नागरिकता के विचार को अपने तर्क संगत परिणाम तक पहुंचाया।

### 5.3.3 नागरिकता के विविध पक्ष: नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार

आज के युग में तात्विक नागरिकता के तीन महत्वपूर्ण पक्ष स्वीकार किए जाते हैं। इन्हें क्रमशः नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की कोटि में रखा जाता है। टी.एच. मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध कृति नागरिकता और सामाजिक वर्ग (1950) के अंतर्गत यह दिखाया है कि ब्रिटेन में किस तरह धीरे-धीरे इन अधिकारों का विकास हुआ है जिससे नागरिकता की संकल्पना अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंची है। यह बात याद रखने की है कि वहां सत्रहवीं शताब्दी के अंत में गौरवमय क्रांति (1988) के साथ नागरिकता की संकल्पना की शुरुआत हुई। मार्शल ने यह दिखाया है कि अठारहवां शताब्दी के ब्रिटेन में नागरिक अधिकारों से जुड़ी नागरिकता या नागरिक नागरिकता का विकास हुआ। उन्सवीं शताब्दी में वहां राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी नागरिकता या राजनीतिक नागरिकता स्थापित हुई। अंततः बीसवीं शताब्दी में वहां राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के परिणामस्वरूप सामाजिक अधिकारों से जुड़ी नागरिकता या सामाजिक नागरिकता का विकास हुआ। मार्शल ने लिखा है कि वहां के न्यायालय नागरिकों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। प्रतिनिधि राजनीतिक संस्थाएं उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करती हैं और सामाजिक सेवाएं तथा स्कूल उन्हें समुचित सामाजिक अधिकार प्रदान करते हैं।

मार्शल के अनुसार नागरिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता दैहिक स्वतंत्रता, भाषण या वाणी, विचार और आस्था की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने और अनुबंध करने के अधिकारों का विशेष स्थान है। नागरिक अधिकारों की सार्थकता के लिए यह जरूरी है कि ये अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्गों को समानता या बराबरी के आधार पर प्राप्त होने चाहिए। दूसरे शब्दों में इन अधिकारों की व्यवस्था करते समय राज्य के नृजातीय प्रजातीय धार्मिक और भाषाई समूहों में से किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। यदि किन्हीं समूहों के साथ विशेषतः अल्पसंख्यक वर्गों के साथ इस मामले में भेदभाव बरता जाता है तो ये समूह इस भेदभाव के विरुद्ध नागरिक अधिकार आंदोलन चला सकते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में नागरिक अधिकार आंदोलन उन अधिकारों को लागू करने के लिए चलाए गए जो कानून में तो निहित थे परंतु

व्यवहार के स्तर पर अश्वेत लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें विशेष रूप से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थानों के मुक्त प्रयोग तथा रोजगार के समान अवसरों से वंचित रखा गया था। उनके लगातार संघर्ष और लंबे आंदोलन का परिणाम नागरिक के अधिनियम के रूप में सामने आया।

मार्शल के अनुसार सामाजिक अधिकारों से तात्पर्य है- निश्चित स्तर की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली का अधिकार तथा सभ्यता और संस्कृति की धरोहर को दूसरों के साथ मिल जुलकर प्रयोग करने का अधिकार। लोकतंत्रीय प्रणालियों के अंतर्गत नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रायः कल्याणकारी राज्य की छत्रछाया में प्रदान किए जाते हैं। यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के राज्य को प्रहरी राज्य की संज्ञा दी जाती थी क्योंकि उसका उद्देश्य नागरिकों की संपत्ति की रखवली करना था। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 'शक्तिमूलक' राज्य अस्तित्व में आया जिसका मुख्य लक्ष्य दूसरे विश्व युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त करना था। इस शताब्दी के उत्तरार्ध से कुछ पहले ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ जो धीरे धीरे अन्य लोकतंत्रीय देशों में भी लोकप्रिय हो गया। इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र को उन नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में लगाना और उनके लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था करना था जो नागरिकों के सामूहिक सामाजिक हितों को बढ़ावा देती हों। बेवरिज रिपोर्ट (1942) के अनुसार इस राज्य का ध्येय पांच महा बुराइयों को अंत करना था। अभाव, अज्ञान, दरिद्रता, रोग और बेकारी। अब यह माना जाने लगा कि भविष्य में जब खुले बाजार की अर्थ व्यवस्था के दुष्परिणाम लोगों के बस के बाहर हो जायेंगे-विशेषतः जब लोग बेरोजगारी बीमारी और बुढ़ापे की वजह से लाचार हो जाएंगे तब राज्य अर्थ व्यवस्था में हस्तक्षेप करके प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सहायता का प्रबंध करेगा। यह बात महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन में नागरिकता के विविध पक्षों का विकास तर्कसंगत क्रम से हुआ और इस क्रम में वह अपने उत्कर्ष तक पहुंची। वहां नागरिक अधिकारों ने लोकतंत्र के पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जिससे राजनीतिक अधिकारों की स्थापना हुई। राजनीतिक अधिकारों ने जनसाधारण का सार्वजनिक जीवन में भाग लेने और सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने का अवसर दिया। इससे सामाजिक अधिकारों का विकास हुआ और कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। दूसरी और संयुक्त राज्य अमरीका में नागरिकता की संकल्पना नागरिक अधिकारों के आगे नहीं बढ़ पाई अतः वहां स्त्रियों और अश्वेतों ने नागरिक अधिकारों की प्रति के लिए संघर्ष चलाया और इसमें सफलता प्राप्त की।

### 5.3.4 नागरिकता के सिद्धान्त

समकालीन राजनीतिक चर्चा के अंतर्गत नागरिकता के उपयुक्त आधार और विचारक्षेत्र के बारे में अनेक सिद्धान्त प्रस्तुत किए गये हैं। इनमें पांच सिद्धान्त विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उदारवादी सिद्धान्त, स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धान्त, समुदायवादी सिद्धान्त, मार्क्सवादी सिद्धान्त और बहुलवादी सिद्धान्त।

इस सिद्धान्त के अनुसार नागरिकता की बुनियाद नागरिक अधिकार है ये अधिकार समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करके अपने तर्कसंगत परिणाम तक पहुंचते हैं। चूंकि यह सिद्धान्त अधिकारों के विकास में विश्वास करता है इसीलिए इसे नागरिकता का विकासवादी सिद्धान्त भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त का मुख्य प्रवक्ता टी.एच. मार्शल है। मार्शल ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नागरिकता और सामाजिक वर्ग (1950) के अंतर्गत लिखा है कि नागरिकता विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्रताएं और प्रतिबंध, शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित करती है। इसके अंतर्गत ये व्यक्ति मिल जुलकर अपने साहचर्य की शर्तें तय करते हैं। नागरिकता का विचार समाज के वर्ग विभाजन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। सामाजिक वर्ग तो

संपत्ति के स्वामित्व, शिक्षा के स्तर और अर्थव्यवस्था के ढांचे के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में विषमता को बढ़ावा देता है परंतु नागरिकता उन्हें समान हैसियत प्रदान करने को तत्पर होती है।

इस सिद्धांत के आलोचक यह तर्क देते हैं कि यह जरूरत से ज्यादा आशावादी है। जब सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था के लिए सामाजिक संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाता है तब समाज में कुछ लोगों पर कर लगाकर दूसरों को लाभ पहुंचाया जाता है। समाज में सद्भावना और सुदृढ़ता कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि कर देने वालों पर अनुचित बोझ न पड़े।

#### नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता की स्थिति व्यक्तियों के स्वतंत्र चयन और अनुबंध का परिणाम है। यह बाजार समाज के प्रतिरूप को नागरिक जीवन का उपयुक्त आधार मानता है। इस सिद्धांत का मुख्य प्रवक्ता रावर्ट नॉजिक हैं। नॉजिक ने अपनी चर्चित कृति अराजकता राज्य और कल्पनालोक (1974) के अंतर्गत यह संकेत किया है कि लोग अपने मूल्यों मान्यताओं और अधिमान्यताओं की सिद्धि के लिए निजी गतिविधि बाजार विनिमय और स्वैच्छिक साहचर्य का सहारा लेते हैं। नागरिकता की जरूरत इसलिए पैदा होती है क्योंकि कुछ आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं इन तरीकों से उपलब्ध नहीं हो पातीं। अतः उनके लिए सार्वजनिक व्यवस्था जरूरी हो जाती है। इस दृष्टि से नागरिक का अर्थ है सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोक्ता। नॉजिक के अनुसार राज्य को एक विशाल उद्यम मानना चाहिए नागरिक उसके ग्राहक या सेवार्थी है। मनुष्य अपनी संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए संरक्षक संस्थाओं की सेवाएं प्राप्त करते हैं। राज्य ऐसी संरक्षक संस्था है जो मुक्त प्रतियोगिता में सबसे आगे रहती है। अतः उसे निर्दिष्ट भू-भाग में बल प्रयोग का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है।

इस सिद्धांत के आलोचक यह तर्क देते हैं कि मुक्त बाजार पर आधारित व्यक्तिवाद सामाजिक सुदृढ़ता के लिए पर्याप्त नहीं है। नागरिकता का यह प्रतिरूप समाज के भीतर स्वार्थों की भीषण लड़ाई और तीव्र वाद विवाद को बढ़ावा देगा। उदाहरण के लिए नागरिकता की यह संकल्पना लागू कर देने पर ऐसे प्रश्न उठ खड़े होंगे जो लोग सरकारी अस्पताल से इलाज नहीं कराते या अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते वे इन अस्पतालों और स्कूलों का खर्च उठाने के लिए कर क्यों दें जिनके पास विशाल संपत्ति नहीं है वे इतने बड़े पुलिस बल के रख-रखाव का खर्च उठाने में सहयोग क्यों दें या फिर जिन्हें अपने देश से कोई लगाव नहीं है अर्थात् जो लोग अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर कहीं भी जाकर ऊंची आय अर्जित कर सकते हैं वे अपने देश की विशाल सेनाओं के रख रखाव के खर्च में अपना हिस्सा क्यों दें।

इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा जाएगा कि लोगो को अपनी आकस्मिक जरूरतों जैसे कि अग्नि कांड, बीमारी, दुर्घटना, चोरी, डकैती इत्यादि के समय सहायता के लिए निजी बीमा कंपनियों की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए। इस तरह धीरे-धीरे सरकार की जरूरत ही खत्म हो जाती है और नागरिकता का विचार निरर्थक हो जाएगा।

#### नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत

समुदायवादी सिद्धांत के विपरीत नागरिकता का समुदायवादी या गणतंत्रवादी सिद्धांत व्यक्ति और समुदाय के सुदृढ़ बंधन पर बल देता है। इसके अनुसार नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो राजनीतिक वाद विवाद और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेकर अपने समाज का भावी रूप निर्धारित करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। दूसरे शब्दों में नागरिकता का मुख्य लक्षण नागरिक सहभागिता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में हन्ना आरेंट, बेंजामिन बार्बर और माइकेल वाल्जर

के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि नागरिक जिस समुदाय का सदस्य है उसके साथ वह अपना तादात्म्य स्थापित करें और उसके राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग ले तभी वह सामान्य हित की सिद्धि में योग दे सकता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने आपको समुदाय की संस्कृति परंपराओं मान्यताओं और भावनाओं के साथ एकाकार करके ही सच्चे अर्थों में उसका नागरिक बनता है।

इस सिद्धांत के आलाचक यह तर्क देते हैं कि नागरिकता का यह प्रतिरूप केवल ऐसे छोटे आकार के एकसार समुदाय के लिए उपयुक्त है जैसा चौथी शताब्दी ई.पू. एथेंस या पंद्रहवीं शताब्दी के फ्लोरेंस में प्रचलित था। रूसों ने अपनी विख्यात कृति सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत ऐसे समुदाय को लक्ष्य करके ही सामान्य इच्छा के आविर्भाव की कल्पना की थी।

#### नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार वर्ग संघर्ष की देन है अर्थात् वर्ग संघर्ष में कोई वर्ग अपने विरोधी वर्ग का दमन करके जो अधिकार प्राप्त करता है, वही नागरिकता की बुनियाद है। इस सिद्धांत का प्रमुख व्याख्याकार एंथनी गिडेंस है। गिडेंस ने अपनी दो प्रमुख कृतियां ऐतिहासिक भौतिकवाद की समकालीन मीमांसा और सामाजिक सिद्धांत रूपरेखा और मीमांसा के अंतर्गत अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए मार्शल के विचारों का खंडन किया है।

गिडेंस के विचार से नागरिकता और आधुनिक लोकतंत्र का विकास सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू हुआ जब राज्य की प्रभुसत्ता और प्रशासनिक ढांचे का विस्तार हो गया। इस तरह राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचना एकत्र करने उनकी गतिविधियों का हिसाब रखने और उनपर निगरानी रखने में समर्थ हो गया। परंतु वह केवल बल प्रयोग के सहारे उन पर नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं रहा, ऐसी हालत में शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन और शासित एक दूसरे पर आश्रित हो गए और ऐसे अवसर पैदा हो गए कि शासित स्वयं शासकों पर अपना प्रभाव डाल सकें।

#### नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का विकास एक जटिल और बहु आयामी प्रक्रिया है। इसे किसी एक कारण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता बल्कि इसकी उपयुक्त व्याख्या के लिए इसके भिन्न-भिन्न कारणों की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए।

डेविड हैल्ड ने राजनीति-सिद्धान्त और आधुनिक राज्य के अंतर्गत लिखा है कि प्राचीन काल से आज तक नागरिकता का यह अर्थ लगाया गया है कि नागरिक को अपने समुदाय के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होंगे और समुदाय के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होंगे। ये अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। दूसरे शब्दों में वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति के अधिकार दूसरों के कर्तव्य बन जाते हैं। उसके कर्तव्य दूसरों के अधिकार बन जाते हैं। नागरिकता का सार तत्व समुदाय के जीवन में व्यक्ति की सहभागिता है। इसे केवल वर्ग संघर्ष की देन मानना भ्रामक होगा। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो बहुत सारे लोगों को लिंग, धर्म, संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय, आयु इत्यादि के आधार पर नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। आज के युग में ऐसे भेदभाव के विरुद्ध अनेक आंदोलन चलाए गए हैं।

संक्षेप में नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत उन सब प्रवृत्तियों और आंदोलनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जो समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने की मांग उठाते हैं। चूंकि सामाजिक चेतना के विकास के साथ-साथ ये आंदोलन निरंतर नई-नई दिशाओं में फैल रहे हैं, इसलिए नागरिकता का विश्लेषण निरंतर अनुसंधान का विषय है उसे किसी एक बने बनाए ढांचे में ढालकर नहीं देखा जा सकता।

### 5.3.5 नागरिकता के सिद्धांत की समालोचनाएं

समकालीन विश्व में कई ओर से यह आवाज उठाई जा रही है कि नागरिकता का प्रचलित सिद्धांत समाज के सब हिस्सों को उपयुक्त अधिकार प्रदान नहीं करता। इस दृष्टि से दो तरह की समालोचनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

नारीवाद समालोचना और उपाश्रितवर्गीय समालोचना।

#### नारीवादी समालोचना

नागरिकता के नारीवादी समालोचक यह तर्क देते हैं कि समाज में स्त्रियों को प्रकट रूप से पूर्ण नागरिकता प्राप्त हो जाने पर भी नागरिक जीवन में वे पराधीन बनी रहती हैं। 1970 के दशक के समाज और राजनीति में स्त्रियों की स्थिति विशेष चर्चा का विषय बन गई है। इससे पहले प्रायः यह माना जाता था कि कानून की दृष्टि से स्त्री पुरुष की समानता स्थापित हो जाने के बाद स्त्रियों के लिए शिकायत का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। स्त्रियों को मताधिकार मिल जाने के बाद मतदान व्यवहार के जो अध्ययन प्रस्तुत किए गए उनसे यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां मतदान में कम हिस्सा लेती हैं। इसकी यह व्याख्या दी गई कि स्त्रियों को निजी और घरेलू मामलों में ज्यादा दिलचस्पी होती है उन्हें राजनीति और सार्वजनिक मामलों में बहुत कम दिलचस्पी रहती है और उसके लिए उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं मिलता।

कुछ दशक पहले जब परिवार छोटे होने लगे और ज्यादा से ज्यादा स्त्रियां घर से बाहर के काम करने लगीं तब इस व्याख्या पर लोगों को उतना विश्वास नहीं रहा। फिर यह भी देखा गया कि मतदान में हिस्सा लेने वाली स्त्रियों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है परंतु राजनीतिक सत्ता के स्तरों पर उनका हिस्सा बहुत मामूली है। विश्वभर के निर्वाचक मंडलों में स्त्रियों की संख्या पचास प्रतिशत से कम तो नहीं है परंतु राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर उनका अनुपात बहुत कम है।

अतः नारीवादी यह मांग करते हैं कि जब तक सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की समान सहभागिता की शर्त पूरी नहीं की जाती तब तक नागरिकता की संकल्पना को अपने तर्कसंगत परिणाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में पचायतों के स्तर पर स्त्रियों के लिए एक तिहाई स्थान सुरक्षित रखकर इस दिशा में पहल की गई है। इससे स्त्रियों को आधार स्तर पर राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। धीरे-धीरे इस स्तर पर उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा जा सकता है और विधान सभाओं तथा संसद में भी उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सकती है।

#### उपाश्रितवर्गीय समालोचना

नागरिकता के सिद्धान्त को उपाश्रितवर्गीय समालोचना का तात्पर्य यह है कि केवल कानूनी या औपचारिक स्तर पर सब नागरिकों के समान अधिकारों की व्यवस्था कर देने से समाज के उपाश्रित वर्गों के स्थिति को सुधारने में कोई सहायता नहीं मिलती। उपाश्रितवर्ग का मुख्य लक्षण सामाजिक पराधीनता है। नागरिकता की उपाश्रितवर्गीय

समालोचना के संदर्भ में उपाश्रितवर्ग की परिभाषा को और श्री विस्तृत करना जरूरी है। संक्षेप में समाज के जो भी समूह या वर्ग घोर दरिद्रता और तरह-तरह की विवशता के कारण अमानवीय जीवन जी रहे हैं जिनके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं रह गई है और जिनके उद्धार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है उन सबको उपाश्रितवर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये समाज उपेक्षित वर्ग है। कानूनी तौर पर भारत में बंधुआ मजदूरी समाप्त हो चुकी है। परंतु कहीं कहीं अब भी यह प्रथा चल रही है। बाल मजदूरी भी कानूनी तौर पर बंद हो चुकी है। परंतु यह समाज में दिखाई देती है। गांवों में बहुत छोटे किसान और खेतिहर मजदूर दो जून रोटी के लिए तरसते हैं कलकता के कूड़ा मजदूर जिनमें बच्चों की संख्या बहुतायत है- कूड़े में से कबाड़ी का समान चुन चुनकर रोटी की जुगाड़ करते हैं। दिहाड़ी मजदूर, बेबस, लाचार, बीमार लोग कानून की दृष्टि से इस देश के माननीय नागरिक हैं। परंतु यथार्थ जीवन में ये मनुष्य भी नहीं हैं। जब तक नागरिकता की चादर से ये धब्बे नहीं मिटाए जाते अर्थात् जब तक देश के बेबस और लाचार लोगों को इंसानों की तरह जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान नहीं की जाती तब तक देश में पूर्ण नागरिकता के विकास पर गर्व करना व्यर्थ ही नहीं भ्रामक भी होगा।

### 5.3.6 भारत में नागरिकता के संवैधानिक उपबंध

भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं हैं। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है। जो संविधान होने के समय अर्थात् 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बनें। इसमें न तो इनके अधिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया। जिसका 1986, 1992 2003 और 2005 में संशोधित किया गया।

संविधान निर्माण के उपरांत (26 जनवरी 1950) संविधान के अनुसार चार श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने-

1. एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है। और तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें हैं यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के पांच वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है। (अनुच्छेद 5)
2. एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। (अनुच्छेद 6)
3. एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो। लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आये तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद छह माह तक रहना होगा (अनुच्छेद 7)
4. एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कुटनीतिज्ञ तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। (अनुच्छेद 8)

नागरिकता सम्बन्धी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं-

1. वह भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जायेगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। (अनुच्छेद 9)

2. प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का है समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। (अनुच्छेद 10)

3. संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति से सम्बन्धित विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। (अनुच्छेद 11)

### 5.3.7 नागरिकता अधिनियम 1955

नागरिकता अधिनियम (1955) संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है इस अधिनियम को अब तक चार बार संशोधित किया गया है। ये संशोधन इस प्रकार है-

1. नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986
2. नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992
3. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003
4. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005

उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा समय समय पर भारतीय नागरिकों के नागरिकता सम्बंधी प्राविधानों में संशोधन होता रहा है और नागरिकों को कुछ और अधिकार एवं सहूलियतें मिली जैसे-

1. भारतीय नागरिकों की संतान भारत से बाहर जन्म लेने पर भी भारतीय नागरिक होगी, किन्तु 1992 से पहले सिर्फ पिता के भारतीय होने पर नागरिकता मिलती थी।
2. भारत में 5 साल रहने के बाद कोई भी नागरिकता का आवेदन कर सकता है।
3. 30 जून 1987 के पहले भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारत का नागरिक होता था किन्तु 1 जुलाई 1987 से भारत में जन्मा तथा माता-पिता में से किसी एक का भारतीय होना नागरिकता के लिए आवश्यक हो गया।

### 5.3.8 नागरिकता का अर्जन

नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिक प्राप्त करने की पांच शर्तें बताता है- (1) जन्म (2) वंशानुगत (3) पंजीकरण (4) देशीकरण (5) किसी क्षेत्र के भारत में विलय से।

1. जन्म द्वारा- प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात जन्म हुआ है जन् से भारत का नागरिक है। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है।

2. वंश के आधार पर- कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परन्तु 10 दिसम्बर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो।

3. पंजीकरण के द्वारा:- कोई व्यक्ति जो (अवैध प्रवासी न हो) कुछ शर्तों पूरी करके भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अनेक प्रवर्गों के हो सकते हैं। उदाहरण वे व्यक्ति जिनका विवाह भारत के नागरिकों से हुआ है या वे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं।

4. देशीकरण द्वारा:- जब किसी विदेशी का देशीकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो वह भारत का नागरिक बन जाता है।

5. राज्य क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने पर:- किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता (पांडिचेरी) आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया।

#### 5.3.9 नागरिकता की समाप्ति

नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के तीन कारण बताए गए हैं त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित किया जाना।

1. स्वैच्छिक त्याग- कोई भी भारत का नागरिक जो वयस्क है और जिसमें विधिक क्षमता है घोषणा करके नागरिकता का त्याग कर सकता है। यह घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत से भिन्न किसी देश का नागरिक या राष्ट्रिक है।

2. बर्खास्तगी के द्वारा- भारत का कोई नागरिक जिसने देशीकरण या रजिस्ट्रीकरण आदि द्वारा स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित की थी और जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है। भारत का नहीं रह जाता।

3. वंचित करना-केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि-

I. यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गयी हो।

II. यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो।

III. यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई विरोधी सूचना दी हो।

IV. पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।

V. नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो।

यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राजपद्धति (केन्द्र एवं राज्य) को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है अर्थात् भारतीय नागरिकता। यहां राज्यों के लिए कोई पृथक

नागरिकता की नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे-अमेरिका एवं स्विटजरलैण्ड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है।

अमरीका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त है। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है।

अभ्यास प्रश्न

1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है?
  - (I) अनुच्छेद 6 से 11 तक
  - (ठ) अनुच्छेद 5 से 11 तक
  - (ब) अनुच्छेद 6 से 12 तक
  - (क) अनुच्छेद 5 से 12 तक
2. नागरिकता प्राप्ति के कितने तरीके हैं-
  - (I) 5
  - (ठ) 4
  - (ब) 7
  - (क) 3
3. नागरिकता सम्बंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अन्तर्गत किया गया है?
  - (I) भाग पांच
  - (ठ) भाग एक
  - (ब) भाग दो
  - (क) भाग तीन
4. एकल नागरिकता की व्यवस्था को किस देश ने अपनाया है?
  - (I) अमेरिका
  - (ठ) स्विटजरलैण्ड
  - (ब) यू.के.
  - (क) भारत
5. नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसे है?
  - (I) राष्ट्रपति
  - (ठ) प्रधानमंत्री
  - (ब) संसद
  - (क) लोकसभा अध्यक्ष

#### 5.4 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत आपने नागरिकता का अर्थ महत्व एवं नागरिकता की संकल्पना तथा नागरिकता के विविध पक्ष, नागरिकता के सिद्धांत और नागरिकता का ऐतिहासिक विकास आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। साथ ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में नागरिकता का अर्जन एवं समाप्ति कैसे होती है तथा भारतीय संविधान में नागरिकता के विभिन्न उपबन्धों का अध्ययन बहुत ही सार गर्भित ढंग से किया। नागरिक के कर्तव्य भावना का बोध नागरिकता से प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता दे दी जाय और उस व्यक्ति को उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अवसर न दिया एवं उसके सारे अधिकार राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार न दिये जाय तो नागरिकता का कोई मतलब नहीं होगा। अर्थात् नागरिकता हमें यह बोध कराता

है कि व्यक्ति को सभी प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में व्यक्ति को सारे अधिकार नहीं मिले थे, धनवान एवं निर्धन में भेद बरता जाता था। सभी लोग राज्य के सदस्य नहीं माने जाते थे।

लेकिन आज के लोक तंत्रीय राज्य के सभी स्थायी सदस्य वहां के नागरिक माने जाते हैं। यूनानी नगर राज्य में मात्र 10 प्रतिशत लोग ही राज्य के पूर्ण नागरिक माने जाते थे। दास, स्त्रियां और अन्य देशी को कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अरस्तू नागरिकता को शासक वर्ग का विशेषाधिकार समझता था। कुछ भी हो, प्राचीन यूनानी चिंतन में शासक वर्ग के इस विशेषाधिकार को कर्तव्य का रूप देकर इसके पालन पर बल दिया गया ताकि राजनीतिक समुदाय सब लोगों को उत्तम जीवन प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो।

यूनानी नगर राज्यों के पतन के बाद रोमन सम्राज्य के युग में नागरिकता की नई परिभाषा विकसित की गई। मध्ययुगीन यूरोप में जब राजनीतिक सत्ता पर धार्मिक सत्ता का वचस्व स्थापित हो गया तब भी नागरिकता का अस्तित्व मिट सा गया। 16वीं शताब्दी में पुर्नजागरण काल में नागरिकता का विचार फिर से मुखर हुआ। इस प्रकार गौरवमय क्रांति ने मानव एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा के साथ नागरिकता का विचार अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। 19वीं सदी आते-आते उदारवाद के उत्कर्ष के साथ बाजार सम्बन्धों का विकास हुआ जिसने नागरिकता की नई अवधारणा को विकसित किया। इस प्रकार 21वीं सदी में प्रत्येक देश में नागरिकता अपने पूर्ण अधिकारों के साथ प्रवेश कर चुका है।

प्रत्येक देश में व्यक्ति के अधिकारों के साथ एवं स्वतंत्रताओं में वृद्धि के साथ नागरिकता अपने पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। नागरिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता, दैनिक स्वतंत्रता, भाषण, विचार और आस्था की स्वतंत्रता, संघ बनाने और सभा करने की स्वतंत्रता, मुक्त विचरण की स्वतंत्रता, अनुबंध की स्वतंत्रता और सम्पत्ति का अधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

इस सब के बावजूद अभी भी समाज में जो भी वर्ग घोर दरिद्रता और तरह-तरह की विवशता के कारण अमानवीय जीवन जी रहे हैं जिनके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं रह गई है और जिनके उद्धार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन उपेक्षित वर्गों की संख्या बहुत विशाल है।

कानूनी तौर पर भारत में बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी समाप्त हो चुकी है। परंतु कहीं-कहीं अब भी यह प्रथा चली आ रही है। गांव में खेतिहर मजदूर छोटे किसान दो जून की रोटी के लिए तरसते हैं, बहुतायत में बच्चे कूड़े में से सामान चुन-चुनकर रोटी की जुगाड़ करते हैं। फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देने वाले दिहाड़ी मजदूर और भी न जाने कितनी तरह के बेवस लाचार बीमार लोग कानून की दृष्टि से इस देश के माननीय नागरिक हैं। परन्तु यथार्थ जीवन में मनुष्य भी नहीं हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कानूनी जामा पहना देने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि देश के बेबस लाचार लोगों को इंसानों की तरह जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान नहीं की जाती तब तक देश में पूर्ण नागरिकता के विकास पर गर्व करना व्यर्थ ही नहीं, भ्रामक भी होगा।

## 5.5 शब्दावली

1. अधिनियम- कानून
2. उपबंध- नियम, जो नागरिकों के लिए बनाये गये हैं।

- 
3. संसद- राज्य सभा ,लोकसभा , राष्ट्रपति तीनों के संयुक्त नाम को संसद कहते है।
  4. अर्जन- प्राप्त करना।
  5. उपाश्रितवर्ग-निम्न श्रेणी का व्यक्ति
  - 5.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
  1. ठ 2.। 3. ब् 4. क 5.ण्
- 

### 5.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

---

1. गावा, ओ.पी. (2004) राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा, शिवानी प्रकाशन दिल्ली।
  2. शमार्, डॉ. प्रभुदत्त (2000) पाश्चात् राजनीतिक विचारों का इतिहास, कालेज बुक डिपो, जयपुर
  3. लक्ष्मीकांत, एम. (2013) भारत की राजव्यवस्था टाटा मैग्रा प्रकाशन, नई दिल्ली
  4. शर्मा, ब्रज किशोर (2009) भारत का संविधान एक परिचय पी.एच. आई. लार्निंग, नई दिल्ली।
  5. बसु, डी.डी. (2000) भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली।
- 

### 5.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. बेयर एक्ट, भारत का संविधान
  2. जैन, डॉ. पुखराज (2011) पाश्चात् राजनीति चिन्तन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
  3. सिंह, डॉ. वीरकेश्वरप्रसाद (2006) विश्व के प्रमुख संविधान, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली।
- 

### 5.9 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. नागरिकता का अर्थ बताते हुए इसके ऐतिहासिक विकास पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत कीजिए?
2. भारतीय नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति की विधियों का वर्णन कीजिए?

---

**इकाई -6 : मूल अधिकार और मूल कर्तव्य**

---

## इकाई की संरचना

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 मौलिक अधिकार
  - 6.3.1 मूल अधिकारों का वर्गीकरण
  - 6.3.2 समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18
  - 6.3.3 स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22
  - 6.3.4 शोषण के विरुद्ध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24
  - 6.3.5 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 28 से 25
  - 6.3.6 सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार : अनुच्छेद 30 से 29
  - 6.3.7 सांविधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32
- 6.4 मूल कर्तव्य
- 6.5 सारांश
- 6.6 शब्दावली
- 6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 6.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 6.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 6.10 निबन्धात्मक प्रश्न

---

### 6.1 प्रस्तावना

---

पिछले इकाई में हमने भारतीय संविधान की विशेषता का अध्ययन किया है। अध्ययन के क्रम में मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया यह जानकारी प्राप्त हो सकी कि कितने मौलिक अधिकार है और कितने मौलिक कर्तव्य।

इस इकाई 6 में हम छः मौलिक अधिकार का क्रमशः विस्तृत अध्ययन करेंगे तथा मूल कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों की व्यवस्था करने के पीछे संविधान निर्माताओं की धारणा थी कि स्वतन्त्र देश के नागरिक के रूप में भारतवासी अपना जीवन यापन कर सकें।

इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाना भी मूल अधिकार है। इसी लिए डॉ० अम्बेटकर इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है।

---

### 3.1 उद्देश्य

---

इस इकाई का अध्ययन करने से हम जान सकेंगे कि -

1. मौलिक अधिकार कितने है।
2. ये हमारे लिए मूलभूत है और क्यों है।
3. साथ ही यह भी जान सकेंगे कि किन परिस्थितियों में मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाये जा सकते है।
4. यह जान सकेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है और इसे क्यों अपनाया गया और कहाँ से अनुसरण किया गया।

### 6.3 मौलिक अधिकार

“ अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता”।

मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार है ये राज्य के लिए नकारात्मक आदेश है अर्थात राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाते है मौलिक अधिकारों के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों को नागरिक अधिकार के रूप में विश्व में सर्व प्रथम ब्रिटेन में दिया गया। इसे सन् 1215 में वहाँ के सम्राट सर जान द्वितीय ने दिया जिसे डंडं बंतजं (मैग्नाकार्टा) कहा जाता है भारत ने भी अपने मौलिक अधिकार को भारत का मैग्नाकार्टा बताया।

1689 में सम्राट ने कुछ और अधिकार प्रदान किया जिसे वहाँ का विल ऑफ राइट्स कहा गया। अमेरिका ने भी अपने मौलिक अधिकार को अमेरिका का विल ऑफ राइट्स कहा।

चूँकि मौलिक अधिकार लिखित संविधान के अंग होते है और ब्रिटेन में अलिखित संविधान होने के कारण मौलिक अधिकार उस रूप में नहीं है जैसे भारत व अमेरिका को माना जाता है।

विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का बना लेकिन अमेरिका के मूल संविधान में भी मौलिक अधिकारों का समावेश नहीं था संविधान लागू होने के दो वर्ष बाद 1719 में प्रथम दस संविधान संसोधन के द्वारा अमेरिका में मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया। अमेरिका में मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार के रूप में परिभाषित है। प्राकृतिक अधिकार के अन्तर्गत वे सभी अधिकार आ जाते है जो कि व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ये असीमित है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय प्राकृतिक या नौसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को अपनाकर मौलिक अधिकारों को घटा-बढ़ा सकता है। इसलिए अमेरिका की न्यायपालिका विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के नाम से जानी जाती है।

भारतीय संविधान के अनु0 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का व्यापक विश्लेषण व विवेचन किया गया है। अनु 12 व 13 में मौलिक अधिकार की प्रकृति बतायी गयी है। अनु0 33 व 34 में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति संसद को प्रदान की गयी है। अनु0 35 के अन्तर्गत मौलिक अधिकार सम्बन्धी अनुच्छेदों को क्रियान्वित कराने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है। इस प्रकार अनु0 14 से लेकर अनु0 32 तक द्वारा जिसमें अनु0 31 को छोड़कर और 21(क) को जोड़कर अर्थात कुल 19 अनुच्छेदों के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्रदान किया गया है लेकिन अनु0 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशियों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कृत्रिम अधिकार के रूप में परिभाषित है अतः ये सीमित है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर व्यक्ति अन्य किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता और न्यायपालिका केवल उन्हीं मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है जो कि संविधान ने उन्हें प्रदान किया है।

मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते है। मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में उच्च एवं उच्चतम् न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। मौलिक

अधिकारों के द्वारा भारत में राजनितिक लोकतन्त्र की स्थापना होती है। मौलिक अधिकार न तो निरंकुश है और न असीमित प्रत्येक अधिकारों पर विभिन्न आधारों पर युक्त-युक्त निर्बन्धन लगाया गया है। मौलिक अधिकारों को आपातकाल में राष्ट्रपति निलम्बित कर सकता है, और संसद कानून बनाकर उसे स्थगित कर सकती है।

मूल संविधान में कुल सात मौलिक अधिकारों का समावेश था लेकिन 44 वें संविधान संसोधन अधिनियम के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनु0 300 (क) में रखा गया है और कहा गया है कि संसद विधि बनाकर नागरिक को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर सकती है लेकिन इसके लिए सरकार को उचित मुआवजा देना होगा।

### 6.3.1 मूल अधिकारों का वर्गीकरण

वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार ही हैं जो कि निम्नलिखित हैं:-

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1.समानता का अधिकार              | अनु0 14 - 18 |
| 2.स्वतन्त्रता का अधिकार         | अनु0 19-22   |
| 3.शोषण के विरुद्ध अधिकार        | अनु0 23- 24  |
| 4.धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार | अनु0 25-28   |
| 5.संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार | अनु0 29-30   |
| 6.संवैधानिक उपचारों का अधिकार   | अनु0 32      |

मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य राज्य और व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

अनु0 12 इस अनु0 में राज्य शब्द की परिभाषा की गयी है इसमें कहा गया है कि यहाँ राज्य के अन्तर्गत भारत सरकार संघ विधानमण्डल राज्यों की सरकारों राज्यों के विधानमण्डल तथा भारत राज्य क्षेत्र में भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्रधिकारी (शक्ति वैधता) शामिल है। यहाँ स्थानीय के अन्तर्गत नगर निगम नगर पालिका जिला बोर्ड पंचायती राज्य व जिलापरिषद आदि आता है तथा प्राधिकारी के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय रेलवे बैंक आदि सभी शामिल है।

कौन राज्य के अन्तर्गत आता है और कौन नहीं आता इसे न्यायपालिका तय करता है जब कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जाता है तो न्यायालय देखता है कि उसे राज्य माना जाए या न माना जाए। न्यायपालिका ने वर्तमान में वैष्णो देवी के मंदिर और अमरनाथ की गुफा को भी राज्य की संज्ञा प्रदान किया है।

उपर्युक्त सभी के विरुद्ध व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्राप्त है।

अनु0 13 इससे मौलिक अधिकार के प्रकृति और स्वरूप की विवेचना की गयी है। इसमें निम्न प्रावधान है।

अनु0 13 (1) संविधान लागू होने के पूर्व में बनायी गयी विधियाँ यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण करती है तो वे उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी।

अनु0 13 (2) संविधान लागू होने के बाद भी राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण करती हो यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाएगा तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी।

अनु0 13 (3) यहाँ विधि शब्द के अन्तर्गत कानून उपकानून नियम उपनियम आदेश अध्यादेश संविदा, समझौता सन्धि करार आदि सभी शामिल है।

इस अनु0 में निम्नलिखित दो सिद्धान्त है:-

#### 1. पृथक्करण का सिद्धान्त

इसका अर्थ यह है कि यदि किसी कानून का कोई भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तो केवल वही भाग शून्य घोषित होगा पूरा कानून नहीं लेकिन उस भाग के निकाल देने से पूरे कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाता तो पूरा कानून ही शून्य घोषित हो जाएगा।

#### 2. आच्छादन का सिद्धान्त

यदि पूर्व में बनायी गयी विधियों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण करती है तो वे नष्ट नहीं हो जाती बल्कि उन पर मौलिक अधिकारों की छाया आ जाती है यदि संसोधन करके उल्लंघन सक वाली विधियां ठीक कर ली जाएं तो वे पुनः जीवित हो जाती है। इसे चन्द्र ग्रहण का सिद्धान्त भी कहते है।

अनु0 13 के अन्तर्गत नयायपालिका को मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है।

### 6.3.2 समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18

समानता फ्रांसीसी क्रान्ति को देन है। भारतीय संविधान के अनु0 14 से 18 तक में समानता के विभिन्न रूपों कानूनी समानता सामाजिक समानता अवसर की समानता आदि का उल्लेख है।

अनु0 14 भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।

इसमें निम्नलिखित दो बातें है

1. विधि के समक्ष समता यह ब्रिटिश संविधान से गृहित है यह कानूनी समानता का नकारात्मक दृष्टिकोण है इससे निम्न 3 अर्थ निकलता है।

1. देश में कानून का राज्य

2. देश में सभी व्यक्ति चाहे वे जिस जाति धर्म व भाषा के हों सभी एक सामान्य कानून के अधीन है।

3. कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है।

2. विधियों के समान संरक्षण यह अमेरिकी संविधान से गृहीत है। इसका अर्थ यह है कि समय परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा क्योंकि समानता का अर्थ सबकी समानता न होकर समानों में समानता है। अर्थात् एक ही प्रकार के योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के साथ जाति, धर्म भाषा व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए।

भारतीय संविधान विधायिन वर्गीकरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है जो कि अनु0 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

विधायिनी वर्गीकरण का अर्थ है यदि एक व्यक्ति भी अपनी आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार अन्य से भिन्न है तो उसे एक वर्ग माना जाएगा और समानता का सिद्धान्त उस पर अकेले लागू होगा लेकिन इसका आधार वैज्ञानिक तर्कसंगत और युक्त होना चाहिए।

1. इसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त निहित है।
2. यह भारतीय संविधान का मूल ढांचा है।
3. इसमें विधि के शासन का उल्लेख है।
4. इसमें सर्वग्राही समानता का सिद्धान्त पाया जाता है।

अनु0 15 इसमें सामाजिक समानता का उल्लेख है इसमें निम्न प्रावधान है।

15(1) भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म मूलवंश जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

15 (2) एक नागरिक दूसरे के साथ धर्म मूल वंश, जाति लिंग व जन्म स्थान के आधार पर दुकानों होटलों सार्वजनिक भोजनालयों व सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तथा राज्य विधि द्वारा पूर्णतः व अशतः पोषित हो नलकूपों तलाबों सड़कों व सार्वजनिक समागम के स्थानों पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा।

अपवाद इसका अर्थ अस्थायी व्यवस्था से है। यह कुछ परिस्थितियों वश दिया गया है इसके आधार पर उपर्युक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

15(3) राज्य स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है, वर्तमान में महिलाओं को दिया गया आरक्षण का आधार यही अनु0 है।

15(4) राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों को विशेष सुविधाएं दे सकता है।

वर्तमान में OBC, SC ,ST का आधार यही अनु0 है।

15(5) के प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 ( 18 June)को संविधान में जोड़ा गया ध्यान रहे कि चम्पाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा जातियों के आधार पर मेडीकल कालेज में सीटों के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया गया था उसे प्रभावहीन बनाने के लिए इसे संविधान में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 16 :इसमें अवसर की समानता का उल्लेख है भारत में एकल नागरिकता है इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनु0 में नहीं है लेकिन इसका विचार अप्रत्यक्ष रूप से इसी में निहित है। इसमें निम्न प्रावधान है

अनुच्छेद 16(1) भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने के अवसर की समानता होगी।

अनुच्छेद 16(2) भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने में अवसर की समानता से वंचित नहीं करेगा अर्थात राज्य किसी भी नागरिक को धर्म मूलवंश, जाति, लिंग जन्म, स्थान उद्भव व निवास स्थान के आधार पर अथवा इनमें से किसी एक आधार पर सरकारी पदों नियुक्ति व नियोजन पाने में अवसर की समानता से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 16 (3) राज्य निवास स्थान के आधार पर कुछ विशेष पदों पर भर्ती कर सकते है लेकिन इसके सन्दर्भ में कानून बनाने का अधिकार उस राज्य को नहीं बल्कि संसद को प्राप्त होगा और संसद इस प्रकार से कानून बनायेगी कि वह अर्हता देश भर में समान रूप से लागू रहेगी।

अनुच्छेद 16(4) यदि राज्यों की राय में सरकारी नौकरियों में सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन्हें आरक्षण दे सकता है।

वर्तमान में इसी अनु0 के द्वारा O.B.C., S.C. व S.T. को आरक्षण प्रदान किया गया है। ध्यान रहे कि आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है।

वर्गों को दिया गया आरक्षण उर्ध्वार्ध है जबकि महिलाओं को दिया गया आरक्षण क्षैतिज है। अर्थात प्रत्येक वर्ग की महिलाएँ अपने ही वर्ग में आरक्षण की हकदार होगी। ध्यान रहे कि महिलाओं को आरक्षण इस अनु0 के द्वारा नहीं दिया गया है क्योंकि प्रत्येक वर्ग की महिलाएँ पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत नहीं आती।

पिछड़े वर्ग को आरक्षण मण्डल रिपोर्ट के आधार पर 27% वी0 पी0 सिंह सरकार द्वारा 1990 में दिया गया। इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती और प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

इसे प्रभावहीन बनाने के लिए अर्थात SC व ST को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए 77 वां संविधान संसोधन अधिनियम पारित करके संविधान में अनु0 16 (4) (क) जोड़ा गया तथा आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाने के लिए 81 वां संविधान संसोधन अधिनियम लाया गया और 16 (ख) जोड़ा गया।

अनुच्छेद 16 (4क) यदि राज्यों राय में सरकारी नौकरियों SC व ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन्हें प्रोन्नति में भी आरक्षण दे सकता है।

अनुच्छेद 16 (4ख) यदि पूर्व वर्ष में आयी रिक्तियां SC व ST के उम्मीदवार से नहीं भरी जाती तो आगे उन पर 50% की आरक्षण सीमा लागू नहीं होगी।

वैकलाग का विचार इसी में निहित है। यदि अनु0 16(4ख) को अनु0 16(4) के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो वैकलाक का अधिकार OBC को भी प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 17 इसमें भी सामाजिक समानता का ही उल्लेख है इसका उद्देश्य जात-पात के भेदभाव को समाप्त करना है। छुआछूत भारत की एक बहुत बड़ी समस्या थी इस अनु0 पर गांधी जी का पूर्ण प्रभाव है।

इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है इसका प्रत्येक रूप में आचरण निषिद्ध है तथा इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा।

इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध उन्मूलन अधिनियम 1955 पारित किया। इसे 1976 में और कठोर बनाते हुए कहा गया कि इसके भेदभाव में दोषी पाए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने का भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 18 स्वतन्त्रता के पूर्व अंग्रेजों ने भारत में विभिन्न प्रकार की उपाधियां वितरित करके भारत को विषमतामूलक बनाया था अतः भारत में समानता लाने के लिए उपाधियों का अन्त करना आवश्यक था। इसमें निम्न प्रावधान है।

अनु0 18(1) राज्य अपने नागरिकों को विद्या या सेना सम्बन्धी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई उपाधि नहीं देगा।

अनु0 18(2) कोई भी नागरिक विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा।

अनु0 18(3) कोई गैर नागरिक या विदेशी जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा।

अनु0 18(4) कोई गैर नागरिक जो कि भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भेट या उपलब्धि स्वीकार नहीं करेगा।

बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनु0 18 जन्म आधारित उपाधियों का निषेध करता है लेकिन कर्म आधारित उपाधियों का नहीं भारत रत्न पद्म भूषण पद्मविभूषण व पद्मश्री आदि ऐसी उपाधियों हैं जो जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दी जाती हैं अतः अनु 18 इनका निषेध नहीं करता लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन उपाधियों का प्रयोग नाम के आगे व पीछे नहीं किया जायेगा जनता पार्टी सरकार ने 1977 में भारत रत्न आदि जैसी उपाधियों पर रोक लगा दिया लेकिन 24 जनवरी 1980 से इन्दिरा सरकार ने इसे पुनः प्रारम्भ कर दिया।

6.3.3 स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22

स्वतन्त्रता भी फ्रांसीसी क्रांति की देन है। इसका दृष्टिकोण सकारात्मक है। स्वतन्त्रता का अर्थ व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य है। भारतीय संविधान के अनु0 19 से लेकर अनु0 22 तक में स्वतन्त्रता का व्यापक विश्लेषण व विवेचन किया गया है।

अनुच्छेद 19 यह भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। यह स्वतन्त्रता केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान की गयी है। अनु0 19 में वर्णित सभी स्वतन्त्रताएँ सामाजिक है। अनु0 19 में वर्णित स्वतन्त्रता आपातकाल में अनु0 358 के अन्तर्गत स्वतः निलम्बित हो जाती है। अनु0 19(1) क से लेकर अनु0 19(1) छ तक में सात स्वतन्त्रताओं का उल्लेख था लेकिन अनु0 19(1)च में वर्णित सम्पत्ति के अर्जन धारण और व्ययन की स्वतन्त्रता को निकाल देने से वर्तमान में 6 स्वतन्त्रताएँ है। प्रत्येक स्वतन्त्रता पर अनु0 19(2) से लेकर 19 (6) तक द्वारा क्रमशः युक्त 2 निर्बंधन लगाया गया है। यह निर्बंधन क्रमशः राष्ट्र की एकता व अखण्डता भारत की सम्प्रभुता सार्वजनिक हित आदि के आधार पर लगाया गया है।

अनु0 19(1)क इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रावधान है। प्रेस की स्वतन्त्रता इसी अनु0 में निहित है। अनु0 19(2) के द्वारा निर्वन्धन है।

अनु0 19(1)ख इसमें शान्तिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतन्त्रता का प्रावधान है इसी में जलूस निकालने का अधिकार निहित है यह धार्मिक व राजनीतिक दोनों प्रकार का हो सकता है 19(3) द्वारा इस पर प्रतिबन्ध है।

अनु0 19(1)ग इसमें संगम या संघ बनाने की स्वतन्त्रता का प्रावधान है इसी में राजनीतिक दल दबाव समूह तथा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन बनाने का विचार निहित है 19(4) के द्वारा इस पर प्रतिबन्ध है।

अनु0 19(1)घ भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को अवाध भ्रमण की स्वतन्त्रता प्राप्त है अनु0 19(5) के द्वारा अनुसूचित जनजाति और सार्वजनिक हित के आधार पर प्रतिबन्ध है।

अनु0 19(1)ङ भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को कहीं आवास बनाने निवास करने व बस जाने की स्वतन्त्रता प्राप्त है 19(5) के द्वारा इस पर प्रतिबन्ध है। यह जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है।

अनु0 19(1)च निरसित

अनु0 19 (1)छ भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को कोई वृत्ति व्यापार व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। अनु0 19(6) के द्वारा सार्वजनिक हित के आधार पर इस भी प्रतिबन्ध है।

अनु0 20 इसमें अपराध की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण का प्रावधान है। इसमें निम्न तीन बातें कही गयी है।

अनु0 20(1) अपराध करते समय लागू कानून के अतिरिक्त अन्य किसी कानून से व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी अर्थात् यह कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है।

अनु0 20(2) एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोहरा दण्ड नहीं दिया जाएगा लेकिन यदि अपराध की प्रकृति भिन्न भिन्न है तो व्यक्ति को दोहरा दण्ड दिया जा सकता है अर्थात् यह दोहरे दण्ड का निषेध करता है। यह प्रावधान अमेरिका से गृहीत है।

अनु 20(3) किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाहि या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात् यह आत्म अभिसंशान का अधिकार देता है।

अनु 21 भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थानपित प्रक्रिया से ही वंचित करेगा अन्यथा नहीं।

ए0 के0 गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्वतन्त्रता कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं अर्थात् विधायिका कानून बनाकर किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता से वंचित कर सकती है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विदेश भ्रमण की स्वतन्त्रता को दैहिक स्वतन्त्रता में निहित मौलिक अधिकार मानते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को बढ़ावा दिया। उसके अनुसार जो कानून अरिजु रिजु, आयुक्त युक्त और न्याय सम्मत नहीं है वह अनु0 21 के विरुद्ध है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो स्वतन्त्रता अनु0 19 में नहीं है वह दैहिक स्वतन्त्रता में निहित है उसने प्राण शब्द की व्याख्या करमे हुए कहा कि इसका अर्थ भौतिक अस्तित्व या पशुवत अस्तित्व से नहीं है बल्कि इसका अर्थ मानवीय और गरिमापूर्ण जीवन जीना है और वे सभी बातें जो किसी व्यक्ति को ऐसा करने से रोकती है अनु0 21 के विरुद्ध है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक अनु0 21 में निहित कई मौलिक अधिकारों की घोषणा कि जिसमें से कुछ निम्न है।

1. मत देने का अधिकार
2. सूचना पाने का अधिकार
3. एकान्तता का अधिकार
4. आश्रय प्राप्त करने का अधिकार
5. चुप रहने का अधिकार
6. जीविकोपार्जन का अधिकार
7. पेशन पाने का अधिकार
8. समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार
9. स्वास्थ्य का अधिकार
10. स्वच्छ जल पाने का अधिकार
11. पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा का अधिकार
12. प्राथमिक शिक्षा का अधिकार

उपर्युक्त मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा घोषित है इनका दावा तब तक नहीं कर सकते जब तक ये हमें संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं मिलते वैसे इन्हें हम वैधानिक अधिकार की संज्ञा दे सकते हैं।

46 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया।

21(क) राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा।

86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों के अध्याय में एक अन्य खण्ड जोड़ा गया है, क्योंकि एक नवीन अनुच्छेद 21 क जोड़कर 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है।

6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

वस्तुतः संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में अनेक उपबन्धों के माध्यम से इनके हनन होने पर संरक्षण की व्यवस्था की गयी है लेकिन मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर किसी दण्ड की व्यवस्था नहीं है यद्यपि अनुच्छेद 54 क राज्य पर अभिव्यक्त रूप से कोई मूल कर्तव्य आरोपित नहीं करता है तथापि भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य राज्य का सामूहिक कर्तव्य है।

रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद को अनु0 14 व 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय ने समान करर्स के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को मौलिक अधिकार घोषित किया।

अनुच्छेद 22 इसमें बन्दी बनाए जाने के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें निम्न प्रावधान है।

अनु0 22(1) बन्दी बनाए जाने वाले व्यक्ति को बन्दी बनाए जाने के कारणों से तत्काल अवगत कराना होगा।

अनु0 22(2) बन्दी बनाए गए व्यक्ति 24 घण्टे के अन्दर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष अपस्थित करना होगा और बन्दी बनाए जाने का कारण बताना होगा। इसी में कहा गया है कि बन्दी बनाए गए व्यक्ति को अपने रुचि या मनपसन्द के वकील से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

अनु0 22(3) निम्नलिखित दो प्रकार से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर उपर्युक्त नियम लागू नहीं होता

क .निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति

ख. शत्रु देश के व्यक्ति पर

(क) निवारक निरोध किसी घटना के घटित होने के पूर्व ऐसी कार्यवाही करना जिससे वह घटना घटित न होने पाए निवारक निरोध कहलाता है। इसके अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर निम्न नियम लागू होता है।

(1) उसे तीन महीने तक बिना कोई कारण बताए जेल में निरूद्ध रखा जा सकता है

(2) तीन महीने बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसके समकक्ष व्यक्ति की अध्यक्षता में बने एक तीन सदस्यीय परामर्श दायी बोर्ड के समक्ष उपस्थित करना होगा।

(3) पूछे तांछ के दौरान यदि उसे बोर्ड निदर्ष पाता है तो रिहा करने का आदेश देगा और यदि दोषी पाता है तो उसे जेल में रखकर मुकदमा चलाया जाएगा। अब उस व्यक्ति को भी अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार प्राप्त होगा और उसे बचाव के लिए न्यायालय में अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा और अपने बचाव के लिए वकील से परामर्श भी ले सकता है।

#### 6.3.4 शोषण के विरुद्ध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24

संविधान की प्रस्तावना में वर्णित व्यक्ति की गरिमा को बहाल करने के लिए तथा भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए अनु0 23 व 24 को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया यह सरकारी व प्रावेट दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है।

अनु 23(1) मनुष्यों के क्रय विक्रय विशेषकर स्त्रियों व बच्चों के विक्रय पर रोक लगाया जाता है तथा बेगार व बालत् श्रम को निःषिद्ध घोषित किया जाता है।

अनु0 23 (2) राज्य राष्ट्रीय हित में बल पूर्वक कार्य ले सकता है जैसे अनिवार्य सेना में भर्ती का अभियान।

अनु0 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों या परिसंकटमय परियोजनाओं में नहीं लगाया जाएगा।

#### 6.3.5 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 28 से 25

भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है लेकिन इसकी परिभाषा संविधान के किसी भी अनु0 में नहीं दी गयी है। भारतीय संविधान के अनु0 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकारों को व्यापक प्रावधान है यह अधिकार अल्प संख्यक व बहुसंख्यक दोनों को ही प्राप्त है। स्वास्थ्य नैतिकता व सुव्यवस्था के आधार पर भी युक्त निर्बन्धन लगाया गया है।

अनुच्छेद 25(1) भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अन्तः करण की स्वतन्त्रता तथा किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने व प्रचार करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है।

अनुच्छेद 25(2) लौकिक राजनैतिक आर्थिक व वित्तीय आधारों पर उपर्युक्त स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है हिन्दू मन्दिरों को उसके सभी वर्गों के लिए सेवा लेने का आदेश दिया जा सकता है। इसमें सिक्ख धर्म के लोग भी शामिल है जैन धर्म व बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग है। मन्दिरों मस्जिदों गिरिजाघरों आदि में लगने वाले लाउडस्पीकरों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। मन्दिरों में आने वाले चढ़ावे का उसके कर्मचारी बिन्दो के बीच वितरण पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। कृपाण धारण करना सिक्ख धर्म का अंग है।

अनुच्छेद 26 इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। धार्मिक कार्यों की पूर्ति या प्रयोजन हेतु किसी भी संस्था की स्थापना करने या पोषण करने का अधिकार प्राप्त है। जगम(चल) व स्थावर(अचल) सम्पत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है। ऐसा प्रशासन विधि के अनुसार होगा।

अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों हेतु किसी व्यक्ति को कर देने या न देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 28 राज्य निधि द्वारा पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी लेकिन ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिनका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन जो किसी ऐसे धर्मस्व या ट्रस्ट के अधीन स्थापित है जिनका उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना है लेकिन ऐसी संस्थाओं के प्रार्थना सभाओं में किसी व्यक्ति को शामिल होने या न होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि व अवयस्क है तो अभिभावक की सहमति से शामिल हो सकता है।

### 6.3.6 सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार : अनुच्छेद 30 से 29

यह बहुसंख्यकों की हिंसा से अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए संविधान निर्माताओं ने संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यक की कोई व्याख्या नहीं की गयी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी धार्मिक एवं भाषायी आधार पर अल्पसंख्यक को स्वीकार करते हुए उसकी अस्पष्ट परिभाषा से इन्कार कर दिया। उसके बारे में एक सर्वमान्य मान्यता है कि ऐसे वर्ग पर वर्गों का समूह जिसकी जनसंख्या भारत राज्य क्षेत्र के कुल जनसंख्या से 50% कम है अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत आते हैं जम्मू कश्मीर इस परिभाषा में शामिल नहीं है वहाँ हिन्दू अल्प संख्यक है। भारतीय संविधान के अनु0 29 व 30 में इसका वर्णन है।

अनुच्छेद 29(1) भारत राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों की जो भाषा संस्कृति या लिपि है उसे उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 29(2) धर्म मूल वंश भाषा व जाति के आधार पर किसी नागरिक को किसी संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30(1) भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में या भाग के अनुभाग में प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को अपने रूचि व मनपसन्द की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने या पोषण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 30(2) राज्य किसी संस्था को सरकारी सहायता देते समय इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी कि यह संस्था अल्पसंख्यक वर्ग के हित में है।

### 6.3.7 सांविधानिक उपचारों का अधिकार: अनुच्छेद 32

यह स्वयं एक मौलिक अधिकार होते हुए अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। डॉ० अम्बेटकर ने इस पर प्रकाश डालते हुए संविधान निर्मात्री सभा में कहा यदि कोई मुझसे पूछे कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसे निकाल देने पर संविधान शून्य प्राय हो जाएगा तो मैं इस अनुच्छेद के सिवाय अन्य किसी का नाम नहीं लूँगा।

डॉ० अम्बेटकर ने अनु0 32 को संविधान का हृदय व आत्मा बताया। अनु0 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षक है और अनु0 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय संविधान का अभिभावक है।

अनुच्छेद 32 (1) व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

अनुच्छेद 32(2) इसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के आदेश निर्देश रिटें या प्रलेख जारी कर सकता है। इसी के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। अनु0 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय उसी प्रकार की रिटें जारी करके संविधान का अविभाक बन जाता है।

जहाँ अनु0 26 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिटें जारी कर सकता है अर्थात् उसे विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त है। वहीं पर अनु0 32 (2) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही रिटें जारी कर सकता है। अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए वह रिटें लब जारी करता है जब 139(क) के अन्तर्गत संसद विधि बनाकर उसको ऐसा करने का अधिकार दे।

मूल संविधान में इस बात का प्रावधान था कि जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है केवल उसी व्यक्ति के न्यायालय जाने पर न्यायालय रिटें जारी करेगा लेकिन अब जनहितवाद के सिद्धान्त के आ जाने पर ऐसा नहीं रहा।

जनहित वाद या लोकहित वाद ;

जनहित वाद का सिद्धान्त भारत ने अमेरिका से लिया है पिपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1978) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में बैठी संविधान पीठ ने सन् 1980 में एक निर्णय दिया जिसे जनहित वाद के नाम से जाना गया। इसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण हुआ है और वह व्यक्ति न्यायालय जाने में समक्ष नहीं है, तो यदि उसका कोई मित्र या रिश्तेदार या शुभ चिन्तक एक पत्र के माध्यम से भी न्यायालय को सूचित करे तो न्यायालय उस पत्र को उसी प्रकार से स्वीकार्य करेगा जैसे रिटपिटीशन स्वीकार की जाती है। बशर्त यह पत्र राजनीतिक भेदभाव और पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो अन्यथा वह व्यक्ति दण्ड का भागीदार भी होगा।

इस सिद्धान्त के आ जाने से न्यायपालिका ने कार्यपालिका व विधायिका के तमाम कार्यों को अवैध घोषित किया जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध थे इस लिए कुछ लोगों ने कहना प्रारम्भ किया कि न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता की ओर बढ़ रही है। न्यायिक सक्रियता का संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है, यह न्यायिक पुनरावलोकन का विस्तारित रूप है। न्यायिक सक्रियता का आधार जनहित वाद है।

अनु0 32(2) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय निम्न 5 रिटें जारी करता है ---

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण 2. परमादेश 3. प्रतिषेध 4. उत्प्रेषण 5. अधिकारपृच्छा

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण(Habeas corpus(सशरीर प्राप्त करना ) )-किसी बन्दी व्यक्ति के न्यायलय के समक्ष लाकर उसके गिरफ्तारी का कारण जानना ,यदि कारण वैध नहीं है तो उसे मुक्त करना | यह रीत निवारक नजर्बदियों पर लागू नहीं होती है
- परमादेश (Mandamus(हम आग्या देते है ))-व्यक्ति अथवा संस्था को कर्तव्य पालन के आदेश दिए जाते है (यह आदेश राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं )

- प्रतिषेध (Prohibition-मना करना )-उच्चतम तथा उच्चा न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है जिसका उद्देश्य अधीन न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना है
- उत्प्रेषण (Certiorari- और अधिक सूचित होना )- तथा उच्चा न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है ,जिसमें अधीनस्थ न्यायालय से वहाँ चल रहे वाद से सम्बंधित कागजात मांगे जाते हैं |प्रतिषेध रोग के रूप में ,उत्प्रेषण उपचार के रूप में
- अधिकार पृच्छा –(Quo-warranto)- इस लेख द्वारा न्यायालय किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले को वह कार्य करने से रोकता है ,जिसके वह कानूनी रूप से योग्य नहीं है

यहाँ हम यह भी सपष्ट करना चाहते हैं कि अनु0 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय ऐसी जारी कर सकता है |

### अनुच्छेद 33

संसद विधि बनाकर सशस्त्र बलों (अर्द्धसैनिक बल) सेना बलों व पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है ऐसा इसलिए कि उसमें परस्पर अनुशासन बना रहे जिससे वे अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

### अनुच्छेद 34

भारत राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में ऐसा विधि (मार्शल ला) लागू है तो संसद कानून बनाकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है।

### अनुच्छेद 35

मौलिक अधिकार सम्बन्धी अनुच्छेदों को क्रियान्वित कराने के लिए संसद विधि बना सकती है इसी अनु0 के अन्तर्गत अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जैसे कानून बने।

## 6.4 मूल कर्तव्य

यदि किसी सभ्य समाज के प्रमुख लक्षणों में एक है उसके नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार ,जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक है तो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है उसके नागरिकों के कर्तव्य | क्योंकि सभी के अधिकारों की पूर्ति तभी हो सकती है जब सभी अपने कर्तव्यों के अनुपालन के प्रति भी संवेदनशील हों |

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर लगाया गया प्रतिबन्ध ही मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाता है और जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे मौलिक कर्तव्यों सम्बन्धी शपथ लेनी पड़ती है। समाजवादी देश कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं जबकि उदारवादी देश अधिकारों पर अधिक बल देते हैं।

मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। 42 वें अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 4 (क) और अनु0 51(क) जोड़ा गया और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखे गये ये मौलिक कर्तव्य सम्बन्धी निर्णय स्वर्ण

सिंह समिति की अध्यक्षता में लिए गए थे। ये पूर्व सोवियत संघ से लिए गये हैं। 86 वें अधिनियम द्वारा 2002 एक और मौलिक कर्तव्य जुड़ जाने से अब इनकी संख्या 11 हो गयी है।

मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है अर्थात् न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते इसके बाबजूद व्यक्ति के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है इसका उल्लंघन होने पर संसद कानून बनाकर दण्ड निर्धारित कर सकती है।

नयी राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता 2002 के द्वारा यह नियम निर्धारित कर दिया गया है कि 15 अगस्त व 26 जनवरी के अलावा अन्य दिवस पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है लेकिन वह जमीन और पानी से छुता हुआ नहीं लगना चाहिए।

अनु 51(क) में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की प्रभुता एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसके अक्षुण्ण रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत बन झील नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उसका सबर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नयी ऊचाइयों को छू ले।
11. यदि माता पिता या संरक्षक है छह वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

अभ्यास प्रश्न

1. मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी ?

- 2.वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है ?
- 3.अनुच्छेद ३००(क) किसका प्रावधान करता है ?
- 4.मूल कर्तव्यों का संविधान में प्रावधान किसकी सिफारिस से किया गया है ?
- 5.मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है ?

## 6.5 सारांश

इस इकाई के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। और ये प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से अधिकारों की रक्षा जा सकती है।

किन्तु ये अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकारों के विवेचन के साथ ही यह स्पष्ट किया है कि किन परिस्थितियों में इन पर प्रतिबन्ध आरोपित किया जा सकता है। जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार, राष्ट्र की प्रभुसत्ता एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है।

चूँकि किसी का अधिकार अन्य का कर्तव्य होता है अर्थात् अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के पहलु है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का उपबन्ध करके सन्तुलन बनाने की कोशिश की गई है।

## 6.6 शब्दावली

मौलिक अधिकार - वे अधिकार जो व्यक्तित्व के विकास में मूलभूत होते हैं। जिनके बिना विकास नहीं हो सकता।

निवारक निरोध - भविष्य में अपराध करने की आशंका से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जिससे अपराध को रोका जा सके निवारक निरोध कहलाता है।

## 6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 7, 2. 6, 3.संपत्ति का कानूनी अधिकार, 4.स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिस के आधार पर, 5. 11

## 6.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लक्ष्मीकांत, एम. (2013) भारत की राजव्यवस्था टाटा मैग्रा प्रकाशन, नई दिल्ली
2. शर्मा, ब्रज किशोर (2009) भारत का संविधान एक परिचय पी.एच. आई. लार्निंग, नई दिल्ली।
3. बसु, डी.डी. (2000) भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली।

---

### 6.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. बेयर एक्ट, भारत का संविधान
2. जैन, डॉ. पुखराज (2011) पाश्चात राजनीति चिन्तन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
3. सिंह, डॉ. वीरकेश्वरप्रसाद (2006) विश्व के प्रमुख संविधान, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली।

---

### 6.10 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं ? स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिये |
2. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की विवेचना कीजिये |

---

## इकाई .7 : राज्य के नीति निर्देशक तत्व

---

### इकाई की संरचना

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 नीति निर्देशक तत्व
  - 7.3.1 मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अन्तर
  - 7.3.2 मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व
- 7.4 सारांश
- 7.5 शब्दावली
- 7.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 7.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 7.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 7.9 निबन्धात्मकप्रश्न

## 7.1 प्रस्तावना

इसके पूर्व की इकाई 6 के अध्ययन के उपरान्त हम जान सके हैं कि मौलिक अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। और ये प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

किन्तु ये अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकारों के विवेचन के साथ ही यह स्पष्ट किया है कि किन परिस्थितियों में इन पर प्रतिबन्ध आरोपित किया जा सकता है। जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार, राष्ट्र की प्रभुसत्ता एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है।

चूँकि किसी का अधिकार अन्य का कर्तव्य होता है अर्थात् अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के पहलु है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का उपबन्ध करके सन्तुलन बनाने की कोशिश की गई है।

इस इकाई 7 में हम संविधान के भाग 4 में उपबंधित राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से इन निदेशक तत्वों के माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया है। यद्यपि ये निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। लेकिन हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि देश में संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है जिसमें सरकार की जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है। ऐसी स्थिति में इन निदेशक तत्वों कि अनदेखी कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। इन्हीं पक्षों का हम अध्ययन हम इकाई के अंतर्गत करेंगे।

## 7.2 उद्देश्य: -

1. इस इकाई के अध्ययन से हम जान सकेगें कि नीति निदेशक तत्वों को क्यों संविधान में उपबन्ध किया।
2. इसके अध्ययन से हम जान सकेगें कि किन निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन हुआ उसके परिणाम क्या रहें
3. इसके अध्ययन से हम जान सकेगें कि इसमें कल्याणकारी राज्य की अभिव्यक्ति होती है।
4. हम जान सकेगें कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में क्या सम्बन्ध है।

### 7.3 नीति निर्देशक तत्व

राज्य की नीतियां क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए इसी को बताने वाले दूसरे तत्व का नाम नीति निर्देशक तत्व है अर्थात् नीति निर्देशक तत्व के आदर्श है जिनके आधार पर राज्य अपनी नीतियां तय करते है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है।

संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा के रूप में देखा था मौलिक अधिकारों का उद्देश्य एक स्वतन्त्र एवं समता मूलक समाज की स्थापना करना है जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में मौलिक परिवर्तन लाना है तथा ऐसी वाह्य परिस्थितियों का सृजन कर सके। मौलिक अधिकार एक साधन है और नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य।

भारतीय संविधान के भाग-4 में अनु036 से लेकर अनु0 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का व्यापक प्रावधान किया गया है। अनु0 36 व 37 नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति बताते है। अनु0 38 से लेकर अनु0 51 तक में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है अर्थात् मूल संविधान में इसका उल्लेख कुल 14 अनु0 में था। 42 वें अधिनियम द्वारा अनु0 39(क) अनु 43 (क) और 48 (क) जुड़ जाने से अब कुल 17 अनुच्छेद हो गया है। संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों अर्थात् सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय को इसके द्वारा प्रत्यक्ष एवं साकार रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। अर्थात् ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। इसे लागू करना देश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों पर निर्भर है जैसे देश में भौतिक संसाधन बढ़ते जाएंगे राज्य उसे अपनी नीति का हिस्सा बनाता जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

संविधान निमात्री सभा में नीति निर्देशक तत्व पर बहस के दौरान इसकी आलोचना करते हुए कुछ लोगों ने इसे धार्मिक उपदेश या नैतिक शिक्षा बताया। T. कृष्णमाचारी ने इसे सच्ची भावनाओं का कूड़ादान बताया K.T. शाह के अनुसार नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की भाँति है जिसका भुक्तान बैंक की सुविधा पर निर्भर है।

डॉ० अम्बेडकर ने उपर्युक्त आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि भले नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति जनमत की है। और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अपनी अधिकाधिक नीतियों इन्हीं तत्वों के आधार पर बनाय संविधान लागू होने से लेकर आज तक सरकार ने इसे हर सम्भव से लागू कराने का प्रयास किया है इसके बावजूद अधिकांश नीति निर्देशक तत्व की उपेक्षा हुई है।

नोट - नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक आदेश है जो कि राज्य को कुछ कार्य करने का आदेश देते है।

अनुच्छेद 36 इसमें राज्य शब्द की परिभाषा की गयी है और कहा गया है कि यहाँ राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।

अनुच्छेद 37 यद्यपि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है इसके बावजूद वे देश के शासन में मूलभूत है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी अधिकाधिक नीतियाँ इन्ही तत्वों के आधार पर बनाए।

उपर्युक्त बातों से निम्न 2 अर्थ निकलता है-

1. ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते।

2. यहां कर्तव्य इच्छा का नहीं बल्कि अनिवार्यता का प्रतीक है।

अनुच्छेद 38 इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है इसमें लोककल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। इसमें निम्न प्रावधान है।

अनुच्छेद 38 (1) राज्य लोककल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें देश के सभी नागरिकों के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके।

अनुच्छेद 38(2) राज्य सामान्यतः आय की असमानता को कम करने विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए वर्गों व समूहों के बीच प्रतिष्ठा सुविधाओं व अवसर की असमानता को भी कम करने का प्रयास करेगी।

इसे 44 वें अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य भारत में समाजवाद लाना है इस पर जय प्रकाश नारायण का पूर्ण प्रभाव है।

अनुच्छेद 39 इसके द्वारा भारत में आर्थिक लोकतन्त्र है कि राज्य अपनी आर्थिक नीतियों का निर्धारण निम्न प्रकार से करेगा।

अनुच्छेद 39(a) पुरुषों और स्त्रियों अर्थात् सभी कर्मकारों को अपनी जीविका प्राप्त करने का पर्याप्त साधन मिल सके।

अनुच्छेद 39(b) देश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार से बंटाना चाहिए कि वह समुदाय के पर्याप्त हित का साधन बन सके।

अनुच्छेद 39(c) देश की आर्थिक नीतियों का संचालन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका एक स्थान पर अहितकारी संकेन्द्र न होने पाए।

अनुच्छेद 39(d) 39 (2) व 39(3) के अन्तर्गत भारत में बैंको का राष्ट्रीकरण जमींदार उन्मूलन और प्रिंस परसेस को समाप्त किया गया।

अनुच्छेद 39(e) इसमें सभी कर्मकारों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है लेकिन यदि कार्य की प्रकृति भिन्न है तो वेतन में असमानता हो सकती है।

अनुच्छेद 39(f) कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा सुकुमार बालकों की अवस्था का दुरुपयोग न होने पाए तथा राज्य कोई ऐसी परिस्थिति न पैदा करे जिससे विवश होकर उन्हें किसी ऐसे रोजगार में जाना पड़े जो कि उनके आयु एवं शक्ति दोनों के विपरीत हो।

अनुच्छेद 39(g) सुकुमार बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमामय वातावरण का सृजन किया जाए तथा सुकुमार बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की आर्थिक एवं नैतिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 39(7.1) इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। दूसरे शब्दों में राज्य का विधिक तन्त्र इस प्रकार से कार्य करेगा कि देश के सभी नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके। किसी को भी आर्थिक अयोग्यता या अन्य कारण से इससे वंचित न होना पड़े।

अनुच्छेद 40 राज्य पंचायतों का संगठन करेगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार देगा जिसमें वे एक स्वायत्त शासन की इकाई की दिशा में विकसित हो सके।

इस पर गांधी जी का पूर्ण प्रभाव है इसे 73 वें व 74 वें अधिनियम के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दिया गया लेकिन अभी भी पंचायतें स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित नहीं हो सकीं हैं वे

आर्थिक रूप से विपन्न हैं पंचायतें भी राज नीति का अखाड़ा बनती जा रहीं हैं अज्ञानता और अशिक्षा पंचायती राज के विकास में बाधक है।

अनुच्छेद 41 राज्य विकास एवं क्षमता की सीमा भीतर कुछ मामलों में काम पाने शिक्षा पाने बेकारी अंगहानि तथा इसी प्रकार की अन्य अयोग्यता होने पर राज्य उसे दूर करने का प्रयास करेगा।

इसे क्रियान्वित करने के लिए भारत में डवा आगनबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान आपरेशन बोर्ड योजना राष्ट्रीय एड्स नीति विकलांगों को छात्रवृत्ति एवं रिक्शा तथा वृद्धावस्था पेंशन जैसे कार्यक्रम चलाए।

अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत तथा मान्योचित दशा में सुधारने का प्रयत्न करेगा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करायेगा।

अनुच्छेद 43 राज्य उद्योगों में लगे हुए कर्मचारियों के उचित वेतन शिष्ट जीवन स्तर काम के घन्टे आदि को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा तथा इसी में कहा गया है। राज्य ग्रामीण कुटीर उद्योगों को सहकारी एवं व्यक्ति प्रोत्साहन भी देगा।

अनुच्छेद 43 (क) उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने व्यवस्था का प्रावधान। इसे 42 वें अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 44 इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता होनी चाहिए। धर्म निरपेक्षता को व्यवहारिक रूप देने के लिए इसे संविधान में शामिल किया गया है लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। हिन्दूओं के लिए हिन्दू विवाह उत्तराधिकार अधिनियम व दहेज निषेध जैसे कानून बने हैं लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है सहबानों के केस में न्यायालय ने इसे लागू कराने की बात कही थी राजीव गांधी ने 1986 में ऐसा कानून बनवाया भी था लेकिन मुसलमानों के व्यापक विरोध के कारण सरकार ने इसे समाप्त कर दिया।

अनुच्छेद 45 संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा

86वें अधिनियम के द्वारा इसे मौलिक अधिकार बनाकर इसे 21(क) में रख दिया गया है और इसके स्थान पर अनु0 45(क) जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 45(क) राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देगा।

अनुच्छेद 46 राज्य के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक एवं शैक्षिक हितों को बढ़ावा देगा तथा समाज के शोषण और अन्याय से उनकी रक्षा करेगा।

इस पर डॉ० अम्बेडकर का प्रभाव है इसे क्रियान्वित करने के लिए SC व ST को निःशुल्क कोचिंग संस्थान छात्रवृत्ति प्रतियोगी परिक्षाओं के फार्म में भारी छूट तथा हरिजन एक्ट जैसे कानून का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करेगा तथा औषधीय प्रयोजन में प्रयुक्त होने वाली औषधि को छोड़कर शेष मादक एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगायेगा। इसे राजनीतिक कारणों से अभी तक लागू नहीं किया जा सका।

अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा तथा गायों बछड़ों दुधारू पशुओं वाहक पशुओं के नस्लों को सुधारने का प्रयत्न करेगा तथा इनके बध आदि पर प्रतिबन्ध लगायेगा।

इसे क्रियान्वित करने के लिए भारत में हरित क्रान्ति पीली क्रान्ति, नीली क्रान्ति राष्ट्रीय कृषि नीति जैव प्रौद्योगिकी नीति सुधार कार्यक्रम, कृषि विश्व विद्यालयों की स्थापना तथा नये किस्म के बीज एवं खाद्य का निर्माण आदि हुआ। कई राज्यों ने गोवध आदि पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून भी बनाए।

अनुच्छेद 48(क) राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा। तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। इसको क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तथा राष्ट्रीय वन्य नीति जैसे कानून बनाये गए।

अनुच्छेद 49 राज्य संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कलात्मक वस्तुओं और ऐतिहासिक घरों की लुन्ठन विरूपण एवं विकृति से रक्षा करेगा।

अनुच्छेद 50 इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच कार्यों में पृथक्करण होगा। आज भी इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका प्रायः यह देखा जाता है कि कार्यपालिका के बहुत से ऐसे कार्य हैं जो न्यायपालिका करती नजर आती है और न्यायपालिका के कार्य कार्यपालिका करती नजर आती है।

अनुच्छेद 51 राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगा। आपसी विवादों को द्विपक्षीय वार्ता से निपटाएगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि कानूनों एवं वृहत्ताओं का पालन करेगा।

इस पर पं० नेहरू का प्रभाव है इसमें भारत की विदेश नीति का उल्लेख है इसे लागू करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनायी पंचशील समझौता किया संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था व्यक्त किया। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध किया और निःशस्त्रीकरण का समर्थन किया।

7.3.1 मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अन्तर

1. मौलिक अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक आदेश है अर्थात् ये राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक है अर्थात् राज्य को कुछ कार्य करने के लिए आदेश देते हैं।

2. मौलिक अधिकार वाद योग्य है अर्थात् न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है अर्थात् यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।

3. मौलिक अधिकार निरंकुश व सीमित है इन पर आपात काल में प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है जबकि नीति निर्देशक तत्व निरंकुश और असीमित है इन पर कभी प्रतिबन्ध लगाया नहीं जा सकता।

4. मौलिक अधिकारों का स्वरूप केवल राष्ट्रीय है जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप राष्ट्रीय के साथ अन्तराष्ट्रीय भी है।

### 7.3.2 मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व

मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच विवाद सर्वप्रथम चम्पाकम दोगराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में सन् 1951 में आया इस मामले में न्यायालय ने कहा मौलिक अधिकार वाद योग्य है अर्थात् न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है जबकि नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसी कोई बात नहीं है इसलिए मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्व पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लगभग यही बात केशव सिंह बनाम विहार राज्य व सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा।

गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अनु0 368 के अन्तर्गत संसद को मौलिक अधिकारों में संसोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह निर्णय 9 न्यायाधीशों की संविधान ने 5:4 के बहुमत से दिया था।

1971 में संसद ने 24 वां 25वां अधिनियम पारित किया। 24 अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि संसद को अनु0 368 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संसोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है और 25 वें अधिनियम द्वारा संविधान में अनु0 31 (ग) जोड़ते हुए यह प्रावधान कर दिया गया कि अनु0 39 (b) और 39(c) को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है।

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें व 25 वे अधिनियम पर सुनवायी करते हुए दोनों को वैध ठहराया लेकिन 24 वें के सन्दर्भ में कहा कि वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट न करता हो पहली बार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे शब्द का प्रतिवादन किया संविधान का मूल ढांचा का आधार न्यायिक निर्वचन है। केशवानन्द भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ 13 न्यायाधीशों की बैठी थी जिसमें 7:6 के अनुपात से निर्णय हुआ।

1976 में 42 वां अधिनियम पारित किया गया जिसमें कहा गया कि अनु0 368 के अन्तर्गत संसोधन का असीमित अधिकार है और इसकी संवैधानिक वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा ये कहा कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

42 वें अधिनियम पर सुनवायी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में 42 वें अधिनियम के उस भाग को अवैध घोषित कर दिया जिसमें कहा गया था कि इसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूल ढाँचा है और 42 वें अधिनियम के उस भाग को अवैध घोषित कर दिया जिसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार

पर प्राथमिकता प्रदान की गयी थी। 25 वे अधिनियम को वैध ठहराते हुए केवल अनु0 39(b) और अनु0 39(c) को ही मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता बताया।

#### अभ्यास प्रश्न

1. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रत्यन करेगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है ?
2. भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है ?
3. सभी कर्मकारों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है ?
4. अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है ?
5. पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में किया गया है ?

### 7.4 सारांश

इस इकाई के अध्ययन में हमने यह पाया है कि किस प्रकार से किस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के प्रावधान के साथ नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया है। जैसा कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि यद्यपि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है अर्थात् सरकार के द्वारा इसके अनुपालन में कार्य न करने पर हम इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें सरकार निरंतर जनता के प्रति उत्तरदाई होती है। आज तो मीडिया की अत्यंत जागरूकता के फलस्वरूप सरकार की प्रत्येक गतिविधि की खबर जनता को तुरंत होती रहती है। और नियतकालिक चुनाव में पुनः जनता के जनता के समक्ष जाना होता है समर्थन के लिए। इसलिए जनता की भलाई और कल्याण के लिए जो प्रावधान किये गए हैं उनकी अनदेखी सरकार नहीं कर सकती है। जैसा कि पंचायतों का गठन और महिलाओं और बच्चों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए भी नीतियां बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रकार से ये नीति निर्देशक तत्व यद्यपि न्यायालय द्वारा तो प्रवर्तनीय नहीं हैं परन्तु शासन का जनता के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण इनके क्रियान्वयन का दबाव निरंतर शासन पर बना रहता है जिसकी वह अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

### 7.5 शब्दावली

कल्याणकारी राज्य - जिस राज्य के द्वारा समाज के कमजोर वर्ग को वे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें समक्ष लोग स्वयं प्राप्त करते हैं।

सामाजिक न्याय - समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले को प्राथमिकता के आधार पर बिना की जाति धर्म के भेद भाव किये आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है।

### 7.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद 51, 2. भाग-4, 3. अनुच्छेद 39(e) 4. अनुच्छेद 39 5. अनुच्छेद 40

---

### 7.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

---

1. लक्ष्मीकांत, एम० (2013) भारत की राजव्यवस्था टाटा मैग्रा प्रकाशन, नई दिल्ली
2. शर्मा, ब्रज किशोर (2009) भारत का संविधान एक परिचय पी०एच० आई० लार्निंग, नई दिल्ली।
3. बसु, डी०डी० (2000) भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली।
4. मंगलानी, डॉ. रूपा – भारतीय शासन और राजनीति

---

### 7.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. बेयर एक्ट, भारत का संविधान
2. जैन, डॉ० पुखराज (2011) पाश्चात राजनीति चिन्तन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
3. सिंह, डॉ० वीरकेश्वरप्रसाद (2006) विश्व के प्रमुख संविधान, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली

---

### 7.9 निबन्धात्मक प्रश्न

---

1. नीति निदेशक तत्व राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने लिए किया गया भागीरथ प्रयास है | स्पष्ट कीजिये |
2. नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर करते हुए, भारत में इनके महत्व की विवेचना कीजिये |

---

## इकाई 8 : संविधान संशोधन प्रक्रिया

---

इकाई की संरचना

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 संविधान संशोधन

8.3.1 भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया

8.3.1.1 सधारण बहुमत से किया जाने वाला संविधान संशोधन

8.3.1.2 विशेष बहुमत से किया जाने वाला संविधान संशोधन

8.3.1.3 विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के समर्थन से किया जाने वाला संविधान संशोधन

8.4 भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विशेषताएं

8. सारांश

8. शब्दावली

8. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

8. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

8. सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

8. निबंधात्मक प्रश्न

## 8.1 प्रस्तावना

इस इकाई के पूर्व की इकाई में हमने नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन किया है जिसमें यह पाया है कि किस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के प्रावधान के साथ नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया है। जैसा कि हम इकाई ६ में स्पष्ट कर चुके हैं कि यद्यपि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है अर्थात् सरकार के द्वारा इसके अनुपालन में कार्य न करने पर हम इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें सरकार निरंतर जनता के प्रति उत्तरदाई होती है। आज तो मीडिया की अत्यंत जागरूकता के फलस्वरूप सरकार की प्रत्येक गतिविधि की खबर जनता को तुरंत होती रहती है। और नियतकालिक चुनाव में पुनः जनता के जनता के समक्ष जाना होता है समर्थन के लिए। इसलिए जनता की भलाई और कल्याण के लिए जो प्रावधान किये गए हैं उनकी अनदेखी सरकार नहीं कर सकती है। जैसा कि पंचायतो का गठन और महिलाओं और बच्चों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए भी नीतियां बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रकार से ये नीति निर्देशक तत्व यद्यपि न्यायालय द्वारा तो प्रवर्तनीय नहीं हैं परन्तु शासन का जनता के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण इनके क्रियान्वयन का दबाव निरंतर शासन पर बना रहता है जिसकी वह अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

इस इकाई 8 में हम भारतीय संविधान में संशोधन के लिए अपनाने जाने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। सके साथ हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने भारत में सामाजिक संरचना के अनुरूप शासन प्रणाली अपनाई है इसी का अनुसरण करते हुए संविधान में संशोधन के तरीकों का भी उपबंध किया है। यहाँ हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि संविधान निर्माता समय की गतिशीलता और उसके सापेक्ष उत्पन्न होने वाले नवीन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए संशोधन की प्रक्रियाओं का संविधान में प्रावधान किया है। संविधान संशोधन से सम्बंधित इन सभी पक्षों का अध्ययन हम इस इकाई में करेंगे।

## 8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम –

1. यह जान सकेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं का उपबंध क्यों किया गया है।
2. यह भी समझ सकेंगे संशोधन के कितने तरीके हैं।
3. यह व्याख्या करने में सक्षम होंगे कि क्यों संविधान संशोधन के तीन तरीकों का उपबंध किया गया है।

### 8.3 संविधान संशोधन

समाज गतिविशील है परिवर्तनशील है अर्थात् देश-काल की बदलती परिस्थितियों के साथ समाज की प्राथमिकताओं में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह प्रयास किया कि देश में बदलती परिस्थितियों के साथ उभरती नयी समस्याओं का समाधान समय के साथ संभव हो सके साथ ही केंद्रीय शासन अपनी मनमानी करते हुए संघात्मक ढांचे को आघात न पहुँचा सकें। इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए संविधान संशोधन के तरीके में सरलता और कठोरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। जिससे संविधान को एक तरफ देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जा सकें, तो दूसरी तरफ संघात्मक ढांचे के अनुरूप संघीय शासन के बहुमत की मनमानी से भी संविधान की रक्षा की जा सकें।

इसलिए भारतीय संविधान संशोधन की पद्धति का समर्थन पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार किया है:-

हम चाहते हैं कि यह संविधान एक ठोस और स्थाई संरचना हो किन्तु यह तथ्य हमारे सामने है कि संविधान कभी स्थाई नहीं होते। उसमें कुछ नमनीयता होनी चाहिए। यदि आप किसी चीज को अनुभय और स्थाई बना देते हैं तो आप राष्ट्र की अभिवृद्धि रोक देते हैं।

चाहे जो भी हो हमें संविधान को ऐसा नहीं बनाना चाहिए जैसा कि कुछ महान देशों ने किया है। इतना कठोर कि उसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बदला जा सकता। आज विशेषतः जब विश्व उथल-पुथल से गुजर रहा है हम एक तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे संक्रमण काल में जी रहे हैं हम जो आज करेंगे वह कल ज्यों का त्यों लागू नहीं हो पायेगा।

प्र० के० सी० व्ही०अर ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान में कठोरता और सरलता के बीच के मार्ग का अनुसरण किया है।

#### 8.3.1 भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अध्याय 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उपबन्ध किया गया है। संविधान संशोधन के लिए तीन प्रक्रियाओं को अपनाने का उपबन्ध किया है। इन तीन तरीकों के आधार पर संविधान के अनुच्छेदों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

1. सधारण बहुमत से किया जाने वाला संविधान संशोधन।
2. विशेष बहुमत से किया जाने वाला संविधान संशोधन।
3. विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के समर्थन से किया जाने वाला संविधान संशोधन।

##### 8.3.1.1 सधारण बहुमत से किया जाने वाला संविधान संशोधन।

इसके तहत भारतीय संविधान के कुछ उपबन्ध साधारण बहुमत से संशोधित किये जा सकते हैं। इस प्रकार के संशोधन, संसद के दोनो सदनों (राज्य सभा एवं लोक सभा) में से किसी भी संसद ने प्रस्तुत किया जा सकता है। इस

सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित किये जाने के पश्चात् वह दूसरे सदन को भेजा जाता है यदि दूसरा सदन भी उसे पारित कर देता है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरान्त संशोधन लागू हो जाता है।

हमारे संविधान के जो उपबन्ध साधारण बहुमत से परिवर्तित किये जा सकते उसे भी दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

I. संविधान का पाठ नहीं बदलता जबकि विधि में परिवर्तन हो जाता है।

II. जहाँ से संविधान के पाठ में भी परिवर्तन हो जाता है।

जिन उपबन्धों को सामान्य कानून निर्माण के तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं-

1. नये राज्यों की रचना से संबंधित प्रावधान
2. विधान परिषदों के सृजन और उत्पादन से संबंधित हो
3. संसदीय विशेषाधिकारों के विनिश्चय से संबंधित हो तो,
4. राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों आदि के वेतन और भत्ते।
5. अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी के प्रयोग के लिए 15 वर्ष की अवधि का विस्तार।
- 8.3.1.2 विशेष बहुमत से किया जाने वाला संविधान संशोधन

यहाँ पहले यह स्पष्ट कर दे कि विशेष बहुमत संविधान के उन शेष सभी भागों में संशोधन किया जा सकता है। जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानमण्डलों के समर्थन से संशोधन किया जा सकता है। इसको और अधिक स्पष्ट करे तो कहा जा सकता है कि संसद संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई मत समर्थन से पास किये जा सकते हैं। परन्तु यह आवश्यक है कि यह विशेष बहुमत दोनों सदनों में अलग-अलग कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए।

8.3.1.3 विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के समर्थन से किया जाने वाला संविधान संशोधन

भारतीय संविधान में संशोधन की यह अत्यन्त कठोर पद्धति है और यह संघात्मक शासन के सिद्धान्तों के अनुरूप भी है क्योंकि इसमें किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होने के पश्चात् कम से कम आधे राज्यों के द्वारा भी समर्थन नितान्त आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो संघात्मक शासन का आदर्श रूप माना जाता है वहाँ पर तीन चौथाई राज्यों का समर्थन आवश्यक है। वे उपबंध जिन्हें रीति से ही संशोधित किया जा सकता है वह इस प्रकार हैं:-

1. राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका
2. संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति
3. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सन्दर्भ में
4. संघ और राज्य में विधायी शक्तियों का वितरण
5. संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित

### 6. अनुच्छेद 368 संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया

उक्त विषयों को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि वे विषय जिनसे सीधे राज्य के हित जुड़े हैं, और जिनमें राज्यों की भागीदारी है उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। ऐसा करके संविधान निर्माता भारत में संघात्मक ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि वे इस बात से अवगत थे कि भारत की विविधता को एकसूत्र में तभी पिरोया जा सकता है जब एक मजबूत संघ हो।

संशोधन की प्रक्रिया:- भारतीय संविधान में किस रीति से संशोधन किया जाएगा इस संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है जो इस प्रकार है

विधेयक किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दे कि धन विधेयक केवल लोक सभा में ही रखा जाता है।

विधेयक का प्रत्येक सदन के बहुमत (जहाँ आवश्यक हो वहाँ विशेष बहुमत से) से पारित होना आवश्यक है। जैसा कि हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं कि कुछ विषयों में आधे राज्य विधानमण्डलों का अनुसमर्थन होना आवश्यक है। इस प्रकार जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। सामान्य विधेयक की दशा में वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या विधायित कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो विधेयक कानून बन जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। धन विधेयक को सदन (लोकसभा) में रखने के पूर्व राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

## 8.4 भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विशेषताएं

1- यद्यपि भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। जिसमें संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। परन्तु संविधान में संशोधन विधेयक केवल संसद के दोनों सदनों (राज्य सभा, लोक सभा) में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार से संघ और राज्य के संदर्भ में तो स्पष्ट है कि संघिय संसद को संविधान संशोधन की सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है इसका प्रमुख कारण था कि संविधान निर्माता इकाइयों में किसी भी प्रकार के असंतोष के पैदा होने के कारण को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन संसद की इस शक्ति पर एक मर्यादा है, वह यह कि संसद ऐसा कोई संशोधन संविधान में नहीं कर सकती है जो, संविधान के आधारभूत लक्षण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

2- भारतीय संविधान संविधान में संशोधन के वे प्रावधान जिसका संबंध, संघात्मक व्यवस्था से है उनमें संशोधन संसद के विशेष बहुमत से पारित विधायक को आधे राज्यों के विधानमण्डल का समर्थन आवश्यक है। क्योंकि संघात्मक प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से साथ पास करने के बाद आधे राज्यों के विधानमण्डल में भी पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। ऐसा करने के पीछे संविधान निर्माताओं की मंशा यह थी कि राज्यों में अनावश्यक रूप से असंतोष न पैदा हो और संघ स्वेच्छाचारी ढंग से किसी प्रकार के परिवर्तन कर संघीय ढांचे को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकें। इस प्रकार ऐसा प्रावधान देश की एकता और और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

3- भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया न तो अमेरिका के समान अत्यन्त कठोर है और न ही ब्रिटेन के समान एकदम लचीली, वरन इसमें कठोरता और सरलता के बीच का मार्ग अपनाया गया है।

इस संदर्भ में एम0 वी0 पायली का कथन युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि ऐसा कोई अन्य संघात्मक संविधान नहीं है जो नम्म और अनम्म दोनों ही प्रकार की संशोधन प्रक्रिया को प्रयोग करे। वह विशेषता केवल भारतीय संविधान में है।

अभ्यास प्रश्न –

1. भारतीय संविधान में संशोधन के कितने तरीके हैं ?
2. संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उपबन्ध किस अनुच्छेद में किया गया है ?
3. क्या संशोधन में संघात्मक शासन के अनुरूप कोई प्रावधान है नहीं/हाँ?
4. भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उपबन्ध किया गया है?

## 8.5 सारांश

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संविधान निर्माताओं ने बदलते समय के अनुरूप संविधान को ढालने लिए संशोधन का प्रावधान किया है। उनका मानना था कि समय के साथ नए विषय पैदा हो सकते या पुराने विषयों में कुछ अप्रासंगिक हो सकते हैं ऐसे स्थिति में इन समस्याओं से निपटने के लिए ही ऐसा प्रावधान किया। लेकिन इस प्रावधान को रखते समय उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि केंद्र की सरकार मनमाने तरीके से संविधान में परिवर्तन न कर सके। इसी लिए वे प्रावधान जो संघीय प्रकृति के जैसे – संघ और राज्य के विधाई शक्तियों में कोई परिवर्तन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आदि में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक बनाया है। इस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने जहां एक तरफ संशोधन की शक्ति में केंद्र की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है वहीं दूसरी तरफ समय के अनुरूप अपने को ढालने की सामर्थ्य भी देने का प्रयास किया है।

## 8.6 शब्दावली

विशेष बहुमत – संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग उपस्थित एवं मतदान करने वालों का दो तिहाई जो सदन के समस्त संख्या के आधे से अधिक भी हो।  
संघात्मक शासन – वह शासन जिसमें एक संविधान के द्वारा, केंद्र और राज्य की सरकार में शक्तियां विभाजित हों।

## 8.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. तीन, 2. अनुच्छेद 368, 3. हाँ, 4. अध्याय 20

## 8.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. रूपा मंगलानी - भारतीय शासन एवं राजनीति
2. आर.एन. त्रिवेदी एवं एम.पी. राय - भारतीय सरकार एवं राजनीति
3. महेन्द्र प्रताप सिंह - भारतीय शासन एवं राजनीति

---

### 8.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. ब्रज किशोर शर्मा भारत का संविधान
  2. दुर्गादास बसु - भारत का संविधान : एक परिचय
- 

### 8.10 निबंधात्मक प्रश्न

---

1. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिये।

---

## इकाई 9 राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति

---

इकाई की संरचना

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 राष्ट्रपति

9.3.1 राष्ट्रपति का निर्वाचन

9.4 राष्ट्रपति की शक्तियाँ

9.4.1 कार्यपालिका शक्तियाँ

9.4.2 विधायी शक्तियाँ

9.4.3 राजनयिक शक्तियाँ

9.4.4 सैनिक शक्तियाँ

9.4.9 न्यायिक शक्तियाँ

9.4.6 आपात कालीन शक्तियाँ

9.5 राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

9.6 उपराष्ट्रपति

9.7 सारांश

9.8 शब्दावली

9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

9.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

9.12 निबंधात्मक प्रश्न

---

### 9.1 प्रस्तावना

---

इसके पूर्व की इकाइयों के अध्ययन से आप को ,भारतीय प्रशासन के विभिन्न पक्षों के बारे में जानने में सहायता मिली है । प्रस्तुत इकाई में हम भारत में संघ के कार्यपालिका के प्रमुख ,राष्ट्रपति के बारे में जान सकेंगे । इसके अध्ययन से हम राष्ट्रपति के निर्वाचन ,उनकी शक्तियों और उनकी संवैधानिक स्थिति तथा वास्तविक स्थिति के बारे में भी जान सकेंगे।

इस इकाई के अध्ययन से हमें आगे की इकाइयों में प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषद के वास्तविक कार्यपालिका प्रधान के रूप में ,समझने में सहायता मिलेगी । साथ ही संसदीय शासन की परम्परा में राष्ट्रपति पद के महत्व को और भी स्पष्ट रूप से समझने में सहायता मिलेगी ।

---

### 9.2 उद्देश्य -

---

इस इकाई के अध्ययन से आप राष्ट्रपति के बारे में जान सकेंगे-

- 1.इस इकाई के अध्ययन के बाद आप राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जान सकेंगे।
- 2.राष्ट्रपति की शक्तियों को जान सकेंगे।
- 3.आप यह जान सकेंगे कि वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान ही नहीं है ।

### 9.3 राष्ट्रपति -

शासन के तीन अंग होते हैं। जो क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। व्यवस्थापिका का सम्बन्ध कानून निर्माण से है, कार्यपालिका का सम्बन्ध व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन से है, जबकि न्यायपालिका का सम्बन्ध न्यायिक कार्यों से है।

संघ की कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति होता है। चूँकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है (नाममात्र की कार्यपालिका) फिर भी उनके पद को सत्ता और गरिमा से युक्त किया गया है। वह राज्य के शक्तिशाली शासक हाने की अपेक्षा, भारत की एकता के प्रतीक हैं। उनकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है, फिर भी शासन में उनका पद एक धुरी के समान है जो संकट के समय संवैधानिक तंत्र को संतुलित कर सकता है।

### 9.4 राष्ट्रपति का निर्वाचन -

भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक गणतन्त्र है। गणतन्त्र में राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत राजा न होकर निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है।

योग्यता - राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं -

- 1- वह भारत का नागरिक हो
  - 2- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ,
  - 3- वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ,
  - 4- वह संघ सरकार और राज्य सरकारों या स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो,
  - 9- राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति ,राज्यपाल और मंत्रियों के पद लाभ के पद नहीं माने जाते ,इसलिए उन्हें त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती।
- अनु. 94 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं जिसमें --

1. संसद के दोनो सदनों (लोकसभा, राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे

राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय संसद के साथ-साथ राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों को शामिल कर इस बात का प्रयत्न किया गया है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हों तथा संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तव में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके।

भारतीय संविधान के 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि पाण्डिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किये जायेंगे।

1997 के राष्ट्रपति चुनाव में कुछ स्थान रिक्त होने पर राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को चुनौती दी गई। न्यायालय ने अपने निर्णय में ऐसी स्थिति में भी चुनाव संभव बताया। इस समस्या के निराकरण हेतु 1961 में 11वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 71 में उपबन्ध किया गया है कि निर्वाचक मंडल का स्थान रिक्त होने पर भी चुनाव वैध है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन ऊपर वर्णित निर्वाचन मण्डल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है अनु 99(3)। मतदान गुप्त होता है। इस पद्धति में चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्यासी को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारण का सूत्र इस प्रकार है-

$$\text{न्यूनतम कोटा} = \frac{\text{दिये गये मतों की संख्या}}{\text{निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या}} + 1$$

राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मण्डल के सदस्यों के मतों का मूल्य समान नहीं होता है। कुछ राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य अधिक जनसंख्या का और कुछ कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लिए विधान सभा सदस्य के मत का मूल्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव में केन्द्र और राज्य को बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के मत मूल्य और संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य बराबर रखने पर जोर दिया जाता है। जिससे राष्ट्रपति का चुनाव दलगत राजनीति का शिकार न हो और वह राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधि हो सके।

मत मूल्य निकालने का तरीका -

$$\text{विधान सभा के एक सदस्य के मत का मूल्य} = \frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{कुल विधायकों की संख्या} \times 100}$$

$$\text{संसद सदस्य के एक मत का मूल्य} = \frac{\text{सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य}}{\text{संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}}$$

राष्ट्रपति के निर्वाचन में उस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है जो न्यूनतम कोटा अर्थात आधे से अधिक मत प्राप्त करे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने प्रत्याशी होते हैं, मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है। मतदाता अपना मत वरीयता क्रम के आधार पर देता है। जैसे

		प्रत्याशी	A	B	C	D
मतदाता	P	1	3	2	4	
	G	2	1	3	4	
	R	4	1	2	3	
	S	3	1	2	4	
	T	2	3	1	4	

इस आरेख में चार प्रत्याशी A, B, C, D, है मतदाता P, G, R, S, T हैं जिन्होंने अपने मत वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति प्रत्याशी को दिये हैं। सर्वप्रथम प्रथम वरीयता के मत की गणना की जाती है। यदि उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाय तो वह विजयी घोषित होता है। यदि कोटा न प्राप्त हो सके तो द्वितीय वरीयता के मत की गणना होती है। इस द्वितीय दौर में जिस उम्मीदवार को प्रथम वरीयता का सबसे कम मत मिला हो उसे गणना से बाहर कर, उसके द्वितीय वरीयता के मतमूल्य को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। यदि द्वितीय दौर की गणना में किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा न प्राप्त हो तीसरे दौर की मतगणना होती है, जिसमें दूसरे दौर की मतगणना में सबसे कम मतमूल्य पाने वाले प्रत्याशी के तीसरे वरीयता के मतमूल्य को शेष उम्मीदवारों को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक अपनायी जाती है जब तक किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा न प्राप्त हो जाय।

अभ्यास प्रश्न राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है-1-?

- 2 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
- 3 राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है?

**राष्ट्रपति द्वारा शपथ** - राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है।

राष्ट्रपति की पदावधि -संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से, पाँच वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। इस पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व भी वह उपराष्ट्रपति को वह अपना त्यागपत्र दे सकता है या उसे पाँच वर्ष की अवधि से पूर्व संविधान के उल्लंघन क लिए संसद द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि इसके उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण न कर लिया जाए।

**उन्मुक्तियाँ** - राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। अपने पद के कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके संबन्ध में उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाला जा सकता है।

**वेतन** - राष्ट्रपति को इस समय 190000 रु/ माह वेतन है। अनुच्छेद 99(3) अनुसार कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और उपलब्धियों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है।

**महाभियोग प्रक्रिया** - राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61के अनुसार महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। संसद के जिस सदन में महाभियोग का संकल्प प्रस्तुत किया गया हो, उसके एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर सहित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। इस सदन में संकल्प को दो तिहाई बहुमत से पारित करके दूसरे सदन को भेजा जाएगा जो राष्ट्रपति पर लगे इन आरोपों की जाँच करेगा। इस दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपना पक्ष रख सकता है। यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और उसे अपनी संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति पद त्याग के लिए बाध्य होता है।

## 9.9 राष्ट्रपति की शक्तियाँ -

हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तिया प्रदान की गयी हैं, जो निम्नलिखित है -

**9.9.1 -कार्यपालिका शक्तियाँ -**

संविधान के अनुच्छेद 93(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करने में मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसके आगे संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह जोड़ा गया कि यदि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति पुनर्विचार करने को कह सकेगा, परन्तु राष्ट्रपति, ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गयी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबन्धी शक्तियों में मंत्रिपरिषद का गठन महत्वपूर्ण है। संसदीय परम्परा के अनुरूप निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब तक नियुक्त अधिकांश प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी पहली ऐसी प्रधानमन्त्री थी जो राज्यसभा से मनोनीत सदस्य थी। वर्तमान प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंह भी राज्यसभा सदस्य हैं। संविधान के 91वें संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 79(1-क) के अनुसार मन्त्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 79(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद के सदस्य, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 79(9) के अनुसार, कोई भी मन्त्री, निरन्तर छः मास तक संसद के किसी सदन का सदस्य हुए बिना भी मन्त्री रह सकता है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करना आवश्यक है कि, जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले अथवा लोकसभा में अविश्वास मत के कारण, मन्त्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़े, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त करे, इस सम्बन्ध में संविधान मौन है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को स्वविवेकाधिकार प्राप्त है। इस संबंध में संसदीय परम्परा के अनुरूप सर्वप्रथम सबसे बड़े दल के नेता तथा जो बहुमत सिद्ध कर सकता है उसे प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त करते हैं।

इसके साथ-2 राष्ट्रपति को संघ के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, नियन्त्रक-महालेखक की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य की नियुक्ति, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति।

ये सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रिपरिषद की सलाह पर या संविधान द्वारा निश्चित व्यक्तियों से परामर्श के पश्चात् की जाती है। राष्ट्रपति को उपर्युक्त अधिकारियों को हटाने की भी शक्ति प्राप्त है।

**9.9.2.विधायी शक्तियाँ -**

भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। इस प्रकार संसद का महत्वपूर्ण अंग होने के नाते राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों(लोकसभा.राज्यसभा) द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही अधिनियम का रूप लेता है।

संसद का अंग होने के नाते राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा का सत्र आहूत करने और उसका सत्रावसान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 89 के अनुसार वह लोकसभा का विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार

वह साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में विवाद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारम्भ पर, एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। इसके अतिरिक्त किसी एक सदन या दोनों सदनों में एक साथ अभिभाषण करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, या समाजसेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हों और अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में दो सदस्यों को आंग्लभारतीय समुदाय से मनोनीत कर सकता है।

संविधान के उपबन्धों और कुछ अधिनियमों का अनुपालन करने के लिए राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि कुछ प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवायेगा। इसका उद्देश्य यह है कि संसद को उन प्रतिवेदनों और उस पर की गयी कार्यवाई पर विचार करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित प्रतिवेदनों और दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखवाए --

- 1- अनुच्छेद 112 के अनुसार -वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
- 2- अनुच्छेद 191 के अनुसार -नियन्त्रक महालेखक का प्रतिवेदन
- 3- अनुच्छेद 281 के अनुसार - वित्त आयोग की सिफारिशें
- 4- अनुच्छेद 323 के अनुसार -संघ लाकसेवा आयोग का प्रतिवेदन
- 9- अनुच्छेद 340 के अनुसार - पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन
- 6- अनुच्छेद 348 के अनुसार -राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का प्रतिवेदन

7- अनुच्छेद 394 के अनुसार -राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान के अंग्रेजी भाषा में किए गये प्रत्येक संशोधन का हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करायेगा। इसके अतिरिक्त कुछ विषयों पर कानून बनाने के लिए उस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। जैसे-

अनुच्छेद 3- के अनुसार -नये राज्यों के निर्माण या विद्यमान राज्य की सीमा में परिवर्तन से संबंधित विधेयकों पर। अनुच्छेद 117(1)-धन विधेयकों के संबंध में। अनुच्छेद 117(3) ऐसे व्यय से संबंधित विधेयक, जो भारत की संचित निधि से किया जाना हो। अनुच्छेद 304 के अनुसार-राज्य सरकारों के ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतन्त्रता पर प्रभाव डालते हों।

इस बात का हम उल्लेख कर चुके हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति न प्रदान करें। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है, विधेयक को रोक सकता है या दोनों सदनों द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यदि संसद पुनर्विचार के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति को वापस करती है, तो वह अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लोकसभा में रखा जाता है।

2006 में लाभ के पद से संबंधित संसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक लोक सभा और राज्यसभा द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया जिसे राष्ट्रपति ए.पी.जे.कलाम ने पुनर्विचार के लिए यह कहते हुए वापस कर दिया कि संसदों और विधायकों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने के व्यापक आधार बताए जाँय। संसद के दोनों सदनों ने इसे पुनः मूल रूप में ही पारित कर दिया। यह पहला

अवसर था कि राष्ट्रपति की आपत्तियों पर विचार किए बिना ही विधेयक को उसी रूप में पारित कर दिया गया। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के संबंध में भी राष्ट्रपति को विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं -

1-राज्य विधानमंडल द्वारा पारित ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर लेगा।

2-वित्तीय आपात काल लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व सभी धन विधेयकों पर उसकी अनुमति ली जाय।

3-सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।

4-राज्य के अन्दर या अन्य राज्यों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति -

जब संसद सत्र में न हो और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाय कि वर्तमान परिस्थिति में यथाशीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है तो, वे अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करते हैं। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियम के समान ही होता है। किन्तु अधिनियम स्थायी होता है और अध्यादेश का प्रभाव केवल छः माह तक ही रहता है। छः माह के अन्दर यदि अध्यादेश को संसद की स्वीकृति न प्राप्त हो तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

**वीटो (निषेधाधिकार) की शक्ति** - यह कार्यपालिका की शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी विधेयक को अनुमति देने से रोकता है। अनुमति देने इन्कार करता है या अनुमति देने में विलम्ब करता है। वीटो के कई प्रकार हैं -

1-आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो -यह वह वीटो है जिसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुमति देने से इन्कार कर देता है। पूर्ण वीटो का प्रयोग धन विधेयक के संबंध में नहीं किया जा सकता क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

2-निलम्बनकारी वीटो -

जिस वीटो को सामान्य बहुमत से समाप्त किया जा सकता है उसे निलम्बनकारी वीटो कहा जाता है। इस प्रकार के वीटो का प्रयोग हमारे राष्ट्रपति उस समय करते हैं जब अनुच्छेद 111 के अनुसार वे किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं।

3-पाकेट वीटो या जेबी वीटो -संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति न तो अनुमति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए वापस करता है, तब वह जेबी वीटो का प्रयोग करता है। हमारे संविधान में यह स्पष्ट उपबन्ध नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय के भीतर विधेयक को अपनी अनुमति देगा। फलतः वह विधेयक को अपनी मेज पर अनिश्चित काल तक रख सकता है। जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में राष्ट्रपति ज्ञानीजैल सिंह ने किया था।

9.4.3 राजनयिक शक्तियाँ -

यहाँ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इक्कीसवीं शदी में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया ने एक राष्ट्र के हित को विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ जोड़ दिया है। राष्ट्रों के मध्य आपसी संबंधों का संचालन राजनय के द्वारा होता है। हमारे देश में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। इस लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों के संचालन की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्रदान की गयी है। इस लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मामले में वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की ओर से भेजे जाने वाले राजदूत

की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। दूसरे देशों से भारत में नियुक्त होने वाले राजदूत और उच्चायुक्त अपना परिचयपत्र राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। परन्तु इन सभी विषयों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है।

#### 9.4.4 सैनिक शक्तियाँ -

जैसा कि हम इस इकाई में पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। इसी कारण से वह तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति है। किन्तु हमारे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तिया अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है क्योंकि ये अपनी शक्तियों के प्रयोग संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार करते हैं। जब कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर इस प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं है।

#### 9.4.9 न्यायिक शक्तियाँ-

हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक रूप से न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं -

1- न्यायाधीशों की नियुक्ति--अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं।

2- क्षमादान की शक्ति—राष्ट्रपति को कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के साथ-साथ न्यायिक शक्तियाँ- भी प्राप्त हैं, जिनमें क्षमादान की शक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो अनुच्छेद 72 के अनुसार प्राप्त है। वे इस क्षमादान की शक्ति के तहत किसी दोषी ठहराये गये व्यक्ति के दण्ड को क्षमा तथा सिद्ध दोष के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में करते हैं -सेना द्वारा दिये गये दण्ड के मामले में..जब दण्ड ऐसे विषयों के मामले में दिया गया हो जो संघ के कार्यपालिका क्षेत्र में आते हों। ऐसी परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दिया गया हो। क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है।

क्षमादान की इस शक्ति को देने के पीछे सोच यह है कि न्यायाधीश भी मनुष्य होते हैं। इस लिए उनके द्वारा की गयी किसी भूल को सुधारने की गुंजाइस बनी रहे।

3--उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार- हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार ,यदि राष्ट्रपति को ऐसा कभी प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई सारवान प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति और व्यापक महत्व का है तो उस पर उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। इस प्रकार की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। इसके साथ-साथ उच्चतम न्यायालय को, यदि वह आवश्यक समझे तो ,अपनी राय देने से इन्कार कर सकता है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अन्य अधिकार प्राप्त है -जैसे- संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार ,यदि सर्वोच्च न्यायालय अपना स्थान दिल्ली के बजाय किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करना चाहे तो इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न -

-4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

-9 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

### 9.9.6 आपात कालीन शक्तियाँ-

हमारे संविधान निर्माता गुलामी की दुखद दास्तान और आजादी की लम्बी लड़ाई के पश्चात आजाद हो रहे देश के दुःखद विभाजन से परिचित थे। इसलिए देश में भविष्य में उत्पन्न होने वाली संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को विस्तृत रूप आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। हमारे संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 392 से अनुच्छेद 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उपबन्ध किया गया है। ये शक्तियाँ निम्नलिखित तीन प्रकार की हैं --

**1-राष्ट्रीय आपात -** संविधान के अनुच्छेद 392 में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाय कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है या संकट में होने की आशंका है तो उनके द्वारा आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आन्तरिक अशान्ति शब्द था। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने के पश्चात आन्तरिक अशान्ति के नाम पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की।

1977 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने 1979 के 44वें संविधानिक संशोधन के द्वारा आन्तरिक अशान्ति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। साथ ही यह भी उपबन्ध किया गया कि आपात काल की घोषणा अब संघ के मंत्रिमंडल (प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्री) की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी।

राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा के एक माह के अन्दर संसद के द्वारा विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में इस घोषणा को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पृथक-पृथक कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। आपात की घोषणा के समय यदि लोकसभा का का विघटन हुआ है तो एक माह के अन्दर राज्यसभा की विशेष स्वीकृति आवश्यक है। नवगठित लोकसभा के द्वारा उसकी प्रथम बैठक के तीस दिन के अन्दर विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। आपातकाल को यदि आगे भी लागू रखना है तो उसे प्रत्येक छः माह पश्चात संसद की स्वीकृति आवश्यक है। यदि आपात काल की घोषणा एक सदन द्वारा की जाय और दूसरा सदन अस्वीकार कर दे तो यह घोषणा एक माह के पश्चात समाप्त हो जाएगी। इस आपात काल को संसद साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है।

संविधान के 38वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह उपबन्ध किया गया कि आपात काल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। संविधान के प्रारम्भ में यह उपबन्ध था कि अनुच्छेद 392 के अनुसार आपात काल को पूरे देश में ही लागू किया जा सकता है किसी एक भाग में नहीं। परन्तु 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि आपात काल की उद्घोषणा देश के किसी एक भाग या कई भागों में की जा सकती है।

अभी तक कुल तीन बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गयी है -

26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक चीनी आक्रमण के कारण। दूसरी बार - पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण के कारण 3 दिसंबर 1971 को घोषणा की गयी तथा 29 जून 1979 को आन्तरिक अशान्ति के आधार पर आपात की घोषणा की गयी, इनकी समाप्ति 21 मार्च 1977 को की गयी।

राष्ट्रीय आपात काल को लागू करने का प्रभाव -

1-अनुच्छेद 83(2) के अनुसार जब आपात की उद्घोषणा की गयी हो तब लोकसभा अपने कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा सकती है. किन्तु आपात की उद्घोषणा के समाप्त होने पर .यह कार्यकाल वृद्धि अधिकतम छः मास तक ही चल सकती है।

2-अनुच्छेद 290 के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संबंधित राज्य में संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यद्यपि राज्य की विधायी शक्तियाँ राज्य के पास बनी रहती है किन्तु उन पर निर्णायक शक्ति संसद के पास रहती है।

3-हम उपर इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक सीमित है, जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है किन्तु आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान केन्द्र सरकार जहाँ आपातकाल लागू है उस राज्य के साथ ही साथ देश के किसी भी राज्य को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे।

4-संविधान के अनुच्छेद 394 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति के आदेश से केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबन्ध को उस सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है जिस सीमा तक की स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक हो। राष्ट्रपति के इस प्रकार के आदेश को यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखना आवश्यक होता है।

9-मौलिक अधिकारों पर प्रभाव-वाह्य आक्रमण के कारण यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गयी है तो अनुच्छेद 398 के अनुसार, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता का अधिकार निलंबित हो जाता है। जबकि अनुच्छेद 399 के तहत उन्हीं अधिकारों का निलंबन होता है, जो राष्ट्रपति के आदेश में स्पष्ट किया गया हो। इसके बावजूद भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न -

6- राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार करता है?

7- 1979 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर की गयी थी ?

2- राज्यों में सांविधानिक तन्त्र की विफलता-अनुच्छेद 399 में यह उपबन्ध है कि संघ सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों की वाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति से रक्षा करे। साथ ही यह भी देखे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार चल रहा हो। अनुच्छेद 396(1) के अनुसार .यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार न चलने के कारण संवैधानिक तन्त्र विफल हो गया है तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति का यह समाधान राज्यपाल के प्रतिवेदन पर भी आधारित हो सकता है। अनुच्छेद 369 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध अनुच्छेद 396 का प्रयोग उस समय भी कर सकता है जब संबंधित राज्य की सरकार संघ सरकार के निर्देशों का पालन करने में असफल हो जाती है।

राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा दो माह के लिए होता है किन्तु यदि घोषणा के पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो नवीन लोकसभा के गठन के बाद प्रथम बैठक के तीस दिन के बाद .घोषणा तभी लागू रह सकती है जब कि नवीन लोकसभा उसका अनुमोदन कर दे। इस प्रकार की घोषणा एक बार में छः माह के लिए और अधिकतम तीन वर्ष(पंजाब में पांच वर्ष तक लागू थी) के लिए लागू की जा सकती है। 44वें संवैधानिक संशोधन

द्वारा यह उपबंध किया गया कि एक वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं --

1-जब संपूर्ण देश में या उसके किसी एक भाग में अनुच्छेद 392 के तहत राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा लागू हो।

2-निर्वाचन आयोग इस बात को प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराना संभव नहीं है।

राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रभाव--

1- राष्ट्रपति इस बात की घोषणा कर सकता है कि राज्य के कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग संसद करेगी। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अनुच्छेद 396 की घोषणा के पश्चात यह आवश्यक नहीं कि विधानसभा का विघटन कर दिया जाय। विधानसभा को केवल निलंबित भी किया जा सकता है।

2-यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से आवश्यक खर्च की अनुमति दे सकता है।

3- राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी सभी या आंशिक कृत्यों को अपने हथ में ले सकता है। उच्च न्यायालय के कार्यों को छोड़कर।

अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 396 की तुलना --

जैसा कि ऊपर आप देख चुके हैं अनुच्छेद 392 और 396 का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं किन्तु दोनों के प्रभावों में अन्तर हैं। जब किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद को समवर्ती सूची के साथ साथ राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है किन्तु राज्य विधान सभा और कार्यपालिका का अस्तित्व बना रहता है और वे अपना कार्य भी करती रहती हैं. परन्तु अनुच्छेद 396 के तहत जब राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र के विफलता की घोषणा करते हैं तो संबंधित राज्य की विधान सभा निलंबित कर दी जाती है और कार्यपालिका संबंधी शक्तिया पूर्णतः या आंशिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं।

अनुच्छेद 396 के तहत संवैधानिक तन्त्र के विफलता की घोषणा की अधिकतम अवधि तीन वर्ष हो सकती है जब कि अनुच्छेद 392 के तहत लागू किया जाने वाला राष्ट्रीय आपात काल को प्रत्येक छः माह के पश्चात संसद की स्वीकृति आवश्यक है। यह प्रक्रिया तब तक चल सकती है जब तक कि संसद स्वयं के संकल्प से समाप्त न कर दे।

3-- वित्तीय आपात काल --

अनुच्छेद 360 में यह उपबंध किया गया है कि .यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत में या उसके किसी राज्य क्षेत्र में वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं।

वित्तीय आपात की उद्घोषणा को भी राष्ट्रीय आपात के समान ही दो माह के अन्दर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। यदि दो माह के पूर्व संसद के दोनों सदन अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे तो .इसे अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। अन्यथा यह उद्घोषणा दो माह की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि इसी दौरान

लोकसभा का विघटन हुआ है तो राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। परन्तु नवीन लोक सभा के प्रथम बैठक के तीस दिन के अन्दर लोक सभा की स्वीकृति आवश्यक है अन्यथा घोषणा स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।

वित्तीय आपात की घोषणा का प्रभाव --

संघ और राज्यों के किसी भी वर्ग के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है।

इस समय राष्ट्रपति न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती के आदेश दे सकता है।

राज्य के समस्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पेश किये जाने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

संघीय सरकार, राज्य की सरकार को शासन संबन्धी आवश्यक निर्देश दे सकती है।

राष्ट्रपति द्वारा संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दे सकता है।

## 9.5 राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति -

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रदान की गयी व्यापक शक्तियों के आधार पर यह धारणा बनी कि राष्ट्रपति कुछ शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद के परामर्श के बिना भी कर सकते हैं। जो संसदात्मक व्यवस्था के परम्पराओं के विपरीत है। इस लिए इसके निवारण के लिए 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 के स्थान पर इस प्रकार के उपबन्ध किया गया

राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मन्त्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। इस उपबन्ध से राष्ट्रपति के पद की गरिमा को आघात पहुँचा। इस लिए 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा निम्न उपबन्ध किये गये -

राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद से जो परामर्श पगाप्त होगा उसके संबन्ध में राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह मन्त्रिपरिषद को इस परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कहे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मन्त्रिपरिषद जो परामर्श देगी, राष्ट्रपति उसी परामर्श के अनुसार कार्य करेगा।

इस प्रकार राष्ट्रपति के संबन्ध में संवैधानिक स्थिति यह नियत करती है कि संसदीय शासन की भावना के अनुरूप राष्ट्रपति, राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान है। किन्तु भारतीय राजनीति में उभरती हुई अनिश्चितता के दौर में राष्ट्रपति की भूमिका सक्रिय और अतिमहत्वपूर्ण होती जा रही है। राष्ट्रपति की इस सक्रियता और महत्ता का कारण, गठबन्धन की राजनीति और प्रधानमन्त्री पद की गरिमा में तेज गिरावट प्रमुख कारण है।

## 9.6 उपराष्ट्रपति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

योग्यता - उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं -

- 1- वह भारत का नागरिक हो
- 2- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
- 3- वह राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो,

4-वह संघ सरकार और राज्य सरकारों या स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, (अनुच्छेद 66 )

9- ,उपराष्ट्रपति ,राज्यपाल और मन्त्रियों के पद लाभ के पद नहीं माने जाते ,इसलिए उन्हें त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती।

अनु. 94 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं जिसमें --

1. संसद के दोनो सदनों (लोकसभा, राज्यसभा) के सभी सदस्य।

जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय संसद के साथ-साथ राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों को शामिल कर इस बात का प्रयत्न किया गया है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हों तथा संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तव में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके।

उपराष्ट्रपति की पदावधि -संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से ,पाँच वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। इस पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व भी वह राष्ट्रपति को वह अपना त्यागपत्र दे सकता है या उसे पाँच वर्ष की अवधि से पूर्व राज्य सभा के द्वारा पारित संकल्प जो लोकसभा से समर्थित हो ,के आधार पर भी हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है।

उपराष्ट्रपति के कार्य – उपराष्ट्रपति के कोई कार्य नहीं होते हैं। वह राज्य सभा के पड़े सभापति होते हैं। किन्तु किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति पद रिक्त(मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा पद से हटाये जाने पर ) होने की दशा में वह राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं।

#### अभ्यास प्रश्न ---

8. राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है - सत्य/असत्य

9. राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य भाग लेते हैं - सत्य/असत्य

10. राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 63 के तहत लगाया जाता है - सत्य/असत्य

11. राष्ट्रपति को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं - सत्य/असत्य

12. राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश से अनुच्छेद 396 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं - सत्य/असत्य

## 9.7 सारांश -

इस इकाई के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होने के साथ ही साथ व्यवस्थापिका का अंग भी है , क्योंकि संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति देते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन की जो प्रमुख विशेषता है -व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का मिश्रित स्वरूप, वह राष्ट्रपति के पद में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है किन्तु ब्रिटेन के सम्राट के समान वह खर मुहर नहीं है। राष्ट्रपति को कुछ विवेकी शक्तियां प्राप्त हैं और कुछ स्थितियों में भारत के राष्ट्रपति ने बड़ी ही समझदारी से कार्य किया है। जब किसी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति स्वविवेक से उसे सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करता है, जिसे वह समझे कि वह सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है। इसके साथ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 1984 में इन्दिरागांधी की हत्या के उपरान्त प्रधानमंत्री का पद रिक्त न हो, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह

ने राजीवगांधी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के द्वारा लौटाया जाना भी अपने आप में गम्भीर विषय माना जाता है। इस प्रकार जैसा उपर उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते वयापक रूप से नियुक्तियाँ करने और पदच्युत करने का भी अधिकार है। साथ ही क्षमादान की महत्वपूर्ण शक्ति भी प्राप्त है। विधायन के क्षेत्र में जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निकालने की शक्ति भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यह पद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

## 9.8 शब्दावली -

संसद = राष्ट्रपति + राज्य सभा + लोकसभा

औपचारिक प्रधान:- जिसके नाम से समस्त कार्य किये जाते हैं परन्तु वह स्वयं उन शक्तियों का प्रयोग न करता हो।

गणतन्त्र:- राज्य का प्रधान निर्वाचित हों, वंशानुगत राजा नहीं

कोटा:- जीत के लिए आवश्यक न्यूनतम मत (समस्त का 91 प्रतिशत)

## 9.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर -

- 1- लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
- 2- 9 वर्ष, 3-अनुच्छेद 61, 4-अनुच्छेद 124, 9-अनुच्छेद 217, 6-अनुच्छेद 392,
- 7-आन्तरिक अशान्ति, 8- असत्य, 9- असत्य, 10- असत्य, 11- असत्य,
- 12- असत्य

## 9.10 संदर्भ ग्रंथ सूची -

डॉ रूपा मंगलानी - भारतीय शासन एवं राजनीति (2009), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर  
त्रिवेदी एवं राय - भारतीय सरकार एवं राजनीति

महेन्द्र प्रताप सिंह - भारतीय शासन एवं राजनीति (2011), ओरियन्टल ब्लैक स्वान नई दिल्ली  
भारतीय प्रशासन - अवस्थी एवं अवस्थी (2011), लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा

## 9.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री -

भारत का संविधान - ब्रज किशोर शर्मा (2008), प्रेन्टिस हाल ऑफ इंडिया नई दिल्ली

भारत में लोक प्रशासन - बी.एल. फड़िया (2010) साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा

The Constitution of India – J.C. Johari- 2004- Sterling Publishers Private Limited New Delhi

---

### 9.11 निबंधात्मक प्रश्न-

---

- 1-. राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान से अधिक है। स्पष्ट कीजिए।
- 2-. राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की विवेचना कीजिए ?
- 3-. राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों की समीक्षा कीजिए

---

## इकाई 10 प्रधानमंत्री, मन्त्रिपरिषद्

---

इकाई की संरचना

10.1 प्रस्तावना

10.2 उद्देश्य

10.3 प्रधानमंत्री एक परिचय

10.3.1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति

10.3.2 प्रधानमंत्री और मन्त्रिमण्डल के बीच सम्बन्ध

10.3.3 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच सम्बन्ध

10.3.4 प्रधानमंत्री और संसद के बीच सम्बन्ध

10.4 सारांश

10.5 शब्दावली

10.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

10.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

10.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

10.9 निबंधात्मक प्रश्न

---

### 10.1 प्रस्तावना:-

---

पिछली इकाई में भारतीय प्रशासन में राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में अध्ययन किया है और पाया कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट से अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण स्थिति में है क्योंकि एक तरफ वह पर राष्ट्र की एकता और गरिमा का प्रतीक है तो उसे कुछ स्वविवेकि शक्तियाँ प्रदान कर राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है।

इस इकाई में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के नाम से जिन शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद करती है। उसका प्रधान प्रधानमन्त्री होता है। प्रधानमन्त्री का पद हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के नाते इस कारण से सदन का नेता होने के कारण और अन्ततः दलीय अनुशासन के कारण से शासन व्यवस्था को नेतृत्व प्रदान करता है। किन्तु यही शक्तिशाली प्रधानमन्त्री की स्थिति, गठबंधन सरकार होने पर अत्यन्त कमजोर हो जाती है फिर भी वह केन्द्रीय सत्ता की धुरी होता है।

---

### 10.2 उद्देश्य:-

---

1. इस इकाई के अध्ययन से हम जान सकेंगे कि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री कितना महत्वपूर्ण है।
2. सरकार के गठन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. वह निम्न सदन (लोक सभा) का नेता भी होता है।
4. वह अपने दल का अत्यधिक प्रभावशाली होता है।
5. मन्त्रिपरिषद के विघटन की भी महत्व पूर्ण शक्ति होती है।

### 10.3 प्रधानमन्त्री एक परिचय

भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है। इस शासन में प्रधानमन्त्री का पद, शासन व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु होता है। इसमें नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में भेद पाया जाता है। नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमन्त्री करता है। राष्ट्रपति के नाम से समस्त कार्यपालिका शक्तियों प्रयोग, प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिपरिषद करती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता तथा मन्त्रणा के लिए एक मन्त्रिमण्डल होगा, जिसका प्रधान प्रणामन्त्री होगा। इसके आगे अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि, प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामर्श पर करेगा। संसदीय लोकतन्त्र की परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त करने को बाध्य हो।

अनुच्छेद 75(5) के अनुसार के कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना छः माह तक मन्त्री पद पर रह सकता है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रधानमन्त्री का नियुक्ति निम्न सदन (लोक सभा) से ही हो। उदाहरण स्वरूप-इन्दिरागान्धी को जब पहली बार 1966 प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया गया तो उस समय वे उच्च सदन (राज्य सभा) की सदस्य थीं। ब्रिटेन की संसदीय परम्पराओं के अनुसार प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति ने कभी अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया बल्कि बहुमत प्राप्त दल के नेता, किसी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया।

संविधान के उपबन्धों और गत 64 वर्ष के व्यावहारिक अनुभवों से प्रधानमन्त्री के पद और स्थिति की जानकारी के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत विचार करना आवश्यक है -

- 1-प्रधानमन्त्री की नियुक्ति
- 2-प्रधानमन्त्री और मन्त्रिमण्डल के बीच सम्बन्ध
- 3- प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति के बीच सम्बन्ध
- 4- प्रधानमन्त्री और संसद के बीच सम्बन्ध

#### 10.3.1 प्रधानमन्त्री की नियुक्ति

इस बात का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं कि संसदीय परम्परा के अनुरूप राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। 1946 की अन्तरिम सरकार में जवाहरला नेहरू को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया गया। 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा के आम चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली और नेहरू जी को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया जाता रहा। 1964 में इनकी मृत्यु के उपरान्त कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य गुलजारीलाल नन्दा को, अस्थायी रूप से प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष कामराज की कुशलता से, लालबहादुर शास्त्री को स्थायी प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया गया।

1966 में शास्त्रीजी की आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त एक बार पुनः नेता के चुनाव के प्रश्न पर मतभेद उभरा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष कामराज इन्दिरा गाँधी को चाहते थे जबकि कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य मोरारजी देसाई भी दावेदारी कर रहे थे। फलस्वरूप दल के चुनाव में श्रीमती गाँधी 169 के मुकाबले 355 मतों से विजयी रहीं। दल में इस विभाजन के कारण 1967 के चुनाव में कुछ राज्यों में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस, लोकसभा के 1962 के चुनाव में 361 स्थानों पर विजयी हुई थी जबकि 1967 में यह संख्या घटकर 283 हो गई। 1967 के चुनाव के उपरान्त इन्दिरा गाँधी सर्वसम्मति से प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त की गयी। दूसरे गुट के सदस्य मोरारजी देसाई को उपप्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री के पद पर नियुक्त किया गया। फिर भी मोरारजी देसाई को असन्तोष था और उन्होंने इन्दिरा गाँधी के प्रगतिशील आर्थिक नीतियों का जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया। 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में तो यह विरोध और भी मुखर होकर सामने आ गया। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने निर्दल प्रत्याशी वी०वी० गिरी को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करवाया। फलस्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो गया। इन्दिरा गुट अल्पमत में आ गयी। प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने लोकसभा का विघटन कर दिया। 1971 के पूर्वाद्ध में लोकसभा का प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए। इन्दिरा गुट को भारी सफलता प्राप्त हुई और राष्ट्रपति ने इन्दिरा गाँधी को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया। इस सफलता ने श्रीमती गांधी को एक शक्तिशाली नेता के रूप में राजनीतिक मंच पर स्थापित कर दिया।

इन्दिरा गाँधी की चुनावी सफलता और समाजवाद के चमत्कारिक नारे ने उनके प्रभाव में ऐसी वृद्धि की कि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हुई। 1977 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई और जनता पार्टी को सफलता मिली। मोरारजी देसाई को, राष्ट्रपति ने, प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया।

जनता पार्टी के सरकार बनाने के समय से ही उसके विभिन्न घटक दलों में मतभेद थे, जो 1977 तक बहुत बढ़ गया। इस स्थिति को देखते हुए जुलाई 1977 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया और मोरारजी देसाई ने विना सामना किये ही प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात सरकार बनाने की विभिन्न संभावनाओं पर विचार करते हुए चौधरी चरण सिंह को तीन महीने में बहुमत सिद्ध करने की शर्त के साथ सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया। परन्तु कांग्रेस पार्टी ने चरण सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिया। यह समर्थन चरण सिंह लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की तिथि के पहले ही ले लिया। परिणामस्वरूप चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना किये विना ही त्यागपत्र देते हुए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटित करने की सिफारिश की। तत्कालीन राष्ट्रपति ने लोकसभा का विघटन करते हुए चौधरी चरण सिंह को कार्यवाहक प्रधानमन्त्री के रूप में रहने दिया।

1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बार पुनः आश्चर्यजनक सफलता मिली और श्रीमती गाँधी एक बार पुनः प्रभावशाली प्रधानमन्त्री के रूप में स्थापित हुईं। किन्तु श्रीमती गाँधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या (31 अक्टूबर 1984) हो गयी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कांग्रेस संसदीय बोर्ड की सिफारिश पर राजीव गांधी को प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया। चूँकि श्रीमती गाँधी की हत्या के कारण राजीव गाँधी के साथ जनता की बहुत सहानुभूति थी। इस लिए 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अब तक सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुईं। इस सफलता के केन्द्र में राजीव गाँधी थे। इस लिए राजीवगाँधीका प्रधानमन्त्री बनना तय था। भारतीय राजव्यवस्था और प्रधानमन्त्री पद के लिए 1989 का लोकसभा चुनाव एक विभाजक चुनाव था। इस चुनाव ने एकदलीय प्रभुत्व का अन्त किया क्यों कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जनता दल के वी०पी० सिंह भाजपा सहित अन्य दलों के समर्थन से प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किये गये किन्तु नवम्बर 1990 में भाजपा के समर्थन

वापस लेने की वजह से वी०पी० सिंह सरकार का पतन हो गया। वी०पी० सिंह सरकार के पतन के साथ ही जनता दल का विभाजन हो गया। चन्द्रशेखर सिंह (जनता दल -समाजवादी-61 लोकसभा सदस्य) ने कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने कारण चन्द्रशेखर सरकार का भी अल्पायु में ही, जून 1991 में पतन हो गया। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। मई 1991 राजीव गांधी की हत्या हो गयी। इस राजनीतिक वातावरण में पी०वी० नरसिंहराव को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया।

1996 के लोकसभा चुनाव में भी किसी दल को बहुमत नहीं मिला। तेरह दलों के सहयोग प्राप्त भाजपा के अटलबिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। किन्तु इस सरकार का कार्यकाल मात्र तेरह दिन ही रहा। इसके पश्चात एच०डी० देवगौड़ा और इन्दुकुमार गुजराल की कांग्रेस समर्थित सरकारें बनीं जो अल्पकालिक ही रहीं। 1998 के लोकसभा चुनाव में के पश्चात भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता अटलबिहारी वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। किन्तु यह सरकार भी स्थायी नहीं रही और पुनः 1999 में लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सहित पन्द्रह दलों की गठबंधन सरकार का गठन किया गया। इस गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर न होकर घटक दलों की इच्छा और उनकी सौदेबाजी की स्थिति पर आधारित था।

इसी प्रकार 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में ग्यारह दलों के औपचारिक समर्थन और आठ दलों के बाहर से समर्थन से सरकार गठबंधन सरकार का गठन हुआ। इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 2009 के 15वीं लोक सभा चुनाव में पुनः कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार का गठन हुआ। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि गठबंधन सरकार में मंत्रिपरिषद के गठन में प्रधानमंत्री पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि कि क्षेत्रीय दल, सरकार को समर्थन अपने हितों की सिद्धि के लिए करते हैं। ऐसे सौदेबाजी के वातावरण में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत मजबूत एवं निर्णायक नहीं हो सकती

### 10.3.2 प्रधानमंत्री और मन्त्रिमण्डल के बीच सम्बन्ध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की मंत्रणा से करता है। भारत में भी इंग्लैण्ड के समान संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है। संसदीय परम्परा का अनुसरण करते हुए भारत में भी मंत्री पद के लिए चयन प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति एक औपचारिकता हाती है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन में उस समय शक्तिशाली होता था और उसके निर्णय निर्णायक भी होते थे, जब एक दल बहुमत के आधार पर सरकार का गठन करता था। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में स्थिति काफी हद तक बदल गयी है क्योंकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा है। सरकार के गठन और उसकी स्थिरता के लिए, विभिन्न क्षेत्रीय दलों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ये क्षेत्रीय दल सहयोग के बदले में मंत्री पद प्राप्त करने की सौदेबाजी करते हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार होता है परन्तु मंत्रिपरिषद का गठन करते समय उन्हें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र तथा सहयोगी क्षेत्रीय दलों की निम्न सदन (लोकसभा) में सफल सदस्यों की संख्या का महत्व देना पड़ता है।

अब तक प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्तियों के नाम, उनके दल / गठबंधन और कार्यकाल निम्नलिखित है –

क्रम संख्या	नाम	दल/गठबंधन	कार्यकाल
1	जवाहर लाल नेहरू	कांग्रेस	15 अगस्त 1947- 27 मई 1964
2	गुलजारी लाल नन्दा	कांग्रेस	27 मई 1964- 9 जून 1964 (कार्यवाहक)
3	लालबहादुर शास्त्री	कांग्रेस	9 जून 1964 - 11 जनवरी 1966
4	गुलजारी लाल नन्दा	कांग्रेस	11 जनवरी 1966-24 जनवरी 1966 (कार्यवाहक)
5	इंदिरा गाँधी	कांग्रेस	24 जनवरी 1966 - 24 मार्च 1977
6	मेरारजी देसाई	जनता पार्टी	24 मार्च 1977 - 28 जुलाई 1979
7	चौधरी चरण सिंह	बी०के०डी० और कांग्रेस	28 जुलाई 1979 - 14 जनवरी 1980
8	इंदिरा गाँधी	कांग्रेस	14 जनवरी 1980 - 31 अक्टूबर 1984
9	राजीव गाँधी	कांग्रेस	31 अक्टूबर 1984 - 1 दिसम्बर 1989
10	विश्वनाथ प्रताप सिंह	जनता दल और भाजपा	1 दिसम्बर 1989 - 10 नवम्बर 1990
11	चन्द्रशेखर		11 नवम्बर 1990 - 21 जून 1991
12	पी०वी० नरसिम्हा राव	कांग्रेस	21 जून 1991 - 16 मई 1996
13	अटलबिहारी वाजपेयी	एन०डी०ए०	16 मई 1996 - 1 जून 1996
14	एच०डी० देवगौड़ा		1 जून 1996 - 21 अप्रैल 1997
15	इन्द्र कुमार गुजराल		21 अप्रैल 1997 - 18 मार्च 1998
16	अटलबिहारी वाजपेयी	एन०डी०ए०	18 मार्च 1998 - 13 अक्टूबर 1999
17	अटलबिहारी वाजपेयी	एन०डी०ए०	13 अक्टूबर 1999 - 21 मई 2004
18	डॉ मनमोहन सिंह	यू०पी०ए०	22 मई 2004 से 26 मई 2014
19.	श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी	एन०डी०ए०	26 मई 2014 से अद्यतन

### 16.3.3 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच सम्बन्ध

भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का संबंध अतिमहत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका हाते हैं, जिनके नाम से सभी कार्य किये जाते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को नेतृत्व प्रदान करते हैं। मूल संविधान में यह उपबन्ध था कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं थे किन्तु 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह उपबन्ध किया गया कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सिफारिस मानने के लिए बाध्य है। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पुनः पूर्व स्थिति को बहाल कर दिया गया।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है-1- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का दलीय संबंध - यदि दोनों एक ही दल के हैं तो दलीय अनुशासन के कारण, संबंध सामान्य बने रहेंगे। जैसा कि 1977 तक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 2- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और उनके राजनीतिक प्रभाव भी, दोनों के बीच के संबंध को प्रभावित करते हैं। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री की भूमिका है तो दोनों के बीच के संबंध काफी हद तक सामान्य रहे हैं, जैसा कि जाकिर हुसैन, वी0वी0 गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह के मामले में हुआ है। किन्तु 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इन्दिरा गान्धी की हत्या हो गयी। इसके पश्चात राजीव गांधी को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। 1986 तक तो संबंध अच्छे रहे किन्तु 1987 के प्रारम्भ से दोनों के बीच के संबंधों में कड़वाहट शुरु हुई और ऐसा लगने लगा कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पद से हटाकर लोकसभा का विघटन कर देंगे। संविधान लागू होने के पश्चात ऐसा सर्वप्रथम हुआ कि एक ही दल का होने के बावजूद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में गम्भीर मतभेद उभर कर सामने आये।

### 10.3.4 प्रधानमंत्री और संसद के बीच सम्बन्ध

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनायी गयी है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल की जाती है। यद्यपि उच्च सदन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर कोई कानूनी बंधन नहीं हैं। हमारे देश में सर्वप्रथम 1966 में श्रीमती इन्दिरा गांधी को राज्य सभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह भी राज्यसभा सदस्य हैं।

प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, इस लिए सदन का भी नेता होता है। सदन का नेता होने के नाते विपक्ष के अधिकारों के रक्षा की और सदन की कार्यवाही में उनकी भागीदारी हेतु अवसर प्रदान करेंगे। इस हेतु वे विपक्ष से परामर्श करते हैं और उनकी शिकायतों का निराकरण करने का प्रयत्न भी करते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिमण्डल का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। किन्तु व्यावहारिक स्थिति कुछ और ही है, क्योंकि दलीय अनुशासन के कारण, लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल, मंत्रिमण्डल के विरुद्ध नहीं जा पाता है। संसदीय परम्परा के अनुसार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से सिफारिश करके लोकसभा का विघटन करवा सकता है। इस अधिकार के कारण प्रधानमंत्री लोकसभा को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहता है। प्रथम लोकसभा के गठन से आज तक 59 वर्षों में कई बार लोकसभा का विघटन समय से पूर्व करते हुए मध्यावधि चुनाव कराये गये।

## समय से पूर्व लोकसभा का विघटन

क्रम	किस प्रधानमंत्री की सिफारिश पर	राष्ट्रपति ने विघटन किया	सन्
1	श्रीमती इन्दिरा गॉंधी		1970
2	श्रीमती इन्दिरा गॉंधी		1977
3	चौधरी चरण सिंह		1979
4	राजीव गॉंधी		1984
5	चन्द्रशेखर सिंह		1991
6	अटल विहारी वाजपेयी		1998
7	अटल विहारी वाजपेयी		1999

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब किसी एक दल को निरपेक्ष बहुमत रहा है तो लोकसभा पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण बहुत ही प्रभावशाली रहा है परन्तु जब गठबंधन सरकारें रहीं हैं ( जैसे 1977,1989,1991,1996,1998,1999,2004 और 2009 में ) तब लोकसभा पर नियंत्रण की बात तो दूर की रही ,वे स्वयं ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते रहे हैं ।

## अभ्यास प्रश्न

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, या निर्वाचित होता है
2. निम्न सदन का नेता कौन होता है ?
3. प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ?
4. भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है ?
5. भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्य सभा सदस्य थी
6. कोई मंत्री बिना संसद सदस्य रहे कितने माह मंत्री रह सकता है ?

## 10.4 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत हम संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई | साथ ही यह भी देखा की किस प्रकार से प्रधानमंत्री इस शासन व्यवस्था में बहुत ही शक्तिशाली होकर उभरता है | यहाँ यह भी देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य करता है |और समय समय पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी भी राष्ट्रपति को देता है |

उपरोक्त अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से इस शासन व्यवस्था में सम्पूर्ण शासन व्यवस्था के केंद्र में प्रधानमंत्री होता है।

### 10.5 शब्दावली

1. मंत्रिपरिषद = मंत्रिमण्डल, राज्यमंत्री, उपमंत्री
2. निम्न सदन = लोक सभा को कहते हैं।
3. उच्चसदन = राज्य सभा को कहते हैं।

### 10.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 1. नियुक्ति 2. प्रधानमंत्री 3. राष्ट्रपति 4. डॉ. मनमोहन सिंह 5. श्रीमती इन्दिरा गांधी 6 छः माह

### 10.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

भारतीय शासन एवं राजनीति -	डॉ. रूपा मंगलानी
भारतीय सरकार एवं राजनीति -	त्रिवेदी एवं राय
भारतीय शासन एवं राजनीति -	महेन्द्रप्रतापसिंह

### 10.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

भारतीय संविधान -	ब्रज किशोर शर्मा
भारतीय लोक प्रशासन -	बी.एल. फड़िया

### 10.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारत के प्रधानमंत्री की पद एवं स्थिति की विवेचना कीजिए ?
2. प्रधानमंत्री की सदन के नेता और सरकार के मुखिया के रूप में महत्व की व्याख्या कीजिए।
3. गठबन्धन सरकारों के युग में प्रधानमंत्री कमजोर हुआ है या मजबूत समीक्षा कीजिए।

---

## इकाई 11 : संसद: लोकसभा - राज्यसभा

---

### इकाई की संरचना

- 11.1. प्रस्तावना
- 11.2. उद्देश्य
- 11.3. भारतीय संसद
- 11.4. संसद का संगठन
- 11.5. राज्यसभा
- 11.6. लोकसभा
- 11.11. संसद की शक्तियाँ
- 11.8. सारांश
- 11.9. शब्दावली
- 11.10. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 11.11. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 11.12. सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 11.13. निबंधात्मक प्रश्न

### 1.11 प्रस्तावना

इकाई ६ में हमने यह अध्ययन किया है कि कि राष्ट्रपति के नाम से जिन शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद करती है। उस मन्त्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमन्त्री होता है। प्रधानमन्त्री का पद हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के नाते इस कारण से सदन का नेता होने के कारण और अन्ततः दलीय अनुशासन के कारण से शासन व्यवस्था को नेतृत्व प्रदान करता है। किन्तु यही शक्तिशाली प्रधानमन्त्री की स्थिति, गठबंधन सरकार होने पर अत्यन्त कमजोर हो जाती है फिर भी वह केन्द्रीय सत्ता की धुरी होता है।

इस इकाई 11 में हम संसद के संगठन, कार्यो और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। जिसमें हम यह अध्ययन करेंगे कि की किस प्रकार से राष्ट्रपति संसद का अंग है और उसके पद में संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता का समावेश किया गया है। क्योंकि संसदीय शासन की मुख्य विशेषता, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का मिश्रित स्वरूप है क्योंकि कार्य पालिका के सभी सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य होता है। और राष्ट्रपति के पद में ये दोनों विशेषताएँ पाई जाती है क्योंकि एक तरफ वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो दूसरी तरफ वह संसद का अंग होता है क्योंकि कोई भी विधेयक तबतक कानून का रूप नहीं लेता है जब तक कि उसे राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान कर देता है।

इसके साथ ही साथ हम यह भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार कानून निर्माण में राज्य सभा को, लोक सभा के सामान शक्तियां न होते हुए भी वह महत्वपूर्ण है।

### 11.2 उद्देश्य

इस इकाई के उपरान्त हम

1. संसद के संगठन के सम्बन्ध में जान सकेंगे
2. राज्य सभा की शक्तियों को जान सकेंगे
3. लोक सभा की शक्तियों को जान सकेंगे
4. अंततः कानून निर्माण में लोक सभा के सापेक्ष राज्य सभा की शक्तियों को जान सकेंगे

### 11.3 भारतीय संसद

जैसा कि हम पहले की इकाइयों में स्पष्ट कर चुके हैं कि ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए हमारे देश में भी संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है! यह संसदीय प्रणाली संघ और राज्य दोनों ही स्तरों पर अपनाई गई है! संघीय स्तर के विधान निर्मात्री संस्था को संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर विधान निर्मात्री संस्था को हम विधानमंडल कहते हैं। प्रस्तुत इकाई में संघीय विधायिनी संस्था संसद का ही अध्ययन करेंगे।

संसद का गठन द्विसदनीय सिद्धान्त के आधार पर किया गया है।

(1) उच्च सदन-राज्यसभा और (2) निम्न सदन-लोकसभा (जनप्रतिनिधि सदन)। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यहाँ दोनों सदन मिलकर ही संसद का गठन नहीं करते हैं वरन् - लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। चूँकि संसद का मुख्य कार्य कानून निर्माण है और कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ग्रहण करता है, जब तक कि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अंग है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 119 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे।

भारतीय संसद के संगठन और उसके कार्यों आदि के सम्बन्ध में भारतीय संविधान के भाग-5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 119 से 122 तक प्रावधान किया गया है।

यद्यपि हमने ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, परन्तु भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद के समान सर्वशक्तिमान नहीं है। क्योंकि उसके सम्बन्ध में एक कहावत प्रचलित है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय सब कुछ कर सकती है।

### 11.4 संसद का संगठन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 119 के अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। संसद के अंग - राष्ट्रपति और दो सदन - 1. राज्यसभा 2. लोकसभा

राष्ट्रपति - संसद का अंग है, जिसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। समय से पूर्व वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है या साबित कदाचार या संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है।

## 11.5 राज्यसभा

राज्यसभा की संरचना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जिसकी सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। (यद्यपि वर्तमान समय में इसमें सदस्य संख्या 245 है।)

250 में से 238 सदस्य राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्र से होगा जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध व्यक्तित्व होंगे। इस उपबन्ध को रखने के पीछे संविधान निर्माताओं की मंशा यह थी कि सदन को समाज के योग्य और अनुभवी लोगों के अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके।

भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य ओर संघशासित क्षेत्रों से प्रतिनिधियों की 233 की संख्या का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से  $233+12 =$  (राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत) कुल 245 सदस्य राज्यसभा में है। राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र में राज्य सभा का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है-

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्थानों की संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्थानों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	- 10	उत्तर-प्रदेश	- 31
असम	-11	उत्तराखंड	-3
बिहार	- 16	पश्चिम बंगाल	-16
झारखंड	-6	जम्मू - कश्मीर	- 4
गोवा	-1	नागालैण्ड	-1
गुजरात	- 11	हिमाचल प्रदेश	-3
हरियाणा	-5	मणिपुर	-1
केरल	-9	त्रिपुरा	1
मध्यप्रदेश	-11	मेघालय	-1
छत्तीसगढ़	-5	सिक्किम	-1
तमिलनाडू	- 18	मिजोरम	-1
महाराष्ट्र	-19	अरुणाचल प्रदेश	-1
कर्नाटक	-12	दिल्ली	-3
उड़ीसा	-10	पाण्डिचेरी	-1

पंजाब

-11

राजस्थान

-10

राज्यसभा स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। यहाँ हम यह बताते चलें कि संघ शासित क्षेत्रों में केवल दिल्ली और पांडिचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

यद्यपि हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, चाहे वे राज्य छोटे हो या बड़े हो। अमेरिका में 50 राज्य हैं सभी राज्यों से उच्च सदन (सीनेट) में दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इस प्रकार कुल 100 सदस्य होते हैं, जबकि हमारे यहाँ उच्च सदन (राज्य सभा) में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व न प्रदान कर जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया है।

अवधि - राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सदन तो स्थायी है इसके सदस्यों का कार्यक्रम 6 वर्ष का होता है।

योग्यताएँ- राज्यसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ अपेक्षित हैं-

1. वह भारत का नागरिक है।
2. उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो।
3. वह किसी लाभ के पद पर न हो,
4. वह पागल या दिवालिया न हो,
5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में स्पष्ट उल्लेख है कि संघ अथवा राज्य के मंत्री पद लाभ के पद नहीं समझे जाएंगे।

राज्यसभा के सन्दर्भ में दो पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं-

- 1- राज्यसभा के लिए वह देश के किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी प्रदेश में लड सकता है।
- 2- राज्यसभा के लिए मतदान खुला और पारदर्शी होगा।

पदाधिकारी:- राज्य के पदाधिकारी

सभापति

उपसभापति

उपराष्ट्रपति निर्वाचन

राज्यसभा से ही निर्वाचित

संसद के सभी सदस्यों द्वारा (लोकसभा, राज्यसभा)

राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद - 89 और राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति का चुनाव करती है। उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में सभापति के रूप में कार्य करते हैं।

(अनुच्छेद 91 के अनुसार) सभापति और उपसभापति को वेतन भारत के संचित निधि से प्रदान किया जाता है। राज्य सभा की गणपूर्ति सदन के सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या का 10 प्रतिशत। चूंकि वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इसलिए इसकी गणपूर्ति संख्या 25 है।

राज्य सभा के सभापति को सदन को सुचारु संचालन हेतु व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं।

जब सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो, राज्यसभा के सभापति के कार्यों का निर्वहन राज्यसभा का वह सदस्य करेगा जिसे राष्ट्रपति नामित करेगा।

### राज्य सभा के कार्य एवं शक्तियाँ-

1. विधायी शक्तियाँ - राज्य सभा, लोकसभा के साथ मिलकर कानून निर्माण का कार्य करती है। साधारण विधेयको (अवितीय विधेयकों) के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात् राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यद्यपि अधिकांश विधेयकों को लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है।

यदि विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाए और दूसरा सदन छ माह तक अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसमें निर्णय बहुमत से होता है। सैद्धान्तिक रूप से तो दोनों सदनों को समान शक्तियाँ हैं परन्तु व्यवहारतः लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए लोकसभा का निर्णय ही निर्णायक होता है।

2- संविधान संशोधन की शक्ति - संविधान हेतु दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं क्योंकि, यह विधेयक भी संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किये जा सकते हैं। वे तभी पारित माने जाएंगे जब दोनों सदनों ने अलग-अलग संविधान में उल्लिखित रीति से पारित किया हो, अन्यथा नहीं। क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के सन्दर्भ में दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में किसी प्रकार से संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार यदि राज्य सभा संशोधन से असहमत है तो वह, संशोधन विधेयक गिर जाएगा।

3- वित्तीय शक्तियाँ- वित्तीय शक्तियों के सन्दर्भ में राज्यसभा की स्थिति, लोकसभा के समक्ष अत्यन्त निर्बल है क्योंकि कोई भी वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किये जा सकते हैं। जब कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात् राज्यसभा में पेश किया जाता है तो राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक उस विधेयक पर विचार करते हुए अपने पास रोक सकती है। उसके विचार को लोकसभा माने या न माने यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि राज्य सभा के विचार को लोकसभा न माने तो 14 दिन की समाप्ति पर विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा, जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था।

4- कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ - जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। इसमें कार्यपालिका निम्न सदन (लोकसभा) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। न कि राज्यसभा के

प्रति। इसलिए राज्यसभा के सदस्य विभागीय मंत्रियों से प्रश्न पूरक प्रश्न, तारांकित, अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, परन्तु मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति केवल लोकसभा के पास है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्यपालिका शक्तियों के सन्दर्भ में राज्यसभा, लोकसभा से बहुत ही निर्बल है।

5- अन्य शक्तियाँ - ऊपर हमने राज्यसभा की शक्तियों का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शक्तियाँ भी राज्य सभा की हैं, जो निम्नलिखित हैं -

1. राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
2. उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित+मनोनीत) 233+12 भाग लेते हैं।
3. यह लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करती है।
4. जब देश में आपात काल लागू हो, तो उसे एक माह से अधिक और संवैधानिक तन्त्र की विफलता की घोषणा हो तो उसे 2 माह से अधिक लागू करने हेतु, लोकसभा के साथ राज्यसभा के द्वारा भी स्वीकृति आवश्यक होती है।
5. लोकसभा के साथ मिलकर राज्यसभा राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी पदमुक्त करती है।

राज्यसभा के विशेषाधिकार- उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यसभा की कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, जिनका प्रयोग वह अकेले करती है। वे निम्नलिखित हैं-

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लिखित है कि - यदि राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि राज्य सभा इस तरह के प्रस्ताव न पारित करे तो केन्द्र सरकार नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन नहीं कर सकती है।
2. इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 - यदि राज्यसभा के, सदन में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले दो तिहाई सदस्य राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर संसद को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रारम्भ में केवल एक वर्ष के लिए ही होता है, परन्तु राज्यसभा की इच्छा से इसे बार-बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि राज्यसभा द्वितीय सदन है तो, साथ ही दूसरे स्तर के महत्व का भी सदन है।

## 11.6 लोकसभा

जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लोकसभा संघीय संसद का निम्न सदन है, जिसे लोकप्रिय सदन या जनप्रतिनिधि सदन भी कह सकते हैं क्योंकि इनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से वयस्क मताधिकार (18 वर्ष की आयु के भारतीय) के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान है कि लोकसभा में राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य हो सकते हैं। 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं। इस प्रकार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है।

योग्यता- 1. वह भारत का नागरिक हो।

2. वह भारतीय नागरिक 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन, वह किसी लाभ के पद पर न हो।
4. वह, पागल या दिवालिया न हो।

इसके अतिरिक्त अन्य योग्यताएँ जिसका निर्धारण समय-समय पर संसद करे।

कार्यकाल- मूल संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। परन्तु 42 वें संवैधानिक संशोधन 19116 के द्वारा इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। परन्तु पुनः 44 वें संवैधानिक संशोधन 19118 के द्वारा कार्यकाल को घटाकर 5 वर्ष के पूर्व भी लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। इस प्रकार 19110, 191111, 19119, 1990, 19911, 1999 और 2004 में समय पूर्व विघटन किया गया।

राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन बुलाते हैं। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि लोकसभा की दो बैठकों के बीच अन्तराल अर्थात् बैठक की अन्तिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच अन्तराल 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के समान इसकी गणपूर्ति भी समस्त सदस्यों का दसवाँ भाग है।

लोकसभा की संरचना - प्रथम आम चुनाव के समय (1952) लोकसभा के सदस्यों की निर्धारित संख्या 500 थी। 31 वें संवैधानिक संशोधन 19114 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि इनकी अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। जिनमें 530 सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। राज्यों से। जबकि 20 सदस्य संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। इसके साथ ही साथ 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि आंग्लभारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। परन्तु व्यवहार में वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं जिनमें 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 13 संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन

निर्वाचन - लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन भारतीय नागरिकों द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। मूल संविधान के अनुसार मताधिकार हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई थी जबकि 61 वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अर्थात् 18 वर्ष की आयु का भारतीय नागरिक अपनी पसन्द के प्रत्याक्षी को मतदान कर सकता है।

कार्यकाल- लोकसभा की अवधि का निर्धारण उसकी बैठक की तिथि से किया जाता है। अपनी बैठक की प्रथम तिथि से 5 वर्ष की अवधि होती है। परन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 (2) के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर 5 वर्ष के पूर्व भी विघटित कर सकता है। किन्तु यह विघटन अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। अर्थात् विघटन के 6 माह बीतने के पूर्व ही लोकसभा का निर्वाचन हो जाना चाहिए। इस प्रकार के उपबन्ध को रखने का कारण यह कि लोकसभा के दो सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक का नहीं होनी चाहिए।

अधिवेशन - एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम दो अधिवेशन होने चाहिए। साथ ही पिछले अधिवेशन की अन्तिम तिथि और आगामी अधिवेशन की प्रथम तिथि के बीच का अन्तराल 6 माह से अधिक का नहीं होना

चाहिए। परन्तु यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह अवधि एक ही स्थिति में 6 माह से अधिक हो सकती है जब आगामी अधिवेशन के पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए।

पदाधिकारी- लोकसभा में दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं- 1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष।

अपने सभी सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। परन्तु यदि दोनों अनुपस्थित हो तो सदन का वह व्यक्ति अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेगा जिसे राष्ट्रपति इस हेतु नियुक्त करे।

अध्यक्ष के द्वारा शपथ, अध्यक्ष के रूप में नहीं वरन् लोकसभा के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। यह शपथ उसे लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) दिलाता है जो सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। इस परम्परा का अनुसरण फ्रान्स की परम्परा से लिया गया है।

अध्यक्ष को पद से हटाया जाना - लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्ताव रखने के 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यहाँ यह पक्ष महत्वपूर्ण है कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो, अध्यक्ष, लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा।

### लोकसभा की शक्तियाँ –

हमारे देश में लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। जिसका तात्पर्य है कि अन्तिम रूप से सत्ता जनता में निहित है। लोकसभा जनप्रतिनिधि सदन है क्योंकि इनके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसलिए लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों और परम्पराओं के अनुरूप लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। इसलिए संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। अब हम लोकसभा के कार्यों और शक्तियों का अध्ययन करेंगे।

1. विधायी शक्ति- जैसा कि हम पहले ऊपर देख चुके हैं कि साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त है। यह विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और यह तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित हो।

परन्तु वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। साथ ही वित्त विधेयक उसी रूप में पारित हो जाता है, जिस रूप में लोकसभा चाहती है। क्योंकि लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्य सभा केवल 14 दिन रोक सकती है। इसके पश्चात् वह उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था। राज्यसभा के किसी भी संशोधन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है।

कार्यपालिका शक्ति- भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है भारत की संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि उसी दल को सरकार बनाने का अधिकार होता, और उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। जिसे लोकसभा में समस्त सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो। और सरकार तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसको लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। मन्त्रिपरिषद् पर प्रश्न पूछकर, पूरक पत्र, अविश्वास प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव, कटौती प्रस्तावों के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं।

संविधान संशोधन की शक्ति - संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण कार्य में भी लोकसभा को शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और यह तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदन, अलग-अलग संविधान में वर्णित रीति से पारित करें।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है इस सम्बन्ध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इसलिए दोनों की शक्तियाँ समान हैं।

निर्वाचन सम्बन्धी कार्य- लोकसभा, राज्यसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तथा राज्यसभा और राज्य विधानसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है।

### 11.11 संसद की शक्तियाँ

भारतीय संसद यद्यपि ब्रिटिश संसद के समान सर्वशक्तिमान नहीं है। परन्तु देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है जिसकी प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित हैं-

1- कानून निर्माण की शक्तियाँ- शासन के तीन अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो क्रमशः कानून निर्माण, कार्यकारी कार्य और न्यायिक कार्य करते हैं। संसद को संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून निर्माण का अधिकार है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यसूची के विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार है-

1. जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा चल रही हो।
2. जब राज्यसभा, अनुच्छेद 249 के अनुसार, दो तिहाई बहुमत से राज्यसूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर संसद से विधि निर्माण हेतु आग्रह करें।
3. जब दो या दो से अधिक राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण हेतु संसद से आग्रह करें।
2. कार्यकारी कार्य- संसद का अंग लोकसभा होती है। जिसके बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उन्हीं में से अपने मन्त्रिपरिषद् का गठन करते हैं।

अनु0 115 (3) के अनुसार मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

वित्तीय कार्य- संसद ही संघ के वित्त नियंत्रण रखती है। वित्त का नियमन करने में संसद की भूमिका निर्णायक होती है। जिसमें उसकी दो महत्वपूर्ण समितियाँ लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत के संचित निधि से धन, संसद की स्वीकृति से ही प्राप्त हो सकता है। वार्षिक बजट और रेल बजट संसद के समक्ष पेश किया जाता है। उक्त के साथ-साथ संसद विनियोग विधेयक, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, लेखानुदान आदि के सम्बन्ध में निर्णायक शक्ति है।

राज्यों से सम्बन्धित कार्य- नए राज्य के गठन, उसकी सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। इसके तहत वह एक राज्य को विभाजित कर सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है।

महाभियोग सम्बन्धी कार्य- संविधान के अनुच्छेद 61 में स्पष्ट उल्लेख है कि संसद साबित कदाचार या संविधान के अतिक्रमण के आरोप में राष्ट्रपति पर विशेष प्रक्रिया से महाभियोग लगा सकती है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी पदच्युत कर सकते हैं।

संविधान संशोधन की शक्ति - उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संसद की शक्तियाँ व्यापक हैं। परन्तु वे अमर्यादित नहीं हैं क्योंकि भारतीय संसद अपनी सीमाओं में ही कार्य करती है।

#### अभ्यास प्रश्न

1. राष्ट्रपति संसद का अंग है। सत्य असत्य /
2. संसद राज्य सभा और लोक सभा से मिलकर बनती है ,। सत्य असत्य /
3. राज्य सभा संसद का जनप्रतिनिधि सदन है। सत्य असत्य /
4. लोक सभा के सदस्यों का जनता के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। सत्य असत्य /
5. राज्य सभा का कार्य कल ६ वर्ष है। सत्य असत्य /
6. राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। सत्य असत्य /
11. राज्य सभा में वर्तमान समय में 543 सदस्य हैं। सत्य असत्य /

### 11.8 सारांश

इस इकाई में हमने संसद के संगठन और कार्यों का अध्ययन किया है जिसमें हमने यह देखा है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति संसद का अंग है और उसके पद में संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता का समावेश किया गया है। क्योंकि संसदीय शासन की मुख्य विशेषता, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का मिश्रित स्वरूप है क्योंकि कार्यपालिका के सभी सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना अनिवार्य होता है। और राष्ट्रपति के पद में ये दोनों विशेषताएँ पाई जाती हैं क्योंकि एक तरफ वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो दूसरी तरफ वह संसद का अंग होता है क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं लेता है जब तक कि उसे राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान कर देता है।

साथ ही हमने इस इकाई में यह भी अध्ययन किया है कि राज्य सभा प्रथम दृष्टया तो कानून निर्माण में सामान्य दिखाई देती है परन्तु संवैधानिक संशोधन विधेयक के अतिरिक्त सामान्य विधेयक और वित्तीय विधेयक के मामले में स्थिति गौण है क्योंकि राज्य सभा सामान्य विधेयक को अधिकतम ६ माह तक रोक सकती है और वित्त विधेयक को केवल १४ दिन तक रोक सकती है, इसके पश्चात वह उसी रूप में पारित होगा जिस रूप में लोक सभा चाहेगी। राज्य सभा की आपत्तियाँ का उस विधेयक पर कोई निर्णायक प्रभाव नहीं छोड़ सकती हैं। फिर भी जल्दबाजी में कोई विधेयक न पारित हो, उसके सभी पक्षों पर विचार हो सके इस दृष्टि से राज्य सभा अति महत्वपूर्ण सदन है। इस समय तो और भी जबकि लोक सभा में किसी दल या संगठन को बहुमत हो जबकि राज्य सभा में किसी दल या संगठन को।

## 11.9 शब्दावली

संसद -- राष्ट्रपति + राज्य सभा + लोक सभा

नाम मात्र की कार्यपालिका – संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर पाया जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका वह होता है जिसमें संवैधानिक रूप से सभी शक्तियां निहित होती हैं परन्तु उन शक्तियों का वह स्वयं प्रयोग नहीं करता है, वरन मंत्रिपरिषद करती है। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और ब्रिटेन में सम्राट होते हैं।

वास्तविक कार्यपालिका – यह वह कार्यपालिका जो नाम मात्र की कार्यपालिका को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग उसके नाम से करती है। जैसे भारत और ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद।

## 11.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. असत्य 3. असत्य 4. सत्य 5. असत्य 6. असत्य 11. असत्य

## 11.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

भारतीय संविधान	-	ब्रज किशोर शर्मा
भारतीय लोक प्रशासन	-	बी.एल. फड़िया
भारतीय लोक प्रशासन	-	अवस्थी एवं अवस्थी

## 11.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

भारतीय संविधान	-	डी.डी. बसु
भारतीय लोक प्रशासन	-	एस.सी. सिंहल

## 11.13 निबंधात्मक प्रश्न संसद

1. संसद के संगठन और कार्यों की विवेचना कीजिये ?

---

## इकाई -12 : न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय

---

### इकाई की संरचना

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 उद्देश्य
- 12.3 न्यायपालिका
- 12.4 सर्वोच्च न्यायालय का संगठन
  - 12.4.1 न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - 12.4.2 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाये रखने वाले उपबन्ध
  - 12.4.3 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय
  - 12.4.4 उच्चतम न्यायालय के अधिकार:
- 12.5 उच्च न्यायालय
  - 12.5.1 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार
- 12.6 सारांश
- 12.7 शब्दावली
- 12.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 12.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 12.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 12.11 निबंधात्मक प्रश्न

## 12.1 प्रस्तावना

इस इकाई में हम भारत में किस प्रकार से एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें हम यह अध्ययन करेंगे कि सर्वोच्च न्यायलय के संगठन और कार्य क्या है, उसकी अधिकारिता क्या है? उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और किस आधार पर इसका अध्ययन करते हुए उसके अगले चरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह संविधान की संरक्षक है उसका व्याख्याकार है। यही नहीं नहीं लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों को बहुत महत्व होता है। इस लिए उन अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अर्थात् उसके प्रवर्तन में किसी प्रकार के अवरोध आने पर सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है।

### 12.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम-

1. लोकतंत्र में स्वतन्त्र न्यायलय के महत्व को जान सकेंगे।
2. सर्वोच्च न्यायलय के संगठन और कार्यों के बारे में जान सकेंगे।
3. सर्वोच्च न्यायलय को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में लिए क्या प्रावधान किये गए हैं, उसका अध्ययन कर सकेंगे।
4. न्यायिक पुनरावलोकन के अर्थ को जान सकेंगे।

### 12.3 न्यायपालिका

शासन के तीन अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायापालिका जो क्रमशः कानून निर्माण, कानून के क्रियान्वयन और कानून की व्याख्या और उसकी वैधता, अवैधता की व्याख्या से संबंध रखती है। प्रस्तुत इकाई में हमें न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र में तो यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ तो यह व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का परीक्षण करती है तो कार्यपालिका के कार्यों का भी संविधान के उपबंधों के अधीन परीक्षण कर उसकी वैधता और अवैधता का निर्णय करती है। साथ ही भारत में न्यायपालिका तो संविधान की रक्षण भी है। जहाँ अस्पष्टता की स्थिति हो, संविधान की मूलभावना के अनुरूप उसकी व्याख्या भी करती है। संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये मौलिक अधिकारों की रक्षा और व्याख्या के गुरुतर दायित्व का निर्वाह भी करती है।

भारत में अमेरिका के समान दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं है वरन यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका जो पिरामिडाकार में सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय तक आदि संगठित है।

### 12.4 सर्वोच्च न्यायालय का संगठन

उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 224 में किया गया है। संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन और उसकी शक्तियों से संबंधित विधान करने का अधिकार संसद को है।

मूल संविधान के द्वारा जो प्रावधान किया गया उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। परन्तु बाद के परिवर्तनों के द्वारा जिसमें अन्ततः 1986 में संविधान में संशोधन कर प्रावधान के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में यह संख्या 26 है।

तदर्थ न्यायाधीश:- अनुच्छेद 127 इस बात का उपबन्ध करता है कि यदि उच्चतम न्यायालय में, न्यायाधीशों की गणमूर्ति न हो तो, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से बैठकों में उपस्थित होने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

अनुच्छेद 128 इस बात का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय में जज हो सकता है, उससे उच्चतम न्यायालय में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

#### 12.4.1 न्यायाधीशों की नियुक्ति

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस हेतु राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से अनिवार्य रूप से परामर्श करेंगे।

न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु योग्यता:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (3) में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार है-

- 1- वह भारत का नागरिक हो
- 2- देश के किसी उच्चतम न्यायालय का न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या
- 3- न्यूनतम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या
- 4- राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवत्ता हो।

कार्यकाल:- इस संबंध में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक है इसके पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर से त्याग-पत्र दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें 'सावित कदाचार' या असमर्थता के आधार पर संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से भी पद से हटाया जा सकता है।

महाभियोग:- जैसा कि हम ऊपर यह देख चुके हैं कि अनुच्छेद 124 (4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। संविधान के द्वारा प्राप्ति शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 अधिनियमित किया है। जिसमें न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है-

1- सर्वप्रथम इस हेतु राष्ट्रपति से इस हेतु समावेदन करना होगा। यदि प्रस्ताव को लोकसभा में प्रस्तुत करना है तो कम-से-कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित सहमति और यदि राज्यसभा में प्रस्तुत करना है तो कम-से-कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित सहमति होनी आवश्यक है।

2- यदि प्रस्ताव लोकसभा में हो तो लोकसभा में अध्यक्ष और यदि राज्यसभा में है तो सभापति आवश्यकतानुसार परामर्श किसी से ले सकता है। परन्तु वह प्रस्ताव का स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

3- अध्यक्ष/सभापति यदि प्रस्ताव को ग्रहण कर लेते हैं तो एक समिति गठित की जायेगी जिसमें तीन सदस्य होंगे-

- a. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या कोई अन्य एक न्यायाधीश
- b. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से कोई एक
- c. कोई पारंगत विधिवत्ता

4- यदि यह तीन सदस्यीय समिति इस प्रस्ताव पर सहमत होती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या असमर्थता से ग्रस्त है तो, समिति प्रस्ताव और अपने प्रतिवेदन को उस सदन में रखती है, जहाँ प्रस्ताव लंबित है।

5- प्रस्ताव पर दोनों सदनों के अलग-अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

6- अन्ततः राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करता है।

### 12.4.2 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाये रखने वाले उपबन्ध

जैसा कि हम ऊपर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि संविधान के रक्षक उसके व्याख्याकार और नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के रूप में न्यायापालिका को बहुमत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने की जिम्मेदारी संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में इतने गुरुतर दायित्व के निर्वहन के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि न्यायापालिका को उसके कार्यों में अन्य संस्थाओं (विधायिका, कार्यपालिका) के दखल से स्वतन्त्र रखा जाए। इस बात का एहसास भारतीय संविधान निर्माताओं को था इसलिए उन्होंने इस हेतु, प्रावधान किये हैं, जो इस प्रकार हैं-

- 1- संविधान के द्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के उपरान्त पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत ही दुरूस्त है जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं।
- 2- उच्चतम और उच्च न्यायालय पर होने वाला व्यय भारत की संचित निधि पर पारित है, जिससे कोई दबाव वित्तीय कारकों के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है।
- 3- सेवाकाल में न्यायाधीशों के लिए कोई अलामकारी परिवर्तन (जैसे वेतन, भत्ते कम करना आदि) नहीं किया जा सकता। ऐसा के वित्तीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है न तो उसके पहले और न ही बाद में।
- 4- किसी न्यायाधीश के द्वारा अपने कर्तव्यों के अनुपालन में किये गये आचरण में संसद/राज्यविधान मण्डल में चर्चा नहीं हो सकती।
- 5- उच्चतम और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति है।

### 12.4.3 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय

संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहने के मुख्यतः दो आधार होते हैं।

- 1- जब न्यायालय के पास अपनी अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति हो।
- 2- इसके निर्णय साक्ष के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। जब से निर्णय साक्ष के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं तो ये प्रश्नगत नहीं किये जा सकते, वरन् ये तो निश्चयात्मक प्रकृति के होते हैं।

### 12.4.4 उच्चतम न्यायालय के अधिकार:

इसके अन्तर्गत मुख्यतः निम्न विषय आते हैं-

1. प्रारंभिक अधिकारिता
2. अपीलीय अधिकारिता
3. लेख क्षेत्राधिकार

## 4. परामर्श अधिकारिता

## 5. न्यायिक पुनरावलोकन

1- प्रारम्भिक अधिकारिता:- संविधान के अनुच्छेद 131 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को कुछ प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे विषयों पर सुनवाई का प्रारम्भिक अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। किसी अन्य न्यायालय को नहीं। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रारम्भिक अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय को है-

(अ) संसदीय सरकार और एक राज्य या उससे अधिक राज्यों के अन्य उत्पन्न किसी विवाद के सन्दर्भ में,

(ब) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उठने वाले विवाद,

(स) दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद जो कि उनके वैधानिक अधिकारों के प्रश्न से संबंधित हो।

2- अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। जिसे उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। निम्नलिखित मामले में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार है-

(अ) संवैधानिक मामले में- जब उच्च न्यायालय के किसी निर्णय में संविधान की व्याख्या से संबंधित को विषय हो तो, उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(ब) दीवानी मामले में- अनुच्छेद 133 इस बात का प्रावधान करता है कि निम्नलिखित स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में, दीवानी मामलों में अपील की जा सकती है जबकि उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि-

I. मामले में विधि या लोकमहत्व का कोई सारभूत प्रश्न निहित हो,

II. मामलों का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(स) फौजदारी मामले में- अनुच्छेद 134 में उन दशाओं का उल्लेख है जब फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

I. जब उच्च न्यायालय के द्वारा किसी दोषमुक्त व्यक्ति को मृत्युदण्ड दिये जाने का निर्णय दिया गया हो।

II. जब अपने अधीनस्थ न्यायालय से कोई वाद अपने को हस्तान्तरित करवाकर, अभियुक्त को दोषी करार देते हुए मृत्युदण्ड का निर्णय दे।

III. ऐसा तब भी किया जा सकता है जबकि उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विषय, उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने लायक हो।

3. लेख क्षेत्राधिकार: संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भी बनाया गया है। इसी क्रम में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के

प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित लेख जारी कर सकता है- बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। इसके सन्दर्भ में हम मौलिक अधिकार के अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं।

4. परामर्शी क्षेत्राधिकार- हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी विषय में विधि के सारवान प्रश्न शामिल होने की दशा में, आवश्यक समझने पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। जिस विषय की सुनवाई कर न्यायालय अपनी राय दे सकता है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि ऐसी राय मांगने पर, न तो सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है, और न ही, सर्वोच्च न्यायालय यदि राय दे तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है।

5. न्यायिक पुनरावलोकन- न्यायपालिका लोकतंत्र में नागरिक स्वतन्त्रता और अधिकारों के रक्षक के रूप में अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक तभी निर्वाह कर सकता है, जब उसे कुछ बुनियादी अधिकार हो, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन भी एक है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई है।

न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि संसद और राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानूनों तथा कार्यपालिका के कार्यों का संविधान के उपबंधों के अनुरूप न्यायालय परीक्षण करता है यदि उन्हें उपबंधों के अनुरूप नहीं पाता है तो उसे शून्य घोषित करता है।

## 12.5 उच्च न्यायालय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में इस बात का प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। परन्तु, यदि संसद आवश्यक समझे तो वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो से अधिक राज्यों और किसी संघशासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है।

संगठन -अनुच्छेद 216 में यह प्रावधान है कि एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर (जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे) उच्च न्यायालय का गठन होगा।

अर्हताएं (योग्यताएं)- इस संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 217 में किया गया है-

1- वह भारत का नागरिक हो।

2- वह भारत में कम-से-कम 10 वर्ष कोई न्यायिक पद ग्रहण कर चुका हो या

3- उच्च न्यायालय का कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

नियुक्ति-इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के अतिरिक्त, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है।

पदावधि-उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपना पद ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को समय से पूर्व त्यागपत्र दे सकता है।

तथा साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है वैसे ही इन्हें भी हटाया जा सकता है।

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण- अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श पर किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकता है।

### 12.5.1 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय के निम्नलिखित क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं-

- 1- अपीलीय- अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय अधिकार है।
- 2- प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार- अनुच्छेद 226 के अनुसार राजस्व संग्रह और मूलअधिकारों के प्रवर्तन हेतु, प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है।
- 3- अन्तरण के अधिकार- अनुच्छेद 228 में प्रावधान है कि यदि उच्च न्यायालय को प्रतीत हो कि उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न निहित है तो उस मामले को अपने पास मंगाकर उस पर दो निर्णय दे सकता है।
- 4- अधीक्षण का अधिकार- अनुच्छेद 227 के तहत, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है।
- 5- अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है वहाँ उन क्षेत्रों तक अन्यथा जिस राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, वहाँ तक उसकी अधिकारिता होगी।

उच्च न्यायालय-अधिकारिता और अवस्थान				
क्रमांक	नाम	स्थापनाकी तारीख	राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता	अवस्थान
1	इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (लखनऊ में न्यायपीठ)
2	आंध्रप्रदेश	1954	आंध्रप्रदेश	हैदराबाद
3	मुंबई	1862	महाराष्ट्र,	मुंबई
			दादर और नागर हवेली और गोवा, दमण और दीव (नागपुर)	नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में न्यायपीठ
4	कलकत्ता	1862	पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप	कलकत्ता(पोर्ट प्लेयर में न्यायपीठ)

5	छत्तीसगढ़	2000	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
6	दिल्ली	1966	दिल्ली	दिल्ली
7	गुवाहटी	1948	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी(कोहिमा में न्यायपीठ, और इम्फाल, अगरतला और शिलांग में सर्किट न्यायपीठ)
8	गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद
9	हिमांचल प्रदेश	1971	हिमांचल प्रदेश	शिमला
10	सिक्किम	1975	सिक्किम	गंगटोक
11	जम्मू-कश्मीर	1957	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर और जम्मू
12	झारखण्ड	2000	झारखण्ड	राँची
13	कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बंगलौर
14	केरल	1950	केरल और लक्षदीप	एर्नाकुलम
15	मध्यप्रदेश	1956	मध्यप्रदेश	जबलपुर (ग्वालियर और इंदौर में न्यायपीठ)
16	मद्रास	1862	तमिलनाडु और पांडिचेरी	मद्रास
17	उड़ीसा	1948	उड़ीसा	कटक
18	उत्तराखंड	2000	उत्तराखंड	नैनीताल
19	पटना	1916	बिहार	पटना (राँची में न्यायपीठ)
20	पंजाब और हरियाणा	1966	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़	चंडीगढ़
21	राजस्थान	1950	राजस्थान	जोधपुर (जयपुर में न्यायपीठ)

अभ्यास प्रश्न

1. भारत में कुल कितने उच्च न्यायलय हैं ? २१
2. सबसे बड़ा उच्च न्यायलय कौन सा है ?

3. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है ?
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?
5. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है ?

## 12.6 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के आधार पर हम पर हमें भारत में न्यायपालिका की संरचना का अध्ययन करने को मिला है जिसमें हमने यह देखा है कि किस प्रकार से भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है | जो जहाँ एक तरफ संविधान की संरक्षक है तो दूसरी तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी संरक्षक है | जहाँ पर संविधान के किसी भाग को स्पष्ट समझने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो वहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करने का कार्य भी करती है | इसके साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों का और कार्यपालिका के कृत्यों का परीक्षण संविधान के उपबंधों के आधार पर करती है , यदि उन्हें संविधान के उपबंधों के विपरीत पाती है तो उन्हें , संविधान के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित करती है | इस प्रकार से भारत में न्यायपालिका शासन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है |

## 12.7 शब्दावली

न्यायिक पुनरावलोकन - न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि संसद और राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानूनों तथा कार्यपालिका के कार्यों का संविधान के उपबंधों के अनुरूप न्यायालय परीक्षण करता है यदि उन्हें उपबंधों के अनुरूप नहीं पाता है तो उसे शून्य घोषित करता है।

## 12.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 21 , 2. इलाहाबाद , 3. नई दिल्ली , 4. राष्ट्रपति , 5. साबित कदाचार , असमर्थता

## 12.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. रूपा मंगलानी - भारतीय शासन एवं राजनीति ( 2009), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
2. त्रिवेदी एवं राय - भारतीय सरकार एवं राजनीति
3. भारत का संविधान - ब्रज किशोर शर्मा ( 2008), प्रेन्टिस हॉल ऑफ इंडिया नई दिल्ली
4. महेन्द्र प्रताप सिंह - भारतीय शासन एवं राजनीति ( 2011), ओरियन्टल ब्लैक स्वान नई दिल्ली

---

### 12.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. भारतीय प्रशासन - अवस्थी एवं अवस्थी (2011), लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
2. भारत में लोक प्रशासन - बी.एल. फड़िया (2010) साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
3. The Constitution of India – J.C. Jauhari-2004-Sterling Publishers Private Limited New Delhi

---

### 12.11 निबंधात्मक प्रश्न

---

1. सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और कार्यों की विवेचना कीजिये।
2. संविधान और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों पर एक निबंध लिखिए।

## इकाई 13 : केन्द्र राज्य सम्बन्ध

### इकाई की संरचना

- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 उद्देश्य
- 13.3 केन्द्र तथा राज्यों के विधायी सम्बन्ध
  - 13.3.1 राज्य सूची के विषय पर संसद की व्यवस्थापन की शक्ति
    - 13.3.1.1 राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर
    - 13.3.1.2 संकट कालीन घोषणा होने पर
    - 13.3.1.3 राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर
    - 13.3.1.4 विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु
    - 13.3.1.5 राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर
    - 13.3.1.5 राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर
    - 13.3.1.6 कुछ विषयों के प्रस्तावित करने और कुछ को अन्तिम स्वीकृत के लिए केन्द्र का अनुमोदन आवश्यक
- 13.4 केन्द्र राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध
  - 13.4.1 राज्य सरकारों को निर्देश देने की संघ सरकार की शक्ति
  - 13.4.2 संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहने का प्रभाव
  - 13.4.3 संघ द्वारा राज्यों की शक्ति देने का अधिकार
  - 13.4.4 राज्य सरकारों द्वारा संघ सरकार को कार्य सौंपने की शक्ति
  - 13.4.5 राज्यपालों की नियुक्ति और बरखास्तगी
  - 13.4.6 राज्य सरकारों को बरखास्त करना
  - 13.4.7 मुख्यमन्त्रियों के विरुद्ध जांच आयोग
  - 13.4.8 अखिल भारतीय सेवाओं पर नियन्त्रण
- 13.5 केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध
  - 13.5.1 संघ और राज्यों की बीच राजस्व वितरण
  - 13.5.2 संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित शुल्क
  - 13.5.3 संघ द्वारा उदग्रहीत तथा संग्रहीत परन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर
  - 13.5.4 संघ द्वारा उदग्रहीत तथा संग्रहीत किन्तु संघ और राज्यों के बीच वितरित कर
  - 13.5.5 संघ के प्रयोजन के लिए कर
  - 13.5.6 राज्यों के प्रायोजन के लिए कर
  - 13.5.7 राजस्व में सहायक अनुदान
  - 13.5.8 ऋण लेने सम्बन्धी उपबन्ध
- 13.6 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा द्वारा नियन्त्रण
- 13.7 वित्तीय संकटकाल
- 13.8 सारांश
- 13.9 शब्दावली

- 
- 13.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर  
 13.11 संदर्भ ग्रन्थ  
 13.12 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री  
 13.13 निबन्धात्मक प्रश्न
- 

### 13.1 प्रस्तावना

---

भारत एक परिसंघ है और उसका संविधान परिसंघीय है। परिसंघ में शासन के दो स्तर होते हैं। सभी शक्तियाँ इन स्तरों में विभाजित की जाती हैं। संघ, अठ्ठाइस राज्य और सात संघ राज्य क्षेत्र सभी संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। राज्यों को शक्ति संघ नहीं प्रदान करता है। सबकी शक्ति का एक ही स्रोत है और वह है संविधान। संविधान में सभी शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के मध्य किया गया है।

प्रत्येक परिसंघीय राज्य व्यवस्था का यह चिन्ह और आवश्यक लक्षण है कि शक्तियों का विभाजन और वितरण राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच किया जाता है जिन शक्तियों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है वे साधारणतया चार प्रकार की होती है ;क- विधायी , ख- कार्य पालिका ,ग- वित्तीय , घ- न्यायिका अतः संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के सम्बन्धों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।1. केन्द्र तथा राज्यों के विधायी सम्बन्ध 2.केन्द्र तथा राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्ध 3.केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध

---

### 13.2 उद्देश्य

---

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- 1.केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विधायी सम्बन्धों की विवेचना कर सकेंगे।
- 2.केन्द्र एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक शक्ति यों के विभाजन की विवेचना कर सकेंगे।
- 3.केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों का वर्णन कर सकेंगे।
- 4.केन्द्र राज्य सहयोग प्राप्त करने के विभिन्न उपयों की व्याख्या कर सकेंगे।

### 13.3 केन्द्र तथा राज्यों के विधायी सम्बन्ध

हमारे संविधान के अनुच्छेद 245.255 में केन्द्र राज्य के मध्य विधायी सम्बन्धों के बारे में बताया गया है। संघ व राज्यों के मध्य विधायी सम्बन्धों का संचालन उन तीन सूचियों के आधार पर होता है। जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। इन सूचियों को सातवीं अनुसूची में रखा गया है।

१. संघ सूची: इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है। जिसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति का अनुकरण आवश्यक कहा जा सकता है। इस सूची के सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख हैं- रक्षा, वैदेशिक मामले, देशीकरण व नागरिकता, रेल, बन्दरगाह, हवाई मार्ग, डाक, तार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने व खनिज आदि।

२. राज्य सूची: इस सूची में साधारणतया वो विषय रखे गये हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतया राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को ही प्राप्त है। इस सूची में 66 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं- पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, सिंचाई आदि।

३. समवर्ती सूची: इस सूची में सामान्यतया वो विषय रखे गये हैं जिनका महत्व क्षेत्रीय व संघीय दोनों ही दृष्टियों से है। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों को ही विधियां बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो तो सामान्यतया: संघ का कानून मान्य होगा। इस सूची में कुल 47 विषय हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं- फौजदारी, निवारक बिरोध, विवाह तथा विवाह विच्छेद दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ औद्योगिक विवाद, आर्थिक और समाजिक योजना और सामाजिक बीमा, पुर्नवास और पुरातत्व आदि।

अवशेष विषय: आट्रेलिया, स्विटजरलैण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशेष विषयों के सम्बन्ध में कानून निर्माण का अधिकार इकाईयों को प्रदान किया गया है, लेकिन भारतीय संघ में कनाडा के संघ की भांति अवशेष विषयों के सम्बन्ध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय संसद को प्रदान की गयी है।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शक्तियों के बटवारे में केन्द्र सरकार की तरफ झुकाव अधिक है।

#### 13.3.1 राज्य सूची के विषय पर संसद की व्यवस्थापन की शक्ति

सामान्यतया संविधान द्वारा किये गये शक्ति विभाजन का उल्लंघन किसी भी सत्ता द्वारा, नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर और किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघ सूची के किसी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा। लेकिन संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले संविधान के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं।

##### 13.3.1.1 राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर

संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा अपने दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण

का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसकी मान्यता केवल एक वर्ष तक रहती है। राज्य सभा द्वारा पुनः प्रस्ताव स्वीकृत करने पर इसकी अवधि में एक वर्ष की वृद्धि और हो जाएगी।

#### 13.3.1.2 संकट कालीन घोषणा होने पर

अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है; अनुच्छेद 250 इस घोषणा की समाप्ति के छः माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत् चलते रहेंगे।

#### 13.3.1.3 राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर

अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाय, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाएगा। राज्यों के विधानमण्डल न तो इन्हें संशोधित कर सकते हैं और न ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं।

#### 13.3.1.4 विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु

; अनुच्छेद 253, यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है तो इस सन्धि के पालन हेतु संघ सरकार को सम्पूर्ण भारत के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

#### 13.3.1.5 राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर

यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है इस स्थिति में राज्य की समस्त विधायी शक्तियां संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन इस्तेमाल की जाती हैं इस अधिकार के तहत संसद किसी भी सूची के किसी भी विषय पर विधायन बना सकता है।

#### 13.3.1.6 कुछ विषयों के प्रस्तावित करने और कुछ को अन्तिम स्वीकृत के लिए केन्द्र का अनुमोदन आवश्यक

उपर्युक्त परिस्थितियों में तो संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त भी राज्य व्यवस्थापिकाओं की राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। अनुच्छेद 304 ;ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधान मण्डल में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृत की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अन्दर या उससे बाहर, वाणिज्य या मेल जोल पर कोई प्रतिबन्ध लगाए जाने हों।

### 13.4 केन्द्र राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध

किसी भी परिसंघीय संविधान के अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों की कार्यपालिकायें अलग-अलग होती हैं। जहाँ तक विधान बनाने का प्रश्न है दोनों के क्षेत्र को तय करना कठिन नहीं है क्योंकि सप्तम अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। प्रशासनिक मामलों में बहुत सी कठिनाइयां सामने आती हैं कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें स्थानीय

स्तर पर अच्छी तरह निपटाया जा सकता है और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके लिए बड़े संगठन की आवश्यकता होती है जिससे क्षमता और मितव्ययता संभव हो सके। इसके अतिरिक्त परिसंघ की विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा उनके झगड़े तय करना भी आवश्यक हो जाता है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 256 से 263 तक कुछ उपबन्ध किए हैं।

#### 13.4.1 राज्य सरकारों को निर्देश देने की संघ सरकार की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि संसद द्वारा पारित विधि को मान्यता है। इस प्रावधान का यह परिणाम निकलता है कि प्रत्येक राज्य की प्रशासनिक शक्ति को इस प्रकार प्रयोग में लाना होता है कि वह संघ सरकार की प्रशासनिक शक्ति को प्रतिबन्धित न करें। संघ सरकार आवश्यकतानुसार इस प्रकार के निर्देश भी राज्य सरकार को दे सकती है। इसके अतिरिक्त संघ सरकार राज्यों को निम्नलिखित विषयों पर निर्देश दे सकती है-

1. राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्व के यातायात तथा सूचना के साधनों का निर्माण और उनकी देखभाल करना।

2. राज्य में विद्यमान रेलमार्ग की सुरक्षा करना। तो भी जब कभी किसी यातायात के साधन के निर्माण अथवा देखभाल करने में अथवा रेलमार्ग की सुरक्षा करने में राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ जाता है तो भारत सरकार उसका भुगतान राज्य को कर देती है। और यदि अतिरिक्त व्यय की राशि के लिए कोई मतभेद हो जाता है तो भारत को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ इसका निर्णय करता है। ;अनुच्छेद 257।

3. परिगणित जनजातियों के हित के लिए बनाई योजनाओं को लागू करना ;अनु. 339।

#### 13.4.2 संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहने का प्रभाव

संघ सरकार को संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत समान्य तथा असामान्य अवस्थाओं में जो निर्देश देने की शक्ति दी गई है उसके परिणामस्वरूप यह भी बात सामने आती है कि यदि संविधान के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन राज्य सरकार नहीं करती तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य सरकार संविधान के अनु. 365 के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कार्य करने के समर्थ नहीं है। जैसे ही यह घोषणा की जायेगी, राज्य सरकार अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत बरखास्त कर दी जायेगी। इस आधार पर राज्य की विधानसभा या तो निलम्बित की जा सकती है या भंग की जा सकती है।

#### 13.4.3 संघ द्वारा राज्यों की शक्ति देने का अधिकार

भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता यह है कि यह सहकारी संघ प्रणाली पर आधारित है। भारत सरकार के 1935 के विधान के समान यह संघ को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह प्रतिबन्ध सहित अथवा प्रतिबन्ध रहित कुछ कार्य राज्य सरकारों को सौंप दे अथवा राज्य सरकारों को स्वीकृति से इसके अधिकारियों को सौंप दे ;अनु. 258।

इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में तो राज्य सरकारों की अनुमति के बिना भी लोकसभा कानूनन अधिकार दे सकती है और राज्य के अधिकारियों को कार्य सौंप सकती है। जो भी ऐसे मामलों में यदि राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है तो उसको भारत सरकार अदा करती है। यदि होने वाले अतिरिक्त व्यय के विषय में भारत सरकार और राज्य सरकारों में मतभेद हो जाता है तो उसका निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त मध्यस्थ

के द्वारा किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार जनगणना करवाना, चुनाव के लिए मत-सूची तैयार करवाना और चुनाव करवाना ये तीनों काम राज्य सरकारों को सौंपे हुए हैं।

#### 13.4.4 राज्य सरकारों द्वारा संघ सरकार को कार्य सौंपने की शक्ति

मूलतः संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार एक राज्य सरकार कुछ कार्य भारत सरकार के किसी अंग को सौंप सके। सम्भवतः संविधान निर्माताओं ने यह कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसी भी घटना हो सकती है। केन्द्र सरकार ने जब उड़ीसा सरकार की ओर से हीराकुण्ड बाँध का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया और यह निर्णय किया कि इसकी लागत राज्य सरकार के खर्च से खर्च होगी तो लेखा नियन्त्रक ;कन्ट्रोलरस्ड तथा महालेखा परीक्षक ;ऑडिटर जनरलस्ड ने आपत्ति की। उसके पश्चात् 1956-का सातवां संविधान संशोधन पारित किया गया और संविधान में अनुच्छेद 258 ए जोड़ दिया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि वह सप्रतिबन्ध अथवा अप्रतिबन्ध रूप से कुछ कार्य सौंप दे जिससे राज्य की प्रशासनिक शक्ति संघीय सरकार के अधिकारियों के पास पहुँच जाये। परन्तु यह सब भी भारत सरकार की अनुमति से ही हो सकता है।

#### 13.4.5 राज्यपालों की नियुक्ति और बर्खास्तगी

राज्यपाल किसी भी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति बरखास्तगी अथवा स्थानान्तरण करता है। वस्तुतः वे शुद्ध रूप से संघीय सरकार की दयाभाव पर निर्भर हैं। इसलिए अनेक बार उन्हें केन्द्रीय सरकार के दबाव के कारण मन्त्रिमण्डल को नियुक्त करने तथा पदच्युत करने और विधानसभा की बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने का कर्तव्य निबाहना पड़ता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को निश्चित करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सिफारिश करने के अधिकारों का प्रयोग केन्द्र में सत्ता दल के हितों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। इस प्रकार बहुत हद तक केन्द्र राज्यों की स्वायत्ता को राज्यपालों के द्वारा नष्ट कर देता है।

#### 13.4.6 राज्य सरकारों को बरखास्त करना

संघीय सरकार को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है। यद्यपि इसमें यह अवश्य है कि यदि राष्ट्रपति सन्तुष्ट हो जाता है कि परिस्थिति ऐसी बन गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान में विहित प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। इस अनुच्छेद का केन्द्र में शासन करने वाली पार्टी ने पुनः-पुनः प्रयोग पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया और दूसरी और राज्यों की स्वायत्ता को नष्ट करने के लिए किया। जो भी राज्य सरकार अपने अनकूल न दिखाई दी उसे ही पदच्युत कर दिया गया तथा विधानसभाओं को या तो निलम्बित कर दिया गया अथवा केन्द्र में शासन करने वाली पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे भंग कर दिया गया। उस अनुच्छेद ने वस्तुतः राज्य सरकारों को प्रशासन की दृष्टि से सर्वथा केन्द्र के अधीन बना दिया।

#### 13.4.7 मुख्यमन्त्रियों के विरुद्ध जॉच आयोग

एक दूसरा उपाय जिसके द्वारा संघ सरकार राज्य सरकारों पर पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण रखती है, वह है केन्द्र सरकार द्वारा मुख्यमन्त्रियों के भूल-चूक या अच्छे-बुरे कार्यों के लिए उनके विरुद्ध जॉच-आयोग बैठाना। इस प्रकार का जॉच आयोग सबसे पहले पंजाब के मुख्यमन्त्री प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध संघ सरकार ने 1963 में दास आयोग के नाम से बैठाया था। इसके उपरान्त इस प्रकार के जॉच आयोग बैठाए गए जैसे 1972 में पंजाब में सरकार

प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध, 1976 में तमिलनाडु में करूणानिधि के विरुद्ध सरकारिया आयोग, आन्ध्र में वेंगल राव के विरुद्ध विया दलाल आयोग, कर्नाटक में देवराज उर्स के और हरियाण में बंसी लाल के विरुद्ध 1978 में, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री एस. एस. सेन गुप्त के विरुद्ध 1979 में बर्मन आयोग। 1981 में संघ सरकार ने तमिलनाडु और केरल में स्पिरिट घोटाले के विषय में जांच करने लिए प्रे आयोग की नियुक्ति की थी।

#### 13.4.8 अखिल भारतीय सेवाओं पर नियन्त्रण

संविधान में राज्यों की सेवाओं और केन्द्र सेवाओं का प्रावधान है। तो भी कुछ सेवाएँ ऐसी हैं जो अखिल भारतीय हैं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा ;इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और भारतीय पुलिस सेवा ;इण्डियन पुलिस सर्विस, केन्द्र सरकार इसके अतिरिक्त भी अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है यदि राज्य सभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इस प्रकार की अखिल सेवा के बनाने की सिफारिश करें। केन्द्र की अनुमति के बिना उन पर कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

### 13.5 केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध

कोई भी सरकार बगैर धन के सुचारू रूप से नहीं चल सकती है एक परिसंघीय संविधान के अन्तर्गत राज्यों की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। यह स्वतंत्रता तभी रह सकती है जब राज्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था हो। प्रायः सभी मुख्य परिसंघों में वित्तीय व्यवस्था की राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए भी प्रयाग किया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263.293 तक वित्तीय सम्बन्धों पर विस्तृत चर्चा की गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में यह व्यवस्था है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जाएगा और न वसूल किया जाएगा। अनुच्छेद 265 के उपबन्ध प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत सरकार प्राप्त सभी राजस्व उधार लिया गया धन तथा उद्योग के प्रतिदान में प्राप्त सभी धनों की एक संचित निधि बनेगी जो भारत की संचित निधि ; के नाम से ज्ञात होगी और इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व उधार लिया गया धन तथा उधार के प्रतिदान में प्राप्त धनों की एक संचित निधि बनेगी जो राज्य की संचित निधि ; के नाम से ज्ञात होगी। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन लोक लेखे ; में जमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 267 में भारत व राज्यों के लिये आकस्मिकता निधि की व्यवस्था है जो अपूर्व दृष्ट ; व्यय के लिए क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपालों के हाथ में रखी जाएगी।

#### 13.5.1 संघ और राज्यों की बीच राजस्व वितरण

भारतीय संघ में संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई है।

#### 13.5.2 संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित शुल्क

अनुच्छेद 268 में यह उपलब्ध है कि ऐसे मुद्रा शुल्क औषधीय और प्रसाधनीय पर ऐसे उत्पादन शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है, भारत सरकार द्वारा आरोपित किये जायेंगे परन्तु संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उदग्रहीत ;समअपमकद्ध किए जाने वाले शुल्क भारत सरकार द्वारा और राज्यों के बीच उदग्रहीत शुल्क राज्य सरकारों द्वारा संग्रहीत किये जाएंगे। जो शुल्क राज्यों के भीतर उदग्रहीत किए जाएंगे वे भारत की संचित निधि में जमा न होकर उस राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे।

### 13.5.3 संघ द्वारा उदग्रहीत तथा संग्रहीत परन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर

कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, रेल समुद्र तथा वायु द्वारा ले जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमान्त कर रेल भाड़ों तथा वस्तु भाड़ों पर कर, शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के आदान प्रदान पर मुद्राक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उनमें प्रकाशित किए गए विज्ञापनों पर और समाचार पत्रों से अन्य अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य से माल के क्रय विक्रय पर कर।

### 13.5.4 संघ द्वारा उदग्रहीत तथा संग्रहीत किन्तु संघ और राज्यों के बीच वितरित कर

कुछ कर संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहीत किए जाते हैं किन्तु उनका विभाजन संघ तथा राज्यों के बीच होता है। आयकर का विभाजन संघीय भू भागों के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। आयकर के अतिरिक्त दवा तथा शौक श्रृंगार सम्बन्धी जीजों के अतिरिक्त अन्य चीजों पर लगाया गया उत्पान शुल्क इसके अन्तर्गत आता है।

### 13.5.5 संघ के प्रयोजन के लिए कर

अनुच्छेद 271 में यह उपबन्ध है कि संसद 269 और 270 में निर्दिष्ट शुल्कों या करों की अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकती है। अधिभार से हुई सारी आय भारत की संचित निधि का भाग होगी। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत इस प्रकार हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि।

### 13.5.6 राज्यों के प्रायोजन के लिए कर

अनुच्छेद 276 के अन्तर्गत राज्यों को वृत्तियों व्यापारों अजीविकाओं नौकरियों पर कर लगाने का प्राधिकार दिया गया है। इससे प्राप्त आय राज्य या उसकी नगर पालिकाओं, जिला वार्डों या स्थानीय बोर्डों के हितों में प्रयोग की जाएगी। राज्यों के मुख्य राजस्व स्रोत हैं- प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर सम्पदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं और नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर वाहनों पर चुंगी कर आदि।

### 13.5.7 राजस्व में सहायक अनुदान

अनुच्छेद 273 के तहत पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान पैदा करने वाले राज्यों- बंगाल, उड़ीसा, बिहार व असम को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 275 में उन राज्यों के लिए अनुदान की व्यवस्था है जिनके बारे में संसद यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है।

13.5.8 ऋण लेने सम्बन्धी उपबन्ध-संविधान केन्द्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संपत्ति निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है परन्तु वे विदेशी से उधान नहीं ले सकते। यदि राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कंही से कर्ज केन्द्र सरकार की अनुमति से ही ले सकती है।

### 13.6 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा द्वारा नियन्त्रण

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने का ढंग एवं उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करता है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संसद राज्यों की आय पर अपना नियंत्रण रखती है।

### 13.7 वित्तीय संकटकाल

वित्तीय संकटकाल की स्थिति में राज्यों का आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान अथवा संघ के करों की आय में भाग बंटाने से सम्बन्धित हो। केन्द्रीय सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश भी दे सकती है।

#### अभ्यास प्रश्न

1. अनुच्छेद 276 के अन्तर्गत राज्यों को वृत्तियों व्यापारों अजीविकाओं नौकरियों पर कर लगाने का प्राधिकार दिया गया है। सत्य असत्य/
2. अनुच्छेद 275 में उन राज्यों के लिए अनुदान की व्यवस्था है जिनके बारे में संसद यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है। सत्य असत्य/
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में यह व्यवस्था है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जाएगा और न वसूल किया जाएगा। सत्य असत्य/
4. संघीय सरकार को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है। सत्य असत्य/

### 13.8 सारांश

जिस प्रकार से एक गाड़ी को चलाने के लिए उसके दोनों पहियों, के मध्य समन्वय का होना आवश्यक है उसी प्रकार से केन्द्र तथा राज्यों के मध्य परस्पर समन्वय ही देश को विकास के क्षेत्र में ऊँचाइयों पर ले जा सकता है। स्वतन्त्रता के पश्चात आरम्भिक वर्षों में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग की भावना थी किन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया दोनों के मध्य सम्बन्धों में दरारें दिखनी लगीं। इसका एक कारण तो यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी में अपने देश की सरकार के प्रति चरम सीमा पर उत्साह था तथा दूसरा कारण यह था कि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य बड़े भाई तथा छोटे भाई जैसा रिश्ता था अतः तनाव न के बराबर था। तनाव उत्पन्न होने का मुख्य कारण राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का उदय होना था। धीरे-धीरे समय बीतने के साथ-साथ विभिन्न मुद्दों पर केन्द्र तथा राज्यों के मध्य तनाव बढ़ाने के मुख्य कारणों में राज्यपाल की भूमिका भी मुख्य रही है। क्योंकि राज्यपाल सरकारों में संविधानिक प्रमुख होने के स्थान पर केन्द्रीय एजेंट के रूप में ज्यादा कार्य करने लगे हैं। तनाव का एक और मुख्य कारण अखिल भारतीय

सेवायें हैं जिसके कि सदस्यों को नियन्त्रित करने वाली केन्द्र सरकार होती है जबकि वो कार्य राज्य सरकारों में करते हैं और बगैर केन्द्र की अनुमति के उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं कर सकती है। तनाव का एक अन्य कारण वित्त भी है। कुछ सरकारें केन्द्र से मिले धन को राज्य के विकास में न लगाकर अपने राजनीतिक जनाधार को बढ़ाने में लगी रहती हैं। जिसे कि केन्द्र द्वारा अक्सर ही विरोध प्रकट किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र राज्यों के मध्य सम्बन्ध केन्द्र में प्रधानमंत्री की स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। 1990 के पश्चात केन्द्र में ज्यादातर सरकारें कमजोर रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण साक्षात् सरकार का होना रहा है। केन्द्र में सरकार राज्यों के क्षेत्रीय दलों के सहयोग से बनायी जा रही है। जिसकी कि वहज से समर्थन देने वाली पार्टी के राज्यों में केन्द्र सरकार ब्लेक मेल होती रहती है। इसके उदाहरण हमको दिन प्रतिदिन देखने को मिलते रहते हैं। यदि हमको वास्तव में अपने देश को तरक्की की राह पर ले जाना है तो केन्द्र सरकारों का राज्यों सरकारों के मध्य विवाद रहित तथा स्वार्थ रहित सम्बन्ध होने चाहिये।

संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य सम्बन्धों को स्पष्ट रूप से प्रशासनिक, विधायी तथा वित्तीय क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है और यह विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में भी केन्द्र तथा राज्यों के मध्य सम्बन्धों को बताया गया है। स्पष्ट विभाजन के बावजूद भी विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य कठिनाइयाँ आती हैं। यह कठिनाइयाँ वहाँ अवष्य उत्पन्न होती हैं जहाँ केन्द्र तथा राज्यों में अलग-अलग पार्टी की सरकारें होती हैं। देश की तरक्की के लिए केन्द्र तथा राज्यों के मध्य मधुर सम्बन्ध का होना अत्यन्त आवश्यक है।

### 13.9 शब्दावली

अनुच्छेद 352	:	राष्ट्रीय आपात काल
अनुच्छेद 356	:	राज्यों में संवैधानिक तन्त्र की विफलता
अनुच्छेद 360	:	वित्तीय आपात काल
अखिल भारतीय सेवायें :		भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा।

### 13.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य      2. सत्य      3. सत्य      4. सत्य

### 13.11 संदर्भ ग्रन्थ

1. भारत का संविधान: ब्रज किशोर शर्मा, 2008ए प्रेटिस हाल आफ इंडिया प्राइवेट लि. नई दिल्ली।
2. भारत में लोक प्रशासन : डा. बी. एल. फाडिया, 2002ए साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
3. भारतीय प्रशासन : प्रो. मधू सूदन त्रिपाठी 2008ए ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली।
4. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डा. बी. एल. फाडिया, डा. कुलदीप फाडिया 2007ए साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।

---

**13.12 सहायक / उपयोगी पाठ्य सामग्री**

---

1. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन: अवस्थी एवं अवस्थी 2009ए लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा।
  2. इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन: रमेश अरोडा, रजनी गोयल 2001ए विश्व प्रकाशन नई दिल्ली।
  2. भारत का संविधान: डा. जी. एस. पाण्डेय 2001ए यूनिवर्सिटी बुक हाउस जयपुर।
- 

**13.13 निबन्धात्मक प्रश्न**

---

1. केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विधायी सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।
2. केन्द्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए।
3. केन्द्र तथा राज्यों में मध्य वित्तीय सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए।
4. केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विवाद के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

---

**इकाई-14 राज्यपाल, मुख्यमंत्री**

---

## इकाई की संरचना

- 14.1 प्रस्तावना
- 14.2 उद्देश्य
- 14.2 राज्यपाल
  - 14.2.1 राज्यपाल का कार्यकाल
  - 14.2.2 राज्यपाल की शक्तियां और कार्य
  - 14.2.3 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सम्बन्ध
  - 14.2.4 राज्यपाल की वास्तविक स्थिति
  - 14.2.14 राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति
- 14.3 मंत्रीपरिषद और मुख्यमंत्री
  - 14.3.1 मुख्यमंत्री की शक्तियां
  - 14.3.2 मुख्यमंत्री के कार्य
  - 14.3.3 मंत्रीपरिषद और व्यवस्थापिका
  - 14.3.4 मुख्यमंत्री का अपना व्यक्तित्व
- 14.4 राज्यपाल और मुख्यमंत्री
- 14.14 सारांश
- 14.6 शब्दावली
- 14.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 14.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 14.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 14.10 निबंधात्मक प्रश्न

### 14.1 प्रस्तावना

भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में शासन की वही पद्धति है जो केन्द्रीय स्तर पर मान्य है। दूसरे शब्दों में सभी राज्यों में संसदीय व्यवस्था है। प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका का एक प्रमुख है जिसे राज्यपाल कहा जाता है। साथ में एक मन्त्रिपरिषद है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल की सहायता करता है तथा परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।

राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है। राज्य की कार्यकारिणी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। आमतौर पर एक राज्य का एक राज्यपाल होता है लेकिन कभी-कभी दो राज्यों का भी एक राज्यपाल होता है।

### 14.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप-

1. राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को समझ पायेंगे।
2. राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों की जानकारी ले सकेंगे।
3. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सम्बन्धों को जान सकेंगे।
4. राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों को समझ सकेंगे।
14. राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका को समझ सकेंगे।
6. तुलनात्मक दृष्टि से राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की जानकारी लेंगे।
7. मुख्यमंत्री और विधानसभा के रिश्तों की जानकारी लेंगे।

## 14.2 राज्यपाल

संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। केवल भारत का ऐसा नागरिक जो 314 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकता है। संविधान राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई निश्चित योग्यता तय नहीं करता है। लेकिन साधारणतया विशिष्ट लोग इस पर नियुक्त किये जाते हैं। इसमें अवकाश प्राप्त राजनीतिक, सेना के पदाधिकारी, सेवी वर्ग के अधिकारी, प्रसिद्ध शिक्षाविद् इत्यादि होते हैं।

### 14.2.1 राज्यपाल का कार्यकाल

साधारणतया एक राज्यपाल पांच वर्ष के लिए नियुक्त होता है। वह राष्ट्रपति की मर्जी तक बना रहता है। अतः एक राज्यपाल पांच वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल यदि स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।

महाभियोग के द्वारा राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही उसको हटाने में व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की कोई भूमिका है।

राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है लेकिन पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, संविधान के उल्लंघन, नैतिक पतन आदि के आधार पर राज्यपाल को हटाया जा सकता है। व्यवहार में यह देखा गया है कि केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के साथ राज्यों के राज्यपाल भी बदल दिये जाते हैं।

एक राज्यपाल अनेक बार राज्यपाल हो सकता है।

### 14.2.2 राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य

संवैधानिक रूप से राज्यपाल की अनेक शक्तियाँ हैं जिनमें कार्यकारिणी विधायनी तथा न्यायिक प्रमुख हैं। परन्तु यहाँ याद रखना होगा कि व्यवहार में राज्यपाल की यह शक्तियाँ नाम मात्र की हैं। संक्षेप में इनका वर्णन इस प्रकार है:-

कार्यकारिणी शक्तियाँ

1. राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श से मन्त्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।
2. महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है।
3. राज्यपाल की मर्जी तक महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) अपने पद पर बना रह सकता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है लेकिन पदच्युत नहीं कर सकता।
4. यद्यपि राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इन न्यायधीशों को राज्यपाल के परामर्श से नियुक्त करता है।

14. यदि राज्यपाल सन्तुष्ट हो कि एंग्लो इण्डियन सम्प्रदाय का कोई सदस्य यथावत् निर्वाचित नहीं हो सकता तो विधान सभा के लिए एक एंग्लो इण्डियन को मनोनीत कर सकता है।

6. यदि राज्य में विधान परिषद है तो राज्य पाल को विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित करने का अधिकार है परन्तु ऐसे सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा और सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हो।

विधायनी शक्तियाँ--राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का एक अंग है। वह सदन का सत्र बुलाता है अथवा व्यवस्थापिका के किसी भी सदन के सत्र को स्थगित कर सकता है। वह सम्पूर्ण विधान सभा को भी भंग कर सकता है।

राज्यपाल को विधान सभा और विधान परिषद के सत्रों को अलहदा अथवा संयुक्तरूप से सम्बोधित करने का अधिकार है। वह दोनों सदनों को संदेश भी भेज सकता है।

राज्यपाल राज्य व्यवस्था के सामने वार्षिक वित्त लेखा जोखा (बजट) प्रस्तुत करने की संस्तुति देता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना वित्त विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

राज्य व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकते जब तक कि राज्यपाल की अनुमति न मिले। जब एक विधेयक राज्यपाल के सम्मुख उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह-

1. विधेयक को अपनी संस्तुति प्रदान कर सकता है और विधेयक कानून बन जाता है।
2. या वह विधेयक पर अपनी संस्तुति रोक सकता है और विधेयक कानून नहीं बनता।
3. या वित्त विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक को राज्य व्यवस्थापिका के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। यदि पुनर्विचार के बाद व्यवस्थापिका विधेयक को राज्यपाल के पास भेजती है तो वे विधेयक पर संस्तुति देने के लिए बाध्य हैं।
4. वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है। ऐसा विधेयक तब ही कानून होगा जब राष्ट्रपति अपनी संस्तुति प्रदान करेंगे।

अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ

यदि व्यवस्थापिका के सदन सत्र में नहीं है, और किसी विषय पर कानून बनाने की तुरन्त आवश्यकता है, इस संदर्भ में राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का वही प्रभाव और दर्जा होगा जो व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत कानून का होता है। राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करता है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में निहित हैं।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के औचित्य या स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। वह मन्त्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है।

निम्न मामलो पर राज्यपाल तब तक अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जब तक पहले से उस पर राष्ट्रपति की अनुमति न हो-

1. ऐसा विषय जिस से सम्बन्धित विधेयक को राज्य व्यवस्थापिका में प्रस्तुतिकरण से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता हो: या

2. राज्यपाल ऐसे विषय से संबन्धित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता महसूस करता हो।

राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य व्यवस्थापिका के सम्मुख तब रखना अनिवार्य होता है जब उसका सत्र आरम्भ होता है और यदि 6 सप्ताह के भीतर वह अध्यादेश व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो वह समाप्त हो जाता है। यदि ऐसा अध्यादेश व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो कानून बन जाता है।

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का सम्बन्ध ऐसे कानून से है जिनका उल्लंघन कार्यपालिका अर्थात् मंत्रीमंडल करता है। वह कानूनों का रखवाला है।

राज्यपाल कठोर दण्ड को हल्के दण्ड में (कम्यूटेशन) बदल सकता है, सजा को माफ (रेमीशन) कर सकता है, वह सजा या फता को राहत (रेस्पाइट) दे सकता है। लेकिन राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार मृत्युदण्ड से सम्बन्धित नहीं है।

आपातकालीन शक्तियाँ

यदि राज्यपाल सन्तुष्ट हैं कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है तो संविधान के अनुच्छेद 3146 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य का प्रशासन संभाल लेता है। परन्तु राज्यपाल की यह शक्ति बड़ी विवादास्पद रही है। उस पर आरोप लगता रहता है कि वह अकसर अपने औचित्य का गलत प्रयोग करता है।

विवेकाधीन शक्तियाँ

राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रयोग करने का अधिकार है। ऐसी शक्तियाँ-न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल को यह भी स्वतन्त्रता है कि वह तय करें कि उसे किस मामले पर विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना है और इस बारे में उसका निर्णय अंतिम है।

कुछ ऐसी शक्तियाँ जिनके प्रयोग के लिए राज्यपाल मन्त्रिपरिषद से परामर्श के लिए बाध्य नहीं है। संभव है उसका ऐसा कदम मन्त्रिपरिषद की इच्छा के विरुद्ध हो। उदाहरण के लिए -

1. जब राज्यपाल अनुच्छेद 3146 के तहत राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह दे।

2. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का अवसर मिलता है।

3. राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके यह तय करता है कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत किस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा जाये।

कुछ राज्यपालों के पास अपने राज्यों से सम्बन्धित विशिष्ट उत्तरदायित्व भी है। इन राज्यों में नागालैण्ड, मणिपुर, आसाम, गुजरात और सिक्किम के राज्यपाल आते हैं।

#### 14.2.3 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सम्बन्ध -

विधानसभा में बहुसंख्यक दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। यदि मन्त्रि परिषद विधान का विश्वास खो देती है तो राज्यपाल मन्त्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।

राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की तथा मन्त्रिपरिषद को बर्खास्त की शक्ति समय-समय पर विवादास्पत रही है। ऐसी स्थिति तब आती है जब विधान सभा में चुनाव के बाद बहुमत स्पष्ट न हो अथवा किसी समय विधान सभा में शासक दल में टूट फूट हो और बहुमत स्पष्ट न हो। तब राज्यपाल अपने विवेक से काम लेता है। परन्तु उसका यह विवेक परिस्थितियों के अनुसार होता है। क्योंकि वह केन्द्र के प्रति वफादार होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब राज्य और केन्द्र में दो विपरीत दलों की सरकारें हो, तब वह केन्द्र के हितों को ध्यान में रखकर विवेक का प्रयोग करता है जो किसी भी स्थिति में विवेकपूर्ण नहीं होता। ऐसी स्थिति में पीडित दल न्यायालय की शरण लेता है। राज्यपाल के पक्षपातपूर्ण रवैये की कड़ी आलोचना हुई है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य टकराव का एक बड़ा कारण संविधान का अनुच्छेद 3146 है। केन्द्र में सत्ताधारी दल सदा ही राज्यों की ऐसी सरकारों को गिराने का प्रयास करता है जहाँ राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के विपरीत होती हैं। यह काम केन्द्रीय सरकार अपने प्रतिनिधि राज्यपाल से लेता है। वह केन्द्र के इशारे पर दुविधापूर्ण स्थिति का लाभ उठाकर अनुच्छेद 3146 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देता है, इससे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव बढ़ता है और संघात्मक संरचना पर आंच आती है। यद्यपि इस व्यक्तिगत पसन्द को अक्सर न्यायपालिका ने नापसन्द किया है।

#### 14.2.4 राज्यपाल की वास्तविक स्थिति

भारत में एक ओर संघात्मक व्यवस्था है तो दूसरी ओर संसदात्मक जो केन्द्र में भी है और राज्यों में भी। केन्द्र के समान राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान (हेड) है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद करती है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मन्त्रिपरिषद अपने सभी कृत्यों के लिये व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। यह स्थिति बिल्कुल केन्द्र के समान है।

इन समानताओं के बावजूद, जो केन्द्र और राज्यों में पाई जाती है, राज्यपाल की स्थिति और भूमिका राष्ट्रपति की स्थिति के समान नहीं है। कारण है राज्यपाल की दोहरी भूमिका। एक ओर राज्यपाल राज्य शासन का मुखिया है तो दूसरी ओर वह राज्य में केन्द्र का प्रतिनिधि है। यह एक विषम स्थिति है क्योंकि संविधान में राज्यपाल की शक्तियाँ स्पष्ट नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि राज्यपाल को हटाने या उसको नियन्त्रित करने की शक्ति राज्य में निहित नहीं है। इस स्थिति ने राज्यपाल की कुर्सी को मजबूत किया है और वह केन्द्र में सत्ताधारी दल से सरलता से प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप राज्य के सत्ताधारी दलों से उसका टकराव बढ़ जाता है। सक्रिय अथवा अवकाश प्राप्त राजनीतिज्ञों ने इस पद पर पहुँचकर स्थिति को और गंभीर बनाया है।

वास्तव में अनुच्छेद 3146 का अक्सर दुरुपयोग करके राज्यपाल ने स्वयं को राज्य का एक संवैधानिक मुखिया कम एक कुशल राजनीति अधिक सिद्ध किया है। इससे राज्य में अस्थिरता, दल- बदल और जोड़-तोड़ की

राजनीति को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिये 1960 से 1967 तक राज्यों में विरोधी दलों की ग्यारह बार सरकारें बर्खास्त की गईं जबकि 1967 से 1977 तक 8 बार ऐसी सरकारें बर्खास्त की गईं। 1977 के आम चुनावों के बाद केन्द्र में जनता दल की सरकार ने राज्यों में कांग्रेस की नौ राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया। 1980 में कांग्रेस ने बदले में विरोधी दलों की ग्यारह राज्य सरकारों को अपदस्थ किया, और यह सब कुछ केन्द्र ने राज्यपालों के माध्यम से कराया।

#### 14.2.14 राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति

राज्य के शासनतंत्र में राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण हैसियत है। यथार्थ उस से राज्य में शासन के मुखिया की हैसियत से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, और इसलिये वह मन्त्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, परन्तु उसे मात्र रबर की मोहर नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल की स्थिति के बारे में संविधान में दो प्रावधान हैं। अनुच्छेद 114(9) के तहत राज्यपाल को जो शपथ लेनी होती है उसके अनुसार यह स्पष्ट है कि वह पूरी निष्ठा से अपने पद का निर्वाह करेगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और कानून की रक्षा करेगा, और राज्य के लोगों की सेवा में स्वयं को समर्पित करेगा। इस शपथ से यह स्पष्ट होता है कि लोगों की सेवा से संबन्धित उसकी सोच और मन्त्रिपरिषद की सोच में अन्तर हो सकता है, जो टकराव का कारण बन सकता है।

उधर अनुच्छेद 163(1) स्पष्ट करता है कि अपने कार्यों के निष्पादन के लिये राज्यपाल को परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिये एक मन्त्रिपरिषद होगी, लेकिन वहीं तक जहाँ राज्यपाल की स्वतन्त्र शक्तियों के निष्पादन का प्रश्न न हो। स्वतंत्र शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा।

अनुच्छेद 163(2) पुनः व्यवस्था करता है कि राज्यपाल का कौन सा कार्य उसके क्षेत्राधिकार में आता है और कौन सा नहीं, यह राज्यपाल ही तय करेगा और वह जो भी करेगा उस पर जबाब तलब नहीं किया जायेगा।

प्रत्येक राज्यपाल परिस्थितियों के अनुसार अपने औचित्य की शक्ति का प्रयोग करता है, समान परम्पराएँ नहीं हैं। यद्यपि इस व्यवहार की आलोचना की गई है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से यह उचित है। राज्यपाल की हैसियत राजनीतिक है इसलिये पूरी निष्पक्षता के साथ उसका व्यवहार करना असंभव है। वास्तव में अक्सर विधायक स्वयं ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं जहाँ राज्यपाल को बड़े कदम उठाने पड़ते हैं।

#### 14.3 मन्त्रिपरिषद और मुख्यमंत्री

प्रत्येक राज्य में एक मन्त्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मन्त्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन के लिये सहायता करना और परामर्श देना है लेकिन राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य मन्त्रिपरिषद के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और उसके परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आम या मध्यावधि चुनावों के बाद यदि विधान सभा में दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है तो राज्यपाल का कार्य सरल हो जाता है। वह बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। अगर किसी भी दल का बहुमत नहीं होता तो स्थिति जटिल हो जाती है और राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करना होता है। यही वह स्थिति है जो अक्सर विवादास्पद बन जाती है।

##### 14.3.1 मुख्यमंत्री की शक्तियाँ

मुख्यमंत्री की हैसियत मन्त्रिपरिषद में महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। वास्तव में मन्त्रियों की नियुक्ति वही करता है और उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार भी उसी के पास है। वह अपने मंत्रियों में विभाग आवंटित करता है। वह कैबिनेट की मीटिंगों की अध्यक्षता करता है। आमतौर पर मुख्यमंत्री स्वयं अनेक विभाग अपने पास रखता है। इसके अतिरिक्त शासन के सभी विभागों का निरीक्षण करना भी मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व है।

भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है परन्तु व्यवहार में राज्य में उसकी वही स्थिति है जो केन्द्र में प्रधानमंत्री की है। दूसरी ओर राज्यपाल के संदर्भ में संविधान की यह व्यवस्था है कि मुख्य मंत्री के कुछ उत्तरदायित्व हैं:

(अ) मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य से संबन्धित प्रशासन तथा विधि प्रस्तावों से राज्यपाल को अपने निर्णयों के बारे में अवगत कराये।

(आ) मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य के मामलों से सम्बन्धित प्रशासन के बारे में तथा विधि प्रस्तावों के बारे में यदि राज्यपाल कोई सूचना मांगे तो वह उसे मुहैया कराये तथा

(इ) राज्यपाल मुख्यमंत्री से ऐसे मामलों पर सूचना मांग सकता है जिसका निर्णय मंत्री ने तो लिया है पर जिसे मन्त्रिपरिषद के सम्मुख न रखा गया हो।

मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण शक्ति यह है कि वह विधान सभा को भंग करने की सिफारिश, राज्यपाल से कर सकता है।

#### 14.3.2 मुख्यमंत्री के कार्य

शक्तियों और कार्यों की दृष्टि से मुख्यमंत्री की अपनी हैसियत उसके व्यक्तित्व में निहित है। यदि उसका व्यक्तित्व मजबूत है तो वह प्रभावशाली मुख्य मंत्री होता है। परन्तु सच यह है कि मुख्य मंत्री की सारी शक्तियाँ और कार्य मंत्री परिषद में निहित है जिसका व्यक्तित्व सामूहिक है।

मन्त्रिपरिषद वास्तव में राज्य की मुख्य कार्यपालिका है। यह प्रशासन की नीतियों का निर्माण करती है। विधि निर्माण के कार्य को तैयार और प्रक्रिया आगे बढ़ाती है और कानून पास हो जाते हैं तो उनके कार्यान्वयन का निरीक्षण करती है। कैबिनेट द्वारा वार्षिक बजट तैयार किया जाता है और विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। लगभग सभी वित्तीय शक्तियाँ परिषद में निहित हैं यद्यपि यह राज्यपाल के नाम से पहिचानी जाती है।

संविधान ने राज्यपाल को व्यवस्थापिका के सत्र की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया है परन्तु यथार्थ में यह शक्ति भी कैबिनेट के पास है। राज्यपाल व्यवस्थापिका को सम्बोधित करता है तथा संदेश भेजता है परन्तु उसका अभिभाषण कैबिनेट द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल को विधान सभा को बर्खास्त करने का अधिकार है लेकिन इस अधिकार का प्रयोग भी मन्त्रिपरिषद करती है। ऐसा राज्य जिसमें विधान परिषद होती है उसमें कुछ सदस्य नामित करने का अधिकार राज्यपाल को है परन्तु व्यवहार में यह कार्य भी राज्यपाल कैबिनेट की सिफारिश पर करता है। इसी तरह राज्य की क्षमादान या क्षमा को कम करने की शक्ति भी मन्त्रि परिषद की सिफारिश पर आधारित है।

#### 14.3.3 मन्त्रिपरिषद और व्यवस्थापिका

मन्त्रिपरिषद के मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्यों से लिये जाते हैं और वे सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि एक मंत्री विधान सभा में पराजित हो जाता है तो सब को त्यागपत्र देना चाहिए। यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार है। इसलिए सभी मंत्री व्यवस्थापिका के सदन पर एक दूसरे का बचाव करते हैं।

व्यवस्थापिका सदस्य प्रश्नों और पूरक प्रश्नों के माध्यम से मंत्रियों को नियंत्रित करते हैं। इस तरह वे सरकार की कमियों और गलतियों को उजागर करते हैं। वे मंत्रालय के विरुद्ध स्थगन और निन्दा प्रस्ताव लाते हैं। अन्त में विधान सभा के सदस्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं। यदि यह प्रस्ताव पारित हो गया, तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। इसी तरह यदि सरकार द्वारा पारित और समर्थित विधेयक विधान सभा में पराजित हो गया तो इसको अविश्वास का मत समझा जायेगा और सरकार को त्यागपत्र देना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मन्त्रिपरिषद का अस्तित्व पूरी तरह सदन के विश्वास पर टिका होता है।

मन्त्रिपरिषद भी व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखती है। वास्तव में व्यवस्थापिका में पूरी कार्यवाही को नियंत्रित करने है। अधिकांश विधेयक मंत्रालयों द्वारा लाये जाते हैं और क्योंकि उनको बहुमत दल का विश्वास प्राप्त होता है, यह विधेयक सफलता से पास हो जाते हैं। कोई भी ऐसा विधेयक जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता, पास नहीं हो सकता। संविधान के 142वें संशोधन ने जिस दल-बदल विरोध कानून कहा जाता है, मन्त्रिपरिषद की स्थिति को मजबूत किया है।

जब दल-बदल आम बात थी, राज्य के मंत्रियों के सिर पर तलवार लटकी रहती थी। यह अस्थायित्व का काल था लेकिन अब यदि कोई सदस्य दल बदलता है तो वह अपने सदन की सीट खो देता है। इससे दल-बदल की परम्परा समाप्त हुई है।

मन्त्रिपरिषद के हाथों में एक और ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो व्यवस्थापिका को उसके नियंत्रण में रखता है। विधान सभा को भंग कराने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। यदि उसके दल के सदस्य अनुशासनहीन होते हैं और सरकार के विरुद्ध मतदान करते हैं, तो मुख्यमंत्री विधान सभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। सीट खोने का भय सदस्यों को अनुशासित रखता है। फिर भी मिला-जुला मन्त्रि मण्डल सदा अस्थिर होता है और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की स्थिति कमजोर होती है। यहाँ तक कि दल-बदल विरोधी कानून भी मिली जुली सरकार को स्थिरता की गारण्टी नहीं दे सकता।

#### 14.3.4 मुख्यमन्त्री का अपना व्यक्तित्व

मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत कुछ हद तक उसके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (सीपीएम) के पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु एक लम्बे समय तक अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अपने बहुमत दल का विश्वास प्राप्त करके अपने पद पर बने रहे। उनका अपना दल, सीपीएम कभी केन्द्र में सत्ताधारी दल नहीं रहा।

कोई भी मुख्यमंत्री जिसका प्रभावशाली व्यक्तित्व है, शक्तिशाली समझा जाता है। उसके सहयोगी उसके लिए वफादार होते हैं। ऐसी सरकार जनहित के कार्य करती है। वह केन्द्र के दबावों से मुक्त रहता और खुलकर काम करता है।

### 14.4 राज्यपाल और मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रिस्तों में अक्सर कड़वाहट रहती है। इस कड़वाहट का कारण हैं दलीय द्वन्द। राज्यपाल केन्द्र का प्रतिनिधित्व करता है। जब केन्द्र में और राज्य में एक ही दल की सरकारें होती हैं, तब राज्यपाल और मुख्यमंत्री में सामंजस्य बना रहता है। लेकिन जब केन्द्र और राज्य में विरोधी दलों की सरकारें होती हैं तो टकराव की स्थिति आ जाती है। विशेष रूप से जहाँ राज्य में मिली जुली सरकारें हैं वहाँ राज्यपाल स्थिति का लाभ उठाकर राज्य सरकार को बर्खास्त करने का प्रयास करता है। ताजा उदाहरण उड़ीसा का जहाँ, भारतीय जनता पार्टी की येदुरप्पा की सरकार को राज्यपाल ने बर्खास्त करने का प्रयास किया।

1992 में भारतीय जनता पार्टी की तीन सरकारों को केन्द्र के इशारे पर राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। कारण था 06 दिसम्बर 1992 को अयोध्या के विवादित ढाँचे को कारसेवकों द्वारा ध्वस्त किया जाना। सरकारों को बर्खास्त करना एक राजनीतिक फैसला था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की बर्खास्तगी गैर कानूनी थी क्योंकि राज्यपाल ने केन्द्र को जो रिपोर्ट भेजी थी, वह पर्याप्त रूप में यह सिद्ध नहीं करती थी कि राज्य में सरकार संविधान के अनुसार चलने में असफल हो गयी है। लेकिन जब यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा तो उसने यह फैसला दिया कि राज्यपालों का फैसला, जो वास्तव में ग्रेस सरकार का फैसला था औचित्यपूर्ण था क्योंकि बर्खास्तगी का आधार “धर्म निरपेक्षता” था। जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि तीनों राज्यों की बीजेपी सरकारें अपना धर्म निरपेक्ष आचार खो चुकी थी। इसलिए उनका बना रहना संविधान की आत्मा के विपरीत था।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से राज्यपाल को अपने औचित्य की शक्ति को सशक्त करने का और अवसर मिला और इसका एक नतीजा यह निकला कि मुख्यमंत्री, राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व अपनी पसंद और नापसंद की बात करने लगे।

मुख्यमंत्रियों ने भी सरकारी आयोग का हवाला दिया। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्यपाल अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद किसी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेगा। इस सिफारिश को अंतर्राज्यपरिषद ने दिसम्बर 1991 में स्वीकार कर लिया। दूसरी सिफारिश यह थी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाये।

अक्सर यह देखा गया है कि राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल सक्रिय राजनीति में दाखिल हो गये, मुख्यमंत्री बनाये गये, चुनाव लडा और संसद सदस्य बने तथा अन्य लाभ के पदों पर नियुक्त किये गये। इसका नतीजा यह निकलता है कि राज्यपाल एक निष्पक्ष भूमिका अदा नहीं करते और परिणाम स्वरूप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य खटास उत्पन्न होती है।

#### अभ्यास प्रश्न:

1. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?
2. राज्यपाल की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु क्या हो?
3. राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता किस अनुच्छेद के तहत होती है?

4. भारत में एकात्मक शासन है या संघात्मक?
14. राज्य में मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है ?
6. राज्य में संवैधानिक प्रधान कौन होता है?
7. दलबदल विरोधी कानून सर्वप्रथम किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाया गया?
8. अयोध्या का विवादित ढांचा १९९२ में किस तिथि को गिराया गया ?

### 14.14 सारांश

भारत में संसदीय व्यवस्था है, केन्द्र में भी, राज्य में भी। राज्यों में कार्यपालिका दो भागों में विभक्त है-राज्यपाल जो नियुक्त है और मुख्यमंत्री जो निर्वाचित है। राज्यपाल केन्द्र का प्रतिनिधि है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन मुख्यमन्त्री जनता का प्रतिनिधि है और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए मुख्यमन्त्री राज्यपाल से अधिक महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल की जो शक्तियाँ है वह संवैधानिक है लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम से मन्त्रिपरिषद करती है। इसलिए मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसलिए वह अधिक सशक्त है।

मन्त्रिपरिषद जो एक सामूहिक उत्तरदायित्व वाली संस्था है। मुख्यमंत्री इस संस्था को नेतृत्व करता है।

राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों के कारण शक्तिशाली भी है और विवादास्पद भी। अनुच्छेद-3146 का प्रयोग करके अक्सर राज्यपाल को बदनामी मिली है।

सशक्त मुख्यमंत्री वह है जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। उ0प्र0 के प्रथम मुख्यमंत्री पं0 गोविंद वल्लभ पंत अदम्य साहस और अद्वितीय प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्ति थे। वह एक कुशल वक्ता और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे।

राज्यपाल बड़ी गरिमा का पद है। उदाहरण उ0प्र0 की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने इस पद को गौरवान्वित किया है।

राज्य में मुख्यमन्त्री के कार्य वही है जो केन्द्र में प्रधानमंत्री के। यद्यपि राज्य सरकार की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यपालिका की केन्द्रीय धुरी है। वह समानों में प्रथम ही नहीं है, वरन राज्य शासन का मुख्य संचालक है।

### 14.6 शब्दावली

कन्वेंशन	परम्परा
रेमीशन	सजा को कम करना या उसका स्वरूप बदलना
रेपरीव	सजा माफ करना या टालना

डिसक्रीशन	छूट की स्वतंत्रता
रेस्पाइट	सजा में राहत देना

### 14.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

१. राष्ट्रपति २. ३५ वर्ष ३. अनुच्छेद ३५६ ४. संघात्मक ५. मुख्यमंत्री ६. राज्यपाल ७. ५२वे संवैधानिक संशोधन ८. ६ दिसम्बर

### 14.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

दुबे, एस०एन०	भारतीय संविधान और राजनीति
माहेश्वरी, श्रीराम	स्टेट गवर्नमेंट्स इन इण्डिया
पाण्डे, लल्लन बिहारी	दि स्टेट एक्जीक्यूटिव
पायली, एम०वी०	इण्डियाज़ कान्स्टीट्यूशन

### 14.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

भारतीय शासन एवं राजनीति -	डॉ रूपा मंगलानी
भारतीय सरकार एवं राजनीति -	त्रिवेदी एवं राय
भारतीय शासन एवं राजनीति -	महेन्द्रप्रतापसिंह
भारतीय संविधान -	ब्रज किशोर शर्मा
भारतीय लोक प्रशासन -	बी.एल. फड़िया

### 14.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए।
2. राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन है और उसका स्वरूप क्या है?
3. मंत्री परिषद क्या है? मुख्यमंत्री से उसके सम्बन्ध क्या है?
4. मुख्यमंत्री और व्यवस्थापिका के सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।

---

## इकाई - 15 राज्य विधान मंडल

---

इकाई की संरचना

15.1 प्रस्तावना

15.2 उद्देश्य

15.3 राज्य विधान मंडल

15.3.1 राज्य विधान परिषद्

15.3.2 राज्य विधान सभा

15.3.4 राज्य विधानमण्डल के कार्य एवं शक्तियाँ

15.3.4.1 विधायी शक्तियाँ

15.3.4.2 कार्यपालिका शक्तियाँ

15.3.4.3 वित्तीय शक्तियाँ

15.4 सारांश

15.5 शब्दावली

15.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

15.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

15.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

15.9 निबंधात्मक प्रश्न

## 15.1 प्रस्तावना

इसके पूर्व की इकाई 14 में हमने राज्यपाल के बारे में अध्ययन किया है। जिसमें यह देखा है कि राज्य में राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वह संवैधानिक हैं लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम से मन्त्रिपरिषद करती है। इसलिए मुख्यमंत्री, मन्त्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसलिए वह अधिक सशक्त है।

राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों के कारण शक्तिशाली भी है और विवादास्पद भी। सशक्त मुख्यमंत्री वह है जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। राज्यपाल का पद बड़ी गरिमा का पद है। राज्य में मुख्यमंत्री के कार्य वही हैं जो केन्द्र में प्रधानमंत्री के। यद्यपि राज्य सरकार की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यपालिका की केन्द्रीय धुरी है। वह समानों में प्रथम ही नहीं है, वरन् राज्य शासन का मुख्य संचालक है।

अब हम इस इकाई में राज्य विधान मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें यह देखेंगे कि राज्यों में भी संघ का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस लिए राज्य में विधान मंडल की वही भूमिका है जो संघ में संसद की है।

## 15.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम

1. यह जानेगे कि राज्य विधान मंडल की संरचना किस प्रकार की है।
2. यह समझ सकेंगे कि विधान सभा के संरचना किस प्रकार से होती है।
3. यह अध्ययन करेंगे कि विधान सभा की संरचना किस प्रकार की होती है।
4. अंततः हम विधान मंडल की शक्तियों का अध्ययन कर सकेंगे।

### 15.3 राज्य विधान मंडल

भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यह न केवल संघ के स्तर पर वरन् राज्य के स्तर पर अपनाया गया है। राज्य विधानमण्डल में दो सदन होते हैं। विधान परिषद्- जो कि उच्च सदन है, जो परोक्ष रूप से निर्वाचित किये जाने के साथ मनोनीत किये जाते हैं, जबकि विधानसभा, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। इसे जनप्रतिनिधि सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार एवं जम्मू-कश्मीर पाँच राज्यों में विधान परिषदें सृजित हैं।

#### 15.3.1 राज्य विधान परिषद

विधान परिषद् की संरचना-संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी। लेकिन किसी भी दशा में यह संख्या 40 से कम न होगी। विधानपरिषद् के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसका गठन इस प्रकार से होता है-

- 1- समस्त सदस्यों का एक तिहाई भाग नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
  - 2- समस्त सदस्यों के बारवें भाग के बराबर (1/12) का निर्वाचन तीन वर्ष के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण सदस्यों के द्वारा।
  - 3- सदस्य न्यूनतम तीन वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के द्वारा जो (1/12) माध्यमिक पाठशाला की शिक्षण संस्थाएं न हो।
  - 4- एक तिहाई सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा।
  - 5- अनन्ततः समस्त सदस्यों के छठे भाग के बराबर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है जो साहित्यिक, कला, विज्ञान, समाजसेवा और सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में ख्याति उपलब्ध व्यावहारिक अनुभवी हो।
- एम०वी०पायली के अनुसार कहा जा सकता है कि राज्य विधानसभा की रचना लोकसभा के ढाँचे पर है तथा विधान परिषद की राज्यसभा से समानता है।

विधान परिषद् की अवधि:- संसदीय परम्परा के अनुरूप और राज्य सभा के समान विधान परिषद् का भी विघटन नहीं होता है। इनके तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं।

इसलिए सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष का होता है। परन्तु यदि मृत्यु, त्याग-पत्र आदि कारणों से आकास्मिक रिक्ति की दशा में उस पद हेतु जो सदस्य निर्वाचित होगा वह शेष अवधि के लिए होगा न कि 6 वर्ष के लिए।

सदस्यता के लिए अर्हता:- विधानमण्डल के दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य होने के लिए निम्न अर्हताएं होना आवश्यक है-

1- वह भारत का नागरिक हो।

2- विधानपरिषद् के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।

3- उसके पास वे अर्हताएँ भी हो जो संसद समय-समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे। अनुच्छेद 171।

निरर्हता:- इसके संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 191 में किया गया है-

1- केन्द्र या राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने की स्थिति में।

2- यदि वह पागल हो।

3- यदि वह दिवालिया हो।

4- जब उसने विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है अनुच्छेद 190 में प्रावधान है कि कोई सदस्य एक साथ मंत्रीमंडल के दोना सदस्य नहीं हो सकता।

अनुच्छेद 190 (2) यदि कोई सदस्य दो या अधिक राज्यों के विधानमण्डल सदस्य हो जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के विधानमण्डल से त्याग-पत्र देना होगा।

अन्यथा वह कहीं का सदस्य नहीं रहेगा। 190 (4) में यह प्रावधान है कि बिना सदन की अनुमति के यदि कोई सदस्य 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो सदन के स्थान को रिक्त घोषित कर देगा।

एक महत्वपूर्ण तथ्य और स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि किसी सदन के सदस्य के निरर्हता का प्रश्न उठता है तो इस संबंध में राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करना होगा। अनुच्छेद 192 (2)

विधानपरिषद् के पदाधिकारी:- विधानपरिषद् अपने सदस्यों में से सदन के कार्य के सुचारू संचालन हेतु सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। जो सदन का सदस्य बने रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके पूर्व दोनों एक दूसरे को त्याग-पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं तथा सदन यदि 14 दिन की पूर्व सूचना देकर बहुमत के समर्थन से पद से हटा सकती है।

गणपूर्ति:- यह प्रावधान है कि दो बैठकों के बीच छः माह से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। सदन की कार्यवाही तभी प्रारम्भ हो सकती है जब सदन के सदस्यों का 10 प्रतिशत अवश्य उपस्थित हो तथा यह संख्या 10 से कम न हो।

### 15.3.2 राज्य विधान सभा

जैसा कि हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि यह जनप्रतिनिधि सदन है। क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। विधान सभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 333 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यपाल की राय में आंगतक भारतीय समुदाय को विधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस समुदाय से एक व्यक्ति को वह मनोनीत कर सकता है।

विधान सभा के सदस्यों की अर्हता:-

अनुच्छेद 173 के अनुसार-

1. वह भारत का नागरिक हो,
2. वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,
3. वह भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ के पद पर न हो,
4. संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन विधि निर्धारित शर्तों को पूर्ण करता हो,
5. वह अन्य निर्धारित शर्तें पूर्ण करता हो, अर्थात् वह दिवालिया, पागल न हो एवं उसने अन्य विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त न की हो

विधान सभा की अवधि:- इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। 24 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में यह अवधि 6 वर्ष कर दिया गया जिसे 44 वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। आपातकाल में संसद विधि द्वारा एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ा सकती है। परन्तु, आपातकाल समाप्त होने की दशा में यह वृद्धि 6 माह से अधिक समय तक लागू नहीं कि जा सकती।

गणपूर्ति, अधिवेशन:- विधान सभा की कार्यवाही तभी प्रारम्भ की जा सकती है जब समस्त संख्या की न्यूनतम 10 प्रतिशत उपस्थित हो राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन बुलाता है। किन्तु दो अधिवेशनों के बीच का अन्तर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए।

अनुच्छेद 176 यह उपबन्ध करता है कि प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत, राज्यपाल, प्रथम सत्र को संबोधित करेगा।

विधानसभा के पदाधिकारी- राज्य विधानसभा में दो पदाधिकारी होते हैं- अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। इन दोनों पदाधिकारियों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा सदन की प्रथम बैठक में किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो विधानसभा दूसरे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। विधानसभा के बहुमत द्वारा अध्यक्ष को भी पदच्युत किया जा सकता है।

#### 15.3.4 राज्य विधानमण्डल के कार्य एवं शक्तियाँ

संसदीय परम्परा के अनुरूप भारत में राज्यों में कानून निर्माण का अधिकार राज्य के विधानमण्डल को होता है। इन्हें सातवीं अनुसूची के राज्यसूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य विधान मण्डल के कार्य और शक्तियों का अध्ययन हम निम्न बिन्दुओं में कर सकते हैं-

##### 15.3.4.1 विधायी शक्तियाँ

राज्य विधान मण्डल को राज्य सूची के अतिरिक्त समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण का अधिकार है परन्तु संसद को भी समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। जिसमें यह प्रावधान है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और विधानमण्डल कानून बनाते हैं तो और उनमें विवाद उत्पन्न हो तो संसद द्वारा निर्मित

का कानून प्रभावी होगा। कोई भी विधेयक जहाँ दो सदन है वहाँ पर दोनों द्वारा पारित होकर और जहाँ केवल विधानसभा है उसके द्वारा पारित होकर, राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर ही कानून बनता है।

सधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई समान अधिकार नहीं है। यदि कोई विधेयक विधानपरिषद् में पेश किया जाता है और विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकार कर दे तो वह समाप्त हो जाता है।

विधानसभा में पारित करने के पश्चात जब विधेयक विधानपरिषद् में भेजा जाता है तो उसे तीन माह के भीतर वापस किया जाना आवश्यक है।

दोनों सदनों में किसी विधेयक पर असहमति होन की दशा में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। फलस्वरूप विधानसभा द्वारा विधेयक पर किया गया निर्णय अन्तिम होता है।

### 5.3.4.2 कार्यपालिका शक्तियाँ

- 1- मंत्रियों से नीति के विषयों पर प्रश्न पूछने का।
- 2- बजट पर विमर्श की शक्ति।
- 3- मंत्रीपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव।

### 15.3.4.3 वित्तीय शक्तियाँ निम्नलिखित है-

राज्य के बजट को विधानमण्डल की स्वीकृति अनिवार्य है। विधानसभा का राज्य के धन पर पूर्ण नियन्त्रण है। राज्य के बजट को विधानमण्डल द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय मामलों में विधानसभा की शक्तियाँ विधान परिषद से अधिक हैं। संविधान के अनुसार धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जाता है इसके द्वारा पारित होने पर विधान परिषद् को भेजा जाता है। विधानसभा के किसी भी संशोधन को मानने के लिए विधानसभा बाध्य नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते है। साथ ही विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को विधान परिषद 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। विधान परिषद के सुझावों को मानना विधानसभा में ही अनुदानों की मांगों पर मतदान बजट में निहित राशियों में कटौती, अरोपित करों में छूट दी जा सकती है। वित्त पर नियन्त्रण सार्वजनिक लेखा समिति तथा अनुमान समिति के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय आपातकाल में संसद राज्य विधानसभा को वित्त सम्बन्धी निर्देश दे सकती है तथा राज्य के वित्त विधेयक को अपने समक्ष प्रस्तुत करके उसमें संशोधन या परिवर्तन कर सकती है।

#### अभ्यास प्रश्न

1. राज्य विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी। सत्य / असत्य
2. राज्य विधान परिषद् लिए किसी भी दशा में यह संख्या 40 से कम न होगी | सत्य / असत्य
3. विधानपरिषद् के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए | सत्य / असत्य

- 4.विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सत्य /असत्य
- 5.साथ ही विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को विधान परिषद 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। सत्य /असत्य

#### 15.4 सारांश

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा संघ के सामान राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। जहाँ पर दो सदन हैं वहाँ विधान परिषद, विधान सभा और राज्यपाल को मिलाकर विधानमंडल कहलाता है। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ पर राज्यपाल और विधान सभा मिलकर विधान मंडल कहलाते हैं।

हमारे विधान मंडल में विधान सभा को जनप्रतिनिधि सदन भी कहते हैं क्योंकि इनके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जब कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह एक स्थाई सदन है जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर सेवा निवृत्त होते हैं। यद्यपि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जबकि विधान सभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह कार्यकाल विधान सभा का भी है परन्तु इसके पूर्व भी कुछ दशों में इसका विघटन किया जा सकता है। हमने यह भी अध्ययन किया है इस इकाई में कि राज्य में मुख्य कानून निर्मात्री संस्था राज्य विधान मंडल ही है।

#### 15.5 शब्दावली

जनप्रतिनिधि सदन - विधान सभा को जनप्रतिनिधि सदन भी कहते हैं क्योंकि इनके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

संसद – राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा को मिलाकर बनती है।

#### 15.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. सत्य 5. सत्य

#### 15.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. रूपा मंगलानी - भारतीय शासन एवं राजनीति
2. आर.एन. त्रिवेदी एवं एम.पी.राय - भारतीय सरकार एवं राजनीति
3. महेन्द्र प्रताप सिंह - भारतीय शासन एवं राजनीति

---

### 15.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. ब्रज किशोर शर्मा - भारतीय संविधान
  2. दुर्गादास बसु - भारतीय संविधान
- 

### 159 निबंधात्मक प्रश्न

---

1. राज्य विधान मंडल पर एक निबंध लिखिए।
2. राज्य विधान मंडल की शक्तियों की विवेचना कीजिये।

---

## इकाई 16; जम्मू कश्मीर राज्य, विशेष क्षेत्रों का प्रशासन

---

इकाई की संरचना

16.1 प्रस्तावना

16.2 उद्देश्य

16.3 जम्मू कश्मीर राज्य का ऐतिहासिक तथ्य

16.4 1950 का संविधान आदेश

16.5 राज्य के संविधान का निर्माण

16.6 संवैधानिक स्थिति - भारत संघ तथा जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य

16.7 अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की शक्ति

16.8 जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के महत्वपूर्ण उपबन्ध

16.9 सारांश

16.10 शब्दावली

16.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

16.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

16.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

16.14 निबंधात्मक प्रश्न

## 16.1 प्रस्तावना

इसके पूर्व की इकाई 15 में हमने राज्य विधान मण्डल के बारे में अध्ययन किया है | जिसमें हमने यह देखा है राज्यों में केंद्र के सामान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है | इसमें हमने राज्य विधान मंडल के संगठन और शक्तियों का अध्ययन किया | जिसमें हमने पाया है कि कानून निर्माण की शक्ति राज्य विधान मंडल को है | इसमें हमने यह भी अध्ययन किया है कि कोई भी विधेयक राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों (जहां केवल विधान सभा है वहाँ उनके द्वारा पारित होने के बाद )द्वारा पारित होने के पश्चात राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बन जाता है |

अब हम इकाई 16 में एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश एक ऐसा भी राज्य है जिसका अपना संविधान है जिसमें उसे विशेषाधिकार और विशेष शक्तियां प्राप्त है | इसमें हम यह अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान के अधीन जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय गणराज्य का अभिन्न अंग है | मूल संविधान में तत्समय की दशाओं के कारण जम्मू कश्मीर को संविधान के भाग-ख राज्यों के वर्ग में रखा गया | यद्यपि उक्त वर्ग के राज्य के उपबन्ध को संविधान का सातवां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, किन्तु कतिपय राजनीतिक व ऐतिहासिक तथ्यों के कारण जम्मू कश्मीर राज्य एक अलग प्रकृति के विधिक प्रास्थिति का राज्य अद्यावधि तक बना हुआ है |

## 16.2 उद्देश्य-

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम –

1. यह समझ सकेंगे कि किस प्रकार से यह विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है |
2. यह भी जान सकेंगे कि किन परिस्थितियों में जम्मू और कश्मीर राज्य को संविधान के द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई |
3. इस विशेष स्थिति में उसके क्या विशेषाधिकार है? हम यह भी जान सकेंगे |

### 16.3 जम्मू कश्मीर राज्य का ऐतिहासिक तथ्य

जम्मू कश्मीर राज्य आज भी भारत के अन्य राज्यों से अलग विधिक अस्तित्व से युक्त है, इसके ऐतिहासिक लिए तथ्य उत्तरदायी है। 15 अगस्त 1947 को एक लम्बे संघर्ष के पश्चात भारत को जो स्वतंत्रता मिली और यह उपबन्ध किया गया कि 15 अगस्त 1947 से भारत शासन अधिनियम 1935 से यथा परिभाषित भारत के स्थान पर दो स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किये जायेंगे। माउण्टबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को, एक विधेयक प्रस्तुत किया जो 27 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ, जिसे भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम कहा जाता है इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को दो उपनिवेशों में विभाजित कर दिया गया - भारत और पाकिस्तान। भारत में बम्बई, मद्रास, यू0पी0, सी0पी0, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब, पश्चिम बंगाल मुस्लिम क्षेत्रों को छोड़ कर आसाम, देहली, अजमेर, मेवाड़ और कुर्ग रखे गये। पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त और आसाम के मुस्लिम क्षेत्र रहे। देशी राज्यों के दो में से एक डोमिनियन में सम्मिलित होने अथवा स्वतन्त्र रहने की स्वतन्त्रता दी गयी। ऐसे में जम्मू कश्मीर राज्य जो एक देशी रियासत थी, जिस पर महाराजा सर हरीसिंह एक आनुवंशिक महाराजा शासन करते थे स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने का निर्णय लिया किन्तु इसी बीच 20.12.1947 को पाकिस्तानी सेना की सहायता से कबायलियों द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तब महाराजा हरिसिंह को भारत से सहायता मांगनी पड़नी और 26.10.1947 को भारत डोमिनियन में विलय करना पडा। महाराजा हरिसिंह के डोमिनियन में विलय पत्र पर हस्ताक्षर से भारत को जम्मू कश्मीर के प्रतिरक्षा, विदेश कार्य व संचार के मामलों में अधिकारिता प्राप्त हो गयी। किन्तु उस समय भारत के संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था। ऐसे में जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के भाग- 'ख' वर्ग में रखते हुए भी भाग- 'ख' राज्य के सभी प्रावधान नहीं लागू किये जा सकें। कारण यह था कि - विलय के समय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने यह घोषित किया कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोग अपनी संविधान सभा के माध्यम से यह अवधारित करेंगे कि जम्मू कश्मीर की विधिक स्थिति भारत में क्या हो - इसलिए संविधान के अन्तिम रूप में आने तक जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा कोई अन्तिम अभिव्यक्ति न आने से अनु0 370 के प्रावधान द्वारा अस्थायी व संक्रमण कालीन व्यवस्था करते हुए, जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान द्वारा विशेष दर्जा प्रदान किया गया। विलय के कार्य के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य भारत के राज्यक्षेत्र का विधिक रूप से और अप्रतिसंहरणीय रूप से अंग हो गया और भारत सरकार अंगीकार पत्र में लिखित विषयों की वास्तविक राज्य की अधिकारिता का प्रयोग करने की हकदार हो गयी। किन्तु भारत सरकार ने विलय के समय यह आश्वासन दिया कि - भारत और उस रियासत (जम्मू कश्मीर) के बीच संविधिक सम्बन्ध या विलय राज्य के लोगो' द्वारा पुष्टि के अधीन होगा। जब भारत ने 1949 में संविधान बनाया तब विलय के कार्य को विधिक प्रभाव देते हुए, जम्मू कश्मीर को भारत के राज्यक्षेत्र का अभिन्न भाग है के रूप में अनु0- 1 में मान्यता। सम्मिलन किया किन्तु संविधान के अन्य उपबन्धों को लागू होने की, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के अन्तिम अनुमोदन के अधीन रख गया और यह अनुच्छेद 370 का अस्थायी उपबन्ध बनाया गया। संविधान में यह उपबन्ध किया गया, कि संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 स्वयंमेंव लागू होंगे। संविधान के अन्य अनुच्छेदों का लागू होना राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जायेगा। जम्मू कश्मीर राज्य पर संसद का विधायी क्षेत्राधिकार भी संघ और समवर्ती सूची की उन्ही प्रविष्टियों। विषयों तक सीमित रहेगा जो अंगीकार। विलय पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों में तत्स्थानी हैं। यह अन्तरिम व्यवस्था तब तक चलती रहेगी। जब तक जम्मू कश्मीर की संविधानिक सभा अपना विनिश्चय कर दें। तब जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिशों राष्ट्रपति को भेजी जाएंगी जो अनुच्छेद 370 को

निराकृत करेगा या संविधान सभा द्वारा की गयी सिफारिशों राष्ट्रपति को भेजी जाएंगी जो अनुच्छेद 370 को निराकृत करेगा या संविधान सभा द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुरूप उपान्तरण करेगा।

### 16.4 1950 का संविधान आदेश

राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर को लागू) आदेश 1950, निर्गत किया जो जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के परामर्श से निकाला गया, और उसमें उन मामलों को शामिल किया गया था, जिस पर भारत की संसद विधि का निर्माण कर सकती थी। ये वे विषय थे जिनके बावत जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय करते समय अनुज्ञात किया था - प्रतिरक्षा, विदेश कार्य और संचार। पुनः जून 1952 में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के मध्य दिल्ली में एक करार हुआ जिसके अनुसार संघ की अधिकारिता जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के लम्बित रहने तक राज्य पर होगी।

जम्मू कश्मीर की विधान सभा ने 1954 में भारत में विलय का अनुमोदन किया और राज्य के भारत के भावी सम्बन्धों के बारे में दिल्ली करार की पुष्टि की। उक्त के अनुसरण में राष्ट्रपति ने राज्य सरकार से परामर्श करके, संविधान (जम्मू कश्मीर को लागू होना) आदेश 1954 निर्गत / किया जो 14 मई 1954 से प्रभावी हुआ। आदेश 1954 के अनुसार संघ की अधिकारिता भारत के संविधान के अधीन सभी संघ के विषयों पर विस्तारित की गयी जबकि पूर्ववर्ती विधि के अधीन, तीन विषयों तक सीमित थी अर्थात् प्रतिरक्षा, विदेशी कार्य और संचार जिनके बावत राज्य ने 1947 में भारत में विलय किया था।

### 16.5 राज्य के संविधान का निर्माण

भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के शासक द्वारा राज्य के भारत के विलय के होते हुए भी राज्य का भावी संविधान और राज्य के भारत से सम्बन्ध उस राज्य की संविधान सभा द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित किये जायेंगे। उक्त घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों ने प्रभुत्व सम्पन्न संविधान सभा का निर्माण किया जिसका प्रथम अधिवेशन 31.10.1951 को सम्पन्न हुआ।

संविधान जम्मू कश्मीर को लागू होना आदेश 1954 ने जम्मू कश्मीर राज्य की संविधानिक स्थिति तो सुस्थिर कर दो किन्तु दिये गये आश्वासनों क्रम में, जम्मू कश्मीर राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्याय पालिका को शासित करने वाला उपबन्ध उस राज्य के लोगों द्वारा बनाए गये संविधान में दूढ़ा जाना था क्योंकि भारत के संविधान के तत्समान उपबन्ध उस राज्य को लागू नहीं थे।

फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य के प्रथम विलय का अनुमोदन किया। संविधान सभा के इस कार्य के बाद राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर को लागू होना) आदेश 1954 प्रख्यापित करके संघ और राज्य के सम्बन्धों को शासित करने वाले भारत के संविधान के उपबन्धों को लागू होने को स्थायी आधार दिया।

राज्य के आंतरिक शासन के लिए राज्य का संविधान बनाने का कार्य राज्य की संविधान सभा पर छोड़ दिया गया। नवम्बर 1951 में संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर संविधान (संशोधन) अधिनियम बनाया जिसके द्वारा अमुवंशिक महाराजा से निर्वाचित सदर-ए-रियासत के अधीन जनाधारित सरकार को शक्ति के अन्तरण को विधिक मान्ता दी गई थी।

अक्टूबर 1956 में संविधान सभा ने राज्य का स्थायी संविधान बनाने के लिए अनेक समितियां गठित की। प्रारूप समिति ने प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया जिसे विचार-विमर्श के पश्चात् 17.11.1957 को अन्तिम रूप से अंगीकार कर लिया गया और 26.11.1957 से प्रवृत्त किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य की यह विशेष बात है कि भारत के सभी राज्यों को शासित करने वाले भारत के संविधान के भाग-6 के उपबन्धों के स्थान पर उस राज्य के प्रशासन के लिए एक पृथक संविधान है।

## 16.6 संवैधानिक स्थिति - भारत संघ तथा जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य

संसद की अधिकारिता:- जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में संसद की अधिकारिता संघ सूची व समवर्ती सूची में प्रमाणित विषयों तक ही इस उपान्तर के अधीन रहते हुए सीमित होगी कि उसे समवर्ती सूची में प्रमाणित विषयों के में कोई अधिकारिता नहीं होगी। जम्मू कश्मीर राज्य के सन्दर्भ में अवशिष्ट विधायी शक्ति राज्य के विधान मण्डल को है। अनुच्छेद 22 (7) के लिए जम्मू कश्मीर निवारक निरोध के बाबत विधान बनाने की शक्ति संसद के स्थान पर राज्य विधानमण्डल को होगी। अतएव संसद द्वारा बनाई गयी निवारक निरोध की विधि का विस्तार राज्य पर नहीं होगा। संविधान (जम्मू कश्मीर को लागू होना) आदेश 1986 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर कर दिया गया है जिससे अब राज्य सभा द्वारा दो तिहाई (2/3) बहुमत संकल्प पारित कर, राष्ट्रीयहित में, संसद की अधिकारिता का विस्तार राज्य पर किया जा सकता है, - पाकिस्तान व चीन आक्रमण से राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए।

राज्य की स्वायत्ता:- भारतीय संसद की व्यापक शक्तियों को, कुछ अन्य विषयों में, सीमित किया गया है और उनके विषय में, संसद जम्मू कश्मीर की विधान सभा मण्डल की सम्मति के बिना कार्य नहीं कर सकेगी। उदाहरण -

राज्य के नाम या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन -

अनुच्छेद-3 ; राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के व्ययन को प्रभावित करने वाली कोई अन्तरराष्ट्रीय सन्धि या करार अनु0 - 253। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर राज्य की स्वायत्ता की रक्षा करने के लिए संघ की कार्यपालिका शक्ति पर भी कुछ निबन्धन लगाये गये हैं इस प्रकार है - ;पद्ध अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आभ्यन्तरिक अशान्ति जो वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गयी आपात की उद्घोषणा जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति के बिना उस राज्य में प्रभावी नहीं होगी। ;पद्ध संघ को यह शक्ति नहीं है कि वह अनुच्छेद 365 के अधीन उसके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में असफल रहने के आधार पर ही राज्य के संविधान को निलम्बित कर सकें।

संविधान तंत्र के निलम्बन सं सम्बन्धित अनुच्छेद 356-357 का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर संशोधन आदेश 1964 द्वारा किया गया किन्तु यहां विफलता का अभिप्राय है, जम्मू कश्मीर के संविधान द्वारा स्थापित संविधानिक तन्त्र की विफलता, भारत के संविधान के भाग-6 के अधीन स्थापित तन्त्र की नहीं।

जम्मू कश्मीर में दो प्रकार की उद्घोषणाएं होती हैं - जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अधीन “राज्यपाल का शासन” और ;इद्ध अनुच्छेद 356 के अधीन “राष्ट्रपति शासन” जैसा कि अन्य राज्यों की दशा में है।

(क) जम्मू कश्मीर में पहली बार राष्ट्रपति शासन 08.09.1986 को लागू किया गया। इसके पहले राज्यपाल का शासन था जो 06.09.1986 को समाप्त हुआ। यह उद्घोषणा 06.11.1986 को वापस ली गयी और उसी दिन फारूख अब्दुला मंत्रिमण्डल बना।

(ख) पहली बार राज्यपाल का शासन 27.03.1977 को और बाद में 19.01.1990 को लागू हुआ। 19.07.1990 से 09.10.1996 तक राज्य में लगातार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। सितम्बर 1996 में निर्वाचन के उपरान्त 09.10.1996 को फारूख अब्दुला के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी।

राज्यपाल के शासन के लिए राज्य के संविधान में उपबंध है इस शक्ति के प्रयोग के राज्यपाल को यह शक्ति है कि यह राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य (उच्च न्यायालय के कृत्यों को छोड़कर) स्वयं ग्रहण कर ले।

संघ को जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात की उद्घोषणा की शक्ति नहीं होगी।

(ग) मूल अधिकार और निदेशक तत्व: राज्य के नीति निदेशक तत्वों से सम्बन्धित भारत के संविधान के भाग 4 के प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते हैं। अनुच्छेद -19 के अन्वय 25 वर्ष की अवधि तक विशेष निर्वन्धनों के अधीन रखे गए हैं। नियोजन, सम्पत्ति के अर्जन और निवास के विशेष अधिकार राज्य के स्थायी निवासियों को प्रदान किये गये हैं। एक नया अनुच्छेद 35क अंतः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 19 (1)(च) और 31 (2) का लोप किया गया है जिससे सम्पत्ति का अधिकार जम्मू कश्मीर में राज्य द्वारा प्रात्याभूत अधिकार है।

(घ) राज्य के लिए पृथक संविधान

भारतीय संविधान- संघ के सभी राज्यों के लिए प्रावधान संविधान के भाग-6 में दी गयी है, किन्तु जम्मू कश्मीर राज्य का अपना पृथक संविधान है जो एक पृथक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और 1957 में प्रख्यापित भी कर दिया गया है।

(ङ) राज्य के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया

संविधान संशोधन के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 68 में प्रावधान किये गये हैं, किन्तु जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के संशोधन के लिए लागू नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के उपबन्ध (उस राज्य और भारत संघ के बीच सम्बन्धों से सम्बन्धित उपबन्धों को छोड़कर) राज्य की विधान सभा द्वारा अपनी शक्ति के दो-तिहाई बहुमत से पारित अधिनियम द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं। किन्तु ऐसा संशोधन राज्यपाल या चुनाव आयुक्त का शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वह तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह राष्ट्रपति की सहमति व विचार के आरक्षित न किया गया हो।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत के संविधान का संशोधन जम्मू कश्मीर पर तभी विस्तारित होगा जब वह अनुच्छेद 370 (1) के अधीन राष्ट्रपति आदेश द्वारा विस्तारित किया जाय।

(च) जम्मू कश्मीर राज्य के विधान मण्डल की सहमति के बिना राज्य की सीमाओं या क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।

(छ) अन्य अधिकारिता

संविधान आदेश लागू होने का संशोधन यथा रूपान्तरण उपान्तरण करके नियन्त्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत की अधिकारिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर किया जा सकेगा अन्यथा नहीं।

## 16.7 अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की शक्ति

अनुच्छेद - 370 के खण्ड (3) में उपबन्ध है कि -

इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपान्तरणों सहित ही और ऐसी तारीख से प्रवर्तन में रहेगा जो वह विनिर्दिष्ट करें।

परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खण्ड (2) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक रहेगी।

किन्तु लगभग 545 वर्षों पश्चात् थी यह उपबन्ध अनुच्छेद- 370 आज भी प्रवर्तन में बना हुआ है, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद-370 के खण्ड (3) द्वारा राष्ट्रपति को यथोचित शक्ति प्रदान करने के पश्चात् भी, जिससे भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राष्ट्रपति को यह घोषित कर देना चाहिए कि अनुच्छेद 370 प्रवृत्त नहीं रहा। इससे जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति समाप्त हो जायेगी और यह राज्य भी अन्य राज्य के स्तर पर आ जायेगा तथा संविधान के भाग 6 के सभी उपबन्ध जम्मू कश्मीर पर लागू हो जायेंगे। कांग्रेस पार्टी व अन्य दलों की सरकारों ने इस मांग का राजनीतिक कारणों से विरोध किया।

खण्ड (3) के परन्तुक के आलोक में जहाँ तक इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति की घोषणा का विधिक प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा विद्यमान नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति की शक्ति पर अब कोई बन्धन नहीं है।

खण्ड (3) के अधीन घोषणा करने के सम्बन्ध में ये तर्क दिये जाते हैं -

(क) भारतीय संविधान निर्माताओं का आशय, जम्मू कश्मीर को अस्थायी रूप से विशेष दर्जा देने का था, इसलिए अनुच्छेद 370 को भाग-21 में स्थान दिया गया जिसका शीर्षक है - “अस्थायी, संक्रमण कालीन ओर विशेष, उपबन्ध और इस अनुच्छेद में खण्ड (3) जोड़ा गया।

(ख) जम्मू कश्मीर के लोगो ने तथा पाकिस्तान सरकार ने, इस प्रतिस्थिति का दुरुपयोग करके राज्य में राजनीतिक अस्थिरता व शान्ति व्यवस्था में को आवंछित कार्य कलाप किये।

## 16.8 जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के महत्वपूर्ण उपबन्ध

1. संविधान जम्मू कश्मीर राज्य को भारत संघ का अविभाज्य अंग घोषित करता है।

2.जम्मू कश्मीर राज्य का राज्यक्षेत्र उन प्रदेशों से मिलकर बनता है, जो - 15 अगस्त 1947 को, उस राज्य शासन की प्रभुता के अधीन था।

3.उन विषयों को छोड़कर जिनकी बावत भारतीय संविधान के उपबन्धों के अधीन संसद को राज्य के लिए विधियां बनाने की शक्ति है, जम्मू कश्मीर राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति का विस्तार सभी विषयों पर है।

4.इस राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनको राष्ट्रपति उस राज्य सरकार से परामर्श करके यह घोषित करे कि वे अधिमिलन पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों के अनुरूप है।

5.अनुच्छेद-370 के अर्न्तगत राष्ट्रपति ने समय-समय पर आदेश जारी करके संविधान के अनेक उपबन्धों को उस राज्य में लागू किया है, सर्व प्रथम राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर को लागू होना) आदेश 1950 जारी किया। इस आदेश को अधिक्रान्त करते हुए संविधान (जम्मू कश्मीर को लागू होना) संशोधन किया जाता रहा है। यह पश्चातवर्मी संशोधित आदेश उस राज्य को संविधानिक स्थिति को विनियमित करता है। इसके द्वारा संघ सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति को जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू कर दिया गया है।

राज्य के भूमि सुधार और लोक सुरक्षा अधिनियमों और कश्मीरियों के अचल सम्पत्ति और राज्य में नियोजन के अधिकारों के अध्यचीन उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तदुपरान्त 1954 के आदेश को कई बार परिवर्तित किया गया है।

(1)राज्य का अपना संविधान है जो जनवरी 26, 1957 को प्रवृत्त हुआ। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय व्यावहारिक रूप से सभी शक्तियों से सम्पन्न है, जैसे भारत में अन्य उच्च न्यायालय, सिवाय इसके कि वह अन्य प्रयोजन के लिए रिट नहीं निकाल सकता।

(2)संघ सूची के विषयों के सम्बन्ध में संसद की विधायी शक्ति जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में केवल कतिपय प्रविष्टियों तक सीमित है संसद प्रविष्टि 8,9,34,60,79 और 97 पर विधि नहीं बना सकती है।

(3)अनु0 352 के अधीन आपात उद्घोषणा का कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक यह राज्य सरकार की सहमति से नहीं किया जाता है।

(4)अनुच्छेद 135 और 19 को छोड़कर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार राज्य को हो।

#### अभ्यास प्रश्न

1.आपात उद्घोषणा का कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक यह राज्य सरकार की सहमति से नहीं किया जाता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है ?

2.जम्मू कश्मीर का संविधान कण लागू हुआ ?

3. जम्मू कश्मीर से सम्बंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है ?

4.भारत को स्वतंत्रता कब मिली?

## 16.9 सारांश

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनुच्छेद ३७० के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य के सन्दर्भ जो प्रावधान किया गया है वह तत्कालीन समय की स्थितियों से निपटने के लिए किया जाने वाला अस्थाई और संक्रमण कालीन उपबंध है जिस पास पर अंतिम निर्णय लेने की अधिकारिता अंततः संसद को है। परन्तु इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की नितांत आवश्यकता है।

## 16.10 शब्दावली

अधिकारिता- इसका तात्पर्य है कार्य क्षेत्र से, जहाँ तक सम्बंधित संस्था/व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार हो।  
अस्थायी, संक्रमण कालीन- इसका तात्पर्य है किसी ऐसी स्थिति जो स्थाई न होकर कुछ समय के लिए हो।

## 16.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद 352, 2. जनवरी 26, 1957, 3. भाग 21, 4. 15 अगस्त 1947

## 16.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. लक्ष्मीकांत, एम. (2013) भारत की राजव्यवस्था टाटा मैग्रा प्रकाशन, नई दिल्ली
2. शर्मा, ब्रज किशोर (2009) भारत का संविधान एक परिचय पी.एच. आई. लार्निंग, नई दिल्ली।
3. बसु, डी.डी. (2000) भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली।
4. पाण्डेय, जयनारायण – भारतीय संविधान

## 16.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. बेयर एक्ट, भारत का संविधान
2. जैन, डॉ. पुखराज (2011) पाश्चात राजनीति चिन्तन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
3. सिंह, डॉ. वीरकेश्वरप्रसाद (2006) विश्व के प्रमुख संविधान, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली।

## 16.14 निबंधात्मक प्रश्न

१. जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति पर एक निबंध लिखिए।

---

## इकाई 17 स्थानीय स्वशासन

---

### इकाई की संरचना

- 17.1 प्रस्तावना
- 17.2 उद्देश्य
- 17.2 स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य
- 17.3 संविधान में संशोधन व स्थानीय स्वशासन
- 17.4 स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता
- 17.5 स्थानीय स्वशासन व पंचायतें
- 17.6 स्थानीय स्वशासन व पंचायतों में आपसी सम्बन्ध
- 17.7 स्थानीय स्वशासन कैसे मजबूत होगा ?
- 17.8 स्थानीय स्वशासन व ग्रामीण विकास में संबंध
- 17.9 स्थानीय स्वशासन के लिए संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम
  - 17.9.1 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में मुख्य बातें
  - 17.9.2 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में मुख्य बातें
- 17.10 स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं और चुनौतियां
- 17.11 सारांश
- 17.12 पारिभाषिक शब्दावली
- 17.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 17.17 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 17.15 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 17.16 निबंधात्मक प्रश्न

### 17.1 प्रस्तावना

स्थानीय स्वशासन लोगों की अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है। अर्थात् स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुलकर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये नियमों एवं कानून के अनुरूप हो। दूसरे शब्दों में 'स्वशासन' गांव के समुचित प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी है।

यदि हम इतिहास को पलट कर देखें तो प्राचीन काल में भी स्थानीय स्वशासन विद्यमान था। सर्वप्रथम कुटुम्ब से कुनबे बने और कुनबों से समूह। ये समूह ही बाद में ग्राम कहलाये। इन समूहों की व्यवस्था प्रबन्धन के लिये लोगों ने कुछ नियम, कायदे कानून बनाये। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म माना जाता था। ये नियम समूह अथवा गांव में शांति व्यवस्था बनाये रखने, सहभागिता से कार्य करने व गांव में किसी प्रकार की समस्या होने पर उसके समाधान करने, तथा सामाजिक न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गांव का सम्पूर्ण प्रबन्धन तथा व्यवस्था इन्हीं नियमों के अनुसार होती थी। इन्हें समूह के लोग स्वयं बनाते थे व उसका क्रियान्वयन भी वही लोग करते थे। कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय स्वशासन में लोगों के पास वे सारे अधिकार हों जिससे वे विकास की प्रक्रिया को अपनी जरूरत और अपनी प्राथमिकता के आधार पर मनचाही दिशा दे सकें। वे स्वयं ही अपने लिये प्राथमिकता के आधार पर योजना बनायें और स्वयं ही उसका क्रियान्वयन भी करें। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल और जमीन पर भी उन्हीं का नियन्त्रण हो ताकि उसके संवर्द्धन और संरक्षण की चिन्ता भी वे स्वयं ही करें। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के पीछे सदैव यही मूलधारणा रही है कि हमारे गांव, जो वर्षों से अपना शासन स्वयं चलाते रहे हैं, जिनकी अपनी एक न्याय व्यवस्था रही है, वे ही अपने विकास की दिशा तय करें। आज भी हमारे कई गांवों में परम्परागत रूप में स्थानीय स्वशासन की न्याय व्यवस्था विद्यमान है।

### 17.2 उद्देश्य

इस इकाई को पठने के उपरान्त आप यह जानने में सक्षम होंगे

- 1 स्थानीय स्वशासन के विषय में जान पायेंगे।
- 2 स्थानीय स्वशासन व पंचायतों के आपसी संबंध।
- 3 स्थानीय स्वशासन की मजबूती और ग्रामीण विकास के साथ उसके संबंध।
- 4 स्थानीय स्वशासन के महत्व को बतलाना।
- 5 स्थानीय स्वशासन व ग्रामीण विकास के बीच संबंध।
- 6 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में मुख्य बातें।

### 17.2 स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य

स्थानीय स्वशासन शासन की वह व्यवस्था है जिसमें निचले स्तर पर शासन के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी समस्याओं को समझने तथा उनका हल करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन की

व्यवस्था एक ओर तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करती है तो दूसरी ओर आम जनता को स्वयं अपनी समायाओं के हल का मार्ग प्रशस्त करती है।

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। भारत गांवों का देश है, अतः गांवों के विकास के बिना भारत की प्रगति संभव नहीं। गांधी जी गांवों को राजनीतिक व्यवस्था का केन्द्र बनाना चाहते थे जाकि निचले स्तर पर लोगों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। इसी प्रकार उनको पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी व मजबूत बनाने की वकालत की थी।

- 1 गांव के लोगों की गांव में अपनी शासन व्यवस्था हो व गांव स्तर पर स्वयं की न्याय प्रक्रिया हो।
- 2 ग्रामस्तरीय नियोजन, क्रियान्वयन व निगरानी में गांव के हर महिला पुरुष की सक्रिय भागीदारी हो।
- 3 किस प्रकार का विकास चाहिये या किस प्रकार के निर्माण कार्य हों या गांव के संसाधनों का प्रबन्धन व संरक्षण कैसे होगा? ये सभी बातें गांव वाले तय करेंगे।
- 4 गांव की सब तरह की समस्याओं का समाधान गांव के लोगों की भागीदारी से ही हो।
- 5 ऐसा शासन जहां लोग स्थानीय मुद्दों, गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
- 6 स्थानीय स्तर पर स्वशासन को लागू करने का माध्यम गांव के लोगों द्वारा, मान्यता प्राप्त लोगों का समूह हो जिन्होंने सम्पूर्ण गांव का विकास, व्यवस्था व प्रबन्धन करना है। ऐसा समूह जिसका निर्णय सभी को मान्य हो।

### 17.3 संविधान में संशोधन व स्थानीय स्वशासन

हमारे देश में पंचायतों की व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। पंचायतों के कार्य भी लगभग समान हैं, उनके स्वरूप में जरूर परिवर्तन हुआ है। पहले पंचायतों का स्वरूप कुछ और था। उस समय वह संस्था के रूप में कार्य करती थी। और गांव के झगड़े, गांव की व्यवस्थायें सुधारना जैसे फसल सुरक्षा, पेयजल, सिंचाई, रास्ते, जंगलों का प्रबंधन आदि मुख्य कार्य हुआ करते थे। लोगों को पंचायतों के प्रति बड़ा विश्वास था। उनका निर्णय लोग सहज स्वीकार कर लेते थे। और हमारी पंचायतें भी बिना पक्षपात के कोई निर्णय किया करती थी। ऐसा नहीं कि पंचायतें सिर्फ गांव का निर्णय करती थीं। बड़े क्षेत्र, पट्टी, तोक के लोगों के मूल्यों से जुड़े संवेदनशील निर्णय भी पंचायतें बड़े विश्वास के साथ करती थीं। इससे पता लगता है कि पंचायतों के प्रति लोगों का पहले कितना विश्वास था। वास्तव में जिस स्वशासन की बात हम आज कर रहे हैं, असली स्वशासन वही था। जब लोग अपना शासन खुद चलाते थे, अपने विकास के बारे में खुद सोचते थे, अपनी समस्यायें स्वयं हल करते थे एवं अपने निर्णय स्वयं लेते थे।

धीरे-धीरे ये पंचायत व्यवस्थायें आजादी के बाद समाप्त होती गईं। इसका मुख्य कारण रहा, सरकार का दूरगामी परिणाम सोचे बिना पंचायत व्यवस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप। जो छोटे-छोटे विवाद पहले हमारे गांव में हो जाते थे अब वह सरकारी कानून व्यवस्था से पूरे होते हैं, जिन जंगलों का हम पहले सुरक्षा भी करते थे और उसका सही प्रबंधन भी करते थे अब उससे दूरियां बनती जा रही हैं और उसे हम अधिक से अधिक उपभोग करने की दृष्टि से देखते हैं। जो गांव के विकास संबंधी नजरिया हमारा स्वयं का था उसकी जगह सरकारी योजनाओं ने ले ली है। और सरकारी योजनाएं राज्य या केन्द्र में बैठकर बनाई जाने लगी और गांवों में उनका क्रियान्वयन होने लगा।

परिणाम यह हुआ कि लोगों की जरूरत के अनुसार नियोजन नहीं हुआ और जिन लोगों की पहुँच थी, उन्होंने ही योजनाओं का उपभोग किया। लोग योजनाओं के उपभोग के लिए हर समय तैयार रहने लगे चाहे वह उसके जरूरत की हो या न हो। उसको पाने के लिए व्यक्ति खीचातानी में लगा रहा। इससे कमजोर वर्ग धीरे-धीरे और कमजोर होता गया। और लोग पूरी तरह सरकार की योजनाओं और सब्सिडी(छूट) पर निर्भर होने लगे। धीरे-धीरे पंचायत की भूमिका गांव के विकास में शून्य हो गई। लोग भी पुरानी पंचायतों से कटते गये।

लेकिन 80 के दशक में यह लगने लगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रहा है। यह भी सोचा जाने लगा कि योजनाओं को लोगों की जरूरत के मुताबिक बनाया जाय। योजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन में भी लोगों की भागीदारी जरूरी समझी जाने लगी। तब ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है जिसमें लोग खुद अपनी जरूरत के अनुसार योजनाओं का निर्माण करें और स्वयं उनका क्रियान्वयन करें।

इसी सोच के आधार पर पंचायतों को कानूनी तौर पर नये काम और अधिकार देने की सोची गई ताकि स्थानीय लोग अपनी जरूरतों को पहचानें, उसके उपाय खोजें, उसके आधार पर योजना बनायें, योजनाओं को क्रियान्वित करें और इस प्रकार अपने गांव का विकास करें। इस सोच को समेटते हुए सरकार ने संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन कर पंचायतों को नये काम और अधिकार दे दिये हैं। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार की तरह पंचायतें भी स्थानीय लोगों की अपनी सरकार की तरह कार्य करने लगीं।

#### 17.4 स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता

स्थानीय स्वशासन में लोगों के हितों की रक्षा होती है तथा स्थानीय लोगों की सहभागिता से आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनायी व लागू की जाती हैं। ग्रामीण विकास हेतु किये जाने वाले किसी भी कार्य में स्थानीय एवं वाह्य संसाधनों का लोगों द्वारा बेहतर उपयोग किया जाता है। स्थानीय लोग अपनी समस्याओं एवं प्राथमिकताओं से भली-भांति परिचित होते हैं। तथा लोग अपनी समस्या एवं बातों को आसानी से रख पाते हैं। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से लोगों की भागीदारी से जिम्मेदारी का अहसास होता है और स्थानीय स्तर की समस्याओं का निदान व विवादों का निपटारा लोग स्वयं करते हैं। गांव के विकास में महिलाओं, निर्बल, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा वास्तविक लाभार्थी को लाभ मिलता है।

#### 17.5 स्थानीय स्वशासन व पंचायतें

स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने में पंचायतों की अहम भूमिका है। पंचायतें हमारी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं और प्रशासन से भी उनका सीधा जुड़ाव है। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन पंचायत ही करती आयी हैं। स्थानीय स्तर पर स्वशासन के स्वप्न को साकार करने का माध्यम पंचायतें ही हैं। चूंकि पंचायतें स्थानीय लोगों के द्वारा गठित होती हैं, और इन्हें संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है, अतः पंचायतें स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का एक अच्छा तरीका है। ये संवैधानिक संस्थाएं ही आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं ग्रामसभा के साथ मिलकर बनायेंगीं व उसे लागू करेंगीं। गांव के लिये कौन सी योजना बननी है? कैसे क्रियान्वित करनी है? क्रियान्वयन के दौरान कौन निगरानी करेगा? ये सभी कार्य पंचायतें गांव के लोगों (ग्रामसभा सदस्यों) की सक्रिय भागीदारी से करेंगीं। इससे निर्णय स्तर पर आम जनसमुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत हो सकता है जब पंचायतें मजबूत होंगी और पंचायतें तभी मजबूत होंगी जब लोग मिलजुलकर इसके कार्यों में अपनी भागीदारी देंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता होना जरूरी है। पहले भी लोग स्वयं अपने संसाधनों का, अपने ग्राम विकास का प्रबन्धन करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह प्रबन्धन आज से कहीं बेहतर भी होता था। हमारी परम्परागत रूप से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की सोच बीते समय के साथ कमजोर हुई है। नई पंचायत व्यवस्था के माध्यम से इस परम्परा को पुनः जीवित होने का मौका मिला है। अतः ग्रामीणों को चाहिये कि पंचायत और स्थानीय स्वशासन की मूल अवधारणा को समझने की चेष्टा करें ताकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन सकें।

गांवों का विकास तभी सम्भव है जब सम्पूर्ण ग्रामवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। जब तक गांव के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के निर्णयों में गांव के पहले तथा अन्तिम व्यक्ति की बराबर की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम ग्राम स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जनसामान्य की अपनी सरकार तभी मजबूत बनेगी जब लोग ग्रामसभा और ग्रामपंचायत में अपनी भागीदारी के महत्व को समझेंगे।

### 17.6 स्थानीय स्वशासन व पंचायतों में आपसी सम्बन्ध

भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन पंचायत ही करती आई हैं। स्थानीय स्तर पर स्वशासन के स्वप्न को साकार करने का माध्यम हैं पंचायतें।

चूँकि पंचायतें स्थानीय स्तर पर गठित होती हैं अतः पंचायतें स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का अचूक तरीका है। पंचायत में गांव के विकास हेतु स्थानीय लोग ही निर्णय लेते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं, स्थानीय मुद्दों के लिए कार्य करते हैं अतः गांव की हर गतिविधि व कार्य में स्थानीय लोगों की ही भागीदारी रहती है। पंचायत द्वारा बनाये गये विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है तथा स्थानीय लोगों को ही इसका लाभ मिलता है। अतः पंचायत स्थानीय लोगों के अधिकारों व हकों की सुरक्षा करती है।

स्थानीय स्वशासन की दिशा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एक कारगर एवं क्रान्तिकारी कदम है। लेकिन गांव के अन्तिम व्यक्ति की सत्ता एवं निर्णय में भागीदारी से ही स्थानीय स्वशासन की सफलता आंकी जा सकती है। स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत होगा जब गांव के हर वर्ग चाहे दलित हों अथवा जनजाति, महिला हो या फिर गरीब, सबकी समान रूप से स्वशासन में भागीदारी होगी। इस के लिये गांव के प्रत्येक ग्रामीण को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। हम अपने गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की कल्पना तभी कर सकते हैं जब गांव के विकास संबन्धी समुचित निर्णयों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। लेकिन इस सबके लिये पंचायत व्यवस्था ही एकमात्र एक ऐसा मंच है जहाँ आम जन समुदाय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्थानीय विकास से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और सबके विकास की कल्पना को साकार रूप दे सकते हैं।

### 17.7 स्थानीय स्वशासन कैसे मजबूत होगा ?

1. स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए सर्वप्रथम पंचायत में सुयोग्य प्रतिनिधियों का चयन होना आवश्यक है। पंचायत का नेतृत्व करने के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए जिसकी स्वच्छ छवि हो व वह निःस्वार्थ भाव वाला हो।

2. सक्रिय ग्राम सभा पंचायती राज की नींव होती है। अगर ग्रामसभा के सदस्य सक्रिय होंगे व अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होंगे तभी एक सशक्त पंचायत की नींव पड़ सकती है। अतः ग्राम सभा के हर सदस्य को जागरूक रह कर पंचायत के कार्यों में भागीदारी करनी चाहिए। तभी स्थानीय स्वशासन मजबूत हो सकता है।

3. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, संसाधनों का बेहतर उपयोग एवं उचित प्रबन्धन से ही विकास प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सकती है। अतः स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा पंचायतें अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर ग्राम व ग्रामवासियों के विकास को गति प्रदान कर सकती है।

4. स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत होगा जब गांव वासी अपनी आवश्यकता व प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं व कार्यक्रमों का नियोजन करेंगे व उनका स्वयं ही क्रियान्वयन करेंगे। उपर से थोपी गई परियोजनायें कभी भी ग्रामीणों में योजना के प्रति अपनत्व की भावना नहीं ला सकती, अतः सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ही योजनाएं बनानी होंगी तभी वास्तविक रूप से स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा।

5. पंचायतों की मजबूती का एक महत्वपूर्ण पहलू है निष्पक्ष सामाजिक न्याय व्यवस्था व महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देना। पंचायतें सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास को ग्राम स्तर पर लागू करने का माध्यम हैं। अतः समाज के वंचित, उपेक्षित व शोषित वर्ग को विकास प्रक्रिया में भागीदारी के समान अवसर प्रदान करने से ही पंचायती राज की मूल भावना “ लोक शासन” को मूर्त रूप दे सकती है।

6. युवा किसी भी देश व समाज के लिए पूँजी हैं। इनके अन्दर प्रतिभा, शक्ति व हुनर विद्यमान हैं इस युवा शक्ति व प्रतिभा का पलायन रोककर व उनकी शक्ति व उर्जा का रचनात्मक कार्यों में सदुपयोग किया जाए तो वे स्थानीय स्तर पर पंचायतों की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

7. पंचायतीराज की मजबूती के लिए सत्ता का वास्तविक रूप में विकेन्द्रीकरण अर्थात् कार्य, कार्मिक व वित्त सम्बन्धित वास्तविक अधिकार पंचायतों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। इनके बिना पंचायतें अपनी भूमिका व जिम्मेदारियों को सफलता पूर्वक निभाने में असमर्थ हैं।

## 17.8 स्थानीय स्वशासन व ग्रामीण विकास में संबंध

1. स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास एक दूसरे के पूरक हैं। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से गांव की समस्याओं को प्राथमिकता मिल सकती है व ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. स्थानीय स्वशासन की आधारशिला पंचायत है अतः पंचायत के माध्यम से गांव के समुचित प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है।

3. ग्राम विकास की समस्त योजनाएं गांव के लोगों द्वारा ही बनाई जायेंगी व लागू की जायेंगी। इससे विकास कार्यों के प्रति सामूहिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय समुदाय का विकास की गतिविधियों में पूर्ण नियन्त्रण।

4. ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व एवं सब को समान महत्व मिलने से स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा। महिलाओं तथा कमजोर वर्गों की भागीदारी से ग्राम विकास की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।

5. मजबूत स्थानीय स्वशासन से किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा गांव स्तर पर ही किया जा सकता है।

6. स्थानीय समुदाय की नियोजन व निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से विकास जनसमुदाय व गांव के हित में होगा। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान भी स्थानीय स्तर पर सबके निर्ण द्वारा होगा। स्थानीय संसाधनों का समुचित विकास व उपयोग होगा तथा सामूहिकता का विकास होगा।

अभ्यास प्रश्न-1

1. ग्राम स्वराज के पक्षधर थे?

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| क. तिलक            | ख. महात्मा गांधी |
| ग. जवाहर लाल नेहरू | घ. सरदार पटेल    |

2. स्थानीय स्वशासन से संबंधित..... संविधान संशोधन हैं?

### 17.9 स्थानीय स्वशासन के लिए संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसी प्रकार चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्वशासन की स्थापना की गई। इन अधिनियमों के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में नयी पंचायती राज व्यवस्था को आवश्यक रूप से लागू करने के नियम बनाये गये। इस नये पंचायत राज अधिनियम से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व स्थानीय स्तर पर उसे मजबूत बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस अधिनियम में जहां स्थानीय स्वशासन को प्रमुखता दी गई है व सक्रिय किये जाने के निर्देश हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारों को विकेन्द्रीकरण हेतु बाध्य करने के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात् “नया पंचायती राज अधिनियम” प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को जनता तक पहुंचाने का एक उपकरण है। गांधी जी के स्वराज के स्वप्न को साकार करने की पहल है। पंचायती राज स्थानीय जनता का, जनता के लिये, जनता के द्वारा शासन है।

17.9.1 तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य बातें

तिहत्तरवें संविधान अधिनियम में निम्न बातों को शामिल किया गया है -

1. 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अर्थात् पंचायती राज संस्थाएं अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं।

2. नये पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली है। साथ ही इसे पंचायत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया है।

3. यह तीन स्तरों - ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर चलने वाली व्यवस्था है।

- 4 .एक से ज्यादा गांवों के समूहों से बनी ग्राम पंचायत का नाम सबसे अधिक आबादी वाले गांव के नाम पर होगा।
- 5 .इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण दिया गया है।
- 6 .अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अलावा सामान्य सीट से भी ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं।
- 7 .पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष तय किया गया है तथा कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
- 8 .पंचायत 6 माह से अधिक समय के लिये भंग नहीं रहेगी तथा कोई भी पद 6 माह से अधिक खाली नहीं रहेगा।
- 9.इस संशोधन के अन्तर्गत पंचायतें अपने क्षेत्र के अर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनायें स्वयं बनायेंगी और उन्हें लागू करेंगी। सरकारी कार्यों की निगरानी अथवा सत्यापन करने का भी अधिकार उन्हें दिया गया है।
- 11 .73वें संशोधन के अन्तर्गत पंचायतों को ग्राम सभा के सहयोग से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थी के चयन का भी अधिकार दिया गया है।
- 11 .हर राज्य में वित्त आयोग का गठन होता है। यह आयोग हर पांच साल बाद पंचायतों के लिये सुनिश्चित आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर वित्त का निर्धारण करेगा।
- 12.उक्त संशोधन के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों का चयन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाना तय है।
- 13 .पंचायत में जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिये छः समितियों (नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति तथा निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबन्धन समिति) की स्थापना की गयी है। इन्हीं समितियों के माध्यम से कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।
- 14 . हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। यह आयोग निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन कार्य, उसका निरीक्षण तथा उस पर नियन्त्रण भी रखेगा।
- कुल मिलाकर संविधान के 73वें संशोधन ने नवीन पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत न सिर्फ पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के समान एक संवैधानिक दर्जा दिया है अपितु समाज के कमजोर, दलित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का भी अवसर दिया है।
- 17.9.2 चौहतरवें (74) वें संविधान संशोधन में मुख्य बातें
1. संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगर-प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
  2. इस संशोधन के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिकारों में एक रूपता प्रदान की गई है।

3.नगर विकास व नागरिक कार्यकलापों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया तक नगर व शहरों में रहने वाली आम जनता की पहुंच बढ़ाई गई है।

4.समाज कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का प्रतिशतता के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

5.74वें संशोधन के माध्यम से नगरों व कस्बों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के प्रयास किये गये हैं।

6.इस संविधान संशोधन की मुख्य भावना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा, निर्णय में अधिक पारदर्शिता व लोगों की आवाज पहुंचाना सुनिश्चित करना है।

7.देश में नगर संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के अधिकारों में एकरूपता रहे।

8.नागरिक कार्यकलापों में जन प्रतिनिधियों का पूर्ण योगदान तथा राजनैतिक प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार रहे।

9.नियमित समयान्तराल में प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के अधीन चुनाव हो सके व कोई भी निर्वाचित नगर प्रशासन छः माह से अधिक समयावधि तक भंग न रहे, जिससे कि विकास में जनप्रतिनिधियों का नीति निर्माण, नियोजन तथा क्रियान्वयन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

11.समाज की कमजोर जनता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये (संविधान संशोधन अधिनियम में प्राविधानित/निर्दिष्ट) प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति व महिलाओं को तथा राज्य (प्रादेशिक) विधान मण्डल के प्राविधानों के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों को नगर प्रशासन में आरक्षण मिलें।

11.प्रत्येक प्रदेश में स्थानीय नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये एक राज्य (प्रादेशिक) वित्त आयोग का गठन हो जो राज्य सरकार व स्थानीय नगर निकायों के बीच वित्त हस्तान्तरण के सिद्धान्तों को परिभाषित करें। जिससे कि स्थानीय निकायों का वित्तीय आधार मजबूत बने।

12.सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता रहे।

### 17.10 स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं और चुनौतियां

स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सुदूर गावों तक विकास की प्रक्रिया का लाभ पहुंचाया जा सकता है। स्थानीय लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास करने के अलावा स्थानीय समस्याओं का बेहतर हल खोज पाना ही इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है। नई पंचायती राज व्यवस्था से अनेक अपेक्षाएं हैं। इस आधार पर स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।

1. स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा बेहतर तरीके से किया जाना।

2. लोगों की समस्याओं को समझना ओर उसके हल के लिए योजनाएं बनाना।

3. दुर्गम व दुरस्थ गावों तक राजनीतिक समझ को परिपक्व करना तथा राजनीतिक चेतना का विकास करना।
4. सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा अधिकाधिक लोगों का प्रशासन व विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय करना तथा उनका सर्वांगीण विकास करना।

किन्तु स्थानीय स्वशासन के लिए यह मार्ग चुनौतियों से भरा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक वर्षों में प्रारम्भ किये गये सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पंचायती राज की असफलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी हैं।

1. स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के समक्ष वित्तीय संसाधनों की कमी है, तथा उन्हें राज्यों के सहायता अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है।
2. स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विकास का साधन न होकर राजनीतिक दलों के प्रशिक्षण के केन्द्र बनते जा रहे हैं।
3. पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, परन्तु महिलाएं आज भी इस व्यवस्था में स्वतंत्र होकर व स्व निर्णय लेकर कार्य नहीं कर पा रही हैं।
4. पंचायती राज व्यवस्था में धन व शक्ति के दुरुपयोग के मामले भी सामने आते रहे हैं, इससे निपटना भी एक चुनौती पूर्ण कार्य है।

पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए जनता का जागरूक होना जरूरी है। साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी अपना दायित्व सक्रियता से निभाना होगा तथा उन्हें जाति, धर्म व सम्प्रदाय से उपर उठ कर विकास कार्यों पर अपना ध्यान लगाना होगा।

## अभ्यास प्रश्न-2

1. 73वें संविधान संशोधन किस से संबंधित है।  
कंपंचायतों .नगर निकायों      ख .  
गविधान सभाओं .शिक्षण संस्थाओं      ग .
2. किस संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?
3. नगर निकायों से संबंधित संविधान संशोधन है .....

## 17.11 सारांश

शासन-प्रणाली के उपलब्ध रूपों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली सर्वोच्च व उत्तम है क्योंकि इस शासन प्रणाली में जनता की भागीदारी सुनिश्चित रहती है। जनता की भागीदारी को अधिक मजबूत बनाने और शासन में उनकी

पहुँच को सुलभ बनाने के लिए स्थानीय स्वशासन की कल्पना को साकार करने के लिए संविधान में 73वाँ और 74वाँ संशोधन किया गया।

73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा गांव स्तर पर ग्राम पंचायतों क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायतों व जिला स्तर पर जिला परिषदों व शहरी स्तर पर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत व नगर परिषदों का गठन कर स्थानीय स्वशासन को साकार रूप दिया गया। स्थानीय स्वशासन के इन रूपों के माध्यम से स्थानीय लोगों की शासन-सत्ता में सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जनहित के कार्यों में सक्रियता, निचले स्तर पर शासन में भागीदारी और और समस्याओं का निराकरण, यह स्थानीय स्वशासन का ध्येय है।

### 17.12 शब्दावली

संवर्द्धन- वृद्धि या विकास

वाह्य- बाहरी या अन्य

सूक्ष्म नियोजन- योजनाओं का छोटे रूप में लागू होना

त्रिस्तरीय- तीन स्तर

### 17.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न-1 1. ख. महात्मा गाँधी 2. 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन

अभ्यास प्रश्न-2 1. ख. पंचायतों से 2. 73वाँ संविधान संशोधन 3. 74वाँ संविधान संशोधन

### 17.17 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पंचायती राज प्रशिक्षण सन्दर्भ सामाग्री ,2004, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर

2. पंचायती राज प्रशिक्षण मार्गदर्शिका ,2004 हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर

3. जल, जंगल व जमीन पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों की नीतिगत स्तर पर पैरवी, 2002,

हार्क देहरादून एवं प्रिया नई दिल्ली

### 17.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

भारत में स्थानीय शासन- एस0 आर0 माहेश्वरी

भारत में पंचायती राज- डॉ0 के0 के0 शर्मा

भारतीय प्रशासन- अवस्थी एवं अवस्थी

---

### 17.16 निबंधात्मक प्रश्न

---

1. स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है? स्थानीय स्वशासन व पंचायतों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करें।
2. स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों है? स्थानीय स्वशासन व ग्रामीण विकास में संबंधों की चर्चा करें।
3. 73वें व 74वें संविधान संशोधन की मुख्य बातों की विस्तार से चर्चा कीजिए।
4. स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं और चुनौतियों को स्पष्ट करें।

---

## इकाई 18. 73वां, 74वां संविधान संशोधन

---

इकाई की संरचना

- 18.1 प्रस्तावना
- 18.2 उद्देश्य
- 18.3 73वें संविधान संशोधन की सोच
- 18.4 73वां संविधान अधिनियम
  - 18.4.1 तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य बातें
- 18.5 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम
- 18.6 सारांश
- 18.7 शब्दावली
- 18.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 18.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
- 18.10 सहायकउपयोगी पाठ्य सामग्री /
- 18.11 निबंधात्मक प्रश्न

### 18.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में हम नब्बे के दशक में भारत सरकार द्वारा पंचायतों को नया स्वरूप देने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में किये गये 73वें संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। यह तो हम जान ही गये हैं कि भारत में पंचायत व्यवस्था आदिकाल से ही ग्रामीण जीवन में एक शैली के रूप में अपनाई जाती रही है चाहे, इनके स्वरूप समयानुसार अलग अलग रहे हों। प्राचीन समय में भी देश के-गांवों का पूरा कामकाज पंचायतों ही चलाती थी। लोग इस संस्था को गहरी आस्था व सम्मान की की दृष्टि से देखते थे, इसलिये इसका निर्णय भी सब को मान्य होता था।

वैदिक काल से चली आ रही पंचायत व्यवस्था देश में लगभग मृतप्राय हो चुकी थी, जिसे गांधी जी, बलवन्त राय मेहता समिति, अशोक मेहता रिपोर्ट, जीसमिति .राव .के ., एलसिंघवी रिपोर्ट के प्रयासों ने नवजीवन दिया.एम. । जिसके फलस्वरूप 73वां संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जांच के बाद पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन से गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को एक नई दिशा मिली है। गांधी जी हमेशा से गांव की आत्मनिर्भरता पर जोर देते रहे। गांव के लोग अपने संसाधनों पर निर्भर रह कर स्वयं अपना विकास करें, यही ग्राम स्वराज की सोच थी। 73वें संविधान संशोधन के पीछे मूलधारणा भी यही थी कि स्थानीय स्तर पर विकास की प्रक्रिया में जनसमुदाय की निर्णय स्तर पर भागीदारी हो । 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वास्तव में एक मील का पत्थर है जिसके द्वारा आम जन को सुशासन में भागीदारी करने का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है ।

### 18.2 उद्देश्य

इस इकाई को पठने के उपरान्त आप -

- 1.73वें संविधान संशोधन के पीछे क्या सोच थी, इस विषय में जान पायेंगे ।
- 2.73वें संविधान संशोधन और इस संविधान में मौजूद मुख्य बातों(उपबन्धों) के विषय में जान पायेंगे ।

### 18.3 तिहत्तरवें संविधान संशोधन की सोच

पंचायतों को मजबूत, अधिकार सम्पन्न व स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम एक क्रान्तिकारी कदम है। 73वें संविधान संशोधन के पीछे निम्न सोच है-

1. निर्णय को विकेन्द्रीकृत करना तथा स्थानीय स्तर पर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करना।
2. स्थानीय स्तर पर पंचायत के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया, विकास कार्यों व शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. ग्राम विकास प्रक्रिया के नियोजन, क्रियान्वयन तथा निगरानी में गांव के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना व उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराना।
4. लम्बे समय से हासिये पर रहने वाले तबकों जैसे महिला, दलित एवं पिछड़ों को ग्राम विकास व निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।
5. स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता बढ़ाना व लोगों को अधिकार देना।

### 18.4 तिहत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम

स्वतन्त्रता पश्चात देश को सुचारू रूप से चलाने के लिये हमारे नीति निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है अथवा हटाया जाता है तो यह संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है। भारत में सदियों से चली आ रही पंचायत व्यवस्था जो कई कारणों से काफी समय से मृतप्रायः हो रही थी, को पुर्नजीवित करने के लिये संविधान में संशोधन किये गये। ये संशोधन तिहत्तरवां व चौहत्तरवां संशोधन अधिनियम कहलाये। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसी प्रकार चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्वशासन की स्थापना की गई। इन अधिनियमों के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में नयी पंचायती राज व्यवस्था को आवश्यक रूप से लागू करने के नियम बनाये गये। इस नये पंचायत राज अधिनियम से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व स्थानीय स्तर पर उसे मजबूत बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस अधिनियम में जहां स्थानीय स्वशासन को प्रमुखता दी गई है व सक्रिय किये जाने के निर्देश हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारों को विकेन्द्रीकरण हेतु बाध्य करने के साथनिश्चित करने के लिये वित्त आयोग साथ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुका भी प्रावधान किया गया है।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात 'नया पंचायती राज अधिनियम' प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को जनता तक पहुँचाने का एक उपकरण है। गांधी जी के स्वराज के स्वप्न को साकार करने की पहल है। पंचायती राज स्थानीय जनता का, जनता के लिये, जनता के द्वारा शासन है।

#### 18.4 .1 तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य बातें

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये नई पंचायत राज व्यवस्था एक प्रशंसनीय पहल है। गांधी जी का कहना था कि 'देश में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब भारत के लाखों गांवों को अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। गांव के लिये नियोजन, प्राथमिकता चयन लोग स्वयं करेंगे। ग्रामीण अपने गांव विकास सम्बन्धी सभी निर्णय स्वयं लेंगे। ग्रामविकास कार्यक्रम पूर्णतया लोगों के होंगे और सरकार उनमें अपनी भागीदारी देगी।' गांधी जी के इस कथन को महत्व देते हुये तथा उनके ग्रामस्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिये भारतीय सरकार ने पंचायतों को बहुत से अधिकार दिये हैं। तिहतरवें संविधान अधिनियम में निम्न बातों को शामिल किया गया है –

1.73वें संविधान संशोधन के अर्न्तगत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अर्थात् पंचायती राज संस्थाएं अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं।

2. नये पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली है। साथ ही इसे पंचायत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया है।

3. यह तीन स्तरों ग्राम पंचायत -, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर चलने वाली व्यवस्था है।

4. एक से ज्यादा गांवों के समूहों से बनी ग्राम पंचायत का नाम सबसे अधिक आबादी वाले गांव के नाम पर होगा।

5. इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण दिया गया है।

18. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अलावा सामान्य सीट से भी ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं।

7. पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष तय किया गया है तथा कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

8. पंचायत 18 माह से अधिक समय के लिये भंग नहीं रहेगी तथा कोई भी पद 18 माह से अधिक खाली नहीं रहेगा।

9. इस संशोधन के अर्न्तगत पंचायतें अपने क्षेत्र के अर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनायें स्वयं बनायेंगी और उन्हें लागू करेंगी। सरकारी कार्यों की निगरानी अथवा सत्यापन करने का भी अधिकार उन्हें दिया गया है।

10. 73वें संशोधन के अर्न्तगत पंचायतों को ग्राम सभा के सहयोग से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अर्न्तगत लाभार्थी के चयन का भी अधिकार दिया गया है।

11. हर राज्य में वित्त आयोग का गठन होता है। यह आयोग हर पांच साल बाद पंचायतों के लिये सुनिश्चित आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर वित्त का निर्धारण करेगा।

12. उक्त संशोधन के अर्न्तगत ग्राम प्रधानों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों का चयन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाना तय है।

13. पंचायत में जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिये छः समितियों (नियोजन एवं विकास समिति), शिक्षा समिति तथा निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबन्धन समितिकी स्थापना की गयी है। इन्हीं समितियों के माध्यम से कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।

14. हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। यह आयोग निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन कार्य, उसका निरीक्षण तथा उस पर नियन्त्रण भी रखेगा।

कुल मिलाकर संविधान के 73वें संशोधन ने नवीन पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत न सिर्फ पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के समान एक संवैधानिक दर्जा दिया है अपितु समाज के कमजोर, दलित वर्ग तथा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का भी अवसर दिया है।

## 18.5 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम

इस संशोधन के सम्बन्ध में हम इकाई २० में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

### अभ्यास प्रश्न

- 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था से है। सत्य असत्य /
- 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को पहली बार ..... प्रदान किया।
- 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

क. प्रतिशत 25

ख .30 प्रतिशत

ग .33 प्रतिशत

घ.50 प्रतिशत

## 18.6 सारांश

73वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करने और आम जन की शासन सत्ता में सीधी भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वे 73वें संविधान संशोधन ने ग्राम स्तर पर लोगों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी, जनहित के कार्यों में सक्रिय सहयोग का मौका दिया। 73वां संविधान संशोधन ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

## 18.7 पारिभाषिक शब्दावली

दशकदस वर्ष का समय -, विकेन्द्रीकृतन पर न होना या एक स्थाकिसी चीज का केन्द्र -, जन कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों के हित की योजनाएं -

## 18.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

- सत्य, 2. संवैधानिक दर्जा, 3. ग

---

### 18.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

---

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
  2. पंचायत सन्दर्भ सामाग्री, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर
- 

### 18.10 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. भारत में पंचायती राज- के. के. शर्मा
  2. भारत में स्थानीय शासन- एस0 आर0 माहेश्वरी
  3. भारतीय प्रशासन- अवस्थी एवं अवस्थी
- 

### 18.11 निबंधात्मक प्रश्न

---

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, इस अधिनियम में मौजूद मुख्य बातों को स्पष्ट करें?

---

## इकाई 19. पंचायती राज संस्थाएं- गठन, कार्य एवं शक्तियां,

---

### इकाई की संरचना

- 19.1 प्रस्तावना
- 19.2 उद्देश्य
- 19.3 पंचायती व्यवस्था में ग्राम-सभा का महत्व एवं आवश्यकता
  - 19.3.1 ग्रामसभा सदस्यों के अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ
- 19.4 ग्राम पंचायत का गठन (धारा- 12-1)
  - 19.4.1 ग्राम पंचायत के कार्य, एवं शक्तियाँ
- 19.5 क्षेत्र पंचायत का गठन
  - 19.5.1 क्षेत्र पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ
- 19.6 जिला पंचायत का गठन
  - 19.6.1 जिला पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ
- 19.7 सारांश
- 19.8 शब्दावली
- 19.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 19.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 19.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 19.12 निबंधात्मक प्रश्न

## 19.1 प्रस्तावना

नयी पंचायत व्यवस्था के अर्न्तगत ग्राम सभा को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माना गया है। एक आदर्श पंचायत की नींव ग्राम सभा होती है। अगर नींव मजबूत है तो सारी व्यवस्था उस पर टिकी रह सकती है अगर नींव ही कमजोर या ढुलमुल है तो व्यवस्था किसी भी समय ढहनी निश्चित है। अतः एक मजबूत ग्राम सभा ही पंचायत व्यवस्था को बनाये रख सकती है। प्रायः लोग ग्राम पंचायत तथा ग्रामसभा में भेद नहीं कर पाते जब कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। ग्राम सभा का तात्पर्य सम्पूर्ण गांव से है जबकि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में से ही चुने गये सदस्यों से बनती है। ग्रामसभा के सदस्य वे सभी गांव वाले होते हैं जिन्हें मतदान का अधिकार होता है और जो बालिग उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होते हैं। (

पंचायत अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ग्राम सभा का तात्पर्य गांव के उन सभी नागरिकों से होता है जिनका नाम मतदाता सूची में होता है। वह स्वतंत्र होकर अपने मत का प्रयोग करते हुये नेतृत्व का चयन कर सकता है। प्रत्येक नागरिक जो एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वह वोट देने का अधिकारी है। ग्राम सभा के सदस्य ही जिनकी आयु 21 वर्ष हो चुने जाने पर ग्राम पंचायत के सदस्य बनते हैं। गांव में रहने वाले सभी बालिक जिन्हें मत देने का अधिकार है चाहे वह महिला हो या पुरुष), बुर्जुग हो या युवा तथा जिनका नाम मतदाता सूची में ( शामिल है, मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। प्रत्येक नागरिक जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वह मत देने का अधिकारी है।

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की गई है। इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन व विकास की इकाइयों को एक पहचान मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम विकास की पहली इकाई मानी गई है। गांव के लोगों के सबसे नजदीक होने के कारण इसका अत्यधिक महत्व है। ग्राम प्रधान, उपप्रधान व सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चयन ग्राम सभा के सदस्य चुनाव के द्वारा करते हैं। अतः ग्राम सभा के सदस्यों से इसका सीधा नाता होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के निर्देशन में ग्राम सभा के सदस्यों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करती है। गांव के विकास व सामाजिक न्याय की योजना बनाना इनका प्रमुख काम है। कई लोगों का मानना है कि पंचायत लोगों की आवाज व आवश्यकताओं को केन्द्र तक पहुंचाने का एक कारगर मंच हो सकता है।

अतः पंचायत सही मायने में लोगों की आवाज बने इसके लिये जरूरी है कि ग्राम पंचायत की बैठकें बराबर होती रहें और इसमें सभी सदस्यों की उचित भागीदारी हो। एक ग्राम पंचायत तभी सशक्त हो सकती है जब हर सदस्य अपने विचारों को पंचायत की बैठक में बिना किसी संकोच के रख सके, गांव की समस्याओं तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा करे और उनके निदान के लिये प्रयत्न करे।

तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अर्न्तगत नई पंचायत राज व्यवस्था में पंचायतें तीन स्तरों पर गठित की गई हैं। विकेन्द्रीकरण की नीति ही यह कहती है कि सत्ता, शक्ति व संसाधनों का बंटवारा हर स्तर पर हो। तीनों स्तर पर पंचायतों के द्वारा लोगों की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनायें बनाई जाती हैं। पंचायतों को इस व्यवस्था के अर्न्तगत नये कार्य और अधिकार देने के पीछे मुख्य सोच यही है कि लोगों की जरूरत के आधार पर योजनायें बनाई जायें। ताकि विकास योजनाओं का सहीसही लाभ लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार मिल सके। दूसरी - सोच इस व्यवस्था के पीछे यह है कि सरकार लोगों की आवश्यकतायें जानकर उनके अनुसार योजनाओं का

निर्माण कर सके इसके लिए पंचायतों के माध्यम से ही सीधे लोगों तक पहुँचा जा सकता है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार को लोगों की जरूरतों के अनुसार पंचवर्षीय योजनायें बनाने में भी मदद मिलती है।

विकासखण्ड स्तर पर यदि लोगों की जरूरतों के हिसाब से योजनायें बनें तो अधिक प्रभावी तरीके से लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। क्योंकि बहुत सी जरूरतें ऐसी हैं जो या तो पूरे विकास खण्ड की हैं या एक ही विकास खण्ड में बहुत सी ग्राम पंचायतों की हैं। इस तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका हल खोजने और उन्हें लागू करने में क्षेत्र पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए क्षेत्र पंचायत का गठन किया गया है ताकि वे अपनेअपने क्षेत्र की जरूरतों को जिले तक पहुँचा सकें और उसी के आधार पर जिले की विकास - योजना बनें। चूंकिजिला एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है और यह वास्तविक रूप से संभव भी नहीं है कि एक जिले में आने वाली हर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि अपनी जरूरतों को जिला पंचायत तक समय से पहुँचा सकें। इसलिए ग्राम पंचायतों की समस्याओं व उनकी प्राथमिकताओं की पहचान को इकट्ठा कर जिला पंचायत तक पहुँचाने में, उनको लागू कराने में क्षेत्र पंचायतों का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए क्षेत्र पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है।

जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की जिले स्तर पर सर्वोच्च संस्था है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होगी जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा। जिला पंचायत पूरे जिले से आयी प्राथमिकताओं व लोगों की जरूरतों का समेकन कर एक जिला योजना तैयार करती है, जो क्षेत्र विशेष के हिसाब से उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर होती है। इस प्रकार जिला योजना में स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

## 19.2 उद्देश्य

इस इकाई को पठने के उपरान्त आप -

- 1.ग्रामसभा के अधिकार एवं कर्तव्य, ग्रामसभा बैठक की कार्यवाही, ग्रामसभा सदस्यों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।
- 2.ग्रामसभा में महिलाओं और दलितों की भागीदारी को तथा सक्रिय ग्रामसभा और निष्क्रिय ग्रामसभा में अंतर के विषय में जान पायेंगे।
- 3.ग्राम पंचायत के गठन, उसकी चुनाव प्रणाली, उनका कार्यकाल के विषय में जान पायेंगे।
- 4.ग्राम पंचायत की कार्यवाही तथा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के कार्य एवं अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।
- 5.क्षेत्र पंचायत के गठन, उसकी चुनाव प्रणाली तथा उसके अधिकार एवं शक्तियों के विषय में जान पायेंगे।
- 6.क्षेत्र पंचायत पर आंतरिक नियंत्रण, क्षेत्र पंचायत के आय के स्रोत तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत आने वाले पदाधिकारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के अधिकार एवं शक्तियों के विषय में जान पायेंगे।

7. जिला पंचायत के गठन, उसकी कार्य एवं शक्तियां, उसके बजट, बैठकें, उसके द्वारा जिला निधि के संचालन के बारे में जान पायेंगे।

8. जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के चुनाव उनकी कार्य एवं शक्तियों के द्वारा जिला पंचायत के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर पायेंगे।

### 19.3 पंचायती व्यवस्था में ग्राम-सभा का महत्व एवं आवश्यकता

स्थानीय स्वशासन या ग्राम स्वराज को गांव स्तर पर स्थापित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। एक मजबूत व सक्रिय ग्रामसभा ही स्थानीय स्वशासन की कल्पना को साकार कर सकती है। नये पंचायती राज के अर्न्तगत अब गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। पंचायतें ग्रामीण विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि केवल निर्वाचित सदस्य ही इस जिम्मेदारी को निभायेंगे। इसके लिए ग्रामसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है जहां लोग पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्थानीय विकास से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और सबके विकास की कल्पना को साकार रूप दे सकते हैं। स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत होगा जब हमारी ग्रामसभा में गांव के हर वर्ग चाहे दलित हों अथवा जनजाति, महिला हो या फिर गरीब, सबकी समान रूप से भागीदारी हो और जो भी योजनायें बनें वे समान रूप से सबके हितों को ध्यान में रखते हुये बनाई जायें तथा ग्राम विकास संबन्धी निर्णयों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो। लेकिन इसके लिए गांव के अन्तिम व्यक्ति की सत्ता एवं निर्णय में भागीदारी के लिये ग्रामसभा के प्रत्येक सदस्य को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

यहां इस बात को समझने की आवश्यकता है कि क्या ग्रामीण समुदाय चाहे वह महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग अपनी इस जिम्मेदारी को समझता है या नहीं? क्या ग्राम विकास संबन्धी योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी के प्रति वे जागरूक हैं? क्या उन्हें मालूम है कि उनकी निष्क्रियता की वजह से कोई सामाजिक न्याय से वंचित रह सकता है? ग्रामीणों की इस अनभिज्ञता के कारण ही गांव के कुछ एक ही प्रभावशील या यूं कहें कि ताकतवर लोगों के द्वारा ही ग्रामीण विकास प्रक्रिया चलाई जाती है। जब तक ग्राम सभा का प्रत्येक सदस्य पंचायती राज के अन्तर्गत स्थानीय स्वशासन के महत्व व अपनी भागीदारी के महत्व को नहीं समझेगा, एवं ग्राम विकास के कार्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भूमिका को नहीं निभायेगा, तब तक एक सशक्त पंचायत या गांधी जी के स्थानीय स्वशासन की बात करना महज एक कल्पना है। स्थानीय स्वशासन रूपी इस वृक्ष की जड़ को जागरूकता रूपी जल से सींच कर उसे नवजीवन देकर गांधी जी (ग्रामसभा) के स्वप्न को साकार किया जा सकता।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 (बसभा गांव की मतदाता सूची में चिन्हित -अनुसार ग्राम ( सभी लोगों की संस्था है जो राज्य विधान मंडल के द्वारा ग्रामस्तर पर राज्य के द्वारा लागू कानून के अनुरूप उसके द्वारा प्रदत्त कार्यों का संपादन करेगी। ग्रामसभा के कार्यों की रूपरेखा भी राज्यों के द्वारा स्वयं तय की जाती है। संविधान ने ये सारी जिम्मेदारी राज्यों को दी है। संविधान की सातवीं अनुसूची राज्य की अनुसूची है और पंचायत राज भी इसी के अर्न्तगत परिभाषित है।

### 19.3.1 ग्रामसभा सदस्यों के अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ

ग्राम सभा को पंचायत व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। पंचायत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में इसकी अहम भूमिका होती है। मुख्यतः ग्रामसभा का कार्य ग्राम विकास की विभिन्न योजनाओं, विभिन्न कार्यों का सुगमीकरण करना तथा लाभार्थी चयन को न्यायपूर्ण बनाना है। देश के विभिन्न राज्यों के अधिनियमों में स्पष्ट रूप से ग्रामसभा के कार्यों को परिभाषित किया गया है। उनमें यह भी स्पष्ट है कि पंचायत भी ग्रामसभा के विचारों को महत्व देगी। मुख्यतः ग्रामसभा का कार्य ग्रामविकास की विभिन्न योजनाओं, विभिन्न कार्यों का सुगमीकरण करना तथा लाभार्थी चयन को न्यायपूर्ण बनाना है। ग्राम पंचायतों की विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण, मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन की दृष्टि से ग्रामसभाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत कुछ अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। ग्रामसभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य तथा अधिकार निम्नवत हैं -

- ग्रामसभा सदस्य ग्रामसभा की बैठक में पंचायत द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं, यही नहीं ग्रामसभा पंचायतों की भविष्य की कार्ययोजना व उसके क्रियान्वयन पर भी टिप्पणी अथवा सुझाव रख सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक और विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट का परीक्षण व अनुमोदन करती है।
- पंचायतों के आय व्यय में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये ग्रामसभा सदस्य को यह भी अधिकार होता है कि वे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पंचायत में जाकर पंचायतों के दस्तावेजों को देख सकते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक बजट का परीक्षण अनुमोदन करना भी ग्रामसभा का अधिकार है।
- ग्राम सभा का महत्वपूर्ण कार्य ग्राम विकास प्रक्रिया में स्थाई रूप से जुड़े रह कर गांव के विकास व हित के लिये कार्य करना है। ग्राम विकास योजनाओं के नियोजन में लोगों की आवश्यकताओं, उनकी प्राथमिकताओं को महत्व दिलाना तथा उनके क्रियान्वयन में अपना सहयोग देना ग्राम सभा के सदस्यों की प्रथम जिम्मेदारी है।
- ग्रामसभा को यह अधिकार है कि वह ग्रामपंचायत द्वारा किये गये विभिन्न ग्राम विकास कार्यों के संदर्भ में किसी भी तरह के संशय, प्रश्न पूछकर दूर कर सकती है। कौन सा कार्य कब किया गया, कितना कार्य होना बाकी है, कितना पैसा खर्च हुआ, कुल कितना बजट आया था, अगर कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसके क्या कारण हैं आदि जानकारी पंचायत से ले सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा को विशेष रूप से सामाजिक अंकेक्षण ( सोसल ऑडिट) करने की जिम्मेदारी है।
- सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास की सभी योजनायें ग्राम पंचायत द्वारा लागू की जायेंगी। अतः विभिन्न ग्राम विकास सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थी के चयन में ग्रामसभा की एक अभिन्न भूमिका है। प्राथमिकता के आधार पर उचित लाभार्थी का चयन कर उसे सामाजिक न्याय दिलाना भी ग्रामसभा का परम दायित्व है।
- नये वर्ष की योजना निर्माण हेतु भी ग्रामसभा अपने सुझाव दे सकती है तथा ग्रामसभा ग्रामपंचायत की नियमित बैठक की भी निगरानी कर सकती है।
- ग्राम विकास के लिये ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा श्रमदान करना व धन जुटाने का कार्य भी ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा यह भी निगरानी रखती है कि ग्राम पंचायत की बैठक साल में हर महीने नियमित

रूप से हो रही हैं या नहीं। साल में दो बार आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, युवक हो बुजुर्ग हो, को भागीदारी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के सुझावों पर ध्यान रखते हुये कार्य करना है।

अक्सर देखा व अनुभव किया है कि ग्राम सभा के सदस्य यानि प्रौढ़ महिला, पुरुष जिन्होंने मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुना है अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं रहते। जानकारी के अभाव में वे ग्राम विकास में अपनी अहम भूमिका होने के बावजूद भागीदारी नहीं कर पाते। एक सशक्त, सक्रिय व चेतनायुक्त ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत की सफलता की कुंजी है।

### ग्राम सभा की बैठक व कार्यवाही

ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। एक रबी की फसल के समय दूसरी खरीफ की फसल के वक्त (जून-मई)। इसके अलावा अगर ग्राम सभा के (दिसम्बर-नवम्बर) सदस्य लिखित नोटिस द्वारा आवश्यक बैठक की मांग करते हैं तो प्रधान को ग्राम सभा की बैठक बुलानी पड़ती है।

- ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग होना जरूरी है अगर कोरम के अभाव में निरस्त हो जाती है तो अगली बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस बैठक में ग्राम सभा के सदस्य, पंचायत सदस्य, पंचायत सचिव, खण्ड विकास अधिकारी व विभागों से जुड़े अधिकारी भाग लेंगे।
- बैठक ऐसे स्थान पर बुलाई जानी चाहिये जहां अधिक से अधिक लोग विशेषकर महिलाएं भागीदारी कर सकें।
- ग्राम सभा की बैठक का एजेण्डे की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी को दी जानी चाहिये व इसकी सूचना सार्वजनिक स्थानों पर लिखित व डुगडुगी बजवाकर देनी चाहिये।
- सुविधा के लिये अप्रैल 31 मार्च तक के एक वर्ष को एक वित्तीय वर्ष माना गया है। ग्राम प्रधान पिछले वर्ष की कार्यवाही सबके सामने रखेगी। उस पर विचार होगा, पुष्टि होने पर प्रधान हस्ताक्षर करेगा।
- पिछली बैठक के बाद का हिसाब तथा ग्राम पंचायत के खातों का विवरण सभा को दिया जायेगा। पिछले वर्ष के ग्राम विकास के कार्यक्रम तथा आने वाले वर्ष के विकास कार्यक्रमों के प्रस्ताव अन्य कोई जरूरी विषय हो तो उस पर विचार किया जायेगा।
- ग्राम सभा का यह कर्तव्य है कि वह ग्राम सभा की बैठकों में उन्हीं योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रस्ताव लाये जिनकी गांव में अत्यधिक आवश्यकता है व जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सकता है।
- जब ग्राम सभा में एक से अधिक गांव होते हैं तो खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करने पर बहस के समय काफी हल्ला होता है। सबसे अच्छा यह रहेगा कि हर गांव ग्राम सभा की हाने वाली बैठक से पूर्व ही अपने अपने गांव के लोगों की एक बैठक कर ग्राम सभा की बैठक में रखे जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा कर लें व सर्व-सहमति से प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रमों को सूचिबद्ध कर प्रस्ताव बना लें और बैठक के दिन प्रस्तावित करें।

वे गांव से जुड़े जल, जंगल तथा जमीन के संरक्षण, संवर्धन व उपयोग संबन्धी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं उन पर अपने निर्णय दे सकते हैं।

‘एक आदर्श पंचायत वही पंचायत हो सकती है, जिसमें गांव की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता हो। तथा एक आदर्श ग्रामसभा वही ग्रामसभा हो सकती है, जिसके सदस्यों में ग्राम विकास और इससे जुड़ी योजनाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन में भागीदारी के प्रति संवेदनशीलता हो।’ इसके अतिरिक्त गांव सुरक्षा, बाल विवाह, दहेज, छूआछूत जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों को भी बैठक में उठा सकते हैं। उनसे संबन्धित किसी तरह के निर्णय में भी उनकी भागीदारी की अनिवार्यता स्वतः बन जाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि गांव में उपलब्ध संसाधन हो अथवा कोई अन्य आधार, लोगों में तब तक उसके संरक्षण प्रति जिम्मेदारी या दायित्व की भावना नहीं आ सकती है जब तक कि निर्णायक स्तर पर उनको अधिकार देकर उनमें स्वामित्व की भावना का संचार नहीं किया जाता।

यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि ग्रामसभा पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिये ग्रामसभा के प्रत्येक सदस्य को जागरूक रहकर ग्राम विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिये।

## 19.4 ग्राम पंचायत का गठन (धारा- 12-1)

सर्व प्रथम यह जानना जरूरी है कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत में एक प्रधान व कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या पंचायत क्षेत्र की आबादी के अनुसार निम्न प्रकार से होगी -

❖ 500 तक की जनसंख्या पर	05 सदस्य
❖ 501 से 1000 तक की जनसंख्या पर	07 सदस्य
❖ 1001 से 2000 तक की जनसंख्या पर	09 सदस्य
❖ 2001 से 3000 तक की जनसंख्या पर	11 सदस्य
❖ 3001 से 5000 तक की जनसंख्या पर	13 सदस्य
❖ 5000 से अधिक की जनसंख्या पर	15 सदस्य

प्रधान तथा 2 तिहाई सदस्यों के चुनाव होने पर ही पंचायत का गठन घोषित किया जायेगा।

### ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव

#### प्रधान का चुनाव -धारा)11- ख -1)

ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है। यदि पंचायत के सामान्य चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है तथा पंचायत के लिए दो तिहाई से कम सदस्य ही चुने जाते हैं, उस दशा में सरकार एक प्रशासनिक समिति बनायेगी। जिसकी सदस्य संख्या सरकार तय करेगी। सरकार एक प्रशासक भी नियुक्त कर सकती है। प्रशासनिक समिति व प्रशासक का कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा। इस अवधि में ग्राम पंचायत, उसकी समितियों तथा प्रधान के सभी अधिकार इसमें निहित होंगे। इन छः माह में नियत प्रक्रिया द्वारा पंचायत का गठन किया जायेगा।

#### उपप्रधान का चुनाव -धारा)11 - ग -1)

उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। यदि उप प्रधान का चुनाव न हो पाये तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान मनोनीत कर सकता है।

### पंचायतों का कार्यकाल

ग्राम पंचायत की पहली बैठक के दिन से 5 साल तक ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। यदि पंचायत को उसके कार्यकाल पूर्ण होने के 6 माह पूर्व भंग किया जाता है तो ग्राम पंचायत में पुनः चुनाव करवाकर पंचायत का गठन किया जाता है। इस नवनिर्वाचित पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के बचे हुए समय के लिए होगा अर्थात् बचे हुए छः माह के लिए ही होगा।

#### 19.4.1 ग्राम पंचायत के कार्य, एवं शक्तियाँ

प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के कार्यकलाप एवं दायित्वों की सूची तैयार की गई है। इस सूची के अन्तर्गत पंचायतों की 29 जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। संविधान के 73 संशोधन द्वारा 29 विषय पंचायतों के अधीन किये गये हैं, जिसके लिये पृथक से 73वें संविधान संशोधन में 243 जी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस सूची में शामिल विषयों के अन्तर्गत आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और विकास योजनाओं को अमल में लाने का दायित्व पंचायतों का होगा। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की कुछ जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नांकित कृत्यों का संपादन निष्ठापूर्वक करेगी।

प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के कार्यकलाप एवं दायित्वों की सूची तैयार की गई है इस सूची के अन्तर्गत पंचायतों की 29 जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित विभागों एवं विषयों के दायित्व सौंपे गये हैं।

क्र.सं.	जिम्मेदारी	मुख्य कार्य
1	कृषि एवं कृषि विस्तार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कृषि एवं बागवानी का विकास और प्रोन्नति।</li> <li>• बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उसके अनाधिकृत अतिक्रमण एवं प्रयोग की रोकथाम करना।</li> </ul>
2	भूमि विकास, सुधार का कार्यान्वयन और चकबन्दी	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबन्दी और भूमि संरक्षण में सरकार तथा अन्य एजेन्सियों की सहायता करना।</li> </ul>
3	लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल आच्छादन विकास	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई के उद्देश्य से जल पूर्ति का विनिमय।</li> </ul>
4	पशुपालन, दुग्ध उद्योग तथा कुक्कुट पालन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पालतु जानवरों कुक्कुटों और अन्य पशुओं की नस्लों में सुधार करना।</li> <li>• दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन तथा सुअर पालन की प्रोन्नति।</li> <li>• गांव में मत्स्य पालन विकास।</li> </ul>
5	सामाजिक और कृषि वानिकी	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण।</li> <li>• सामाजिक, वानिकी, कृषि एवं रेशम उत्पादन का विकास करना।</li> </ul>
6	लघु वन उत्पाद	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति एवं विकास करना।</li> </ul>
7	लघु उद्योग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना।</li> <li>• कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति।</li> </ul>
8	लघु वन उद्योग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लघु वन उत्पादन के कार्यक्रम की प्रोन्नति और उसका क्रियान्वयन।</li> </ul>

9	कुटीर और ग्राम उद्योग	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कृषि एवं वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना।</li> <li>● कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना।</li> </ul>
10	ग्रामीण आवास	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन।</li> <li>● आवास स्थलों का वितरण और उनसे सम्बन्धित सभी प्रकार के अभिलेखों का रखरखाव तथा अनुरक्षण।-</li> </ul>
11	पेयजल	<ul style="list-style-type: none"> <li>● पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों, पोखरों का निर्माण।</li> <li>● अनुरक्षण तथा पेयजल के लिए जल स्रोतों का विनिमय।</li> </ul>
12	ईंधन व चारा भूमि	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ईंधन व चारा भूमि से सम्बन्धित घास और पौधों का विकास।</li> <li>● चारा भूमि के अनियमित चारा पर नियंत्रण।</li> </ul>
13	पुलिया, नौकाघाट तथा संचार के अन्य साधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>● गांव की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण तथा अनुरक्षण।</li> <li>● जल मार्गों का अनुरक्षण। सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण को हटाना।</li> </ul>
14	ग्रामीण विद्युतीकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सार्वजनिक मार्गों तथा अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना तथा अनुरक्षण करना।</li> </ul>
15	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	<ul style="list-style-type: none"> <li>● गैर पारम्परिक ऊर्जा के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, प्रोन्नति तथा उनका अनुरक्षण।</li> </ul>
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> <li>● गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।</li> </ul>
17	शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना	<ul style="list-style-type: none"> <li>● तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा।</li> <li>● ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति।</li> </ul>
18	प्रौढ़, अनौपचारिक शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रौढ़, अनौपचारिक शिक्षा का प्रसार।</li> </ul>
19	पुस्तकालय	<ul style="list-style-type: none"> <li>● पुस्तकालयों की स्थापना एवं अनुरक्षण।</li> </ul>
20	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>● समाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।</li> <li>● विभिन्न त्यौहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन करना।</li> <li>● खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना एवं अनुरक्षण।</li> </ul>

21	बजार एवं मेले	<ul style="list-style-type: none"> <li>● पंचायत क्षेत्रों के मेलों, बाजारों व हाटों को प्रोत्साहित करना।</li> </ul>
22	चिकित्सा एवं स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ग्रामीण स्वच्छता को प्रोत्साहित करना।</li> <li>● महामारियों के विरुद्ध रोकथाम।</li> <li>● मनुष्य, पशु टीकाकरण के कार्यक्रम।</li> <li>● खुले पशु और पशुधन की चिकित्सा तथा उनके विरुद्ध निवारण कार्यवाही।</li> <li>● जन्ममृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण।-</li> </ul>
23	परिवार कल्याण	<ul style="list-style-type: none"> <li>● परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर क्रियान्वित करना।</li> </ul>
24	आर्थिक विकास के लिए योजना	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ग्राम पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु योजना तैयार करना।</li> </ul>
25	प्रसूति एवं बाल विकास	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।</li> <li>● बाल स्वास्थ्य एवं बाल विकास के पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति करना।</li> </ul>
26	समाज कल्याण	<ul style="list-style-type: none"> <li>● समाज कल्याण के तहत मानसिक रूप से विकलांग एवं मंद बुद्धि के बच्चों, व्यक्तियों, पुरुषों तथा महिलाओं की सहायता करना।</li> <li>● वृद्धावस्था और विधवा पेन्शन योजनाओं में सहायता करना।</li> </ul>
27	अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग करना।</li> <li>● सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी करना तथा क्रियान्वयन करना।</li> </ul>
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति करना।</li> <li>● सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।</li> </ul>
29	समुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण	<ul style="list-style-type: none"> <li>● समुदायिक अस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण।</li> </ul>

## 19.5 क्षेत्र पंचायत का गठन

राज्य सरकार प्रत्येक जिले को खण्डों में बांटेगी। खण्डों की सीमाओं का निर्धारण भी राज्य सरकार तय करती है। प्रत्येक खण्ड को विकास खण्ड कहा जाता है। 73 वें संविधान संसोधन के अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड में एक क्षेत्र पंचायत होगी। क्षेत्र पंचायत का नाम विकासखण्ड के नाम पर रखा जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में 25000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खंडों में 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्र पंचायत का) तथा (निर्वाचन क्षेत्र 25000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे। मैदानी क्षेत्रों में 50000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खंडों में 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा 50000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खंडों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे।

क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य विकास खण्ड के सभी ग्राम (जिनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया होता है) पंचायतों के ग्राम प्रधान, लोक सभा और राज्य सभा के वे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड पूर्ण या आंशिक रूप से आता है तथा राज्य सभा और विधान परिषद के सदस्य जो विकास खण्ड के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, को मिला कर क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है।

### क्षेत्र पंचायत में आरक्षण

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पदों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

- अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों के लिए पदों का आरक्षण कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण कुल सीटों में अधिक से अधिक 21 प्रतिशत तक ही होगा। इसी प्रकार पिछड़ी जाति के लिए पदों का आरक्षण 27 प्रतिशत होगा।
- बाकी के पदों पर कोई आरक्षण नहीं होगा।
- प्रत्येक वर्ग यानि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें उपलब्ध हैं उनमें से 1/3 पद उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- लेकिन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं की गई है तो वे भी उस अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ सकती हैं।

आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से होगा। मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र अगर एक चुनाव में अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होगा तो अगली चुनाव में वह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा।

### क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और उप-प्रमुख का चुनाव

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में चुने गये क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख और एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुनेंगे। क्षेत्र पंचायत के कुल चुने जाने वाले सदस्यों में से यदि किसी सदस्य का चुनाव नहीं भी होता है

तो भी प्रमुख एवं उपनहीं और चुने गये क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने में से एक प्रमुख के पदों के लिए चुनाव रूकेगा-को प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव कर लेंगे। वह व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, और उप प्रमुख नहीं बन सकता यदि वह-

1. संसद या विधान सभा का सदस्य है।
2. किसी नगर निगम का नगर प्रमुख या उप प्रमुख हो।
3. किसी नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो।
4. किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन हो।

### क्षेत्र पंचायत एवं उसके सदस्यों का चुनाव एवं कार्यकाल

क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 सालों तक का होगा। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल, यदि किसी कारण से पहले नहीं समाप्त किया जाता है तो उनका कार्यकाल क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल तक होगा। यदि किसी खास वजह से क्षेत्र पंचायत को उसके नियत कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करना जरूरी होगा। इस तरह से गठित क्षेत्र पंचायत बाकी बचे समय के लिए काम करेगी। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्रामसभा सदस्यों द्वारा किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के सदस्य - के रूप में चुने जाने के लिए जरूरी है कि प्रत्याशी की उम्र 21 साल से कम न हो साथ ही यह भी जरूरी है कि चुनाव में खड़े होने वाले सदस्य का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो।

### 19.5.1 क्षेत्र पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ

नये अधिनियम में क्षेत्र पंचायतों को निम्नलिखित अधिकार एवं कृत्य सौंपे गये हैं।

1. **कृषि** -कृषि प्रसार, बागवानी की प्रोन्नति और विकास, सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती और विपणन की प्रोन्नति।
2. **भूमि विकास** -सरकार के भूमि सुधार भूमि संरक्षण और चकबन्दी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना।
3. **लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जलाच्छादन विकास** -लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और अनुरक्षण में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना और सामुदायिक और वैयक्तिक सिंच (संरक्षण)ाई कार्यों का कार्यान्वयन।
4. **पशुपालन, दुग्ध उद्योग, और मुर्गी पालन-**
  1. पशु सेवाओं का अनुरक्षण।
  2. पशु, मुर्गी और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार।
  3. दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन तथा सुअर पालन की उन्नति।
5. **मत्स्य पालन** -मत्स्य पालन के विकास की उन्नति।
6. **सामाजिक और कृषि वानिकी-**

1. सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और संरक्षण।
  2. सामाजिक वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और उन्नति।
7. लघु वन उत्पाद -लघु वन उत्पादों की उन्नति और विकास।
- 8 -लघु उद्योग .ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहायता करना और कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन करना।
9. कुटीर और ग्राम उद्योग -कुटीर उद्योगों के उत्पादों का विपणन। (नबाजार प्रबन्ध)
10. ग्रामीण आवास -ग्रामीण आवास कार्यक्रमों में सहायता देना और उसका कार्यान्वयन।
- 11 -पेय जल .
1. पेयजल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना।
  2. दुषित जल को पीने से बचाना।
  3. ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना।
12. ईंधन और चारा भूमि- ईंधन और चारा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की उन्नति तथा पंचायत क्षेत्र में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।
13. सड़क, पुलिया, पुल, नौकाघाट, जलमार्ग, और संचार के अन्य साधन-
1. गांवों के बाहर सड़कों, पुलियों का निर्माण और उनका अनुरक्षण।
  2. पुलों का निर्माण।
  3. नौका घाटों और जल मार्गों के प्रबन्ध में सहायता।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण- ग्रामीण विद्युतीकरण की उन्नति।
15. गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोत -गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना और उसकी उन्नति।-
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
17. शिक्षा -प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास और प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की उन्नति।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा -ग्रामीणों, शिल्पकारों और व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा -प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण।
20. पुस्तकालय- ग्रामीण पुस्तकालयों की उन्नति और पर्यवेक्षण।
21. खेल कूद और सांस्कृतिक कार्य-
1. सांस्कृतिक कार्यों का पर्यवेक्षण।
  2. क्षेत्रीय लोकगीतों, नृत्यों और ग्रामीण खेल-कूद की उन्नति और आयोजन।

3. सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास और उन्नति।
  22. बाजार और मेले -ग्राम पंचायत के बाहर मेलों और बाजारों की उन्नति (जिसमें पशु मेला भी सम्मिलित है), पर्यवेक्षण और प्रबन्ध।
  23. चिकित्सा और स्वच्छता-
    1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालयों की स्थापना और अनुरक्षण।
    2. महामारियों का नियंत्रण।
    3. ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
  24. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना
  25. परिवार कल्याण -परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उन्नति।
  26. प्रसूति और बाल विकास -महिलाओं, बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में संगठनों की सहभागिता के लिए कार्यक्रमों की उन्नति तथा महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों की उन्नति।
  27. समाज कल्याण -समाज कल्याण कार्यक्रमों, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्दबुद्धि -व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना और वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण करना।
  28. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण -सामुदायिक कार्यों का अनुरक्षण और मार्गदर्शन करना।
  29. नियोजन और आंकड़े-
    1. आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना।
    2. ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय तथा एकीकरण।
    3. खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना।
    4. सफलताओं तथा लक्ष्यों का नियतकालिक समीक्षा।
    5. योजना का कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सामग्री एकत्रित करना तथा आकड़े रखना।
  30. सार्वजनिक वितरण प्रणाली - आवश्यक वस्तुओं का वितरण
  31. कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों का कल्याण -अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति तथा समाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
  32. ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षण -नियत प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का विवरण तथा ग्राम पंचायतों के क्रिया कलापों का सामान्य पर्यवेक्षण।
- क्षेत्र पंचायत के अधिकार**
- क्षेत्र पंचायत को अपने संवैधानिक कार्यों के सम्पादन हेतु विशेष अधिकार प्राप्त है जिनका विवरण निम्न है।
- क्षेत्र पंचायत द्वारा क्षेत्र निधि के संचालन का अधिकार**

राज्य और केन्द्र सरकार तथा दूसरे स्रोतों से प्राप्त धनराशि क्षेत्र निधि में जमा होगी। क्षेत्र पंचायत नकद या वस्तु के रूप में ऐसे अंशदान ले सकती है जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक कार्य के लिए क्षेत्र पंचायत को दे। क्षेत्र निधि के खाते का संचालन प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

#### क्षेत्र पंचायत को कर लगाने का अधिकार

- यदि पीने का पानी, सिंचाई के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए अगर क्षेत्र पंचायत किसी योजना का निर्माण करती है तो वह जल पर कर लगा सकती है।
- यदि सार्वजनिक मांगों और स्थानों पर बिजली की व्यवस्था करती है तो वह इसके लिए लोगों पर कर लगा सकती है।
- कोई अन्य कर जो सरकार उसे लगाने का अधिकार दे।

#### क्षेत्र पंचायत का निर्माण कार्यों इमारत), सार्वजनिक नालियाँ और सड़कों के संबंध में अधिकार (

1. किसी सार्वजनिक स्थान या क्षेत्र पंचायत की सम्पत्ति से लगी हुई किसी इमारत में किसी भी प्रकार के निर्माण का कार्य तब तक नहीं किया जायेगा जब तक क्षेत्र पंचायत से इसके लिए इजाजत नहीं मिल जाती है।
2. यदि उपरोक्त का उल्लंघन किया जाता है तो क्षेत्र पंचायत उसमें बदलाव करने या उसे गिराने का आदेश दे सकती है।
3. क्षेत्र पंचायत अपने इलाके में सार्वजनिक नालियों का निर्माण कर सकती है और इसे किसी सड़क या स्थान के बीच से या उनके आर-पार या उसके नीचे से ले जा सकती है और किसी इमारत या भूमि में या उसमें होकर या उसके नीचे से उसके मालिक को पूर्व सूचना देकर ले जा सकती है।  
कोई व्यक्ति ऊपर लिखित मामलों के संबंध में यदि कोई निजी लाभ के लिए किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना चाहता है और इसके लिए वो क्षेत्र पंचायत को आवेदन देता है और क्षेत्र पंचायत व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर अपने फैसले के बारे में सूचना नहीं देती है तो आवेदन पत्र को स्वीकृत मान लिया जायेगा।
4. साथ ही क्षेत्र पंचायत किसी को लिखित इजाजत दे सकती है कि वो खुले बरामदों, छज्जों या कमरों का निर्माण या पुर्ननिर्माण इस प्रकार से करें कि उसका कुछ हिस्सा, नियम में दिये गये छूट के अनुसार, सड़कों या नालियों के ऊपर निकला रहे। लिखित अनुमति न लेने पर व्यक्ति को 250 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
5. यदि पेड़ काटने से या इमारत में परिवर्तन या निर्माण करने से सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को बांधा होती हो तो ऐसे काम करने से पहले सम्बन्धित व्यक्ति या संस्था को पहले क्षेत्र पंचायत से लिखित इजाजत लेनी होगी।

#### 10.7.4 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बैठक में प्रश्न करने का अधिकार

1. क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी से प्रशासन से संबंधी कोई विवरण, अनुमान, आंकड़े, सूचना कोई प्रतिवेदन, योजना या कोई पत्र की प्रतिलिपि मांग सकते हैं।
2. प्रमुख या खण्ड विकास अधिकारी बिना देर किये मांगी गई जानकारी सदस्यों को देगा।

**क्षेत्र पंचायत(ब्लाक) के प्रमुख के कार्य एवं शक्तियां****प्रमुख के कार्य**

1. क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाना व उसकी अध्यक्षता करना प्रमुख का कार्य है। बैठकों में व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी भी प्रमुख की है।
  2. प्रमुख का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह वित्तीय प्रशासन पर नजर रखे।
  3. क्षेत्र पंचायत प्रमुख को ऐसे कार्यों को भी पूरा करना होता है, जो सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाते हों।
  4. प्रमुख, ज्येष्ठ उपप्रमुख तथा कनिष्ठ उपप्रमुख को अपने निर्देशन में (अन्तिम कार्य को छोड़कर) उपरोक्त कार्यों की जिम्मेदारी दे सकता है।
5. प्रमुख के न रहने पर ज्येष्ठ उपप्रमुख बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसे समय में वह प्रमुख के सारे अधिकारों का उपयोग कर सकता है।
6. प्रमुख के न रहने पर या उसका पद खाली होने पर ज्येष्ठ उपप्रमुख को प्रमुख के अधिकारों का उपयोग और उसके कार्यों का सम्पादन करना होता है।
7. प्रमुख द्वारा दिये गये अन्य कार्यों का सम्पादन उप प्रमुख का कार्य है।
8. ज्येष्ठ उपप्रमुख के नहीं रहने पर उसके अधिकारों और कार्यों को कनिष्ठ उप प्रमुख द्वारा किये जाते हैं।

**19.6 जिला पंचायत का गठन**

जिला पंचायत का गठन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य (जिनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है) जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, लोक सभा और राज्य सभा के वे सदस्य जिनके निर्वाचन जिले में विकास खण्ड पूर्ण या आंशिक रूप से आता है, राज्य सभा और विधान परिषद के सदस्य जो विकास खण्ड के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत है को शामिल कर किया जाता है।

**जिला पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव जिला पंचायत में आरक्षण****जिला पंचायत में सदस्यों का चुनाव**

जिला पंचायत के चुनाव के लिए जिला पंचायत को छोटेछोटे ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जायेगा जिसकी - आबादी 50,000 होगी। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जायेगा। जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए जरूरी है कि प्रत्याशी की उम्र 21 साल से कम न हो। यह भी जरूरी है कि चुनाव में खड़े होने वाले सदस्य का नाम उस निर्वाचन जिला की मतदाता सूची में हो।

**जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव**

जिला पंचायत में चुने गये सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत में कुल चुने जाने वाले सदस्यों में से यदि किसी सदस्य का चुनाव किसी कारण से नहीं भी होता है तो भी अध्यक्ष एवं

उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव नहीं रूकेगा और चुने गये जिला पंचायत सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। यदि कोई व्यक्ति संसद या विधान सभा का सदस्य हो, किसी नगर निगम का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो या किसी नगर पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो तो वह जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकता।

### जिला पंचायत में आरक्षण

जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर आरक्षण लागू होगा।

- अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों के लिए पदों का आरक्षण कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करता है लेकिन अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण कुल सीटों में अधिक से अधिक 21 प्रतिशत तक ही होगा। इसी प्रकार पिछड़ी जाति के लिए पदों का आरक्षण 27 प्रतिशत होगा।
- बाकी के पदों पर कोई आरक्षण नहीं होगा।
- प्रत्येक वर्ग यानि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति वर्ग के लिए जो सीटें उपलब्ध हैं उनमें से 1/3 पद उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- सामान्य वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
- लेकिन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं की गई है तो वे भी उस अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ सकती हैं।

आरक्षण चक्रानुक्रम पद्धति से होगा। मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र अगर एक चुनाव में अनुसूचित जाति की स्त्री के लिए आरक्षित होगा तो अगली चुनाव में वह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा।

### जिला पंचायत और उसके सदस्यों का कार्यकाल

ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत की तरह ही जिला पंचायत का एक निश्चित कार्यकाल होता है। संविधान में दिये गये नियमों के अनुसार जिला पंचायत का कार्यकाल जिला पंचायत की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्षों तक होगा। जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल यदि किसी कारण से पहले नहीं समाप्त किया जाता है तो उनका कार्यकाल भी अर्थात् पांच वर्ष तक होगा। जिला पंचायत के कार्य काल तक होगा। यदि किसी खास वजह से जिला पंचायत को उसके नियत कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करना जरूरी होगा। इस तरह से गठित जिला पंचायत बाकी बचे समय के लिए कार्य करेगी।

### अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का हटाया जाना

जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य न करने अथवा संविधान द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूर्ण न करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अर्थात् यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं करता है तो राज्य सरकार नियत प्रक्रिया व नियमों के अनुसार उसे निश्चित अवसर देकर पद से हटा भी सकती है।

**अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र-**

अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जिला पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य खुद से हस्ताक्षर किए हुए पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है जो अध्यक्ष की दशा में राज्य सरकार को और अन्य दशाओं में जिला पंचायत के अध्यक्ष को सम्बोधित होगा। अध्यक्ष का त्याग पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब त्याग पत्र की अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति जिला पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। उपाध्यक्ष या सदस्य का त्याग पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जब जिला पंचायत के कार्यालय में उनकी नोटिस प्राप्त हो जाये और यह समझा जायेगा कि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है।

**जिला पंचायत की बैठक**

जिला पंचायत के कार्यों के संचालन हेतु संविधान में जिला पंचायत की बैठक का प्रावधान किया गया है। जिसके अर्न्तगत हर दो महीनों में जिला पंचायत की कम से कम एक बैठक जरूर होगी। जिला पंचायत की बैठक को बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को है। अध्यक्ष की गैरहाजिरी में उपाध्यक्ष जिला पंचायत की बैठक बुला सकता है।

इसके अतिरिक्त जिला पंचायत की अन्य बैठकें भी बुलाई जा सकती है। यदि जिला पंचायत के 1/5 सदस्य लिखित रूप से मांग करें और यह मांग पत्र सीधे हाथ से दिया गया हो या प्राप्ति पत्र सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिया गया हो तो आवेदन प्राप्ति के एक महीने के भीतर अध्यक्ष जिला पंचायत बैठक जरूर बुलायेगा।

आवश्यकता पड़ने पर कोई बैठक आगे की तिथि के लिए स्थगित की जा सकती है और इस प्रकार स्थगित बैठक आगे भी स्थगित की जा सकती है। सभी बैठक जिला पंचायत कार्यालय में होंगी। अगर बैठक किसी अन्य स्थान पर होना निश्चित की गई है तो इसकी सूचना सभी को पूर्व में दी जाती है। बैठक में जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष या मुख्य विकास अधिकारी से प्रशासन से संबंधी कोई विवरण, अनुमान, आंकड़े, सूचना, कोई प्रतिवेदन, अन्य ब्यौरा या कोई पत्र की प्रतिलिपि मांग सकते हैं। अध्यक्ष या मुख्य विकास अधिकारी बिना देर किये मांगी गई जानकारी सदस्यों को देंगे।

**19.6.1 जिला पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ**

जिला पंचायत जिले स्तर पर निम्न लिखित कार्यों को संचालित करेगी-

**1. कृषि जिसके एवं कृषि का प्रसार-**

- कृषि तथा बागवानी का विकास।
- सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती और उन्नति।

**2. भूमि विकास व भूमि सुधार** -चक्रबन्दी, भूमि संरक्षण एव सरकार के भूमि सुधार कार्यक्रमों में सरकार को सहायता प्रदान करना।

**3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलाच्छादन विकास-**

- लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और अनुरक्षण में सरकार की सहायता करना।
- सामुदायिक तथा वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन।

**4. पशुपालन, दूध उद्योग और मुर्गी पालन-**

- पशु सेवाओं की व्यवस्था।
- पशु, मुर्गी और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार करना।
- दूध उद्योग, मुर्गी पालन और सुअर पालन की उन्नति।

**5. मत्स्य पालनमत्स्य पालन का विकास एवं उन्नति-****6. सामाजिक तथा कृषि वानिकी-**

- सड़कों तथा सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण करना।
- सामाजिक वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।

**7. लघु वन उत्पादलघु वन उत्पाद की प्रोन्नति और विकास****8. लघु उद्योग-**

- ग्रामीण उद्योग के विकास में सहायता करना।
- कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन।

**9. कुटीर और ग्राम उद्योग- कुटीर उद्योगों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना।****10. ग्रामीण आवास -ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सहायता देना और उसका कार्यन्वयन करना।****11. पेय जल -**

- पेय जल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना।
- दूषित जल को पीने से बचाना।
- ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना।

**12. ईंधन तथा चारा भूमि-**

- ईंधन तथा चारा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति।
- जिला पंचायत के क्षेत्र में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।

**13. सड़क, पुलिया, पुलों, नौकाघाट जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन -**

- गांव के बाहर सड़कों, पुलियों का निर्माण और उसका अनुरक्षण।
- पुलों का निर्माण।
- नौका घाटों, जल मार्गों के प्रबंधन में सहायता करना।

- 
14. ग्रामीण विद्युतिकरण -ग्रामीण विद्युतिकरण को प्रोत्साहित करना।
15. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत- गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोत के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा उसकी प्रोन्नति।-
16. गरीबी उन्मूलन कार्यों का क्रियान्वयन -गरीबी उन्मूलन के कार्यों का समुचित क्रियान्वयन करना।
17. शिक्षा -
- प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास।
  - प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की उन्नति।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा- ग्रामीण शिल्पकारों और व्यवसायिक शिक्षा की उन्नति।
19. प्रौढ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण।
20. पुस्तकालय ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना एवं उनका विकास।
21. खेल -कूद तथा सांस्कृतिक कार्य-
- सांस्कृतिक कार्यों का पर्यवेक्षण।
  - लोक गीतों, नृत्यों तथा ग्रामीण खेलकूद की प्रोन्नति और आयोजन।
  - सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास और उन्नति।
22. बाजार तथा मेले -ग्राम पंचायत के बाहर मेलों और बाजारों की प्रबंधन।
23. चिकित्सा और स्वच्छता -
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालयों की स्थापना और अनुरक्षण।
  - महामारियों पर नियंत्रण करना।
  - ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
24. परिवार कल्याण -परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उन्नति।
25. प्रसूति तथा बाल विकास-
- महिलाओं एवं बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमों में विभिन्न संगठनों की सहभागिता के लिए कार्यक्रमों की प्रोन्नति।
  - महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन व प्रोन्नति।
26. समाज कल्याण -
- विकलांगों तथा मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण।
-

- वृद्धावस्था विधवा पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण करना।

### 27. कमजोर वर्गों विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

- अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति।
- सामाजिक न्याय के लिए योजनायें तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण।

### 28. सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण

#### 29. नियोजन और आंकड़े-

- आर्थिक विकास के लिए योजनाये तैयार करना।
- ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनरावलोकन, समन्वय तथा एकीकरण।
- खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना।
- सफलताओं तथा लक्ष्यों की नियतकालिक समीक्षा।
- खण्ड योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सामग्री एकत्र करना तथा आंकड़े रखना।

### 30. ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षण -ग्राम पंचायत के क्रिया कलापों के ऊपर नियमों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण।

#### जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य

##### अध्यक्ष के कार्य

- जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रमुख कार्य जिला पंचायत तथा समितियों की जिसका वह सभापति है उनकी बैठक बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना है।
- अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह बैठकों में व्यवस्था बनाये रखे तथा बैठकों में लिये गये निर्णयों की जानकारी रखे।
- वित्तीय प्रशासन पर नजर रखना तथा योजनाओं के अनुरूप वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करना।
- अध्यक्ष को ऐसे कार्य भी करने होते हैं जो सरकार द्वारा समय-समय पर उन्हें दिये जाते हैं।

##### उपाध्यक्ष के कार्य

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता/करती है और ऐसे समय में वह अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग कर सकता/सकती है।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या उसका पद खाली होने पर अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग और उसके कार्यों के सम्पादन की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष की होती है।

- उपाध्यक्ष को वे सभी कार्य भी करने होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

#### अभ्यास प्रश्न

1. जिला पंचायत अध्यक्ष किसको त्याग पत्र डे सकता है |
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है |
3. ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग होना जरूरी है असत्य/सत्य|
4. ग्राम सभा की बैठक का एजेण्डे की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी को दी जानी चाहिये | असत्य/सत्य

## 19.7 सारांश

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और ग्राम स्तर पर शासन सत्ता में आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा एक सशक्त माध्यम है। ग्राम सभा स्थानीय स्वशासन का वो मंच है जिस पर बैठ कर गाँव स्तर के लोग जनहित के कार्यों में अपनी भागीदारी करते हैं और नीति निर्माण की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ग्राम सभा स्थानीय स्वशासन की आधारशीला है। गाँव के सभी व्यस्क व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और जो ग्राम सभा ग्राम स्तर पर जनहित के निर्माण कार्यों और योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः गांधी जी का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि ‘ सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे कुछ लोग नहीं चला सकते, यह तो प्रत्येक ग्राम के हर एक व्यक्ति को चलाना होगा।

भारत में पंचायतों की व्यवस्था बहुत पुरानी है। पंचायतों को जब जक कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी तब तक पंचायतें जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर बनी थी। आजाद भारत में पंचायतों की महत्ता इसलिए बढ़ गयी क्योंकि कि केन्द्र स्तर से गाँव के प्रत्येक व्यक्ति तक शासन का संचालन व शासन में उनकी भागीदारी संभव नहीं थी। भारत में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सत्ता विकेन्द्रीकरण के विचार को अपनाया गया और इस विचार को साकार करने के लिए ग्राम स्तर पर पंचायतों को संविधान में ता दी गयी। वां संविधान संशोधन कर कानूनी मान्य 73 ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर शासन के संचालन का कार्य सभी ग्राम वासियों की भागीदारी से करती हैं। ग्राम पंचायतें लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आधार हैं। पंचायतों के माध्यम से गाँव स्तर के लोगों की शासन सत्ता में भागीदारी होती है तथा लोग जनहित के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ग्राम पंचायतें सुशासन, जमीनी स्तर पर विकास और आम जन की शासन म है। में भागीदारी का एक सुलभ माध्यमसत्ता-

स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया के अन्तर्गत पंचायत के त्रीस्तरीय ठाँचे में क्षेत्र पंचायत दुसरे स्तर का ठाँचा है। राज्य का प्रत्येक जिले खण्डों में बांटे होते हैं। खण्डों की सीमाओं का निर्धारण राज्य सरकार तय करती है। प्रत्येक खण्ड को विकास खण्ड कहा जाता है। 73वें संविधान संसोधन के अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड में एक क्षेत्र पंचायत होगी तथा क्षेत्र पंचायत का नाम विकासखण्ड के नाम से होगा। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव विकास खण्ड के व्यस्क सदस्यों द्वारा किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ‘ खण्ड विकास अधिकारी’ होता है और क्षेत्र पंचायत एवं उसकी समितियों के तय किये कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए पंचायती राज व्यवस्था के हर स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों में तालमेल होता है

ताकि स्थानीय स्तर पर जन भावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को किया जा सके। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों का नियमों के अन्तर्गत पालन न करने पर अविश्वास उनके पद से उन्हें के माध्यम से - र आपसी तालमेल से की मजबूती के लिए पंचायतों के तीनों स्तवस्थाहटाया भी जा सकता है। पंचायती राज व्यव कार्य करते हैं

पंचायती राज व्यवस्था में शासन के तीनों स्तर पर जिला पंचायत जिले की सर्वोच्च इकाई है। जिला पंचायत का कार्यकाल भी वर्ष का होता है। जिला पंचायत के जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा सदस्यों द्वारा 5 प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है तथा जिला पंचायत में चुने गये सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य न करने अथवा संविधान द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूर्ण न करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है और जिला पंचायत पर एक सीमा तक सरकार का नियन्त्रण भी रहता है। जिला पंचायत सभी क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को समेकित करके जिले के लिए प्रत्येक साल एक विकास योजना तैयार करती है। जिला पंचायत को हर वर्ष जिले का वार्षिक बजट तैयार करना होता है। जिला पंचायत इस बजट को वित्त समिति के परामर्श से तैयार करती है। जिला पंचायत को राज्य और केन्द्र सरकार तथा दूसरे स्रोतों से धनराशि प्राप्त होती है। जिला पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और अग्रणी इकाई है।

## 19.8 शब्दावली

सुगमीकरणआसान -, सरल होना, नियोजन योजना -, क्रियान्वयन लागू करना -

सशक्त- मजबूत, एजेन्डाबहस के विषय /बैठक में चर्चा -, जिन पर निर्णय होना हो, पदच्युत पद - से हठाना, सुलभ - सरल / आसान

विकेन्द्रीकरण पर न होनाकिसी चीज का एक स्था -, संरक्षणबचाव/सुरक्षा -, पर्यवेक्षणरेख-देख -, अनुरक्षण विशेष - तरह से देखभाल करना, पुनर्विलोकनदुबारा निरीक्षण /दोहराना -, विश्लेषण - कनमूल्यां

परिरक्षणसंरक्षण -, विपणनबेचना /पारव्या -, अनुरक्षणसंरक्षण -, प्रोन्नतितिउन्न -, पर्यवेक्षणदेखना -, प्रबन्धन करनाबन्धप्र /व्यवस्थित -, नियतकालिननिश्चित समय में -, समीक्षाजाँचना -, सामुदायिक अस्थियांवेसार्वाजनिक उपयोग की वस्तु -, समेकित करना एकत्र करना -

## 19.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. राज्य सरकार को ,
2. उपाध्यक्ष ,
3. सत्य
4. सत्य

## 19.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
2. पंचायत सन्दर्भ सामाग्री, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर
3. हमारी ग्राम सभा - हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर

---

4.पंचायती राज एक्ट

---

### 19.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

- 1.भारत में पंचायती राज- के. के. शर्मा
  - 2.भारत में स्थानीय शासन- एस0 आर0 माहेश्वरी
  - 3.भारतीय प्रशासन- अवस्थी एवं अवस्थी
- 

### 19.12 निबंधात्मक प्रश्न

---

- 1.ग्रामसभा के अधिकार एवं कर्तव्य बतलाइये।
- 2.जिला पंचायत के गठन और उसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में बतलाइये?
- 3.क्षेत्र पंचायत के गठन तथा उसके अधिकार एवं शक्तियों के विषय में बतलाइये?
- 4.ग्राम पंचायत के कार्यों एवं शक्तियों का विस्तृत वर्णन करें।

---

## इकाई 20. नगरीय स्वशासन- गठन, कार्य एवं शक्तियां

---

इकाई की संरचना

20.1 प्रस्तावना

20.2 उद्देश्य

20.3 चौहतरवें (74वें) वें संविधान संशोधन के उद्देश्य

20.4 संविधान संशोधन की आवश्यकता

20.5 चौहतरवें (74वें) संविधान संशोधन के पीछे सोच

20.6 नगर निकायों का गठन एवं संरचना(आकार व जनसंख्या आधारित )

20.7 नगर निकायों का कार्यकाल

20.8 नगर निकायों की बैठकें व उनकी कार्यवाहियाँ

20.9 किसी सदस्य द्वारा बैठक में प्रस्ताव लाना

20.10 नगर निकायों के आय के स्रोत एवं वित्तीय प्रबंधन

20.11 नगर निकायों में बजट की आवश्यकता और महत्ता

20.12 नगर निकायों में लगाये जाने वाले कर और प्रावधान

20.13 नगर निकायों द्वारा मूल्यांकन, छूट व वसूली

20.14 नगर निकायों में वार्ड कमेटियाँ

20.15 सारांश

20.16 शब्दावली

20.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

20.18 संदर्भ ग्रन्थ सूची

20.19 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

20.20 निबंधात्मक प्रश्न

## 20.1 प्रस्तावना

सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों में सत्ता विकेन्द्रीकरण का एक मजबूत आधार है। अतः इस अध्याय का उद्देश्य 74वें संविधान संशोधन की आवश्यकता और 74वें संविधान संशोधन में मौजूद उपबंधों और नियमों को स्पष्ट करना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। इस लोक तंत्र का सबसे रोचक महत्वपूर्ण पक्ष है सत्ता व शक्तियों का विकेन्द्रीकरण। अर्थात् केन्द्र स्तर से लेकर स्थानीय स्तर पर गांव इकाई तक सत्ता व शक्ति का बंटवारा ही विकेन्द्रकरण कहलाता है।

बहुत समय पहले नीति निर्माताओं, वरिष्ठ अधिकारियों एवं कार्यक्रमों को चलाने वाले अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के लिये योजनायें बनायी जाती थीं। इसलिए योजना को बनाने की प्रक्रिया पूर्व में उपर से नीचे की ओर थी। परन्तु यह प्रक्रिया जनता की जरूरतों को पूरी नहीं कर पाती थी, विकास गतिविधियों को चलाने में लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित नहीं करती थी एवं लोगों को भी यह नहीं लगता था कि लागू की जा रही योजना अथवा कार्यक्रम उनका अपना है। इसलिए यह महसूस किया गया कि लोगों को कार्य योजनायें स्वयं बनानी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं का पता होता है कि किस प्रकार वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं एवं वे अपने विकास में सहभागी बन सकते हैं। अतः यह महसूस किया गया कि लोगों के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से नीचे से उपर की ओर होनी चाहिये क्योंकि लोगों को अपनी जरूरतों की पहचान होती है जिससे वे योजनाओं को वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए योजना बना सकते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाले कार्मिक जनता/समुदाय की योजनाओं को समेकित कर सकते हैं।

## 20.2 उद्देश्य

इस इकाई को पठने के उपरान्त आप-

1. चौहत्तरवें संविधान संशोधन के अन्तर्गत नगर निकायों के विषय में दी गयी धाराओं, नगर निकायों के वित्तीय प्रबन्ध के विषय में जान पायेंगे।
2. नगर निकायों के गठन, कार्यकाल, उसकी बैठकों और कार्यवाहियों के विषय में जान पायेंगे।

### 20.3 चौहतरवें (74वें) संविधान संशोधन के उद्देश्य

- देश में नगर संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के अधिकारों में एकरूपता रहे।
- नागरिक कार्यकलापों में जन प्रतिनिधियों का पूर्ण योगदान तथा राजनैतिक प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार रहे।
- नियमित समयान्तराल में प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के अधीन चुनाव हो सके व कोई भी निर्वाचित नगर प्रशासन छः माह से अधिक समयावधि तक भंग न रहे, जिससे कि विकास में जनप्रतिनिधियों का नीति निर्माण, नियोजन तथा क्रियान्वयन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
- समाज की कमजोर वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये (संविधान संशोधन अधिनियम में प्राविधानित/निर्दिष्ट) प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति व महिलाओं को तथा राज्य (प्रादेशिक) विधान मण्डल के प्राविधानों के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों को नगर प्रशासन में आरक्षण मिलें।
- प्रत्येक प्रदेश में स्थानीय नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये एक राज्य (प्रादेशिक) वित्त आयोग का गठन हो जो राज्य सरकार व स्थानीय नगर निकायों के बीच वित्त हस्तान्तरण के सिद्धान्तों को परिभाषित करें। जिससे कि स्थानीय निकायों का वित्तीय आधार मजबूत बने।
- सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता रहे।

### 20.4 चौहतरवें (74वें) संविधान संशोधन की आवश्यकता

पूर्व की नगरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लोकतन्त्र की मंशा के अनुरूप नहीं थी। सबसे पहली कमी इसमें यह थी कि इसका वित्तीय आधार कमजोर था। वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण नगर निकायों के कार्य संचालन पर राज्य सरकार का ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण था। जिसके कारण धीरे-धीरे नगर निकायों के द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित कार्यों/या उन्हें सौंपे गये कार्यों में कमी होनी लगी। नगर निकायों के प्रतिनिधियों की बरखास्ती या नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी समय पर चुनाव नहीं हो रहे थे। इन निकायों में कमजोर व उपेक्षित वर्गों (महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति)का प्रतिनिधित्व न के बराबर था। अतः इन कमियों को देखते हुए संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में स्थानीय नगर निकायों की संरचना, गठन, शक्तियों, और कार्यों में अनेक परिवर्तन का प्राविधान किया गया।

### 20.5 चौहतरवें (74वें) संविधान संशोधन के पीछे सोच

- संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगर-प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- इस संशोधन के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिकारों में एक रूपता प्रदान की गई है।
- नगर विकास व नागरिक कार्यकलापों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया तक नगर व शहरों में रहने वाली आम जनता की पहुंच बढ़ाई गई है।

- समाज कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का प्रतिशतता के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है।
- 74वें संशोधन के माध्यम से नगरों व कस्बों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के प्रयास किये गये हैं।
- इस संविधान की मुख्य भावना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा, निर्णय में अधिक पारदर्शिता व लोगों की आवाज पहुंचाना सुनिश्चित करना है।

#### 20.6 नगर निकायों के गठन एवं संरचना (आकार व जनसंख्या पर आधारित)

- अधिक आबादी वाले/महानगरीय क्षेत्रों में - नगर निगम का गठन होगा (एक लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर)
- छोटे नगरीय क्षेत्रों में- नगरपालिका परिषद का गठन होगा (50 हजार से एक लाख तक जनसंख्या वाले नगर)
- संक्रमणशील (ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र) क्षेत्रों में- नगर पंचायत का गठन होगा (50 हजार तक जनसंख्या वाले नगर)
- नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत स्तर पर जनता द्वारा एक अध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा
- नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्ष रूप से सदस्य निर्वाचित किये जायेंगे जिनकी संख्या वार्डों की संख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार होगी।
- पदेन सदस्य के रूप में नगर निकायों में लोकसभा एवं राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य शामिल किये जायेंगे, जो नगरीय निकाय क्षेत्र (पूर्णतः या भागतः) के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- पदेन सदस्य के रूप में राज्य सभा व राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्दर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं।
- नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले निर्दिष्ट/नामित सदस्य स्थानीय निकायों में शामिल किये जायेंगे।
- संविधान के अनुच्छेद 243-एस. के प्रस्तर (5) के अधीन स्थापित समितियों के अध्यक्ष यदि कोई हो।

#### 20.7 नगर निकायों का कार्यकाल

नगर निगम, नगर पालिका, एवं नगर पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक के दिन से पांच वर्ष तक रहेगा। अगर किसी कारणवश 74वें संविधान संशोधन के नियमों के अनुरूप नगर निकाय अपनी जिम्मेदारियों व उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करते या उनमें अनियमितता पायी जाती है तो पांच वर्ष पूर्व भी राज्य सरकार इन्हें भंग या बर्खास्त कर सकती है। बर्खास्त/भंग करने के 6 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से चुनाव करवाकर नया बोर्ड गठित किया जाना आवश्यक है। नगर निकायों को भंग करने से पूर्व सुनवाई का एक न्यायोचित अवसर दिया जायेगा।

#### 20.8 नगर निकायों की बैठकें व उनकी कार्यवाहियाँ

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निश्चित दिन तथा नियत समय पर एक माह में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष के निर्देश पर अन्य बैठकें भी कार्यपालक अधिकारी द्वारा बुलायी जा सकती हैं। यदि नगर निकाय

के पास कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है तो अध्यक्ष बैठक आयोजित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी दिन या समय पर नोटिस देने के बाद अध्यक्ष द्वारा आपातकालीन बैठक बुलायी जा सकती है। आपातकालीन बैठकों के अतिरिक्त अन्य बैठकों हेतु नोटिस को कम से कम 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को भेजा जाना अनिवार्य होगा। नोटिस की अवधि 3 दिन से अधिक भी हो सकती है। आपातकालीन बैठकों के मामले में यह अवधि कम से कम 24 घंटे की होनी चाहिए। बैठक हेतु प्रत्येक सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान का उल्लेख आवश्यक है। बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति मानी जायेगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जायेगी तथा तय की गई तिथि को बैठक आयोजित की जाएगी। जिसकी सूचना आयोजन के कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा जिस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा कार्यवाही की प्रतियों को राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्रधिकारी को तुरन्त भेज दी जाएगी। पारिस्थितियों की अनुकूलता के आधार पर अधिशासी अधिकारी अथवा सचिव द्वारा बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को बैठक से सम्बन्धित अभिलेख, पत्राचार जो उस बैठक में विचार किये जायेंगे, दिखाये जायेंगे जब तक कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा अन्यथा निर्देशित किया गया हो।

### 20.9 किसी सदस्य द्वारा बैठक में कोई प्रस्ताव लाना

यदि कोई सदस्य, बैठक में कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसे कम से कम एक सप्ताह पूर्व अध्यक्ष को अपने इस विचार से लिखित रूप में अवगत कराना होगा। कोई भी सदस्य सभा में व्यवस्था के प्रश्न को अध्यक्ष के समक्ष उठा सकता है लेकिन उस पर तब तक कोई चर्चा नहीं की जायेगी जब तक कि उपस्थित सदस्यों की राय जानने हेतु अध्यक्ष उपयुक्त न समझे किसी भी प्रस्ताव अथवा प्रस्तावित संशोधन पर विचार-विमर्श से पूर्व अध्यक्ष सदस्यों से उस प्रस्ताव के समर्थन की मांग कर सकता है। प्रत्येक सदस्य/सभासद अपने स्थान से अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए ही प्रश्न पूछ सकता है, एवं उस पर चर्चा कर सकता है। प्रस्तुतकर्ता के अतिरिक्त कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव या संशोधन पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना दो बार नहीं बोलेगा। बैठक की कार्य सूची/कार्यवाही से सम्बन्धित सभी प्रश्न किसी/एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य से अध्यक्ष के माध्यम से ही पूछे अथवा प्रस्तुत किये जाएंगे।

**अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही निम्न क्रम से की जायेगी-**

1. सर्वप्रथम पिछली बैठक का कार्यवृत्त(एजेण्डा) पढ़ा जाएगा।

2. यदि प्रथम बैठक है, तो पिछले माह का लेखा-जोखा बोर्ड के विचार तथा आदेश के लिए प्रस्तुत होगा।

3. स्थानीय शासन तथा उनके अधिकारियों से प्राप्त पत्रों/सूचनाओं को पढ़ा जायेगा।

4. समितियों तथा सदस्यों के प्रतिवेदन यथा आवश्यक आदेश तथा स्वीकृति के लिए विचार किये जायेंगे।

5. निर्धारित प्रक्रियानुसार सूचित किये गये प्रस्तावों पर चर्चा व मतदान कराया जायेगा।

6. अगली बैठक में लाये जाने वाले प्रस्तावों का नोटिस/सूचना दी जायेगी।

7. समितियों, अधिकारियों आदि के आदेशों की अपीलों का निस्तारण किया जायेगा।

### 20.10 नगर निकायों के आय के स्रोत एवं वित्तीय प्रबंधन

**74वें संविधान संशोधन के उपरान्त नगर निकायों के आय के निम्नलिखित स्रोत हैं-**

1. राज्य वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि।
2. नगर निकायों द्वारा वसूले गये करों से प्राप्त धनराशि।
3. राष्ट्रीय वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि।
4. नगरपालिका के आय का एक मुख्य स्रोत इसके द्वारा लगाये गये विभिन्न कर एवं शुल्क भी हैं।

**वित्तीय प्रबंधन-**

1. राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में समय-समय पर अनुदान देने की प्रथा को समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कुल करों में नगरीय स्थानीय निकायों के अंश का निर्धारण किया गया है।
2. स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि के वितरण का आधार 80 प्रतिशत जनसंख्या एवं 20 प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया गया है।
3. इसके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्रीय वित्त आयोग प्रतिवर्ष शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटित करता है।
4. आयोग के निर्देशानुसार केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा दी गई राशि का उपयोग वेतन, मजदूरी में नहीं किया जाएगा बल्कि यह सामान्य सुविधाएं जैसे जल निकासी, कूड़ा निकासी, शौचालयों की सफाई, मार्ग-प्रकाश इत्यादि में ही इसका उपयोग किया जाएगा।
5. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची के अन्तर्गत जो 18 कार्य/दायित्व शहरी स्थानीय निकायों को दिये गये हैं राज्य सरकार को उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नगर निकायों आवश्यक राशि दी जायेगी।

### 20.11 नगर निकायों में बजट की आवश्यकता और महत्ता

वित्तीय प्रबन्धन के लिए आय-व्यय अनुमान/आगणन अर्थात् बजट तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है। बजट आय तथा व्यय का एक अनुमान है जो कि अपने संसाधनों के उपयोग के लिए एक प्रकार से मार्ग दर्शक, नीतियों के निर्धारण, व्यय संबंधी निर्णय लेने के लिए मार्ग दर्शक, वित्तीय नियोजन का एक यंत्र तथा संप्रेषण का एक माध्यम है। बजट वित्तीय प्रबन्धक का एक महत्वपूर्ण अवयव है, इसे मात्र औपचारिकता के रूप में नहीं लेना चाहिए।

नगर निकायों में बजट एक विधिक आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वित्तीय वर्ष का बजट बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तब तक कोई खर्चा नहीं किया जा सकता है। बजट तैयार कर लेने से लक्ष्यों व उद्देश्यों के निर्धारण तथा नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। बजट के द्वारा वास्तविकता आधारित कार्य नियोजन आसानी से किया जा सकता है अर्थात् योजनाओं व कार्यक्रम की प्राथमिकतायें निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इससे कार्य कलापों पर वित्तीय नियन्त्रण रखा जा सकता है और धन का अपव्यय भी रोका जा सकता है। अगर नगर निकाय आय-व्यय का विधिवत व उचित दस्तावेजीकरण करते हैं व उसको आधार मानकर अपना बजट बनाते हैं तो अंशदान, अनुदान, सहायता प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

बजट आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए व इस हेतु “जीरो बेस बजटिंग” (शून्य आधारित बजट) प्रक्रिया को अपनाना चाहिए न कि पिछले आय व्यय अनुमान पर कुछ प्रतिशत बढ़ोतरी या घटोतरी करें। अगले वित्तीय वर्ष का बजट वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह अर्थात् मार्च की 15 तारीख तक बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त पारित पारित कर लिया जाना चाहिए। अतः बजट तैयार करने की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में अंतिम तिमाही के पूवार्द्ध में ही पूर्ण कर ली जानी चाहिए व इस पर बोर्ड बैठक में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए जिससे कि नीतिगत निर्णय, प्राथमिकता निर्धारण तथा जनता के हित में उचित वित्तीय निर्णय लिये जा सकें। चूंकि बोर्ड सभासदों से ही बना है, अतः बजट के माध्यम से सभासदों के बहुमत निर्णय से नीतियों व रणनीतियों का निर्धारण होता है।

### 20.12 नगर निकायों में लगाये जाने वाले कर और प्रावधान

1. भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर।
2. नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत व्यापार पर कर जिन्हें नगर पालिका की सेवाओं से विशेष लाभ मिलता है।

3. व्यापार, पेशों तथा व्यवसायों पर कर जिसमें सभी रोजगार जिनके लिये वेतन या शुल्क मिलता है वह सम्मिलित हैं।
4. मनोरंजन कर।
5. नगरपालिका के अंदर भाड़े पर चलने वाली गाड़ियों या उसमें रखी गई गाड़ियों पर कर।
6. नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर रखे गये कुत्तों पर कर।
7. नगर पालिका के अन्दर रखे सवारी, चालन या बोझों के पशुओं पर कर।
8. व्यक्तियों पर सम्पत्तियों या परिस्थितियों के आधार पर कर।
9. भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जल कर।
10. भवन के वार्षिक मूल्य पर उर्तक मूल्य पर उत्प्रवाह कर।
11. सफाई कर।
12. शोचालयों, मूत्रालयों तथा गड्ढों से उत्प्रवाह तथा प्रदूषित जल के एकत्रीकरण, हटाने तथा खात्मा करने के लिए कर।
13. नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कर।
14. संविधान के अन्तर्गत कोई अन्य कर जो राज्य विधायिका द्वारा राज्य में लागू किया जा सके।

#### प्रावधान-

- व 8 के कर एक साथ नहीं लगाए जा सकते हैं।
- 10 और 12 के कर एक साथ नहीं लगाए जा सकते हैं।
- 20 के अन्तर्गत नगर पालिका के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कर नहीं लगाया जा सकता है। (यदि वह सम्पत्ति नजूल की हो)
- का कर मोटर गाड़ी, पर नहीं लगाया जा सकता है।

#### 20.13 नगर निकायों द्वारा मूल्यांकन, छूट और वसूली

भवन या भूमि दोनों पर कर लगाने के लिए नगर निकाय एक मूल्यांकन सूची तैयार कर एक सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित कर सकते हैं ताकि जिन लोगों को आपति हो वह एक महीने के अन्दर दाखिला कर सकें। जब आपतियों का निवारण हो जाता है तब मूल्यांकन सूची को प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित मूल्यांकन सूची नगर निकाय कार्यालय में जमा कर दी जाती है तथा उसे जनता द्वारा निरीक्षण के लिये खुला घोषित कर दिया जाता है। सामान्यतः नई मूल्यांकन सूची पाँच वर्ष में एक बार तैयार की जाती है। नगर निकाय किसी समय मूल्यांकन सूची को बदल सकते हैं या उसमें संशोधन कर सकते हैं। यदि कोई भवन या भूमि वर्ष में 90 या अधिक दिनों तक लगातार खाली रहती है तो नगर पालिका उस अवधि में कर छूट देती है। उस भवन या भूमि के पुनः कब्जे के लिए उस सम्पत्ति के मालिक को 15 दिनों के अंदर नगरपालिका को सूचना देनी होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वह दंड का भागी होता है। दण्ड की राशि वास्तविक कर की दुगुनी राशि से दस गुना राशि से भी अधिक हो सकती है।

नगर पालिका करों से संबंधित अपीलें नगर पालिका कार्यालय में दायर की जा सकती है। साथ ही साथ इसकी एक प्रति जिलाधिकारी के यहाँ भी जाती है। सामान्यतः किसी भी अवधि के लिए देय कर या शुल्क का भुगतान उसकी अवधि के शुरू होने से पूर्व करना होता है। जब व्यक्ति कर का भुगतान समय पर नहीं करता तो उसके विरुद्ध नगरपालिका द्वारा वारंट जारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अहाते से सम्पत्ति को जब्त कर उसे नीलामी द्वारा बेचा जा सकता तथा बकायों की वसूली की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी कर का बकायेदार हो तो नगरपालिका

कलेक्टर से प्रार्थना कर सकती है कि वह ऐसे धन को भू-राजस्व की भाँति वसूल करें, जिसमें कार्यवाही का खर्च शामिल नहीं होगा। कलेक्टर जब बकाया धन से संतुष्ट हो जाता है तो उसे वसूल करने की कार्यवाही करता है।

### 20.14 नगर निकायों में वार्ड कमेटियाँ

स्थानीय लोग स्थानीय विकास में भागीदारी निभा सकें इसलिए संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय नगरीय सरकार के लिए शक्तियों एवं सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

संशोधन के माध्यम से विकेन्द्रीकरण के द्वारा ऐसे संस्थागत ढाँचे का निर्माण करने का प्रयास किया गया जिससे सभी स्तर के लोग स्थानीय विकास में भागीदारी निभा सकें। नगरीय निकायों के इस ढाँचे को हम स्थानीय स्वशासन की दो स्तरों पर की गई व्यवस्था के रूप में जानते हैं।

पहला स्तर नगर निकाय स्तर पर चयनित सरकार है जिसमें स्थानीय लोग प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं जो स्थानीय समस्याओं की बेहतर समझ के साथ स्थानीय विकास के लिए प्रयास करते हैं।

दूसरे स्तर पर वार्ड कमेटियों के गठन का प्रावधान है जिससे कि वार्ड के स्तर पर भी लोग विकास के लिए नियोजन से लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी निभा सकें।

74वें संविधान की धारा 243(1) के अनुसार यह व्यवस्था केवल उन शहरों में लागू होती है जिनकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक हो। जिन शहरों की जनसंख्या तीन लाख है या उससे कम है, वहाँ पर राज्य सरकार अन्य समीतियों को गठित करने को स्वतंत्र है। वार्ड कमेटी पाँच या उनसे अधिक वार्डों से मिलकर बनती है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा जितने भी वार्ड उस कमेटी में हैं, के चयनित प्रतिनिधि/सदस्य उसके होते हैं।

नगरीय स्थानीय स्वशासन के तीन व्यक्ति जो इससे संबंधी मुद्दों/समस्याओं के बारे में विशेष ज्ञान रखते हों उसके वार्ड के नामित सदस्य होते हैं। उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव एक वर्ष के लिए अध्यक्ष के पद के लिए होता है। जो यदि चाहे तो दुबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है।

वार्ड कमेटी का कार्यकाल उक्त नगर निकाय की अवधि के साथ समाप्त होता है।

संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार वार्ड कमेटियों का व्यवहारिक रूप में वह स्वरूप नहीं बन पा रहा है जिसकी कल्पना की गई थी। एक सशक्त वार्ड कमेटी की भूमिकाओं में वार्ड/वार्डों की समस्याओं की पहचान कर उनकी प्राथमिकताएं तय करना, नगर निकायों के द्वारा कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण, नियोजन एवं विकासात्मक गतिविधियों का संचालन, वार्षिक आम सभा का आयोजन, म्यूनिसीपल वार्ड की जवाबदेही एवं इनके कार्यों में पारदर्शिता इत्यादि हो सकती है।

### अभ्यास प्रश्न-

1. नगर निकायों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ?  
क- 5 वर्ष      ख- 7 वर्ष      ग- 10 वर्ष      घ- इनमें से कोई नहीं
2. निम्नलिखित में नगर निकायों के आय के स्रोत नहीं हैं ?  
क- राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि  
ख- नगर निकायों द्वारा वसूले गये करों की धनराशि  
ग- राष्ट्रीय वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि  
घ- चन्दे से प्राप्त धनराशि
3. किस संविधान संशोधन के तहत नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है ?  
क- 73वें संविधान संशोधन द्वारा      ख- 74वें संविधान संशोधन द्वारा

- ग- 90वें संविधान संशोधन द्वारा घ- इनमें से कोई नहीं
4. कितनी जनसंख्या पर नगर निगम का गठन होता है ?  
क- 25 हजार ख- 50 हजार ग- 1 लाख घ- 2 लाख
5. कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायतों का गठन होता है ?  
क- 10 हजार ख- 25 हजार ग- 50 हजार घ- 1 लाख

## 20.15 सारांश

विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान थी। राजा/महाराजाओं के समय भी सभा, परिषद, समितियां सूबे आदि के माध्यम से शासन चलाया जाता था। लोगों को उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए निर्णयों में हमेशा महत्वपूर्ण सहभागी माना जाता था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया लोगों की शासन व लोक विकास में भागेदारी से अलग कर दिया गया तथा उनके अपने हित व विकास के लिए बनाई जाने वाले कार्यक्रम, नीतियों पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का नियंत्रण बनता गया। 1992 में सरकार के 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पुनः नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को निर्णय लेने के स्तर पर सक्रिय व प्रभावशाली सहभागिता बनाने का प्रयास किया गया है। संविधान का 74वां संशोधन में नगर निकायों - नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में शहरी लोगों की भागीदारी बढ़ाने में मदद की है। इस संशोधन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब शहरों, नगरों, मोहल्लों की भलाई उनके हित व विकास संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सरकार के हाथ में नहीं है। अब नगरों व शहर के ऐसे लोग जो शहरी मुद्दों की स्पष्ट सोच रखते हैं व नगरों, कस्बों व उनमें निवास करने वाले लोगों की नागरिक सुविधाओं के प्रति संवेदनशील हैं, निर्णय लेने की स्थिति में आगे आ गये हैं। महिलाओं व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था ने हमेशा से पीछे रहे व हाशिये पर खड़े लोगों को भी बराबरी पर खड़े होने व निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का अवसर दिया है। 74वें संशोधन ने सरकार (लोगों का शासन) के माध्यम से आम लोगों की सहभागिता स्थानीय स्वशासन में सुनिश्चित की है। हर प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में स्थानीय लोगों को सम्मिलित करने से निर्णय प्रक्रिया प्रभावी, पारदर्शी व समुदाय के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

### 20.16 शब्दावली

महत्ता- महत्व /उपयोगी, अपव्यय- फिजुल खर्ची, पारदर्शिता- इमानदारी/ जिसके आर-पार देखा जा सके

## 20.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. क, 2. घ, 3. ख, 4. ग, 5. ग

## 20.18 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हार्क नगरीय स्वशासन प्रशिक्षण मार्गदर्शिका।

## 20.19 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भारत में पंचायती राज- के. के. शर्मा

---

## 20.20 निबंधात्मक प्रश्न

---

1. 74वें संविधान संशोधन के पिछे क्या सोच थी?
2. नगर निकायों के गठन एवं संरचना को स्पष्ट करें?
3. नगर पालिका की बैठकें व उनकी कार्यवाहियों को स्पष्ट करें?
4. नगर निकायों के वित्तीय प्रबन्ध को विस्तार से बतलाइये?

---

## इकाई-21 : संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग

---

### इकाई की संरचना

#### 21.1 प्रस्तावना

#### 21.2 उद्देश्य

#### 21.3 संघ लोक सेवा आयोग

##### 21.3.1 संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति एवं पदावधि

##### 21.3.2 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद त्याग और पद से हटाया जाना

##### 21.3.3 संघ लोक सेवा आयोग के कार्य

##### 21.3.4 संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन

##### 21.3.5 संघ लोक सेवा आयोग के विशेषाधिकार

#### 21.4 राज्य लोक सेवा आयोग

##### 21.4.1 राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया

##### 21.4.2 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद त्याग

##### 21.3.3 राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य

##### 21.4.4 राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन

##### 21.4.5 राज्य लोक सेवा आयोग के विशेषाधिकार

#### 21.5 सारांश

#### 21.6 शब्दावली

#### 21.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

#### 21.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

#### 21.9 सहायक /उपयोगी पाठ्य सामग्री

#### 21.10 निबंधात्मक प्रश्न

## 21.1 प्रस्तावना

संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोगों को प्रजातन्त्र का संरक्षक माना जाता है। इसके द्वारा ही राजनीतिक दबावों को कम करते हुए लोक प्रशासन को निष्पक्षता प्रदान की जाती है। अतः प्रजातन्त्र को पूर्णतया परिरक्षित करने हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि लोक सेवकों की भर्ती गुण-दोष के आधार पर ही होनी चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में पुरस्कार प्रणाली के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि पूर्व में प्रचलित इस प्रणाली में केवल उन्हीं लोगों की नियुक्ति की जाती थी। जो सत्ताधारी राजनीतिक दल से जुड़े होते थे। किन्तु भारत जैसे बहुधर्मी देश में लोक सेवकों की भर्ती गुणागुण के आधार पर होना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि, जिससे देश की एकता, अखण्डता और लोक प्रशासन की निष्पक्षता भलीभांति कायम रह सके।

भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र रूप से, लोक सेवकों की नियुक्ति करने हेतु संघ एवं राज्यों हेतु लोकसेवा आयोगों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इस आयोग का सृजन विशेषज्ञों के एक निकाय के रूप में किया गया है, जो निष्पक्ष ढंग से लोक सेवकों का चयन कर सके। जैसा कि प्रसिद्ध संविधानवेत्ता एम.वी. पायली ने अपनी पुस्तक ‘‘इण्डियन कांस्टीट्यूशन’’ में कहा है कि लोकसेवा आयोग का कार्य दो प्रकार से होता है पहला तो धूर्त लोगों को सेवा से बाहर रखना और दूसरा, योग्य एवं कुशल लोगों को लोक सेवाओं में लाने का हर संभव प्रयास करता है। इसीलिए आज लोकसेवकों की नियुक्ति और उनके प्रशासन की दृष्टि से लोक सेवा आयोग को प्रजातन्त्र का आधार माना जाता है।

संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की आवश्यकता के प्रमुख कारणों का यदि अवलोकन किया जाय तो इसे बिन्दुवार निम्नवत् रूप में समझा जा सकता है:-

1. लोक सेवा आयोग कार्यपालिका को राजनीति एवं प्रशासन के मध्य संतुलन स्थापित करने में मदद करता है।
2. लोक सेवाओं हेतु योग्य लोगों का चयन करता है।
3. लोक सेवाओं को भ्रष्टाचार से दूर रखने में मदद करता है।
4. लोक सेवाओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की तकनीकी परामर्श सरकार को आवश्यकतानुसार करता रहता है।

## 21.2 उद्देश्य

इस इकाई के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का विस्तारपूर्वक विवेचन किया जायेगा। वर्तमान उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के इस दौर में शासन-प्रशासन के सम्मुख उपस्थित गम्भीर चुनौतियों की दृष्टि से संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की गहरी समझ आवश्यक हो जाती है। अतः इस इकाई के सम्यक् एवं गहन अध्ययन के पश्चात् आप:-

1. संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के महत्व को समझ सकेंगे,
2. संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों से अवगत हो सकेंगे,

3.संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के महत्व को समझ सकेंगे,

4.सरकार के सम्मुख उपस्थित गम्भीर चुनौतियों का समाधान करने में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।

### 21.3 संघ लोक सेवा आयोग

इस इकाई के अन्तर्गत हम संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति एवं पदावधि, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना आदि की चर्चा करेंगे। आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों का विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए उसके द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदनों आदि का भी विवेचन करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार हम संघ लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का यहां विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

#### 21.3.1 संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति एवं पदावधि

संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संविधान में अध्यक्ष या सदस्यों के लिए कोई अर्हता विहित नहीं है किन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में यह कहा गया है कि यथाशक्ति निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के आधीन 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। इस खण्ड के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को जो सेवा मुक्त हो चुके हैं, को सदस्य नियुक्त किया जा रहा है। इन अनुभवी लोगों की नियुक्ति से आयोग के कार्यों के सुचारु संचालन की अपेक्षा की जाती है। उनमें यह समझ होती है की सरकार के लिए कौन सी नीतियां आज आवश्यक है और योग्य प्रत्याशियों की नियुक्ति से पूर्व उनमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए। यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई विधिक प्रावधान नहीं है परन्तु ज्येष्ठतम सदस्य को ही अध्यक्ष पद हेतु चुना जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की दशा में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि छः वर्षों तक होती है। ये 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। उसमें से जो पहले पूरा होगा उसी के अनुसार अपना पद धारण करेंगे। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो इस स्थिति में उसका कार्यकाल पूरा छः वर्ष का ही होगा।

#### 21.3.2 आयोग के सदस्य का पद त्याग और पद से हटाया जाना

संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग का सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। परन्तु संविधान के अनुच्छेद 317(4) के अनुसार कुछ दशाओं में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट किए बिना ही सदस्य को हटा सकता है। ये दशायें हैं-

1. सदस्य यदि दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है;
2. अपने कार्यकाल में ही वह किसी अन्य नियोजन में लगकर अर्थ ग्रहण करता है,
3. राष्ट्रपति की राय में सदस्य मानसिक या शारीरिक शिथिलता के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है।

यदि संघ लोक सेवा का अध्यक्ष या कोई सदस्य निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में हितबद्ध है, अर्थात् अर्थ लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे कदाचार का दोषी माना जायेगा।

### 21.3.3 संघ लोक सेवा आयोग के कार्य

संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। आयोग के कृत्य को 2 भागों में बांटा गया है-

1. संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और
2. आयोग के सलाहकारी कृत्या

संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। जैसा कि अभ्यर्थियों की पात्रता की परीक्षा के लिए त्रिस्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगी द्वारा प्रारम्भिक उत्तीर्ण करने के पश्चात् मुख्य परीक्षा होती है। अन्त में मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) के माध्यम से उसका चयन किया जाता है। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में सबसे प्रतिष्ठित है सिविल सेवा की परीक्षा।

यदि संघ लोक सेवा आयोग से दो या दो से अधिक राज्य यह निवेदन करते हैं कि विशेष अर्हता वाली किसी सेवाओं में योग्य लोगों के चयन हेतु संयुक्त भर्ती की योजना बनाने में उनका मदद करे, तो संघ लोक सेवा आयोग को ऐसा करना उसका कर्तव्य होगा। इसके साथ ही आयोग उन सभी कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को परामर्श देने आदि से सम्बन्धित होंगे।

संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कृत्यों का विस्तार से उल्लेख निम्नवत बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा रहा है:-

1. आयोग सिविल सेवा भर्ती से सम्बन्धित विषयों पर सलाह देगा,
2. आयोग एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और अन्तरण से सम्बन्धित सिद्धान्तों के साथ ही योग्य अभ्यर्थियों से सम्बन्धित परामर्श देता है।
3. सिविल सेवकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित प्रकरण आदि पर वह परामर्श देता है।
4. कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित परामर्श देता है, और
5. शासकीय सेवा करते हुए घायल हो जाने की स्थिति में पेंशन प्रदत्त करने से सम्बन्धित परामर्श उसके द्वारा दिया जायेगा।

परन्तु उपर्युक्त परामर्श लेना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता। इसके बिना भी सरकार कोई भी कार्यवाही कर सकती है। इसे विधि विरुद्ध नहीं माना जायेगा। आयोग का कार्य केवल सलाह देना है वह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। किन्तु यदि सरकार आयोग की सलाह को मानने से इन्कार करती है तो उसे कारणों सहित एक प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

संविधान के अनुच्छेद 320(4) द्वारा भी आयोग के परामर्श का दो मामलों में अपवर्तन किया गया है। पहला अनुच्छेद 16(4) के मूलाधिकार के अनुसार नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति की स्थिति में और दूसरा, अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की नियुक्ति की स्थिति में भी परामर्श का अपवर्तन संविधान द्वारा किया गया है।

### 21.3.4 संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन

संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों से सम्बन्धित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। इन प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति रखवाता है। इन प्रतिवेदनों को सरकार अपवाद को छोड़ दिया जाय तो स्वीकार करती है। उदाहरण के लिए 1950 से 2004 तक आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों में से केवल 154 को ही नहीं स्वीकार किया गया। इसी से आयोग की महत्ता स्पष्ट हो जाती है कि आयोग अपनी सिफारिशों एवं प्रतिवेदनों के माध्यम से सरकार को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करता है।

### 21.3.5 संघ लोक सेवा आयोग के विशेषाधिकार

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:-

1. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही पदच्युत किया जा सकता है।
2. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों में उनके कार्यकाल के दौरान कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
3. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस पर संसद में मतदान भी नहीं किया जा सकता है।
4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पुनः उसी पद अथवा सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार इन उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्वतन्त्रता को हर संभव सुनिश्चित किया गया है।

## 21.4 राज्य लोक सेवा आयोग

इस इकाई के अन्तर्गत हम राज्य लोक सेवा आयोगों की नियुक्ति एवं पदावधि, पदत्याग और उसके कर्तव्यों का सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही आयोग के प्रतिवेदन एवं विशेषाधिकार का भी विवेचन करेंगे।

### 21.4.1 राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया

भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यदि दो या अधिक राज्य इस बात पर सहमत हों कि उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो तो विधान मण्डल द्वारा पारित संकल्प के पश्चात् संसद कानून बनाकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित कर सकती है। आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। जहाँ संयुक्त लोक सेवा आयोग की दशा में सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित

की जाती हैं वहीं राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। आयोग की सेवा शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा।

राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य बनने के लिए कोई अर्हता संविधान में उल्लिखित नहीं किया गया है। किन्तु अनुच्छेद 316 में यह कहा गया है कि आधे से अधिक ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या राज्यों की सरकार के अधीन 10 वर्षों का पद धारण कर चुके हैं। आयोग का सदस्य अपने पद पर छः वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र तक जो इसमें से पहले हो जाय पद धारण करता है।

#### 21.4.2 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद त्याग

राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। सदस्य को अवधि से पूर्व हटाने के लिए संविधान में उपबन्ध है। कदाचार के आधार पर किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात् हटाता है। राज्य आयोग के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं अपितु राष्ट्रपति के पास है। यद्यपि कदाचार की परिभाषा नहीं दी गयी है परन्तु रिश्वत लेना, निष्पक्ष न होना, तथ्यों के साथ छेड़-छाड़ करना आदि कदाचार की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के निर्देश लिए बिना भी हटा सकता है जो दिवालिया घोषित हो जाय अथवा किसी भी अन्य नियोजन में लग जाय, अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो जाने की स्थिति में भी उसे पद से हटाया जा सकता है।

राज्य सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के पद पर नियुक्त हो सकता है किन्तु सरकार के अधीन राज्यपाल का पद छोड़कर अन्य कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है।

#### 21.4.3 राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य

संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख है जिसे दो भागों में बांटकर भली-भांति अध्ययन किया जा सकता है-

1. आयोग के कर्तव्य,
2. आयोग के सलाहकारी कार्य आदि।

राज्य लोक सेवा आयोग का सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना। संयुक्त नियोजन एवं भर्ती हेतु योजना बनाने में सहायता करना, भर्ती आदि के तरीकों के सम्बन्ध में नियम बनाने की स्थिति में सहयोग करना, पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक मुद्दों पर परामर्श देना। कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति तथा सेवा में रहते हुए किसी घायल व्यक्ति के पेंशन आदि के सम्बन्ध में सलाह अथवा परामर्श देने का कार्य राज्य लोक सेवा आयोग करता है।

आयोग सरकार को केवल सलाह देता है किन्तु यह सलाह आबद्धकर नहीं है। किन्तु सरकार द्वारा आयोग के किसी सलाह को न मानने की स्थिति में विधानमण्डल के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा0 ए0 आर0 किदवई ने आयोग के कार्यो की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है कि “वास्तव में संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न संगठित सेवाओं में भर्ती के लिए, साक्षात्कार के माध्यम से चयन करता है, भर्ती के नियम बनाता है, नई सेवाओं का गठन करता है, पदोन्नति के लिए सिद्धान्त बनाता है, अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श भी देता है।” इस प्रकार इसे आयोग के कर्तव्यों की एक समग्र रूपरेखा कहा जा सकता है।

#### 21.4.4 राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन

राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करता है जिसे राज्यपाल विधानमण्डल में रखवाता है। इन प्रतिवेदनों को सरकार ने स्वीकार ही किया है, शायद ही कभी अस्वीकार की हो। आयोग अपने इन महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों के साथ सरकार को सहयोग देता रहता है।

#### 21.4.5 राज्य लोक सेवा आयोग के विशेषाधिकार

राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने हेतु संविधान में उपबन्ध किये गये हैं-

1. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि प्रसाद पर्यन्त नहीं होती है। ये निश्चित अवधि के लिए (62 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक) पद धारण कर करते हैं।
2. आयोग के सदस्यों को संविधान में विहित उपबन्धों के आधार पर ही, दी गयी विधि के अनुसार केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।
3. आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
4. आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
5. आयोग का सदस्य अपनी सेवा की समाप्ति के पश्चात् भारत सरकार या राज्य सरकार, के अधीन किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं हो सकता। परन्तु वह संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। इसके साथ ही राज्यपाल का पद धारण करने हेतु भी वह पात्र होता है। क्योंकि राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं अपितु एक संवैधानिक पद होता है।

इस प्रकार हमने देखा कि राज्य लोक सेवा आयोग को संविधान द्वारा ही सुरक्षा या स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है जिससे वह निष्पक्षतापूर्वक अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन कर सके। आयोग को दिये गये महत्वपूर्ण दायित्वों की दृष्टि से भी उसे उपर्युक्त विशेषाधिकार प्राप्त होना ही चाहिए ताकि वह राजनीतिक दबावों से मुक्त रहकर काम कर सके। यहां तक कि उसके वेतन व भत्ते के सम्बन्ध में विधान मण्डल में मतदान नहीं किया जा सकता है।

#### अभ्यास प्रश्न

1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है?  
A. संसद द्वारा B. राष्ट्रपति द्वारा

- |    |                 |        |
|----|-----------------|--------|
| C. | राज्यपाल द्वारा | D.अन्य |
|----|-----------------|--------|
2. लोक सेवा आयोग सम्बन्धी प्रावधान संविधान के किस भाग के अन्तर्गत किया गया है?
- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| A.भाग , दस    | B.भाग, इग्यारह  |
| C. भाग , चौदह | D.भाग , पन्द्रह |
3. अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| A. अनुच्छेद, 308 | B.अनुच्छेद, 309 |
| C. अनुच्छेद, 311 | D.अनुच्छेद 312  |
4. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है?
- |  |  |
|--|--|
| A.राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की सलाह पर | B.राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पर |
| C.संसद द्वारा                                  | D.विधान मण्डल द्वारा                       |
5. राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है?
- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| A.उच्च न्यायालय में   | B.उच्चतम न्यायालय में |
| C.राष्ट्रपति के समक्ष | D.राज्यपाल के समक्ष   |

## 21.5 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत आपने संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की नियुक्ति, पदावधि, पदत्याग, पद से हटाया जाना तथा उसके कार्यों, विशेषाधिकार और उसके प्रतिवेदनों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। कार्मिक वर्ग की नियुक्ति और उनके प्रशासन की दृष्टि से संघ लोक सेवा आयोग को लोकतन्त्र का आधार माना जाता है। इसी प्रकार राज्यों में लोक सेवकों की नियुक्ति की दृष्टि से राज्य लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रजातन्त्र के परिरक्षण हेतु यह आवश्यक भी है कि स्थायी सिविल सेवकों की नियुक्ति केवल गुणों के आधार पर ही हो। स्वतन्त्रता के पश्चात् अपनाये गये भारतीय संविधान में पुरस्कार प्रणाली का परित्याग कर दिया गया। इस प्रणाली में सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों को नियुक्ति किया जाता था।

भारत जैसे बहुभाषी और बहुधर्मी देश में यह आवश्यक ही हो जाता है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित स्थायी सिविल सेवकों की नियुक्ति न्यायपूर्ण ढंग से हो जिससे देश की एकता और अखण्डता बनी रहे। इसीलिए संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ेवर्गों एवं महिलाओं हेतु कुछ पदों हेतु (50 प्रतिशत पदों में) आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे सिविल सेवा में उनका भी समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। इसीलिए संविधान ने सभी प्रकार के राजनीतिक दबावों से मुक्त रहते हुए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में काम करने हेतु आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद की सुरक्षा भी प्रदान की है।

संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोगों को लोकतन्त्र का संरक्षक माना जाता है। ये लोक प्रशासन को निष्पक्षता प्रदान कर उसे राजनीतिक दबावों से बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व

अध्यक्ष ए0आर0 किदवई के अनुसार-“संसदीय लोकतन्त्र में लोक सेवा आयोगों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। संसदीय लोकतन्त्र में लोक सेवकों की भर्ती गुण के आधार पर होना आवश्यक है और यह काम लोक सेवा आयोगों के माध्यम से ही संभव है।” इसी प्रकार का विचार प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ एम0वी0 पायली ने भी दिया है कि-“लोक सेवा आयोग दो प्रकार का कार्य करता है-पहला, धूर्त लोगों को सेवा से बाहर करता है और दूसरा, योग्य व्यक्तियों को लोक सेवा में लाने का हर संभव प्रयास करता है।” इस प्रकार लोक सेवा आयोग सिविल सेवा हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन कर लोक प्रशासन के सुचारु संचालन की दिशा तय करता है। यह लोक सेवा जैसे महत्वपूर्ण पद को भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार से दूर रखता है। किन्तु वर्तमान में भ्रष्टाचार ही देश के सम्मुख एक गम्भीर समस्या बनकर खड़ी है। इन चुनौतियों से निपटने में लोक सेवा आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है।

संविधान में लोक सेवा आयोग को सलाहकारी भूमिका भी प्रदान की गयी है। यद्यपि सरकार पर आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं है, फिर भी अधिकांश सलाहों को अब तक सरकार द्वारा स्वीकार करने की अच्छी परम्परा रही है। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि सरकार आयोग की सलाह को मानने से इंकार करती है तो कारणों सहित एक प्रतिवेदन संसद व विधान मण्डल के सम्मुख रखना आवश्यक होगा। जैसा संविधान विशेषज्ञ एम0वी0 पायली ने कहा कि-“आयोग की सिफारिशों केवल परामर्श के रूप में पेश किये जाने पर अधिक प्रभावशाली होती हैं। यदि वे बाध्यकारी होती तो शायद कम प्रभावशाली होतीं। यदि आयोग को बाध्यकारी सत्ता प्रदान कर दी गयी तो इस बात का भय है कि सरकार तथा अयोग के मध्य विवाद उत्पन्न हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिनमें दोनों एक ही से अधिकार के अन्तर्गत अलग-अलग संस्थायें बन बैठे और प्रत्येक अपनी इच्छा दूसरों पर लादने का प्रयास करने लगे।” वहीं पर इसके विपरीत विचार है संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष आर0 सी0 एस0 सरकार का कि आयोग की सिफारिशों को सरकार के लिए बाध्यकारी कर दिया जाय।” कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सरकार के लिए आयोगों की सिफारिशें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए सरकार इन सिफारिशों को जल्दी नजरन्दाज नहीं कर पाती है।

लोक सेवा आयोगों की कुछ दुर्बलताएं भी रही हैं जिस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। दुर्बलताओं के कारण समय-समय पर आयोगों को आलोचना भी सुनी पड़ी है। पहली आलोचना होती है आयोग के सदस्यों की योग्यता पर, जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। जैसा कि पूर्व राज्यपाल धर्मवीर ने कहा था कि राज्यों में आयोग के अध्यक्ष का पद स्नातक तक को दे दिया जाता है जो कि वे उस पद के अनुकूल योग्यता नहीं धारण करते हैं। कुछ नियुक्तियां पूर्णतया राजनीति से प्रेरित होकर की गयी थी। यह भी देखा गया है कि कई आयोग यथोचित समय पर अपना प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति व राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करते हैं। कई राज्यों के आयोगों ने लगातार कई वर्षों तक अपना प्रतिवेदन न देने की एक परम्परा ही बना ली है, जिसे अपने कर्तव्यों के प्रति घोर उपेक्षा या उदासीनता ही माना जायेगा। इसके साथ यह भी देखा गया कि राज्यों की सरकारें प्रायः आयोग की सिफारिशों को नजरन्दाज ही कर देती हैं। इससे आयोग की महत्ता में कमी भी हुई है। इसके साथ ही सरकार तदर्थ नियुक्तियों एवं समय-समय पर उसके कार्यकाल में वृद्धि करके आयोग के अधिकारों का हनन किया है। इसे नियुक्ति का एक अलग तरीका सरकारों द्वारा समझ लिया गया है। इसका समय-समय पर विरोध भी हुआ कि आयोग से बाहर सरकार को नियुक्ति का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर संसद और विधान मण्डलों में समुचित वाद-विवाद का अभाव होता जा रहा है। राज्य सरकारें तो आयोग के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती हैं। व्यवहार में आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ता मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर होता है। यहाँ पर आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की स्वतंत्रता बाधित होती है जिससे वह अपना कर्तव्य

भलीभांति नहीं निभा पाता। इसीलिए विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी था कि आयोग के सदस्यों का आचरण पक्षपात पूर्ण रहा है। डा0 सी.पी. भाम्भरी ने लोक सेवा आयोग को 'बन्द नौकरशाही निगम' तक कहा है। क्यों कि यह अपने भर्ती के तरीकों द्वारा स्थापित नौकरशाही को निरन्तर बनाये रखता है।

वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सम्मुख उपस्थित गम्भीर चुनौतियों के मद्देनजर उसके कार्यों एवं भूमिका में सुधार हुआ है, परन्तु अभी और भी सुधार होने चाहिए। अयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन-भत्ते में पुनरीक्षण के साथ आवश्यक हो गया है। आयोग का सदस्य केवल उन्ही व्यक्तियों को बनाया जाय जिनका दामन बेदाग हो और जो अपने क्षेत्र में दक्ष भी हों। इसके साथ ही लोक सेवकों की भर्ती की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाना चाहिए।

अन्ततः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग अपने कर्तव्यों का भली-भांति निर्वहन करते हुए लोकतन्त्र का हर संभव परिरक्षण कर रहा है। संसद एवं विधानमण्डलों में इसके कार्यों की समय-समय पर प्रशंसा भी की जाती रही है। आज भ्रष्टाचार एवं सन्तुलित विकास की गम्भीर चुनौती इसके सम्मुख उपस्थित है जिसका सामना करने की क्षमता इसमें विद्यमान है, परन्तु आज आवश्यकता है सरकारी प्रोत्साहन एवं सहयोग की जिससे वह राजनीतिक दबावां से मुक्त रहते हुए अपने दायित्वों का भर्ती-भांति निर्वहन कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग योग्य, लोक सेवकों का चयन कर संसदीय लोकतन्त्र को पूरी तरह संरक्षित करता है। यह लोकतन्त्र का आधार है जो राजनीति एवं प्रशासन के मध्य सन्तुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## 21.6 शब्दावली

1. नियोजन- अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद का ग्रहण करना।
2. पदावधि- कार्यकाल।
3. प्रतिवेदन- आयोग द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को भेजी जाने वाली रिपोर्ट।
4. विशेषाधिकार-संविधान द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दी गयी पद की सुरक्षा।
5. पुरस्कार प्रणाली-लोक सेवकों के पद पर अपने सम्बन्धियों की नियुक्त करने की पूर्व में प्रचलित प्रणाली।

## 21.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. B    2. C    3. D    4. A    5. D

## 21.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, ब्रज किशोर (2007) "भारत का संविधान" पं० ए.एस. हाल आफ इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. 'भारत का संविधान' (2000) भारत सरकार विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय।

---

3. फड़िया, बी.एल. (1977) "भारत में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग: भूमिका निर्धारण की समस्या", राज्य शासन समीक्षा, जयपुर।

4. पायली, एम.वी., "इण्डियन कांस्टीट्यूशन"।

5. किदवई, ए0आर., "संविधान और लोक सेवा आयोगों की भूमिका"।

---

## 21.9 सहायक /उपयोगी पाठ्य सामग्री

---

1. भाम्भरी, सी.पी., "पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया"।

2. मुताल्लिब, एम0 "इण्डियन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन", लंदन लोक प्रशासन संस्थान, प्रकाशन।

3. "भारत का संविधान" (2000) भारत सरकार विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय।

---

## 21.10 निबंधात्मक प्रश्न

---

1 संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया एवं कार्यो का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कीजिए?

2 राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्य एवं विशेषाधिकारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए?

---

## इकाई-22 : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग

---

इकाई की संरचना

22.0 प्रस्तावना

22.1 उद्देश्य

22.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

22.2.1 अल्पसंख्यक आयोग का गठन

22.2.2 अल्पसंख्यक आयोग के कार्य

22.2.3 अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें

22.2.4 अल्पसंख्यक आयोग की प्रभावशीलता

22.3 निर्वाचन आयोग

22.3.1 निर्वाचन आयोग का गठन

22.3.2 राज्य निर्वाचन आयोग

22.3.3 निर्वाचन आयोग की शक्तियां एवं कार्य

22.3.4 निर्वाचन आयोग एवं चुनाव सुधार

22.4 सारांश

22.5 शब्दावली

22.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

22.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

22.8 सहायक /उपयोगी पाठ्य सामग्री

22.9 निबंधात्मक प्रश्न

## 22.1 प्रस्तावना

अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षित करने हेतु स्वतंत्रता के पश्चात् अधिनियमित संविधान के भाग 3, (अनुच्छेद 29 व 30) के अन्तर्गत विशेष प्रावधान किये गये। एक लोकतान्त्रिक सरकार का यह सबसे बड़ा दायित्व भी बनता है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को किस प्रकार संरक्षित करे। अनुकूल परिस्थितियों में समग्र विकास के अवसर उपलब्ध कराना और निरन्तर प्रयत्नशील रहना उसका सबसे बड़ा दायित्व है। अल्पसंख्यक वर्ग का तात्पर्य उस समूह से है जो जाति, भाषा, धर्म की दृष्टि से बहुमत से भिन्न है। इसी प्रकार 1957 में केरल एजुकेशन बिल के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने भी माना कि-‘वह समूह जिसकी संख्या 50 प्रतिशत से कम हो वह अल्पसंख्यक वर्ग में आता है।’

संविधान भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद-29) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि ‘‘भारत के राजक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों का होगा। मूलाधिकार के रूप में संविधान में इन प्रावधानों का उल्लेख करने का मूल उद्देश्य संविधान निर्माताओं का यह विश्वास था कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग राष्ट्रीय जीवन में एक दूसरे के सहयोगी और पूरक बनकर ही देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था को सशक्त कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का आगे चलकर गठन किया गया। निर्वाचन आयोग भी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करने में एक सहयोगी एवं पूरक की भूमिका निभाता है।

निर्वाचन आयोग की व्यवस्था प्रजातन्त्र के कुशल संचालन के उद्देश्य से भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा भाग 15 (अनुच्छेद 324 से 329) के अन्तर्गत की गयी। एक प्रजातन्त्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि समय-समय पर आयोजित होने वाले चुनाव स्वतन्त्र व निष्पक्ष ढंग से न हों। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि चुनाव सम्पन्न कराने वाली मशीनरी स्वतन्त्र न हो। इसके लिए चुनाव से सम्बन्धित प्रावधान देश के संविधान द्वारा पूरी तरह अधिनियमित होना चाहिए। हमारे देश में संविधान निर्माताओं द्वारा चुनाव आयोग को स्वतन्त्र बनाने का प्रावधान संविधान में यथा संभव किया गया। क्योंकि प्रजातन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी महत्ता के कारण चुनावों के अधीक्षण, नियन्त्रण और निर्देशक का दायित्व चुनाव आयोग को सौंपा गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी केन्द्रीय चुनाव आयोग बनाने का निर्णय संविधान निर्माताओं द्वारा अन्ततः लिया गया। क्योंकि उनके सम्मुख यह गम्भीर प्रश्न विचार हेतु खड़ा था कि क्या प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न-भिन्न चुनाव आयोग होना चाहिए जैसा कि अमरीका में है अथवा इंग्लैण्ड की भांति समूचे देश के लिए एक ही केन्द्रीय चुनाव आयोग हो। यद्यपि भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य था, फिर भी इंग्लैण्ड की भांति एक एकीकृत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गयी। एक स्थायी केन्द्रीय चुनाव आयोग की व्यवस्था इसलिए की गयी जिससे सावधिक चुनावों का संचालन निष्पक्ष ढंग से हो सके। इस एकीकृत चुनाव आयोग की व्यवस्था इसीलिए भी की गयी ताकि भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न जातियों एवं धर्मों की बहुसंख्या है ऐसे में अल्पसंख्यक वर्गों के साथ भेदभाव

न हो सके। ऐसी किसी संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी चुनाव आयोग की व्यवस्था की गयी है।

## 22.2 उद्देश्य

इस इकाई के अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया, आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्यों और उसकी सिफारिशों एवं चुनाव सुधार के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे। आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता तथा चुनाव आयोग की निरन्तर बढ़ती हुई महत्ता की दृष्टि से उसकी गहरी समझ आवश्यक हो चुकी है। इस इकाई को पढ़ने एवं समझने के पश्चात् आप:-

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की आवश्यकता एवं महत्व को समझ सकेंगे
2. अल्पसंख्यक आयोग के कार्यों से अवगत हो सकेंगे |
3. निर्वाचन आयोग के महत्व का अवलोकन कर सकेंगे |
4. निर्वाचन अयोग की शक्तियां एवं कार्यों पर टिप्पणी कर सकेंगे।
5. चुनाव सुधार की प्रासंगिकता को समझ सकेंगे।

## 22.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

इस इकाई के अन्तर्गत हम अल्पसंख्यक आयोग के गठन, उसके कार्यों, आयोग की सिफारिशों, तथा आयोग की प्रभावशीलता का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस प्रकार से उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने हेतु आज प्रयत्नशील है। इसका भी एक विश्लेषणात्मक अध्ययन यहाँ किया जायेगा।

### 22.2.1 अल्पसंख्यक आयोग का गठन

अल्पसंख्यक वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने हेतु एक क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए जनता पार्टी की सरकार (1978) द्वारा एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात् से ही यह वर्ग अपने प्रति होने वाले भेदभावों को लेकर शिकायत करता रहता था। इस तरह के सभी भेदभावों से बचाने के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा यह अयोग गठित किया गया।

अल्पसंख्यक आयोग जिसका गठन 1978 में किया गया उस समय उसमें एक अध्यक्ष सहित तीन सदस्य थे। एम0 आर0 मसानी इस अयोग के अध्यक्ष थे और आर0 ए0 अंसारी तथा वी0वी0 जान इसके सदस्य थे। बड़े-बड़े मुस्लिम नेताओं ने यह भी मांग की कि जब सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग मुसलमान है तो आयोग के अध्यक्ष पद पर भी किसी मुसलमान की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके पश्चात् सिखों ने भी अपना कोई प्रतिनिधि इस आयोग में न होने पर अप्रसन्नता जाहिर की। यद्यपि सरकार ने इस मांग को प्रथम दृष्टया मानने से अतार्किक कहकर इन्कार कर दिया परन्तु कुछ समय पश्चात् मोरार जी देसाई जी ने आयोग के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी और अप्रत्यक्ष रूप से मांग स्वीकार कर ली। जब अध्यक्ष (एम. आर. मसानी) ने 1978 में अपना त्यागपत्र सरकार को सौपा उसी समय आर.ए. अंसारी(मुसलमान) को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही आयोग में सिखों,

बौद्धों, ईसाईयों तथा पारसियों के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया। इससे आयोग के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई। आज भी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में इसी परम्परा का अनुकरण किया जा रहा है।

### 22.2.2 अल्पसंख्यक आयोग के कार्य

अल्पसंख्यक आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि वह यह पता लगाये कि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों तथा संविधान द्वारा प्रदत्त रक्षोपायों से वंचित तो नहीं किया जा रहा है अथवा उनको वे सभी अधिकार उसी रूप में प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। बहुसंख्यक वर्गों के हितों को प्राथमिकता देने के चक्कर में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की कुर्बानी तो नहीं दी जा रही है।

आयोग के कार्यों का अवलोकन इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है:-

1. अल्पसंख्यक वर्गों से सम्बन्धित संवैधानिक रक्षोपायों से सम्बन्धित कानूनों का विश्लेषण करना;
2. ऐसे कानूनों के निर्माण की सिफारिश करना जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को पूर्णतया संरक्षित करता हो;
3. संघीय तथा राज्य सरकारों से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षित एवं सवर्द्धित करने से सम्बन्धित कानूनों को जानने एवं लागू करने की सिफारिशें करना,
4. अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाले सामाजिक भेदभावों के विरुद्ध दूरदर्शी कदम उठाने हेतु सरकारों को प्रेरित करना।
5. अल्पसंख्यक वर्गों से सम्बन्धित सूचनाओं को बनाने में एवं लागू करने में मदद मिल सके।
6. समय-समय पर अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रिपोर्ट सरकार को सौंपना आदि।

आयोग अपने कार्यों से सम्बन्धित क्रियाविधि स्वयं निर्धारित करता है। प्रत्येक मन्त्रालय तथा विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वे आयोग के द्वारा मांगी गयी किसी भी प्रकार की सूचना एवं दस्तावेज उपलब्ध करायें। इसी प्रकार की अपेक्षा राज्य सरकारों से भी की जाती है कि वे आयोग को अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से सम्बन्धित सूचनाएं जो मांगी जाय उपलब्ध करायें। आयोग अपनी क्रियाविधि दिल्ली स्थित मुख्यालय से संचालित करता है।

### 22.2.3 अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें

अल्पसंख्यक आयोग अपने कार्यों की तथा उसके साथ अल्पसंख्यकों के हितों से सम्बन्धित सभी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। यदि आयोग आवश्यक समझता है तो अपनी सिफारिशों से सम्बन्धित रिपोर्ट राष्ट्रपति को एक वर्ष में एक से अधिक बार सौंप सकता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखवाता है। जब भी कोई रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती है तब सरकार को उस रिपोर्ट से सम्बन्धित जो भी कार्यवाही की गयी होती है उसे संसद के पटल पर रखना होता है। सामान्यतया सरकार आयोग की सिफारिशों को नजरन्दाज नहीं कर पाती है। इससे सरकार की अल्पसंख्यकों के प्रति जबाबदेही सुनिश्चित होती है।

### 22.2.4 अल्पसंख्यक आयोग की प्रभावशीलता

अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्टों एवं सिफारिशों का प्रभाव यह रहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा संरक्षित किया गया है। किन्तु आयोग का अपना स्वयं का प्रभाव अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित कानूनों एवं नीतियों को लागू करवाने में नगण्य है। सरकारें इस तरफ अधिक संवेदनशील यद्यपि रही ही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में स्वयं को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की प्रतिस्पर्धा रही है, जिससे चुनावों में उनको लाभ मिल सके। आयोग की संवैधानिक स्थिति को देखा जाय तो इसकी स्थापना कार्यपालिका के आदेश के द्वारा की गयी है। इसीलिए अल्पसंख्यक आयोग एक गैर-संवैधानिक निकाय है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसीलिए इसकी प्रभावशीलता कम है या नगण्य ही कहा जा सकता है। संघ एवं राज्यों की सरकारें इसकी निरन्तर उपेक्षा करती रहती है।

राज्य सरकारों द्वारा आयोग को उसके द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को देने से भी इंकार किया गया है। जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा आयोग को जांच-पड़ताल करने से साफ मना कर दिया गया यह कहते हुए कि जम्मू कश्मीर उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके पश्चात् प्रधानमंत्री के दबाव का भी राज्य के मुख्यमंत्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार की उपेक्षा अल्पसंख्यक आयोग की, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सरकारों द्वारा भी किया जाता रहा है। इस स्तर पर आयोग पूर्णतया प्रभावहीन दिखाई पड़ता है।

वास्तव में देखा जाय तो अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा केवल राज्य सरकारों ने ही नहीं अपितु संघ सरकार द्वारा भी किया जाता रहा है। आयोग को गठित करने वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा भी उसके द्वारा प्रस्तुत चार रिपोर्टों में से एक भी रिपोर्ट सामने नहीं रखा गया और न ही स्वीकार किया गया। आयोग ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश करते हुए हैदराबाद, मुम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की बात कही मगर सरकार ने उसी समय इन्कार कर दिया था।

आयोग की प्रभावहीनता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति साम्प्रदायिकता के आधार पर की जाती है। विशेषरूप से अध्यक्ष एक मुसलमान सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा वर्ग मुसलमानों का है। जबकि एक गैर-मुसलमान अध्यक्ष भी अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करने की योग्यता रखता है। आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष आर.ए. अंसारी की संदिग्ध भूमिका इस संदर्भ में जग जाहिर है। जमशेदपुर के साम्प्रदायिक दंगों में आर.एस.एस. का हाथ है ऐसा बयान देना, भुट्टों को फांसी देने के पश्चात् जलाये गये गिरजाघरों पर चुप्पी साध लेना, और अलीगढ़ के कुछ छात्रों को गुण्डागर्दी करते हुए पकड़े जाने पर मुख्यमंत्री को तार देकर उन्हें छुड़ाने के लिए कहना आदि ऐसे कदम रहे जिसके कारण आयोग की शाख गिरी। साथ ही आयोग के सदस्यों पर अध्यक्ष का अनुशासनिक नियन्त्रण नहीं रहता है, क्योंकि अध्यक्ष न तो सदस्य का तबादला कर सकता है और न ही उनकी गोपनीय रिपोर्ट लिख सकता है। आयोग में स्टाफ की कमी भी रही है। अल्पसंख्यक को संविधान द्वारा जो अधिकार दिये गये हैं उनकी रक्षा करने से सम्बन्धित कोई भी मशीनरी नहीं है। अतः आयोग की प्रभावशीलता इसीलिए आज भी क्षीण सी ही है, अर्थात् अपने दायित्वों का निर्वहन वह आज भी भलीभाँति नहीं कर पा रहा है।

### 22.3 निर्वाचन आयोग

इस इकाई के अन्तर्गत हम निर्वाचन आयोग के गठन, शक्तियों एवं कार्यों, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव

सुधार हेतु उठाये जा रहे कदम का भी अध्ययन प्रासंगिक हो चुका है। अतः निर्वाचन आयोग से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर प्रकाश नीचे डालने जा रहे हैं।

### 22.3.1 निर्वाचन आयोग का गठन

निर्वाचन आयोग के गठन सम्बन्धी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत किया गया है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त किये जायेंगे। राष्ट्रपति जब भी कभी किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। इसीलिए संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन करे।

लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् उतने प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे। इसके साथ ही इन निर्वाचन आयुक्तों एवं प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तों और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके साथ ही पद पर रहते हुए उसके सेवा की शर्तों आदि में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अन्तर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्त को उसके पद से मुख्य निर्वाचन आयोग के सिफारिश के पश्चात् ही हटाया जायेगा। संसद द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले पूरा हो, पद पर बना रहता है।

### 22.3.2 राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग के सम्बन्ध में संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह/मशविरा लेकर उसकी सहायता हेतु कुछ प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। सन 1952 में जब पहली बार भारत में चुनाव कराये गये थे उस समय चार प्रादेशिक आयुक्त पदों की व्यवस्था थी, परन्तु केवल दो ही आयुक्त छः महीने की अवधि के लिए नियुक्त किये गये थे। भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.एल. शकधर का विचार रहा है कि चुनाव आयोग के सीमित कार्यों को देखते हुए तथा चुनाव आयोग के सचिवों के होते हुए उपचुनाव आयुक्त की आवश्यकता नहीं है। वैसे राष्ट्रपति उप चुनाव आयुक्त किसी सरकारी पदाधिकारी को ही नियुक्त करता है। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर उसे कभी भी वापस बुलाया जा सकता है।

राज्य स्तर पर चुनाव का दायित्व मुख्य चुनाव अधिकारी के ऊपर होता है, जिसकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रेषित तालिका में से किसी पदाधिकारी की ही की जाती है। यह पदाधिकारी सचिव के स्तर का होता है। कुछ राज्यों में जिला स्तर पर इन पदाधिकारियों की सहायता आयुक्तों द्वारा की जाती है जो जिले के पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं। चुनाव क्षेत्र के स्तर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट चुनाव अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के रूप में काम करते हैं। दोनो स्तरों पर प्रीजाईडिंग अफसरों की नियुक्ति जिला चुनाव अधिकारी द्वारा

की जाती है। इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है जो प्रादेशिक चुनावों के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### 22.3.3 निर्वाचन आयोग की शक्तियां एवं कार्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत संसदीय तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण चुनाव आयोग के अधीन है। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी पारदर्शिता एवं निष्ठापूर्वक करने हेतु चुनाव आयोग को अधोलिखित कार्य करने पड़ते हैं-

#### I. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

निर्वाचन आयोग का कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है। परिसीमन का कार्य संसद द्वारा पारित अधिनियम, 1952 के अनुसार किया जाता रहा है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक दस वर्ष में की जानी वाली जनगणना के पश्चात् चुनाव आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करवाता है। इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के दो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। आयोग के कुछ सहायक सदस्य भी होते हैं जिनका चुनाव राज्य के लोक सभा या विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। जनता व्यक्तिगत रूप से सुझाव या आपत्तियां आयोग के समाक्ष रख सकती है जिन पर आयोग को विचार करना आवश्यक होता है। पूरी तरह विचार-विमर्श के पश्चात् आयोग परिसीमन आदेश जारी करता है जो अन्तिम होता है और जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जाती है।

#### II. निर्वाचक नामावली तैयार कराना

सबसे पहले निर्वाचन आयोग किसी भी चुनाव को स्वतंत्रता निष्पक्ष ढंग से संचालित कराने के लिए निर्वाचन नामावली अर्थात् मतदाता सूची तैयार करवाता है। आयोग किसी भी धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि से सम्बन्धित व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य ही शामिल कराता है। इस देश का वह प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है तथा जिसे इस संविधान या सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी विधि के अधीन निवास, चित्त विकृति, अपराध और अवैध आचरण के आधार पर निरहरित नहीं किया जाता, उसे निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है।

जबकि देखा जाता है कि चुनाव के समय आम लोग यह शिकायत करते हैं कि सरकारी अफसरों के पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण उनके नाम को निर्वाचक नामावली में नहीं डाला जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतों को देखते हुए एक सही एवं निष्पक्ष तरीके से मतदाता सूची अर्थात् निर्वाचक नामावली तैयार कराना निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है।

#### III. चुनाव का संचालन करना

चुनाव आयोग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य चुनाव का संचालन करना है। धन, बल एवं बाहुबल के आधार पर चुनाव जीतने हेतु प्रयत्नशील प्रत्याशियों और अन्य किसी भी हर प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने हेतु चुनाव आयोग हर संभव प्रयत्न करता है। चुनाव के सुचारु संचालन हेतु आयोग निम्नलिखित उपाय करता है:-

1. चुनाव प्रेक्षकों की नियुक्ति कर चुनाव का संचालन पारदर्शी ढंग से करता है। चुनाव अधिकारियों पर भी प्रेक्षकों के माध्यम से नजर रखता है।

2. पृथक बूथों की व्यवस्था कर चुनाव में कमजोर वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

3. उम्मीदवार तथा उसके एजेंट को मत-पत्र पेटियों पर मुहर लगाने की व्यवस्था करता है।

4. मतदान की गोपनीयता बनाये रखने हेतु गिनती के पहले उसे अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है आदि।

उपर्युक्त प्रकार से चुनाव आयोग चुनाव का संचालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से करता है। आज निर्वाचन आयोग के सम्मुख यह सबसे बड़ी चुनौती है।

5. चुनाव रद्द करना

निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने के साथ ही साथ चुनाव रद्द करवाने का भी अधिकार होता है। चुनाव में धाधली होने की पुष्टि होने के पश्चात् ही आयोग दुबारा मतदान करवाता है। जैसे 1988 के लोकसभा चुनाव में अमेठी, रोहतक तथा अन्य कई चुनाव क्षेत्रों में धाधली की शिकायत पर प्रत्येक बूथ पर दोबारा चुनाव करवाने के आदेश दिये गये। अभी हाल के लोकसभा चुनाव में छपरा लोकसभा हेतु दुबारा चुनाव करवाने के आदेश दिये गये। इस प्रकार आयोग दोबारा मतदान की व्यवस्था कर चुनाव की पारदर्शिता बनाये रखता है।

6. उपचुनाव करवाना

निर्वाचन आयोग लोकसभा तथा विधानसभा में अन्तिम काल या मध्य काल में ही स्थान रिक्त होने की स्थिति में उपचुनाव करवाता है। किन्तु कभी-कभी आयोग सम्बन्धित राज्य सरकार से परामर्श किये बिना ही चुनाव की तिथि घोषित कर देता है। कहा जाता है कि आयोग केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के पक्ष में निर्णय लेता है। अतः ऐसी स्थिति में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके उपचुनाव करवाने की एक अवधि (छः माह के अन्दर ही) करवाने की सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे सभी दलों का विश्वास आयोग के प्रति और बढ़ेगा।

7. राजनीतिक दलों को मान्यता देना

आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देने तथा चुनाव निशान सुनिश्चित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब किसी दल का विभाजन होता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव चिन्ह को लेकर होने वाले झगड़े को आयोग निपटाता है और अंतिम निर्णय सुनाता है।

8. उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना

निर्वाचन आयोग प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात्, किसी प्रत्याशी द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा यदि आयोग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह उम्मीदवार को अयोग्य ठहराता है। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग संसद तथा विधान सभा के उन सदस्यों को अनहरित ठहराने हेतु राष्ट्रपति को सलाह देता है, जो किसी लाभ का पद आदि प्राप्त करता है।

इस प्रकार निर्वाचन आयोग द्वारा किये जाने वाले उपर्युक्त महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आयोग चुनाव के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन के द्वारा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली की वैधता सुनिश्चित करता है।

### 22.3.4 निर्वाचन आयोग एवं चुनाव सुधार

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली तब तक सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकती है जब तक कि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग की स्वतन्त्रता पर निर्भर है। इसके लिए चुनाव से सम्बन्धित कानून को और चुस्त-दुरुस्त भी करना होगा। संविधान निर्माताओं द्वारा निर्वाचन आयोग को स्वतन्त्र बनाने का हर संभव प्रयत्न किया गया था। परन्तु कालान्तर में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याषियों में धनबल एवं बाहुबल को लेकर बढ़ने वाली प्रतिस्पर्धा के कारण चुनाव आयोग एवं चुनाव प्रणाली को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंग से संचालित करने की गम्भीर चुनौती खड़ी हो गयी। आयोग द्वारा चुनावों में होने वाली धांधली को रोकने हेतु समय-समय पर अनेक कदम उठाये गये किन्तु आज चुनाव सुधार हेतु और भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर आसीन होना चाहिए। सेवा निवृत्ति के पश्चात् उसे किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी पद पर पुनः नियुक्त नहीं करना चाहिए इससे पद की गरिमा बनी रहती है।

निर्वाचन आयुक्त के अधीन उसका अपना स्वतन्त्र निर्वाचन विभाग होना चाहिए। जबकि वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए आयोग को संसद और कार्यपालिका पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए जब तक आयोग के पास स्वयं के अपने कर्मचारियों का समूह नहीं होगा तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता है।

चुनावों में होने वाला खर्च यदि सरकार द्वारा वहन किया जाय तो भी कुछ हद तक धांधली अर्थात् धनबल व बाहुबल के प्रभाव से चुनाव को बचाया जा सकता है। विश्व में 17 से अधिक देश हैं जैसे आस्ट्रेलिया कनाडा, इजराइल, नार्वे, स्वीडन, फ्रांस आदि जहाँ चुनावों का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत में भी चुनाव आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गयी थी परन्तु सरकार ने इसे मानने से ही इन्कार कर दिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त एस.एल. शकधर ने यह भी मांग की थी कि चुनाव आयोग को अपने खर्चों के लिए समय-समय पर सरकार से प्रार्थना करनी पड़ती है अतः सुझाव दिया कि निर्वाचन आयोग के खर्चों के लिए 100 करोड़ के एक कोष का निर्माण करें जो आयोग के नियन्त्रण में हो।

अपराधियों के चंगुल से चुनाव की प्रणाली को मुक्त कराने हेतु भी आयोग द्वारा सुझाव दिया जाता रहा है। इसी सन्दर्भ में जैसा कि 2013 में न्यायालय द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन कर सजा प्राप्त लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबन्धित किया गया है, किन्तु सरकार ने इसे भी स्वीकार करने से मना करते हुए एक अध्यादेश लायी है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार भी चुनाव सुधार हेतु किसी भी कड़े कदम उठाने से प्रारम्भ से ही परहेज करती आ रही है।

फिर भी आयोग द्वारा समय-समय पर चुनाव सुधार हेतु उठाया गया कदम बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। जैसा कि 'दिनेश गोस्वामी समिति' के सुझावों के अनुसार 13 वीं लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एम.एस.गिल ने 21 वीं शताब्दी के लिए नारा दिया कि- 'एक फोटो पहचान पत्र आपके हाथों में और एक इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन मतदान केन्द्र पर'। पहली बार पूरे देश में 2004

के लोकसभा चुनाव में वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। यह चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा एवं क्रान्तिकारी कदम सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार 'दिनेश गोस्वामी समिति' की सिफारिशों को यदि लागू किया जाय तो 'निःसंदेह चुनावों में धनबल एवं बाहुबल के प्रभाव को रोककर स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना संभव हो सकेगा। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की भूमिका सदैव ही निर्णायक रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त टी0 एन0 शेषन की परम्परा का आज भी निर्वहन किया जा रहा है जिसे चुनाव सुधार की दिशा में एक शुभ संकेत माना जा सकता है।

## अभ्यास प्रश्न

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्गों से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है?
  - A. नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत
  - B. मूल अधिकारों के अन्तर्गत
  - C. कर्तव्यों के अन्तर्गत
  - D. कहीं नहीं
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया?
  - A. 1976
  - B. 1977
  - C. 1978
  - D. 1980
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है?
  - A. अध्यक्ष को
  - B. राज्यपाल को
  - C. मुख्य न्यायाधीश
  - D. राष्ट्रपति को
4. निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
  - A. राष्ट्रपति
  - B. राज्यपाल
  - C. मुख्य न्यायाधीश
  - D. संसद
5. मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने वर्षों की अवधि तक अपने पद पर आसीन रहता है?
  - A. 60,वर्ष
  - B. 62,वर्ष
  - C. 63,वर्ष
  - D. 65,वर्ष
6. चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का दायित्व किस पर होता है?
  - A. न्यायालय पर
  - B. संसद पर
  - C. चुनाव आयोग पर
  - D. विधान मण्डलों पर

## 22.4 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की गठन प्रक्रिया उसकी शक्तियां एवं कार्यों के साथ ही साथ उसकी सिफारिशों और प्रभावशीलता के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक किये गये आलोचनात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया गया। अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करने हेतु गठित आयोग की कार्यप्रणाली पर इस इकाई के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही संविधान में दिये गये प्रावधानों का भी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहा जा सकता है इसे समझने के क्रम में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णयों में दी गयी टिप्पणी का सबसे सरल रूप प्रस्तुत किया गया है। हमारा संविधान भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को ही मान्यता प्रदान करता है।

निर्वाचन आयोग की गठन प्रक्रिया उसकी शक्तियां एवं कार्यों का भी इस इकाई के अन्तर्गत विस्तारपूर्वक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग का भी अध्ययन करने के साथ ही साथ वर्तमान समय में और अधिक अपरिहार्य हो चुकी चुनाव सुधार के सम्बन्ध में भी एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। चुनाव आयोग की शक्तियों एवं कार्यों के अन्तर्गत यह दर्शाया गया है कि लोकसभा एवं विधान सभा के साथ ही साथ अन्य सभी प्रकार के चुनावों के संचालन, का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण करना चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व है। निर्वाचन आयोग केवल चुनावों का संचालन ही नहीं करता अपितु स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंग से चुनावों के संचालन की गम्भीर चुनौती का समाना भी करता है।

आयोग चुनाव संचालन के क्रम में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वह है-निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात किया जाता है। निर्वाचक नामावली तैयार कराने का भी कार्य निर्वाचन आयोग करता है। आयोग किसी भी धर्म, वंश, जाति, लिंग से सम्बन्धित नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करने हेतु निर्वाचक नामावली में उसका नाम सम्मिलित करवाता है। क्योंकि अक्सर मतदाता यह शिकायत करता है कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है। आज आयोग वर्तमान में चुनाव प्रणाली का धनबल एवं बाहुबल की चुनौती से निपटने हेतु क्रान्तिकारी कदम उठा रहा है। इलेक्ट्रानिक्स वोटिंग मशीन का प्रयोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

अन्ततः हम यह कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग संविधान में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत दिये गये अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करने में अल्पसंख्यक आयोग के एक सहयोगी एवं पूरक की भूमिका निभाता है। धनबल एवं बाहुबल के दुष्प्रभाव से समूची चुनावी प्रणाली के मुक्त करके वह आज इस दिशा में अनेक क्रान्तिकारी कदम उठा रहा है। हमारी न्यायप्रणाली को और भी सक्रियता दिखानी चाहिए चाहे भले ही सरकार एवं राजनीतिक दल निष्क्रिय रहें। इससे हमारे लोकतान्त्रिक मूल्यों को और बल मिलेगा और एक सुदृढ़ एवं स्वस्थ परम्परा स्थापित होगी।

## 22.5 शब्दावली

अल्पसंख्यक- जो वर्ग समूह जाति, भाषा, धर्म की दृष्टि से बहुमत से भिन्न है।

प्रासंगिकता- उपयोगिता।

प्रावधान- कानूनी व्यवस्था।

प्रतिवेदन- रिपोर्ट जो आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौपता है।

सावधिक चुनाव-प्रति पाँच वर्ष पर होने वाला चुनाव।

## 22.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. B 2.C 3.D 4. A 5.D

## 22.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. त्रिवेदी, आर. एन. एवं राय, एम.पी. “भारतीय सरकार एवं राजनीति” कालेज बुक डिपो प्रकाशन जयपुर।
2. पायली, एम.वी., “कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट इन इण्डिया”।
3. सिवाच, जे0आर0 (2002) “भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हरियाणा साहित्य अकादमी।
4. शर्मा, ब्रज किशोर (2007) “भारत का संविधान” परेटिस हाल आफ इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली।

## 22.8 सहायक /उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. सिवाच, जे0आर0 (2002) “भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हरियाणा साहित्य अकादमी।
2. ‘भारत का संविधान’ (2000) भारत सरकार विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय।
3. नरायण, इकबाल (1967) “स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया”।

## 22.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन और उसके कार्य एवं दायित्वों का विश्लेषण कीजिए?
2. निर्वाचन आयोग की कार्य एवं शक्तियों का चुनाव सुधार के सन्दर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए?

## ईकाई-23 : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

### ईकाई की संरचना

- 23.1 प्रस्तावना
- 23.2 उद्देश्य
- 23.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  - 23.2.1 अनुसूचित जाति आयोग का गठन
  - 23.2.2 आयोग के कार्य एवं दायित्व
  - 23.2.3 आयोग के परामर्शी अधिकार
  - 23.2.4 विशिष्ट शिकायतों की जांच एवं पद्धति
  - 23.2.5 दीवानी अदालत के रूप में भूमिका
  - 23.2.6 आयोग के प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट
- 23.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
  - 23.3.1 अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन
  - 23.3.2 आयोग के कार्य एवं दायित्व
  - 23.3.3 कानून तथा विधान
  - 23.3.4 विशिष्ट शिकायतों की जांच एवं पद्धति
  - 23.3.5 दीवानी अदालत के रूप में भूमिका
  - 23.3.6 आयोग के परामर्शी अधिकार
  - 23.3.7 आयोग के प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट
- 23.4 सारांश
- 23.5 शब्दावली
- 23.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 23.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 23.8 सहायक उपयोगी/ पाठ्य सामग्री
- 23.9 निबन्धात्मक प्रश्न

### 23.1 प्रस्तावना

भारतीय संविधान के भाग 16 'कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबन्ध' के अन्तर्गत (अनुच्छेद 338 तथा 341 व 342 में) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए खास प्रावधान किये गये हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए संविधान में दिए गये सुरक्षणों की व्यवस्था करने तथा अन्य विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए संविधान में अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत एक विशेष आयोग व अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है। संविधान में उल्लिखित इस अधिकारी को 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त' के नाम से सम्बोधित किया गया है। इसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से सम्बन्धित कानूनों एवं सुरक्षात्मक उपायों का अन्वेषण करने तथा इसके कार्यान्वयन आदि से सम्बन्धित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया। इसके साथ ही आयुक्त को सौंपे गये सभी कार्यों को भलीभांति सम्पन्न करने हेतु देश के भिन्न-2 भागों में आयुक्त के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों की भी व्यवस्था की गयी।

किन्तु, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से सम्बन्धित संवैधानिक, सुरक्षात्मक उपायों एवं अन्य प्रावधानों के कार्यान्वयन एवं उचित देख-रेख करने में यह पूरी तरह सक्षम नहीं सिद्ध हो रहा था। अतः इस एक सदस्यीय व्यवस्था को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय करने की मांग की गयी। आम लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों की तेजी से बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार(गृह मंत्रालय) ने 1978 में पारित एक संकल्प द्वारा एक प्रशासनिक निर्णय लेते हुए एक बहुसदस्यीय आयोग के गठन का निर्णय लिया। फलतः अगस्त, 1978 में श्री भोला पासवान शास्त्री की अध्यक्षता में चार सदस्यों सहित, अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए एक बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया गया। पूर्वमें गठित आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों को इसके नियन्त्रण में लाया गया। यद्यपि इस आयोग के कार्य भी पूर्व में, नियुक्त किये गये आयुक्त के समान ही थे। हालांकि बाद में 1987 में कल्याण मन्त्रालय के द्वारा पारित एक संकल्प द्वारा आयोग के कार्यों में संशोधन किया गया और इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में पुनर्नामित किया गया। इस आयोग का गठन मूलतः एक सलाहकारी निकाय के रूप में किया गया जिसका कार्य सरकार को नीतिगत मुद्दों एवं अन्य विकास से सम्बन्धित उपायों आदि पर सलाह देना था। बाद में इसे एक आयोग के रूप में संविधान (65वां संशोधन) विधेयक, 1990 पारित होने के फलस्वरूप स्थापित किया गया। इस प्रकार कल्याण मन्त्रालय के संकल्प द्वारा 1987 में गठित आयोग के स्थान पर संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुरूप पहले आयोग का गठन मार्च, 1992 को किया गया।

प्रथम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष श्री राम धन को, उपाध्यक्ष श्री बंदी उराव को और सदस्य श्री वी सामाय्या, डॉ. सरोजनी महिषी, और चौधरी हरि सिंह, श्री फलीन्द्रनाथ ब्रह्मा तथा श्री झीना भाई आर0 दरजी को सदस्यों के रूप में नामित किया गया। इसी प्रकार दूसरा आयोग 1995 में श्री एच. हनुमनतप्पा की अध्यक्षता में, और तीसरा आयोग दिसम्बर, 1998 में श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में गठित किया गया। मार्च, 2002 में डा. विजय सोनकर शास्त्री की अध्यक्षता में चौथे आयोग का गठन किया गया।

संविधान में किये गये 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग को पृथक-पृथक क्रमशः पहला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। इस पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नियम सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2004 की पूर्णतया अधिसूचित किये गये। इस प्रकार 2004 से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-2 आयोग अस्तित्व में आया।

### 23.1 उद्देश्य

इस इकाई के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन प्रक्रिया, उसके कार्य एवं दायित्व और आयोग के परामर्शी अधिकार तथा विशिष्ट शिकायतों की जांच के पद्धति साथ ही दीवानी अदालत के रूप में उसकी भूमिका आदि का विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे। वर्तमान उदारीकरण के दौर में आयोग की निरन्तर बढ़ती हुई भूमिका साथ ही महत्ता की दृष्टि से उसकी गहरी समझ आवश्यक हो जाती है। इस इकाई को भलीभांति पढ़ने एवं समझने के पश्चात् आप:-

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग की आवश्यकता एवं महत्ता को समझ सकेंगे,
2. आयोग के कार्य एवं दायित्वों से भलीभांति अवगत हो सकेंगे,
3. आयोग की दीवानी अदालत के रूप में भूमिका पर टिप्पणी कर सकेंगे,
4. आयोग द्वारा विशिष्ट शिकायतों की जांच तथा अपनायी गयी पद्धति को समझ सकेंगे
5. वर्तमान उदारीकरण के इस आर्थिक दौर में आयोग की निरन्तर बढ़ती हुई प्रासंगिकता से भी रूबरू हो सकेंगे,

### 23.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

इस इकाई के अन्तर्गत हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन, कार्य एवं दायित्व और परामर्शी अधिकार, शिकायतों की जांच पद्धति तथा दीवानी अदालत के रूप में उसकी भूमिका आदि का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आयोग द्वारा सुरक्षात्मक उपायों के कार्यान्वयन आदि से सम्बन्धित प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट का भी हम यहाँ विश्लेषण करेंगे।

#### 23.2.1 अनुसूचित जाति आयोग का गठन

जैसा, कि हमने ऊपर चर्चा किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन पृथक रूप से (89वें संविधान संशोधन) अधिनियम-2003 के द्वारा किया गया। इस आयोग को बकायदा 20 फरवरी, 2004 को अधिसूचित किया गया। इस प्रथम आयोग का गठन करते हुए उसका अध्यक्ष श्री सूरज भान, उपाध्यक्ष, फकीर भाई बघेला को तथा फूलचन्द वर्मा, देवेन्द्र जी और श्रीमती सुरेखा लाम्बुतरे को सदस्य नामित किया गया। इसके पश्चात् मई, 2007 को दूसरे अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष डा. बूटा सिंह, उपाध्यक्ष प्रो. नरेन्द्र एम. काम्बले तथा श्रीमती सत्याबहन, श्री महेन्द्र बौद्ध को सदस्यों के रूप में नामित किया गया। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के इन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करता है। इनकी सेवा की शर्तें एवं पदावधि भी राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाती हैं। किन्तु आयोग के पास अनुसूचित जाति से सम्बन्धित प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होती है।

### 23.2.2 आयोग के कार्य एवं दायित्व

संविधान में अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया गया है, जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत भलीभाँति समझा जा सकता है:-

1. अनुसूचित जातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायो से सम्बन्धित विषयों का अन्वेषण करना और उनपर निगरानी रखना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन का कार्य करना;
2. अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बावत निर्दिष्ट शिकायतों की जांच का कार्य करना;
3. अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना,
4. उन रक्षोपायों के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझ, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य करना,
5. ऐसे प्रतिवेदनों में उन रक्षोपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किये जाने चाहिए तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश का कार्य करना,
6. अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण विकास तथा उन्नयन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनायी गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट का कार्य करना।

आयोग संविधान द्वारा निर्धारित उपर्युक्त महत्वपूर्ण कार्यों के सन्दर्भ में ही दायित्वों का विभाजन एवं कार्यों का आबंटन करता है जिसमें अध्यक्ष आयोग का प्रधान होता है और आयोग में उत्पन्न सभी विषयों पर निर्णय लेने की अवशिष्ट शक्ति उसी में निहित होती है। अध्यक्ष ही अन्य सदस्यों को कार्यों का आबंटन करता है। कार्यों के आबंटन से सम्बन्धित आदेश आयोग के सचिवालय द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। आयोग के बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष करता है। इसके अनुमोदन के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जाता है। अध्यक्ष किसी भी विषय पर जिसे वह आवश्यक समझता हो स्वयं ही निर्णय ले सकता है। उपाध्यक्ष उन सभी कार्यों को करता है जो अध्यक्ष द्वारा उसको सौंपा जाता है। इसी प्रकार आयोग के सदस्यों का सामूहिक दायित्व होता है। सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुसूचित जातियों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों को परामर्श देने की भूमिका है। इसी प्रकार आयोग का सचिव जो आयोग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है वह अपने विभिन्न अधिकारियों की सहायता से आयोग के कार्यों के सुचारु संचालन में अध्यक्ष एवं सदस्यों को सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति आयोग अपने कार्यों एवं दायित्वों का भलीभाँति निर्वहन करता है।

### 23.2.3 आयोग के परामर्शी अधिकार

आयोग के परामर्शी अधिकार एवं भूमिका का अवलोकन हम मुख्यतः दो स्तरों पर भर्तीभाँति कर सकते हैं-

1. राज्य सरकारों के साथ
2. योजना आयोग के साथ

आयोग, राज्य सरकारों के साथ अपनी परामर्शी भूमिका का निर्वहन, अपने सदस्यों, सचिवालय एवं राज्य कार्यालयों के माध्यम से करता है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रभारी सदस्य बैठकों या व्यक्तिगत मुलाकातों, पत्रों आदि के द्वारा राज्य सरकार से पारस्परिक संबंध रखता है। इस सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित विभाग को पहले भेजी जानी चाहिए। राज्य कार्यालयों को भी सूचना भेजी जानी चाहिए। आयोग इसके लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाता है। इसमें आयोग का सचिवालय सम्बन्धित सदस्यों को सूचना आदि प्रदान कर सहयोग करता है। आयोग के सदस्य द्वारा निभायी जा रही इस परामर्शी भूमिका को भर्तीभाँति निर्वहन करने हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा परिवहन, आवास एवं सुरक्षा आदि की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करायी जाती हैं।

योजना आयोग के साथ, अपनी परामर्शी भूमिका का निर्वहन, अनुसूचित जाति आयोग उसके द्वारा गठित विभिन्न समितियों, कार्यकारी दलों में अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से करता है। समय-समय पर आयोग, योजना आयोग को इस प्रकार के कार्यदल बनाने का परामर्श भी देता रहता है। इसके साथ ही योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित योजनाओं, तथा विकास प्रक्रिया सम्बन्धी दस्तावेजों के मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यवाही को आगे बढ़ाने का भी परामर्श देता है। आयोग, पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु भी योजना आयोग को विभिन्न प्रकार के परामर्श को समय-समय पर उपलब्ध कराता रहता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में स्थित अपने राज्य कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकारों से भी आयोग एक मजबूत कड़ी स्थापित करता है जिससे अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित विकास योजनाएँ उसके कुशल मार्गदर्शन में चलती रहती हैं।

### 23.2.4 विशिष्ट शिकायतों की जांच एवं पद्धति

अनुसूचित जाति आयोग अपने अधिकार के अन्तर्गत आने वाले विषयों की जांच करने के लिए अनेक विधियाँ अपनाता है। जैसे आयोग सीधे ही जांच कर सकता है, या मुख्यालय में गठित जांचदल द्वारा, या राज्य कार्यालयों के माध्यम से या फिर राज्य एजेंसियों के माध्यम से अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त या कोई अन्य संस्था और इसके विधिक निकाय द्वारा अपना जांच कार्य सम्पन्न कराती है। आयोग अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायतों की जो उसके सुरक्षा, कल्याण और विकास से सम्बन्धित है उसकी जांच आयोग सीधे ही कर सकता है। इसके लिए कोई भी कार्यवाही शुरु करते समय सम्बन्धित पार्टियों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों को सूचना का प्रेषण सुनिश्चित किया जाता है। आयोग राज्य के सभी सचिवों, पुलिस महानिदेशको की वर्ष में एक बार मीटिंग आयोजित कर अनुसूचित जाति के सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों पर विचार कर कार्यान्वयन की पहल करता है। आयोग के पास विशिष्ट शिकायतों की जांच करते समय दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियाँ होगी जो समाधान हेतु जरूरी हैं।

जाँच करते समय आयोग यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक समझता है तो वह अध्यक्ष के अनुमोदन से उसे 'समन' भेज सकता है। आयोग जाँच के अन्तर्गत किसी मामले में साक्ष्य होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड 8(ड) के अन्तर्गत पत्र जारी कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। जांच करने वाला सदस्य एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह रिपोर्ट नियम 34 के अन्तर्गत नियुक्त जांच अधिकारियों को भेजी जायेगी। अन्ततः यह रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर अध्यक्ष के समक्ष

प्रस्तुत की जायेगी। इसके पश्चात अध्यक्ष के अनुमोदन से ही उस पर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। अध्यक्ष यह भी निर्णय ले सकता है कि प्रस्तुत रिपोर्ट का अन्वेषण व जांच आयोग के मुख्यालय में गठित एक अन्वेषण दल द्वारा किया गया। परन्तु यदि मामला गम्भीर और तुरन्त कार्रवाई का है तो उस पर तुरन्त निर्णय आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिया जायेगा।

विशिष्ट शिकायतों की एक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित जांच पद्धति होती है। अतः आयोग उसकी परिधि में ही अपनी कार्यवाही करता है। इसीलिए उन मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं करता है जो न्यायाधीन हैं। उन मामलों को भी आयोग नये सिरे से नहीं उठाता है जो न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। आयोग स्थानान्तरण, तैनाती, आरक्षण तथा विभिन्न आदेशों आदि से सम्बन्धित प्रकरण को तब तक जांच हेतु स्वीकार नहीं करता है जब तक कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के उत्पीड़न का आधार न हों। अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किये गये अत्याचार के मामलों में आयोग तत्काल कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्योरा मांगता है तथा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश करता है। यह भी अनुवीक्षण करता है कि अत्याचार की सूचना प्राप्त होने पर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरन्त दौरा किया गया है? आयोग स्वयं स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए घटना स्थल का दौरा भी करता है। इस प्रकार सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए आयोग पीड़ित जन को न्याय दिलाता है।

### 23.2.5 दीवानी अदालत के रूप में भूमिका

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338क (5)के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण या उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे शक्तियां प्राप्त होगी जो उसे किसी मुकदमें को चलाने के लिए प्राप्त होती है। आयोग की दीवानी अदालत के रूप में भूमिका का अवलोकन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत कर सकते हैं-

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'समन' करना, आयोग के समक्ष उपस्थिति के लिए बाध्य करना, तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण के लिए आदेश देना,

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रति को मांगना,

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना,

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा विनिर्धारित करे,

इस प्रकार अनुसूचित जाति आयोग उपर्युक्त आधारों पर कार्य करते हुए अनुसूचित जातियों को न्याय दिलाने हेतु एक दीवानी अदालत की भूमिका का निर्वहन करता है।

### 23.2.6 आयोग के प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट

अनुसूचित जातियों के संरक्षण एवं उसके उपायों तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों के बारे में जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 338 खण्ड 5(घ) में व्यवस्था है, अनुसूचित जाति आयोग प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उन संरक्षणात्मक उपायों के राज्यों द्वारा कार्यान्वयन से सम्बन्धित सिफारिश भी अपने रिपोर्ट में राष्ट्रपति से करे।

अनुसूचित जाति आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संवैधानिक सुरक्षाओं के कार्यकरण तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण और कल्याण के लिए संघ और राज्यों द्वारा किये गये उपायों पर प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस शृंखला में देखा जाय तो 1992 से 2004 तक ही अवधि में आयोग द्वारा सात वार्षिक रिपोर्ट तथा चार विशेष रिपोर्ट और अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की गयीं। ऐसी ही अपेक्षा आयोग से आगे भी की जा रही है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड (6) के अनुसार सभी प्रतिवेदनों को तथा संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गयी या प्रस्तावित कार्यवाही को, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड 7 में व्यवस्था है कि, 'जहाँ कोई प्रतिवेदन या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित है जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जायेगी जो उसे राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।

### 23.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

इस इकाई के अन्तर्गत हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन, कार्य एवं दायित्व और कानून एवं विधान तथा जांच पद्धति, परामर्शी अधिकार तथा दीवानी अदालत के रूप में उसकी भूमिका आदि का यहाँ विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अनुसूचित जाति आयोग से एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदनों एवं रिपोर्टों का भी यहाँ विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### 23.3.1 अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन संविधान तथा अन्य कानूनों के अधीन जनजाति को दिये गये सभी सुरक्षाओं का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से की गयी। यद्यपि 1987 में पारित एक संकल्प द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन एक साथ समन्वित रूप से किया गया, परन्तु जब सरकार इस वस्तुस्थिति से अवगत हुई कि भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियों से भिन्न है और उसकी समस्याएँ भी भिन्न है, तब संविधान में किये गये (89वें संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा पृथक-पृथक रूप में पहला अनुसूचित जनजाति आयोग गठित हुआ। अन्ततः संविधान में संशोधन करते हुए एक नया अनुच्छेद 338 (क) जोड़ते हुए दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक नये आयोग की स्थापना की गयी। अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास को और तीव्र करने के लिए ऐसा अपरिहार्य हो चुका था। इससे अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

संविधान के (89 संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा पहला अनुसूचित जनजाति आयोग श्री कुंवर सिंह की अध्यक्षता में 20 फरवरी 2004 को गठित किया गया। इसके सदस्यों में श्री लामा लोबजंग, श्रीमती प्रेमाबाई मांडवी

और बुदरु श्री निवासुलु थे। उपाध्यक्ष का पद श्री तापिर गाव को दिया गया था, जो बाद में उनके इस्तीफे कारण रिक्त हो गया।

### 23.3.2 आयोग के कार्य एवं दायित्व

संविधान में अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य, कार्य तथा शक्तियां (89वें संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 338(क) के खण्ड (5),(8) तथा (9) में निर्धारित किए गए हैं। आयोग के इन कार्यों एवं दायित्वों का अवलोकन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत भलीभाँति किए जा सकते हैं-

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायो से सम्बन्धित विषयों का अन्वेषण करना और उनपर निगरानी रखना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन का कार्य करना;

(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बावत निर्दिष्ट शिकायतों की जांच का कार्य करना;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना,

(घ) उन रक्षोपायों के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य करना,

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन रक्षापायों के बारे में जो उन रक्षापायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किये जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश का कार्य करना,

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण विकास तथा उन्नयन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनायी गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट का कार्य करना।

आयोग संविधान द्वारा निर्धारित उपर्युक्त महत्वपूर्ण कार्यों के सन्दर्भ में ही दायित्वों का विभाजन एवं कार्यों का आबंटन करता है जिसमें अध्यक्ष आयोग का प्रधान होता है और आयोग में उत्पन्न सभी विषयों पर निर्णय लेने की अवशिष्ट शक्ति उसी में निहित होती है। अध्यक्ष ही अन्य सदस्यों को कार्यों का आबंटन करता है। कार्यों के आबंटन से सम्बन्धित आदेश आयोग के सचिवालय द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। आयोग के बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष करता है। इसके अनुमोदन के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जाता है। अध्यक्ष किसी भी विषय पर जिसे वह आवश्यक समझता हो स्वयं ही निर्णय ले सकता है। उपाध्यक्ष उन सभी कार्यों को करता है जो अध्यक्ष द्वारा उसको सौंपा जाता है। इसी प्रकार आयोग के सदस्यों का सामूहिक दायित्व होता है। सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों को परामर्श देने की भूमिका है। इसी प्रकार आयोग का सचिव जो आयोग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है वह अपने विभिन्न अधिकारियों की सहायता से आयोग के कार्यों के सुचारु संचालन में अध्यक्ष एवं

सदस्यों को सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति आयोग अपने कार्यों एवं दायित्वों का भलीभाँति निर्वहन करता है।

### 23.3.3 आयोग के कानून तथा विधान

अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास से सम्बन्धित अनेक कानून तथा विधान संघ और राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये हैं। इनमें से कुछ संवैधानिक प्रावधानों से उत्पन्न हुए हैं। जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है-

- I. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948,
- II. बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976,
- III. बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986
- IV. भूमि के हस्तांतरण को प्रतिषिद्ध करने सम्बन्धी अधिनियम आदि।

उपर्युक्त कानून तथा विधान के माध्यम से अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का कार्य करता है, बंधुआ मजदूर बनने से रोक लगाता है और बालश्रम को प्रतिबंधित करता है तथा आदिवासियों की भूमि को संरक्षित करने का कार्य करता है।

### 23.3.4 विशिष्ट शिकायतों की जांच एवं पद्धति

अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के उल्लंघन या उन पर होने वाले अत्याचारों का त्वरित जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित करता है। आयोग द्वारा शिकायतों की जांच को कारगर तरीके से करने के लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह स्पष्ट संदेश देता है कि वे अपनी शिकायतें प्रमाणित दस्तावेजों के साथ तथा संगत उपबन्धों के साथ करते हैं तो उनकी तुरन्त सहायता की जायेगी। अतः आयोग के साथ शिकायतें प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए:-

1. शिकायतकर्ता को अपनी पूरी पहचान, पूरा पता हस्ताक्षर सहित अवश्य अंकित करना चाहिए।
2. शिकायत, सीधे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सचिव/आयोग अथवा राज्य कार्यालयों के प्रधान को संबोधित होना चाहिए।
3. शिकायतें स्पष्ट रूप से लिखित अथवा टंकित होनी चाहिए, साथ ही प्रमाणित दस्तावेजों के साथ भेजी जानी चाहिए।
4. न्यायाधीन मामलों को आयोग को नहीं भेजना चाहिए तथा निर्णीत मामले पुनः नये सिरे से आयोग के समक्ष नहीं प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

अनुसूचित जनजाति आयोग अपने अधिकार के अन्तर्गत आने वाले विषयों की जांच करने के लिए अनेक विधियाँ अपनाता है। जैसे आयोग सीधे ही जांच कर सकता है, या मुख्यालय में गठित जांचदल द्वारा, या राज्य कार्यालयों के माध्यम से या फिर राज्य एजेंसियों के माध्यम से अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त या कोई अन्य संस्था और

इसके विधिक निकाय द्वारा अपना जांच कार्य सम्पन्न कराती है। आयोग अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायतों की जो उसके सुरक्षा, कल्याण और विकास से सम्बन्धित है उसकी जांच आयोग सीधे ही कर सकता है। इसके लिए कोई भी कार्यवाही शुरू करते समय सम्बन्धित पार्टियों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों को सूचना का प्रेषण सुनिश्चित किया जाता है। आयोग राज्य के सभी सचिवों, पुलिस महानिदेशको की वर्ष में एक बार मीटिंग आयोजित कर अनुसूचित जनजाति के सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों पर विचार कर कार्यान्वयन की पहल करता है। आयोग के पास विशिष्ट शिकायतों की जांच करते समय दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियाँ होंगी जो समाधान हेतु जरूरी हैं।

जाँच करते समय आयोग यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक समझता है तो वह अध्यक्ष के अनुमोदन से उसे 'समन' भेज सकता है। आयोग जाँच के अन्तर्गत किसी मामले में साक्ष्य होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड 8(ड) के अन्तर्गत पत्र जारी कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। जांच करने वाला सदस्य एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह रिपोर्ट नियम 34 के अन्तर्गत नियुक्त जांच अधिकारियों को भेजी जायेगी। अन्ततः यह रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। इसके पश्चात अध्यक्ष के अनुमोदन से ही उस पर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। अध्यक्ष यह भी निर्णय ले सकता है कि प्रस्तुत रिपोर्ट का अन्वेषण व जांच आयोग के मुख्यालय में गठित एक अन्वेषण दल द्वारा किया गया। परन्तु यदि मामला गम्भीर और तुरन्त कार्रवाई का है तो उस पर तुरन्त निर्णय आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिया जायेगा।

विशिष्ट शिकायतों की एक स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित जांच पद्धति होती है। अतः आयोग उसकी परिधि में ही अपनी कार्यवाही करता है। इसीलिए उन मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं करता है जो न्यायाधीन हैं। उन मामलों को भी आयोग नये सिरे से नहीं उठाता है जो न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। आयोग स्थानान्तरण, तैनाती, आरक्षण तथा विभिन्न आदेशों आदि से सम्बन्धित प्रकरण को तब तक जांच हेतु स्वीकार नहीं करता है जब तक कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के उत्पीड़न का आधार न हों। अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किये गये अत्याचार के मामलों में आयोग तत्काल कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्योरा मांगता है तथा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश करता है। यह भी अनुवीक्षण करता है कि अत्याचार की सूचना प्राप्त होने पर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरन्त दौरा किया गया है? आयोग स्वयं स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए घटना स्थल का दौरा भी करता है। इस प्रकार सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए आयोग पीड़ित जन को न्याय दिलाता है।

### 23.3.5 दीवानी अदालत के रूप में भूमिका

अनुसूचित जनजाति आयोग की दीवानी अदालत के रूप में भूमिका का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 क (5) के उपखण्ड (क) में है, कि किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उसे किसी मुकदमे को चलाने के लिए प्राप्त होती है। आयोग की दीवानी अदालत के रूप में भूमिका का अवलोकन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत कर सकते हैं-

1. भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'समन' करना, आयोग के समक्ष उपस्थिति के लिए बाध्य करना, तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना,
2. किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण के लिए आदेश देना,

3. शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रति को मांगना,
5. गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना
6. कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा विनिर्धारित करे,

इस प्रकार अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातियों को उनकी शिकायतों के आधार पर न्याय दिलाने हेतु समन जारी कर सम्बन्धित व्यक्ति को दस्तावेज को उपलब्ध कराने का आदेश देता है, साक्ष्य ग्रहण करता है और लोक अभिलेख को मांगता है। तथा कमीशन जारी कर दस्तावेजों का परीक्षण करता है। इस प्रकार आयोग दीवानी अदालत की भूमिका का भलीभाँति निर्वहन करता है।

### 23.3.6 आयोग के परामर्शी अधिकार

अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी इस परामर्शी भूमिका का निर्वहन अपने सदस्यों, सचिवालय एवं राज्य कार्यालयों के माध्यम से करता है। वह राज्य सरकारों से पारस्परिक संबंध रखते हुए अपनी इस भूमिका का निर्वहन करता है। आयोग की इस भूमिका का अवलोकन दो स्तरों, पहला राज्य सरकारों के साथ तथा दूसरा योजना आयोग के साथ के स्तर पर समझा जा सकता है। आयोग, राज्य सरकारों के साथ अपनी परामर्शी भूमिका का निर्वहन, अपने सदस्यों, सचिवालय एवं राज्य कार्यालयों के माध्यम से करता है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रभारी सदस्य बैठकों या व्यक्तिगत मुलाकातों, पत्रों आदि के द्वारा राज्य सरकार से पारस्परिक संबंध रखता है। इस सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित विभाग को पहले भेजी जानी चाहिए। राज्य कार्यालयों को भी सूचना भेजी जानी चाहिए आयोग इसके लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाता है। इसमें आयोग का सचिवालय सम्बन्धित सदस्यों को सूचना आदि प्रदान कर सहयोग करता है। आयोग के सदस्य द्वारा निभायी जा रही इस परामर्शी भूमिका को भलीभाँति निर्वहन करने हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा परिवहन, आवास एवं सुरक्षा आदि की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करायी जाती हैं।

योजना आयोग के साथ, अपनी परामर्शी भूमिका का निर्वहन, अनुसूचित जाति आयोग उसके द्वारा गठित विभिन्न समितियों, कार्यकारी दलों में अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से करता है। समय-समय पर आयोग, योजना आयोग को इस प्रकार के कार्यदल बनाने का परामर्श भी देता रहता है। इसके साथ ही योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित योजनाओं, तथा विकास प्रक्रिया सम्बन्धी दस्तावेजों के मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यवाही को आगे बढ़ाने का भी परामर्श देता है। आयोग, पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु भी योजना आयोग को विभिन्न प्रकार के परामर्श को समय-समय पर उपलब्ध कराता रहता है।

### 23.3.7 आयोग के प्रतिवेदन एवं रिपोर्टें

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजातियों के संरक्षणात्मक उपायों एवं विकासात्मक गतिविधियों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 338 खण्ड 5(घ) के अनुसार राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या फिर ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग उचित समझता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आयोग अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित उन संरक्षणात्मक उपायों के राज्यों द्वारा कार्यान्वयन से सम्बन्धित सिफारिश भी अपने रिपोर्ट में राष्ट्रपति से करे।

अनुसूचित जनजाति आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संवैधानिक सुरक्षाओं के कार्यक्रम तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और कल्याण के लिए संघ और राज्यों द्वारा किये गये उपायों पर प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस श्रृंखला में देखा जाय तो 1992 से 2004 तक ही अवधि में आयोग द्वारा सात वार्षिक रिपोर्ट तथा चार विशेष रिपोर्ट और अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की गयीं। ऐसी ही अपेक्षा आयोग से आगे भी की जा रही है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड (6) के अनुसार सभी प्रतिवेदनों को तथा संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गयी या प्रस्तावित कार्यवाही को, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड 7 में व्यवस्था है कि, 'जहाँ कोई प्रतिवेदन या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित है जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जायेगी जो उसे राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।

#### अभ्यास प्रश्न

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से सम्बन्धित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है।
 

A. अनुच्छेद, 338	B. अनुच्छेद, 339
C. अनुच्छेद, 340	D. अनुच्छेद, 341
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है?
 

A. रक्षोपायों का अन्वेषण	B. विशिष्ट शिकायतों की जांच
C. दीवानी अदालत के रूप में कार्य	D. दण्ड देने का कार्य
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक-पृथक गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया?
 

A. 88वें संशोधन	B. 89वें संशोधन
C. 90वें संशोधन	<u>D.</u> 91वें संशोधन
- अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे?
 

A. लोबजंग	B. प्रेम बाई
C. श्री कुवर सिंह	D. श्री निवासुलु

### 23.4 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत आप लोगों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन प्रक्रिया, उसके कार्यों एवं दायित्वों और परामर्शी भूमिका, विधान तथा विशिष्ट शिकायतों की जांच पद्धति का विस्तारपूर्वक एक विश्लेषणपरक अध्ययन किया। आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 क (5) के अन्तर्गत

दिये गये दीवानी अदालत की भूमिका का जिसके अन्तर्गत वह समन जारी कर किसी भी व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का आदेश जारी करता है, का भी विहंगमावलोकन किया गया। क्योंकि आयोग अत्याचार से सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निपटारे हेतु स्वयं सक्रिय भूमिका निभाता है। वह जिला प्रशासन द्वारा गम्भीर घटनाओं के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का भी अनुवीक्षण करता है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का एकरूपेण गठन (65वे संविधान संशोधन) अधिनियम 1990, के पारित होने के फलस्वरूप किया गया। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुरूप मार्च 1992 को अस्तित्व में आया। इस अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा 2003 तक सामूहिक रूप से संविधान द्वारा दिये गये कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन किया गया। पहले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष श्री राम धन को बनाया गया। इसी प्रकार 2002 अर्थात् चौथे आयोग तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष सामूहिक रूप से एक ही व्यक्ति को बनाया गया। किन्तु अनुसूचित जाति की समस्याओं एवं उसकी प्रकृति अनुसूचित जनजातियों से भिन्न होने तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की अलग-अलग आवश्यकताओं को देखते हुए (89वें संविधान संशोधन) अधिनियम 2003 के द्वारा अलग-2 आयोगों का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा गठित आयोग अन्ततः फरवरी, 2004 में अस्तित्व में आया। जहाँ अनुसूचित जाति आयोग का पहला अध्यक्ष श्री सूरज भान को बनाया गया, वहीं पर पहले अनुसूचित जन जाति आयोग का अध्यक्ष अनुच्छेद (338क) के तहत श्री कुँवर सिंह को 20 फरवरी 2004 को बनाया गया। इस महत्वपूर्ण कदम से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास का मार्ग तीव्रता से प्रशस्त हुआ।

इस प्रकार अन्ततः हम कह सकते हैं कि वर्तमान उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण के इस आर्थिक दौर में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग पृथक-पृथक अपनी भूमिका का संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्वहन करते हुए उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु हर संभव कदम उठा रहा है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित सुरक्षात्मक उपायों एवं विकासात्मक गतिविधियों में और तीव्रता लाने हेतु आयोग प्रतिवर्ष तथा समय-समय पर अपना प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौपता रहता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद में रखवाकर कानून निर्माण तथा क्रियान्वयन द्वारा उसका पालन सुनिश्चित कराता है। इतना ही नहीं विशिष्ट शिकायतों की जाँच से सम्बन्धित पद्धति को निर्धारित करने की शक्ति संविधान द्वारा स्वयं आयोग को प्रदान की गयी है, जिससे आयोग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों को पूरी तरह संरक्षित एवं संवर्धित करता है। आयोग अपनी स्थापना से लेकर अद्यतन एक सकारात्मक एवं प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता आ रहा है।

## 23.5 शब्दावली

उपबन्ध - कानून/ प्रावधान।

कार्यान्वयन - लागू करना।

पारमर्शी भूमिका - सलाह देने का कार्य।

प्रतिवेदन - रिपोर्ट जो आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौपता है।

जांच पद्धति - जांच हेतु अपनाया गया तरीका या विधि।

### 23.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.D 2.D 3.B 4.C

### 23.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, ब्रज किशोर (2007) “भारत का संविधान” परेटिस हाल आफ इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. “भारत का संविधान (2000) भारत सरकार विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय।
3. त्रिवेदी, आर. एन. एवं राय, एम.पी. “भारतीय सरकार एवं राजनीति” कालेज बुक डिपो प्रकाशन जयपुर।
4. “हैण्ड बुक” (अनुसूचित जनजाति आयोग) 2009, हिन्दी

### 23.8 सहायक उपयोगी/ पाठ्य सामग्री

- 23.9 निबन्धात्मक प्रश्न 1. पायली, एम.वी., “इण्डियन कांस्टीट्यूशन”
2. राष्ट्रीय अनुसूचितजनजाति आयोग, पुस्तिका (हैण्डबुक) जून, 2005 (छब्बै जण्णपबण्णद. पिसमे)।
3. फडिया, बी.एल. “भारतीय लोक प्रशासन”।

### 23.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन और उसके कार्य एवं दायित्वों का विश्लेषण कीजिए?
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की विशिष्ट शिकायतों की जांच पद्धति तथा दीवानी अदालत के रूप में उसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए?

---

## इकाई-24 : भाषा, राजभाषा आयोग

---

### इकाई की संरचना

- 24.1 प्रस्तावना
- 24.2 उद्देश्य
  - 24.2.1 भारत की भाषाई स्थिति
  - 24.3 भाषा तथा संविधान सभा
  - 24.4 भाषावार राज्यों का गठन
  - 24.5 भारतीय संविधान एवं राजभाषा
    - 24.5.1 संघ की राजभाषा
    - 24.5.2 क्षेत्रीय भाषाएं
    - 24.5.3 न्यायालयों, संसद तथा विधानसभाओं की भाषा
- 24.6 सरकारिया आयोग तथा भाषा
- 24.7 राजभाषा आयोग
  - 24.7.1 आयोग के कार्य
  - 24.7.2 आयोग की सिफारशें
  - 24.7.3 संसदीय समिति तथा राष्ट्रपति आदेश
- 24.8 सांविधानिक लक्ष्य और वास्तविक व्यवहार
- 24.9 सारांश
- 24.10 शब्दावली
- 24.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 24.12 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 24.13 सहायक उपयोगी/ पाठ्य सामग्री
- 24.14 निबन्धात्मक प्रश्न

### 24.1 प्रस्तावना

भाषा को किसी क्षेत्र-विशेष के सांस्कृतिक सामाजिक तथा राजनैतिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी विविधता में एकता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इन विभिन्न भाषाओं में 'हिन्दी' एक ऐसी भाषा है जो समस्त उत्तर भारत में बोली जाती है। ब्रिटिश काल में शासकों ने प्रशासन और न्यायालय में भी स्थानीय भाषा के रूप में हिन्दी भाषा के प्रयोग की अनुमति प्रदान की थी। कुछ समय बाद दूसरे ब्रिटिश शासकों ने न्यायलयों में और हस्तान्तरण पत्र आदि लिखने में उर्दू भाषा का प्रयोग किया। लखनऊ समझौता (1916) के पश्चात् कांग्रेस ने स्वयं को भाषा-निरपेक्ष दिखाने का हर संभव प्रयास किया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो भाषा नीति अपनायी उसमें एक समरता पूर्ण भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी का समर्थन किया गया। ये न तो हिन्दी होगी और न ही उर्दू अपितु दोनों का मिश्रण होगी। इसे देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखा जा सकेगा। मूल अधिकार उप-समिति ने तो हिन्दुस्तानी को राजभाषा बनाने का एक प्रारूप भी तैयार किया, किन्तु यह एक कोरी कल्पना बनकर रह गयी। अन्ततः संविधान सभा द्वारा 16 जुलाई 1947 को हिन्दुस्तानी की अपेक्षा हिन्दी को सर्वसम्मति से राजभाषा चुना और संविधान के प्रारूप से हिन्दुस्तानी शब्द हटा दिया गया।

### 24.2 उद्देश्य

इस इकाई के अन्तर्गत भाषा, राजभाषा आयोग से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। आज हिन्दी जिसे भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया है तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिलाने एवं उसके सम्बन्ध में आधारभूत कदम उठाने की दृष्टि से उसकी गहरी समझ आवश्यक हो चुकी है। इस इकाई को पढ़ने एवं समझने के पश्चात् आप:-

1. भारत की भाषाई स्थिति को भलीभांति समझ सकेंगे
2. भाषावार राज्यों के गठन पर टिप्पणी कर सकेंगे
3. हिन्दी को राजभाषा बनाने के कारणों से अवगत हो सकेंगे
4. राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को समझ सकेंगे
5. राजभाषा आयोग के कार्यों एवं सिफारिशों की महत्ता को समझ सकेंगे।

### 24.2.1 भारत की भाषाई स्थिति

भारत एक ऐसा देश है जहा बहु-भाषाएं बोली जाती हैं। पचास प्रतिशत से अधिक जनसंख्या हिन्दी तथा हिन्दी से सम्बन्धित भाषा वर्ग-उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, बिहारी बोलती है। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 मातृ भाषायें हैं लेकिन उनमें से संविधान के भाग 17 में केवल 15 भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त था, किन्तु आज संविधान के 92वां संशोधन के अनुसार कुल 22 भाषाएं उसके अन्तर्गत आ गयी हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या 87 प्रतिशत है। किन्तु इसी के साथ ही अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया, विशेष रूप से मिजोरम, मेघालय और नागालैण्ड के लिए।

भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत उपबंधित है कि- “संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। किन्तु इसी अनुच्छेद 343 के खण्ड (2) में हिन्दी को एक राजभाषा के रूप में प्रयोग को प्रभावहीन भी बना देता है। क्योंकि 343 (2) में कहा गया कि संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चालू रहेगा जिनके लिए उस तारीख से पूर्व प्रयोग किया जा रहा था। इसी प्रकार खण्ड (3) में उपबन्ध है कि 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो संसद विधि बनाकर अनुमति प्रदान करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजी राजभाषा न होते हुए भी अनुच्छेद 243 और राजभाषा अधिनियम, 1963 के आधार पर व्यवहार में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

### 24.3 भाषा तथा संविधान सभा

राजभाषा से सम्बन्धित विवाद संविधान सभा में भी बड़ी तेजी से पैदा हुआ और प्रतिदिन बढ़ता ही गया। लगभग सभी सदस्यों में मतभेद था इसलिए संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने सभी सदस्यों से शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने की अपील की। सदस्यों के सम्मुख राजभाषा से सम्बन्धित निम्नवत चार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिनका क्रमशः वर्णन निम्नवत् है:-

1. संविधान सभा के कुछ सदस्यों का विचार था रोमन लिपि, परशियन लिपि, अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दुस्तानी को ही राजभाषा बनाया जाय।
2. कुछ सदस्यों का मत था कि संस्कृत या बंगाली को राजभाषा बनाया जाना चाहिए।
3. कुछ सदस्यों का मत था कि हिन्दी ही राजभाषा बने और देवनागरी अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. कुछ सदस्यों का विचार था कि जब तक कोई निर्णय न हो सके तब तक अंग्रेजी का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाना चाहिए।

इस प्रकार अन्त में राजभाषा से सम्बन्धित भाग का प्रारूप तैयार करने हेतु एक प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति के सदस्यों में मुख्यतः बाबा भीम राव अम्बेडकर, मौलाना आजाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पर तेजी से विचार किया। किन्तु गोपाल स्वामी आयंगर और मणिक लाल मुन्शी ने राजभाषा से सम्बन्धित प्रारूप को तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभायी। यह संविधान सभा द्वारा राजभाषा के सम्बन्ध में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है।

## 24.4 भाषावार राज्यों का गठन

भाषावार राज्यों के गठन का यदि पूर्वावलोकन किया जाय तो बदलती हुई विकास की परिस्थिति के अनुरूप महात्मा गांधी ने भी 1918 में भाषाई आधार पर प्रान्तों के पुनर्गठन का समर्थन किया। इसी प्रकार 1928 में नेहरू समिति रिपोर्ट में भी प्रान्तों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन की बात कही गयी। कालान्तर में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी एजेन्डे में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की घोषणा की। जबकि 1948 में गठित 'डार आयोग' ने भाषा के ही आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। इसी प्रकार जे0वी0पी0 समिति, जिसके सदस्य नेहरू जी, बल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभि सीता रमैया जी थे, ने केवल भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। किन्तु कालान्तर में पं जवाहर लाल नेहरू विशाल आन्ध्र आन्दोलन के आगे विवश होकर पृथक आन्ध्र राज्य के स्थापना की घोषणा (19 दिसम्बर 1953) को कर दी। परिणाम स्वरूप 01 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आन्ध्र प्रदेश अस्तित्व में आ गया।

अन्ततः केन्द्र सरकार द्वारा 22 दिसम्बर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की घोषणा की गयी। इस आयोग के तीन सदस्य न्याय मूर्ति फजल अली, जो अध्यक्ष थे, सरदार के.एम. पणिककर और पं. हृदय नाथ कुंजरु दो सदस्य थे। आयोग ने 30 दिसम्बर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस आयोग ने भी यही कहा कि- केवल भाषाई व संस्कृति के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है। परन्तु 1960 के दशक के पश्चात भाषायी आधार पर ही राज्यों का गठन किया गया। अप्रैल, 1960 में बम्बई का विभाजन करते हुए महाराष्ट्र तथा गुजरात दो राज्यों का गठन किया गया। 1962 में नागालैण्ड पृथक राज्य बना और 1966 में पंजाब और हरियाणा अस्तित्व में आ गये। इसी प्रकार 1987 में गोवा राज्य भी अस्तित्व में आ गया। इस प्रकार भाषाई आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा विवश होकर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।

किन्तु, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की गम्भीर समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित हुई। सीमा विवाद, पानी और क्षेत्रीय भेदभाव आदि के कारण सामाजिक तनाव की गम्भीर समस्या पैदा हुई।

## 24.5 भारतीय संविधान एवं राजभाषा

इस इकाई के अन्तर्गत हम भारतीय संविधान में राजभाषा के सम्बन्ध में दिये गये उपबन्धों का क्रमशः विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 17 के अन्तर्गत संघ की राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा से सम्बन्धित उपबन्ध दिये गये हैं जिसे विश्लेषित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हम यहाँ करेंगे।

### 24.5.1 संघ की राजभाषा

भारतीय संविधान का भाग 17 (अनुच्छेद 343) यह उपबन्ध करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन अंको का प्रयोग इस देवनागरी लिपि में नहीं होगा। हमारे संविधान में भारत द्वारा विकसित अंको का ही प्रयोग होगा। ये अंक हैं (1,2,3,4,5, आदि) जिसे भारतीय अंको का अन्तर्राष्ट्रीय रूप कहा जाता है। यद्यपि कालान्तर में लेखन प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन भी हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ के शास्त्रीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंको का रूप भारतीय अंको का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

इसी प्रकार अनुच्छेद 343 (2) में यह उपबन्ध दिया गया है किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। किन्तु भारत का राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजन हेतु स्वयं के आदेश द्वारा हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि का प्रयोग सुनिश्चित कर सकेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 343(3) में यह उपबन्ध है कि संसद पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात कानून द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबन्धित कर सकती है। संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 भी अधिनियमित किया। 1967 में संशोधित इस अधिनियम की धारा तीन में अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक प्रयोग की छूट दे दी गयी। इस प्रकार हम देखते हैं यद्यपि संविधान के अनुसार हिन्दी राजभाषा है, अंग्रेजी नहीं परन्तु व्यवहार में अंग्रेजी का प्रयोग आज राजभाषा के रूप में हो रहा है।

#### 24.5.2 क्षेत्रीय भाषाएं

विभिन्न क्षेत्रों अथवा राज्यों की राजभाषा क्या होगी इसका उपबन्ध भारतीय संविधान में नहीं किया गया। अनुच्छेद 345 में यह उपबन्ध है कि राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकेगा। इस उपबन्ध के अनुसार अधिकतर बड़े राज्यों ने राज्य की प्रमुख भाषा को ही अपनी राजभाषा बनाया। जैसे महाराष्ट्र ने मराठी, तमिलनाडु ने तमिल को और उत्तर प्रदेश ने हिन्दी को अपनी राजभाषा बनाया। परन्तु पूर्वोत्तर के राज्यों नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश ने अंग्रेजी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार अनुच्छेद 346 के अन्तर्गत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा एक राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा अंग्रेजी ही होगी व्यवहारिक स्तर पर जब तक कि हिन्दी राजभाषा के स्तर को नहीं प्राप्त कर लेती है। क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु भी अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत विशेष उपबन्ध किया गया है कि- 'यदि किसी राज्य की अधिकतम जनसंख्या यह मांग करती है कि उसकी भाषा को राजभाषा बनाया जाय तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता देने से सम्बन्धित आदेश जारी कर सकता है। इस प्रकार हमारा संविधान क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्द्धन हेतु भी पर्याप्त प्रावधान करता है, जिसका प्रभाव यह रहा है कि भारत एक बहुभाषा-भाषी राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी अनूठी पहचान रखता है।

#### 24.5.3 न्यायालयों, संसद तथा विधानसभाओं की भाषा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान किया गया है कि- जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में की जायेगी। इसी प्रकार का प्रावधान राजभाषा अधिनियम, 1963 (धारा 7) के अन्तर्गत है कि- राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी राज्य की राजभाषा का प्रयोग वहाँ के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में किया जा सकता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण चार राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं जहाँ राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करते हुए हिन्दी को न्यायालय की कार्यवाहियों तथा निर्णय में प्रयोग में लाया जा रहा है। यही शक्ति राजभाषा अधिनियम तथा अनुच्छेद 348 (2)के अन्तर्गत राज्यपाल को दी गयी है कि वह उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा को अनुमति प्रदान कर सकता है।

परन्तु उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में संसद ने अभी तक ऐसी कोई विधि नहीं बनायी है जिससे अंग्रेजी की जगह हिन्दी अथवा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग उसकी कार्यवाहियों में किया जा सके। आज भी उच्चतम न्यायालय में केवल अंग्रेजी भाषा में ही अपील की जाती है। इसका एक उदाहरण है उच्चतम न्यायालय

का केस (1971 एस.सी. 2608) जिसमें हिन्दी में की जाने वाली बहस को असंवैधानिक घोषित किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज वास्तविक रूप में अंग्रेजी को ही राजभाषा का गौरव प्राप्त है।

#### 24.6 सरकारिया आयोग तथा भाषा

सरकारिया आयोग जिसका गठन मार्च 1983 में किया गया, उसकी अध्यक्षता एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा को प्रदान की गयी। इस प्रयोग का उद्देश्य था केन्द्र राज्य सम्बन्धों की समीक्षा करते हुए देश की एकता और अखण्डता हेतु ऐसे सुझावों को प्रस्तुत करना जो जनता के लिए हितकारी हों। इसीलिए सरकारिया आयोग द्वारा राजभाषा के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये।

राजभाषा के सम्बन्ध में सरकारिया आयोग ने कहा कि - राजभाषा

1. राजभाषा के विवाद के कारण राजनैतिक व्यवस्था का विकास अवरुद्ध हुआ है।
2. भारतीय संविधान के अन्तर्गत उपबंधित भाग 17 (गटप्पू) संविधान सभा में एक समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया है।
3. देवनागरी लिपि में हिन्दी में राजभाषा का दर्जा प्रदान करने के बावजूद अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को 15 साल तक निर्बाध छूट प्रदान की गयी।
4. विविध भाषा-भाषी वाले इस भारत देश में किसी एक भाषा को राजभाषा का दर्जा देना एक विवाद पैदा करता है, क्योंकि जहाँ कुछ राज्यों ने हिन्दी को अपनी राजभाषा बनाया वहीं पर कुछ अन्य राज्यों ने अंग्रेजी को ही अपनी राजभाषा बनाया है।

अतः सरकारिया आयोग ने अपने महत्वपूर्ण सुझावों के अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी के साथ ही साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्द्धन एवं विकास हेतु भी कदम उठाने की बात कही है। क्योंकि विविधता युक्त इस देश भारत में समग्र विकास की दृष्टि से भी यह आवश्यक कहा जा सकता है। आयोग ने 'त्रि-भाषा-सूत्र' को लागू करने के साथ ही साथ भाषा के राजनैतिकरण को देश हित के लिए रोकने का भी सुझाव दिया।

इस प्रकार सरकारिया आयोग ने राजभाषा के सम्बन्ध में दी गयी अपनी अंतिम रिपोर्ट में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के सम्बन्ध में एक समग्र एवं सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है।

## 24.7 राजभाषा आयोग

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत हम संविधान के भाग 17 (अनुच्छेद 344) के अन्तर्गत उपबंधित राजभाषा आयोग के कार्यों, उसकी सिफारशों तथा संसदीय समिति और राष्ट्रपति आदेशों का विस्तारपूर्वक अध्ययन एवं विश्लेषण करेंगे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि- राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में दिये गये विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों

से मिलकर बनेगा। जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में ही आयोग की प्रक्रिया एवं कार्यों का भी विनिश्चय होगा। इसके अनुसार ही 7 जून 1955 को बी.जी. खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसमें 20 सदस्य थे।

### 24.7.1 आयोग के कार्य

भारतीय संविधान के भाग 17 (अनुच्छेद 344(2) के अन्तर्गत ही राजभाषा आयोग के कार्यों को निर्दिष्ट किया गया है:-

1. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,
2. संघ के किसी या सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धों,
3. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,
4. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किये जाने वाले अंकों के रूप,
5. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किये गये किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिशें करे।

### 24.7.2 आयोग की सिफारिशें

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अन्तर्गत राजभाषा आयोग द्वारा कार्यों के सम्बन्ध में की जाने वाली सिफारिशों का भी प्रावधान है। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशों में:-

1. भारत की सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति का, और
2. लोक सेवाओं में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का पूर्णतया ध्यान रखेगा।

इस प्रकार हमने देखा कि राजभाषा आयोग के कार्यों तथा उसके द्वारा उससे सम्बन्धित की जाने वाली सिफारिशों का सविस्तार पूर्वक प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वह अपने विभिन्न कार्यों के साथ ही साथ यह ध्यान रखे कि सभी भाषाओं का विकास सुनिश्चित रूप में होना चाहिए। देश के सांस्कृतिक, और वैज्ञानिक विकास का ध्यान रखते हुए ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना चाहिए।

### 24.7.3 संसदीय समिति तथा राष्ट्रपति आदेश

भारतीय संविधान के भाग 17 (अनुच्छेद 344) के अन्तर्गत राजभाषा आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशों की परीक्षा करने और उस पर अपने विचारों से राष्ट्रपति को अवगत कराने हेतु एक संसदीय समिति की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुकूल ही 1957 में संसद द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इस संसदीय समिति का अध्यक्ष श्री गोबिन्द बल्लभ पंत

को बनाया गया था। इस संसदीय समिति से यह अपेक्षा की गयी कि अंग्रेजी से हिन्दी में की जाने वाली कार्यप्रणाली के परिवर्तन के सम्बन्ध में वह एक प्रभावी एवं कारगर कदम उठायेगी।

संविधान के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संसदीय समिति जो राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करती है उसके द्वारा राष्ट्रपति को दिये जाने वाले प्रतिवेदन पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात् ही राष्ट्रपति अपना आदेश देता है। राष्ट्रपति राजभाषा आयोग की सिफारिशों एवं संसदीय समिति के प्रतिवेदन के अनुरूप ही कदम उठाता है। सभी भाषाओं का समग्र विकास ही उसमें सबसे प्रमुख प्राथमिकता है। इस प्रकार संसदीय समिति राजभाषा आयोग की सिफारिशों को समग्रता प्रदान करती है। इसी आधार पर राष्ट्रपति द्वारा 1960 में कुछ आदेश निकाले गये। राजभाषा के सम्बन्ध में आदेश देने की शक्ति जो राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदत्त की गयी है, वह बहुत ही व्यापक है। इसी आदेश के अनुसार ही संसद राजभाषा से सम्बन्धित कानूनों को अधिनियमित करती है।

इस प्रकार हमने देखा कि राजभाषा आयोग अपने कार्यों एवं महत्वपूर्ण सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति को राजभाषा के समग्र विकास से सम्बन्धित आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति इस रूप में कि राष्ट्रपति इसी आधार पर अपना निर्णय लेता है। यही निर्णय अन्ततः संसदीय कानून का आधार बनता है।

## 24.8 सांविधानिक लक्ष्य और वास्तविक व्यवहार

भारतीय संविधान के भाग 17 के अन्तर्गत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि धीरे-धीरे अंग्रेजी भाषा में की जाने वाली कार्यप्रणाली का विकास राजभाषा हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। किन्तु व्यवहार में आज भी हिन्दी राजभाषा नहीं बन पायी है। जबकि 1955 में राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिशों तथा संसदीय समिति के सुझावों व प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा 1960 के दशक में आदेश भी दिये गये। इस आदेश का बस इतना ही प्रभाव रहा है कि 1963 में एक राजभाषा अधिनियम बनाया गया। किन्तु हिन्दी को व्यवहार में राजभाषा नहीं बनाया जा सका।

राजभाषा अधिनियम (1963) में 1967 में एक संशोधन करते हुए अंग्रेजी को सदैव के लिए स्थापित कर दिया गया। इसमें अनिश्चित काल तक अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान किया गया। वास्तविक व्यवहार में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग आज भी हो रहा है। हिन्दी आज क्षेत्रीय भाषा बनकर रह गयी है। अंग्रेजी अभिजात्य वर्ग की भाषा होने के कारण ही आज गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त किये हुए है। यह लोकतान्त्रिक भावना के सर्वथा प्रतिकूल ही कहा जा सकता है। परन्तु आज सूचना क्रान्ति के इस दौर में वैश्विक स्तर पर हिन्दी का प्रचलन बढ़ रहा है। प्रेस एवं मीडिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परन्तु हमें हिन्दी तथा अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा व्यवहारिक स्तर पर दिलाने हेतु अभी आधारभूत कदम उठाने होंगे।

अभ्यास प्रश्न

1- राजभाषा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| A. पन्द्रहवें भाग | B. सोलहवें भाग  |
| C. सत्तरहवें भाग  | D. अठारहवें भाग |

2- राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया?

- A. 1950                      B. 1952  
C. 1955                      D. 1961

3- भाषा से सम्बन्धित जे0बी0पी0 समिति के सदस्य थे?

- A. पं0 जवाहर लाल नेहरू    B. सरदार बल्लभ भाई पटेल  
C. पट्टाभि सीता रमैया        D. इनमें सभी

4- राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गयी?

- A. 1951                      B. 1953  
C. 1956                      D. 1957

5- राजभाषा से सम्बन्धित अधिनियम कब पारित हुआ?

- A. 1960                      B. 1961  
C. 1963                      D. 1965

#### 24.9 सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत आप लोगों ने भाषा, राजभाषा आयोग के कार्य एवं उसकी सिफारिशों आदि के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। भारत की भाषाई स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया गया है कि लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दी तथा हिन्दी से सम्बन्धित भाषा वर्ग (ऊर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, बिहारी आदि) बोलती है, जो हिन्दी को राजभाषा बनाने का बहुत बड़ा आधार है। संविधान सभा में किस प्रकार एक लम्बी बहस के पश्चात् हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने पर राज्यों के गठन की मांग बहुत तेजी से उभरी। 1948 में गठित दर आयोग से लेकर 'राज्य पुनर्गठन आयोग' (1953) तक सभी ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग स्वीकार की परन्तु केवल इसे ही एकमात्र आधार मानने से अस्वीकार भी किया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राज्यों के मध्य सीमा विवाद, क्षेत्रीयतावाद तथा सामाजिक भेदभाव की गम्भीर समस्या भी पैदा हुई। इससे राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को अपूर्णनीय क्षति भी पहुँची।

भारतीय संविधान के भाग 17 के अन्तर्गत संघ की राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार राजभाषा अधिनियम 1963 की भी चर्चा की गयी है। किस प्रकार हमारा संविधान विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्द्धन एवं विकास हेतु संकल्पित है, इसे प्रमुखता से समझाया गया है। राजभाषा के सम्बन्ध में सरकारिया आयोग के सुझावों का भी विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया गया है।

राजभाषा आयोग, जिसका गठन 1955 में सर्वप्रथम किया गया उसके कार्यों एवं महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही संसदीय समिति जो राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देती है उस पर समग्रता में प्रकाश डाला गया है। राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा

समय-समय पर दिये जाने वाले आदेशों के आधार को भी दर्शाने का हर संभव प्रयास किया गया है। किन्तु राजभाषा की व्यवहारिक स्थिति उसकी सांविधानिक स्थिति से बिल्कुल ही विपरीत है इसका भी आलोचनात्मक अवलोकन किया गया है।

अन्ततः हम कह सकते हैं कि हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को अंग्रेजी के स्थान पर प्रयोग करने तथा उसे व्यवहारिक स्तर पर राजभाषा का दर्जा दिलाने हेतु आधारभूत कदम उठाने होंगे। लोकतान्त्रिक भावना को और सबल बनाने की दृष्टि से भी यह आवश्यक हो जाता है कि संविधान एवं बहुसंख्यक लोगों की भाषा हिन्दी को राजभाषा की गरिमा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए राजभाषा आयोग, संसदीय समिति, राष्ट्रपति आदेश, संसदीय कानून और मीडिया तक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

### 24.10 शब्दावली

क्षेत्रीय भाषा- प्रदेश स्तर पर बोली जाने वाली प्रमुख भाषा।

संवर्द्धन-विकास करना।

उपबन्ध - कानून/ प्रावधान।

कार्यान्वयन - लागू करना।

शासकीय प्रयोजन-शासन के कार्यों में प्रयोग हेतु।

सांविधानिक लक्ष्य-संविधान में दिये गये लक्ष्य।

### 24.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.C, 2.C, 3. D, 4. B, 5. C,

### 24.12 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. भारत का संविधान (2000) भारत सरकार विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय।
2. सिवाच, जे0आर0 (2002) “ भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हरियाणा साहित्य अकादमी प्रकाशन।
3. ब्रास, आर0पी0 (1978) “ लैगुएज रेलिजन एण्ड पॉलिटिक्स इन नार्थ इंडिया “।
4. शर्मा, ब्रज किशोर (2007) “भारत का संविधान“ प्रेंटिस हाल आफ इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली।

### 24.13 सहायक उपयोगी/ पाठ्य सामग्री

1. कोठारी, रजनी, (1978) “ पॉलिटिक्स इन इंडिया “ ओरियन्ट लॉग मैन, नई दिल्ली।

---

2.नरायण, इकबाल (1967) ‘‘स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया’’।

3. ‘भारत का संविधान’ (2000) भारत सरकार विधि न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय।

---

### **24.14 निबन्धात्मक प्रश्न**

---

- 1.राजभाषा आयोग के गठन और उसके कार्य एवं दायित्वों का विश्लेषण कीजिए?
- 2.भारतीय संविधान एवं भाषावार राज्यों के गठन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए?
- 3.भाषा तथा संविधान सभा पर एक निबन्ध लिखिए?